राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7 चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का ३७ वां दिवस संख्या २६

मंगलवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, अकाल सहायता, सिंचाई, समाज कल्याण, पंचायत, चिकित्सा, शिक्षा, देवस्थान, वन आबकारी, उद्योग, विमाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

प्रश्न सं० ६८६

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

६८७. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान निर्माण होने के बाद आज तक राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों में कितनी राशि खर्च की है, उसमें कितनी राशि केन्द्र सरकार ने दी है ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : राजस्थान निर्माण होने के बाद आज तक राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर रुपये १०६ करोड़ ८७ लाख २८ हजार व्यय किया जा चुका है। उसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान के रूप में ६५ करोड़ ५७ लाख १३ हजार रु० प्राप्त हुआ है।

श्री केदार नाथ : अकाल के नाम से जितना पैसा आपको मिला आज तक उसे आपने कहीं डाइवर्ट तो नहीं किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं।

श्री केदार नाथ : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : आपका सवाल किस जांच कमेटी के सम्बन्ध में है ?

श्री केदारनाथ : अकाल के नाम से जितना पैसा मिला केन्द्र से, वह सही तरीके से अकाल के नाम से खर्च किया—इसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस विषय में कोई कमेटी भारत सरकार ने अपाइन्ट नहीं की।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अपाइन्ट नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : श्री वृजवल्लभ वोहरा !

प्रश्न संख्या ६८८,

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

अतिरिक्त धनराशि की मांग

६८९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सांचोर में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन एवं विजली लाइन लगाने के लिए धनराशि की मांग वित्त विभाग से की गई है ? अगर हां, तो कब और कितनी धनराशि की ?

(२) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी के अवसर पर ऐसे मोहल्लों में पाइप लाइन व विजली लाइनों के लिये वित्त विभाग ने विशेष प्रावधान किया है ? अगर हां, तो सांचोर में उपरोक्त लाइनें लगाने के लिये उपयुक्त धनराशि कब तक मंजूर की जावेगी ?

(३) समाज कल्याण विभाग की उपरोक्त धनराशि की मांग वित्त विभाग को कब प्राप्त हुई थी ? अब तक इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण मंत्री : (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) (१) जी हां। समाज कल्याण अधिकारी जालोर द्वारा सांचोर में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन व बिजली लगाने हेतु मांग प्राप्त हुई थी। मांग निर्धारित प्रारूप में नहीं थी तथा न ही उसके साथ आवश्यक प्रमाण पत्र थे। इस कारण दिनांक २०-८-६९ को वे आवश्यक पूर्ति हेतु वापस भेज दिये गये और अब तक प्राप्त नहीं हुए।

(२) जी हां। सांचोर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उन पर विचार किया जा सकता है।

(३) इस कार्य के लिये धनराशि का प्रावधान योजना विभाग द्वारा पत्र सं० ३ : ६६ : आयोजना। ६८। दिनांक १५ जनवरी १९७० द्वारा किया गया था। यह समूची धनराशि बिजली के लिये विद्युत मण्डल को तथा नलों के लिये म्युनिस्पेलिटियों को आवंटित की जा चुकी है। अतः अब वह प्रस्ताव नियमानुसार तखमीनों व आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्राप्त होने पर वर्तमान वर्ष के वित्तीय प्रावधान में से स्वीकार किया जा सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय यह कागजात आपके सोशल वेलफेअर आफिसर जालोर ने आपके इन्स्ट्रक्शन के अनुसार, जब आप वहां पधारे थे, वहां भेजे थे, उसके बाद उसमें कमियां क्या थीं इसका तो मुझे

Page No 3

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पता नहीं है लेकिन कागजात आये थे और वह वापिस भेज दिये गये, अब उसके अन्दर कोई प्राविजन आपने किया या नहीं अब तक ?

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : ऐसा है, प्रमाण पत्र इस बात का चाहिए नगर पालिका की ओर से या कस्बा है तो ग्राम पंचायत की ओर से। बिजली लग जाने के बाद में रेकरिंग एक्सपेंडीचर आयेगा, चालू खर्चा होगा, वह करने के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि बिजली लग जावे हजारों का खर्चा हो जावे और बाद में ग्राम पंचायत या नगर पालिका कहे कि हम इस खर्च को मीट नहीं कर सकते तो वापिस खम्भे उखाड़ने पड़ते हैं।

इसलिये यह खाना पूर्ति उनके हक में ही बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रमाण पत्र कभी का भेज दिया गया है। वहां पर आलरेडी बिजली लगी हुई है तो फिर दिक्कत क्या है ?

श्री विश्म्बर नाथ जोशी : बिजली लगी हुई है लेकिन लोकल बाडी अन्डर टेक करे कि रेकरिंग एक्सपेंडीचर आयेगा उसको मीट करने के लिए तैयार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह अन्डर टेकिंग दे दी गई है, प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है और कागजात काफी अर्से पहले भेजे जा चुके हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : कागजात आये थे वह पूरे नहीं थे। आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं था और तखमीना पूरा नहीं था इसलिए उसकी पूर्ति के लिए भेजी है वह अभी आया नहीं है। आने के बाद में नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में उसके लिए स्वीकृति दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पम्पिंग सैट्स के लिए ऋण

६९० श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति भोपालगढ़ में आज तक कुओं पर पम्पिंग सैट्स के लिये कितना किस किस को कब ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त पंचायत समिति द्वारा कितनी राशि किस किस को ऋण व सहायता (सबसीडी) कुए खोदने व गहरा करने के लिए आज तक दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें कितने कार्य के उपयोग प्रमाण पत्र दिये जा चुके हैं ?

पंचायत उप मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसको स्थगित करने की प्रार्थना की जाती है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मनोहर सिंह मेहता !

श्री भैरों सिंह : अध्यक्ष महोदय, अकाल

Page No 4

(श्री भैरोंसिंह)
राहत डिपार्टमेंट को तो कम्पलीन आवर से निकाल ही दिया जाय !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

ग्राम बड़ल्यास में डिस्पेंसरी

६९१. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भीलवाड़ा जिले के ग्राम बड़ल्यास में क्या सरकारी डिस्पेंसरी है ? यदि हां, तो क्या वहां पर डाक्टर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) जी हां । बड़लियास में सरकारी एड पोस्ट डिस्पेंसरी हैं जिनमें चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित ही होता है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अब तो आपके यहां डाक्टरों की तादाद बढ़ रही है ऐसी स्थिति में वहां चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकार किया जाय ।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन किया कि एड पोस्ट पर डाक्टर का पद स्वीकृत नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री जयनारायण सालोदिया !

बांध बनाने की योजना

६९२, **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या टोंक जिले में बनास नदी पर गांव बिसलपुर के पास बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सर्वे आदि करके कोई एस्टीमेट तैयार किया गया है ?

(२) इस बांध पर कितनी लागत और कितने बीघा भूमि की पिलाई होने का अनुमान है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(१) जी हां ।

(२) इस बांध की अनुमानित लागत १३५० लाख रुपये है व इससे ६६९६० एकड़ भूमि में सिंचाई सम्भावित है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसकी सर्वे आपने कब करवाई थी ? कौनसे सन् में सर्वे करवाई थी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : १९६९ में ।

श्री जयनारायण सालोदिया : १९६९ से अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

१९६९ में सर्वे करवाई तो अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६९ में सर्वे शुरू हुआ था, सर्वे हो जाने के बाद में प्राजेक्ट रिपोर्ट आई इस बीच में सिंचाई विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि ऐसी योजना को, जिसकी लागत १३-१४ करोड़ रुपये की है, ले सके और चूंकि पानी आवश्यक है और जयपुर अजमेर वगैरह के लिए इसलिए इनको फिलहाल कैसे ही पानी मिल सके—इसकी योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

Page No 5

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि यह बांध अत्यन्त आवश्यक है टोंक के लिए और यदि यह पूरा हो जाय तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। इसलिए सरकार को ऐसे बांध को लेना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिंचाई तो हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन रुपये का भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक रुपया उपलब्ध हो जायगा ? कब तक इसका काम चालू करने का इरादा रखते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम चालू पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट की ओर से होगा, उसकी योजना मंजूर होने पर काम शुरू होगा !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : कैपिटल आउट ले का रिटर्न कितना मिलेगा—इसका अन्दाज किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइनेंशियल रिटर्न ८.४३३ पर्सेन्ट मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : ६९३.

उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना पत्र

६९३. **श्री नाथूराम (बागीडोरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर विश्वविद्यालय संबद्ध कालेजों में केमिस्ट्री, बोटेनी, बायलोजी, फिजिक्स में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने में निमित्त कितने कितने प्रार्थना पत्र हुए ?

(२) क्या यह सत्य है कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से चयन के लिये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिये प्राप्तांकों के प्रतिशत अधिक रक्खे गये व अन्य प्रान्तों के लिये कम ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो राजस्थान के विद्यार्थियों को किस प्रतिशत अंक तक प्रवेश दिये गये व अन्य प्रान्तों को किस प्रतिशत तक ? प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुपात में प्रवेश पाने वाले छात्रों का क्या प्रतिशत रहा, प्रान्तवार सूचना देने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश के निमित्त प्रान्तवार कोटा निश्चित किया है ? यदि हां, तो इसी प्रकार की सुविधा क्या राजस्थान के छात्रों को अन्य प्रान्तों में भी दी गई है ? यदि हां, तो कहां कहां ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का विचार रखती है ?

(४) जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(१) विभिन्न विभागों में प्राप्त प्रवेश संबंधी

(श्री वीरसिंह)

प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :

फिजिक्स	८२
बोटेनी	११३
मैथेमेटिक्स	३७
कैमिस्ट्री	१२४
ज्योलोजी	१२०

(२) यह सत्य नहीं है कि राजस्थानी विद्यार्थियों के मुकाबले राजस्थान के बाहर के ऐसे विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक कम थे प्रवेश दिया गया। विज्ञान के विभिन्न विषयों में नीचे दिए गए मान- चित्र के अनुसार प्रवेश दिया गया। विज्ञान के संयुक्त विषयों में केवल २३ प्रतिशत सीटें ही राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को दी गई हैं। योग्यता सूची में राजस्थान के बाहर विद्यार्थियों को स्थान राजस्थानी विद्यार्थियों से ऊंचा है। यद्यपि उदयपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ५० प्रतिशत सीट सुरक्षित हैं फिर भी राजस्थानी अथवा दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किया गया है। जिसकी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उदयपुर विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया था।

बाहर वालों का उदयपुर विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत कोटा है। निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये हैं—विवरण इस प्रकार है :

फिजिक्स के लिए ८२ प्रार्थना पत्र आये, १६ सीटें थी और ५६.२ प्राप्तांक तक भरती की गई।

कैमिस्ट्री के लिए १२४ प्रार्थना पत्र आये, २५ सीटें थीं और ५९.३३ प्राप्तांक तक भर्ती की गई।

बोटेनी के लिए ११३ प्रार्थना पत्र आये, १२ सीटें थीं और ४९.०० प्राप्तांक तक भर्ती की गई।

ज्योलोजी के लिए १२० प्रार्थना पत्र आये, १२ सीटें थीं और ४८.४ प्राप्तांक तक भर्ती की गई।

राजस्थान और बाहर के लड़कों में से फिजिक्स में ६० प्रतिशत प्राप्तांक के १३ राजस्थान के और ३ बाहर के भर्ती किये गये।

कैमिस्ट्री में ५४.५ प्रतिशत प्राप्तांक के १९ राजस्थान के और ६ बाहर के भर्ती किये गये।

बोटेनी में ५४.०० प्रतिशत प्राप्तांक के ९ राजस्थान के और ३ बाहर के भर्ती किये गये।

ज्योलोजी के ५६.०० प्रतिशत प्राप्तांक के १० राजस्थान के और २ बाहर के भर्ती किये गये।

(३) विभिन्न राज्यों के लिये प्रवेश हेतु कोई कोटा नियत नहीं है। प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर किया जाता है। प्रविष्ट विद्यार्थियों में से ५० प्रतिशत विद्यार्थी उदयपुर विश्वविद्यालय के होंगे केवल एक यही संरक्षण है।

(४) विज्ञान की शिक्षा ऐसा महान अधिकार है कि जिसे देश हर किसी को नहीं

Page No 7

(श्री धीरसिंह)
प्रदान कर सकता। योग्यतम छात्रों को ही यह अधिकार दिया जा सकता है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सूची नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : सची कौनसी, बोल दिया है न सब।

श्री नाथूराम : मैंने प्रश्न में कहा है कि सूची सदन की मेज पर रख दें।

श्री धीरसिंह : मैंने जवाब के अन्दर ही वह पढ़ दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ६६४

श्री गंगा सहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिसखां।

पापड़ा बांध से नहर

५९६. श्री मजलिस खां (कांमा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पापड़ा बांध का पानी आलमपुर बांध में डाला जाता है जो सीकरी बांध की जलालिया नहर से भराया जाता है ? यदि हां, तो ग्राम जौत रोहल्ला खानपुर और मोधपुर की मांग पर भी पापड़ा बांध से एक नहर इन ग्रामों की भूमि को सिंचित करने हेतु क्यों नहीं निकाली जाती ?

(२) क्या यह सही है कि पापड़ा बांध के वेस्ट वियर से जो पानी जाता है उसको उक्त ग्रामों के किसान काम में लेकर गन्ने तक की काश्त कर रहे हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार उक्त नहर का सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक सर्वे करा दिया जावेगा ?

उपमंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : (१) बाढ़ के समय फालतू पानी आलमपुर बांध में जाता है परन्तु साधारणतया पापड़ा बांध का पानी इसके कमाण्ड एरिया में ही इस्तेमाल हो जाता है। जौत रोहल्ला, खानपुर एवं माधोपुर की कोई मांग अभी तक इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी हां।

(३) इस विषय में शीघ्र जांच करवा के सर्वे करा लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ६६६।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६७।

श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजी राम बुरड़क।

बकाया वेतन का भुगतान

६९८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

Page No 8

(हरजीराम बुरड़क)

(१) क्या यह सत्य है कि सरस्वती बालिका विद्यालय अजमेर की अध्यापिकाओं को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो मौजूदा समय में किन किन अध्यापिकाओं का वेतन कब कब से कितना कितना बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस सम्बन्ध में अध्यापिकाओं द्वारा चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में कब कब हड़तालें की गईं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हों, तो वे क्या हैं ?

(४) उक्त संस्था का वर्तमान संचालक मन्डल कब से है और उनके खिलाफ क्या शिकायतें हैं ?

(५) उक्त संस्था के रजिस्टर्ड विधान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री घोगसिंह) : (१) जी हां। दिनांक १८:३:७० की स्थिति अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के बकाया राशि की सूची संलग्न है। दिनांक १८:३:७० के पश्चात् भुगतान के फलस्वरूप वर्तमान बकाया राशि की सूची भी संलग्न है।

(२) प्राथमिक शाला की अध्यापिकाओं ने दिनांक २६:५:६८ को ग्रीष्मावकाश में शाला बन्द न करने के लिये धरना दिया था।

(१) ग्रीष्मावकाश काल में धरना देने के कारण शाला कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ा। शाला बन्द करने का नोटिस मंत्री द्वारा वापस ले लेने पर धरना समाप्त कर दिया।

(२) वेतन भुगतान के प्रश्न पर इस सत्र में दिनांक १४:११:६९ से २७:११:६९ व दिनांक १८:१२:६९ से ७:१:७० तक उच्च माध्यमिक शाला की २१ अध्यापिकाओं ने हड़ताल की जिसके समर्थन में प्राथमिक शाला की ५ अध्यापिका जिनका वर्णन संलग्न सूची में है ने भी हड़ताल में भाग लिया। कन्या विद्यालय निरीक्षिका के प्रयत्नों तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रिम अनुदान के भुगतान के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त की गई।

(३) राज्य सरकार के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(४) संस्था संचालक मंडल के पिछले चुनाव की तिथि दिनांक १५:७:६९ से है। वेतन के भुगतान के अतिरिक्त अन्य शिकायत इनके खिलाफ प्राप्त नहीं हुई है।

(५) संस्था के विधान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं आदेश प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस संस्था को यह अनुदान दिया जाता है, वह रजिस्टर्ड है या नहीं ?

श्री धीरसिंह : जिस संस्था के नाम से अनुदान मिलता है वह संस्था रजिस्टर्ड है, यह उस रजिस्टर्ड संस्था के आधीन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस नाम से गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, वह संस्था रजिस्टर्ड है क्या ?

श्री धीरसिंह : भारतीय शिक्षण संस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था है, उस ही के अधीन यह सरस्वती बालिका विद्यालय है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एड सरस्वती बालिका विद्यालय के नाम से दी जाती है, तो वह सरस्वती बालिका विद्यालय रजिस्टर्ड संस्था है क्या ?

श्री धीरसिंह : एड भारतीय शिक्षण संस्थान के नाम से मिलती है जो रजिस्टर्ड है, उसके अधीन यह संस्था है, इसका नाम सरस्वती बालिका विद्यालय रख रखा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा सवाल सीधा सा है कि एड किस नाम से उठाते हैं, और यह सरस्वती बालिका विद्यालय रजिस्टर्ट संस्था है या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : एड तो भारतीय शिक्षण संस्थान को मिलती है, भारतीय शिक्षण संस्थान की कई प्रवृत्तियां चलती हैं, सरस्वती बालिका विद्यालय उस ही के अधीन चलती है, भारतीय शिक्षण संस्थान के अधीन चलती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह नियमों में व्यवस्था है कि जिसको एड मिलेगी वह संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिये ?

श्री शिवचरण माथुर : एक संस्था रजिस्टर्ड है, उसके आधीन जितनी प्रवृत्तियां चलती हैं, उनको एड मिलती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरस्वती बालिका विद्यालय रजिस्टर्ड संस्था नहीं है दूसरी को रजिस्टर्ड बता रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है उसको एड दीजिये। सरस्वती बालिका विद्यालय के नाम एड दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो यह आप नियमों के विरुद्ध एड नहीं दे रहे हैं क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि संस्था का नाम दूसरा हो सकता है, उसके आधीन चलने वाली प्रवृत्तियां दूसरी हो सकती हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, भारतीय शिक्षण संस्थान रजिस्टर्ड है, उसको एड दे सकते हैं पर सरस्वती बालिका विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है इसलिये उसको एड देना नियमों के विरुद्ध है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मूल संस्था भारतीय शिक्षण संस्थान है जो रजिस्टर्ड है, उसके आधीन कई प्रवृत्तियां चलती हैं। मूल संस्था को एड मिलती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

भूमि पर जबरन कब्जा

६९९. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम थोब-

Page No 10

(श्री जुझारसिंह)

ड़िया, समिति बकानी, जिला झालावाड़ के बांस खोहरा स्थान की 'डाई काश्त' पर वन विभाग ने काश्तकारों को बेदखल कर के करीब १५० बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) बकानी तहसील के और किन किन स्थानों पर वन विभाग द्वारा 'डाई काश्त' की कितनी कृषक भूमि पर कब्जा किया हुआ है ?

(३) डाई काश्त भूमि सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और जंगल के बचाव की दृष्टि से इस पर काश्त के क्या हक दिये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी नहीं।

(२) वन विभाग द्वारा डाई काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा नहीं किया गया।

(३) वन क्षेत्र में डाई काश्त करना वन अपराध है। वन क्षेत्र में काश्त के लिये किसी को कोई हक नहीं दिये गये हैं।

श्री जुझारसिंह :जो डाई काश्त करते थे, वे लोग ६२ से पहले से काबिज थे। ६२ में सेटलमेंट हुआ तब इनको डिस्प्लेस किया है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : सेटलमेंट के नोटिफिकेशन के बाद में उजरदारियां नहीं हुई तो भी जिला लेवल पर, समिति लेवल पर कमेटी बैठी और उसमें कुछ नम्बरों को वन में शुमार रखा गया, ६१, १९६ और २०६ को रखा गया। १०३ को जंगल के बाहर उनके निर्णय के अनुसार निकाल दिया था। जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उनकी गैर कानूनी काश्त समझ कर उनको बेदखल किया जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : जिन नंबरों को जंगल में रखा था वे ऐसे नम्बर थे जिनमें उस पर्टीक्यूलर साल में काश्त नहीं हो रही थी, पर उससे पहले के सालों में लोग काश्त करते थे, क्योंकि डाई काश्त रोटेशन से होती है, इसलिये उस साल काश्त नहीं कर रहे थे, इसलिये जंगल में रख ली।

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह संभव हो सकता है परन्तु इस विषय में ब्रोड लैंड सर्वे कमेटी को आधार माना जाता है। इस विषय में और भी कई प्रकार की काश्त, बारां में, कोटा में हैं, और उस विषय में जो जो मेरे ध्यान में आई है, मैंने ये आज्ञाएं प्रसारित की हैं। ऐसी भूमि जो सेटलमेंट से पहले काश्त होती आई है, या ३१:१२:६५ से पहले काश्त होती आई है, बोनाफाइडी तौर पर अलोट की गई है बोना फाइडी से मेरा मतलब है गलती से अलोट की गई है तो इनकी जिलाधीश कोटा, कन्जरवेटर और जिला प्रमुख कोटा मिल कर इनकी जांच करें और रिपोर्ट करें, ताकि इन पर अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न झालावाड़ा से सम्बन्धित है और कमेटी बैठाई है आपने कलेक्टर कोटा, कन्जरवेटर कोटा और जिला प्रमुख कोटा की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बारां में भी इस प्रकार की बात आई है, उस सन्दर्भ में

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

यह आज्ञा हुई है, शाहपुर तहसील में भी इस प्रकार की बात आई है, उसके संदर्भ में आज्ञा प्रसारित की गई है। यह सब पर लागू होगा। जहां जहां इस प्रकार के मामले हैं, उनको वन्स फार आल रेगुलराइज कर दिया जाय।

श्री जुझारसिंह : इस पर्टीक्यूलर केस में आपने यह कलेक्टर आदि की कमेटी बैठाई है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस पर्टीक्यूलर केस में नहीं बैठाई है, सब के लिये है।

श्री जुझारसिंह : ६३ या इससे पहले के प्रमाण मिल जायेंगे कि वे काश्त करते थे तो क्या इस प्रकार के प्रमाण मिल जाने पर रेगुलराइज कर दिया जायगा ? जैसा कि अभी आपने फरमाया ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : सेटलमेंट से पहले काश्त करते आये थे, बोनाफाइडी काश्त है, केवल टैक्निकल डिफिकल्टी के कारण जुर्माने हो रहे हैं तो उनको रेगुलेराइज कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

अकाल के क्षेत्रों में शराब की दुकानें

७००. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत तीन वर्षों से किन किन जिलों में अकाल है ?

(२) जिन जिन जिलों में अकाल है, क्या उन उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ? यदि खराब है, तो क्या सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि उन अकाल के क्षेत्रों में एक भी शराब की दुकान नहीं रहने पाये ?

(३) क्या यह सत्य है कि अकाल के क्षेत्र में शराब की दुकाने ज्यों की त्यों चलती रहीं तो क्या यह नहीं मानना चाहिये कि जो पैसा अकाल राहत के जरिये से इन क्षेत्रों के लोगों मिलता है वह शराब में चला जाता है।

उपमंत्री आबकारी (श्री शिवचरणसिंह) :

(१) सूची संलग्न है।

(२) अकालग्रस्त क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति खराब होना स्वभाविक है। समस्त अकालग्रस्त क्षेत्रों से शराब की दुकानें हटाने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य में नशाबन्दी क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लेते समय यह ध्यान दिया गया है कि पहले नशाबन्दी उन क्षेत्रों में बढ़ाई जावे जहां अधिकतर अकाल पड़ता रहता है। अतः १:४:७० से जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और उदयपुर जिले की तहसील गोगुन्दा, धरियावाद और सराड़ा में पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई है।

(३) जी हां।

(३ का पार्ट २) यह सही नहीं है कि राहत कार्यों के जरिये मिला कुल पैसा उन क्षेत्रों के लोग केवल शराब पीने में ही खर्च करते हों।

(सूचित विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मनोहरसिंह मेहता : तीन तीन साल से अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर पाली व नागौर में अकाल बराबर पड़ता रहा है और फिर भी शराब की दूकानें ज्यों की त्यों चल रही हैं, आमदनी कम आपकी नहीं हो रही है या तो अकाल के आंकड़े झूंठे हैं या तो उनको बरबाद करने पर तुले हुए हैं।

श्री शिवचरणसिंह : अकाल के कारण से शराबबंदी का प्रश्न नहीं है। इस साल जो १-४-७० से शराबबंदी लागू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां अकाल पड़ा हो, शराबबंदी की जाय। इसी दृष्टिकोण से जैसलमेर बाड़मेर इत्यादि को शराबबन्दी में शामिल किया गया है।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : पाली में बस स्टैण्ड के पास ही शराब की दुकान है।

श्री शिवचरणसिंह : अगर बस स्टैंड के पास गैर कानूनी शराब की दुकान है तो कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सारे राजस्थान में यह हालत है, कहां कहां कार्यवाही करोगे दिन रात मजदूर काम करते हैं, ज्यों ही पेमेंट होता है, सारा पैसा कलाल की दुकान पर चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री शिवचरणसिंह : यह सही नहीं है। जहाँ अकाल राहत कार्य चलते हैं, वहां शराब की दुकानें नहीं। गजट नोटिफिकेशन के अन्तर्गत जो दुकाने हैं वहां ही शराब बिकती है। जहां अकाल राहत क्षेत्रों के काम चलते हैं और यदि वहां शराब की दुकानें हैं तो पे डे के दिन शराब बिकना बंद रहता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि ठेकेदार के कमीशन एजेन्ट प्रत्येक गांव के अन्दर बोतलें रखते हैं और कमीशन पर बेची जाती हैं शराब ?

श्री शिवचरणसिंह : मुझे मालूम नहीं है। अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : पिछले सदन में यह प्रश्न आया था........

श्री शिवचरण सिंह : जिन ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें साबित हुई उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर जेल में कैदियों द्वारा शराब काढ़ी जाती है........

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो क्या इन्क्वायरी करवायेंगे कि गंगानगर जेल के अंदर कैदियों द्वारा शराब निकाली जाती है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री फूलचंद बाफना (सुमेरपुर) : मैं

Page No 13

(श्री फूलचन्द बाफना)

सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या शराब पिलाने से अकाल की समस्या हल होती है? अकाल के दिनों में शराब पिलाना उचित है या अनुचित ?

श्री शिवचरण सिंह : बिल्कुल अनुचित. है। लेकिन ब्रीच ऑफ कान्टेक्ट हो जाता है यदि पहले से ठेका हो जाता है और अकाल बाद में पड़ता है। फिर यदि ठेका बन्द किया जाय तो ब्रीच ऑफ कान्ट्रेक्ट होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अकाल तो पहले पड़ गया, ठेका अभी दिया है, मार्च हैं। आपको मालूम है कि अकाल पहले ही है लोग भूखे मर रहे हैं और आप दारू बेच रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जहां अकाल पड़ा हो वहां तो ठेके का प्रश्न लागू नहीं है ?

श्री शिवचरण सिंह : मैं तो नहीं कह सकता कि अगले साल भी अकाल पड़ेगा। अगर माननीय सदस्य बता सकें कि इस साल······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि अकाल पहले पड़ गया और ठेका बाद में हुआ, क्या यह सही है ?

श्री शिवचरणसिंह :इसी बात को ध्यान में रखकर बाड़मेर व जैसलमेर को ड्राइ एरिया घोषित किया गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तीन जगह बन्द कर दिया गया और जगह अकाल नहीं है तो·····

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर को इसलिए ड्राइ एरिया घोषित नहीं किया गया है कि वहां अकाल है परन्तु इसलिए किया गया है कि वह ड्राइ राज्य से संलग्न हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : दोनों ही बातें हैं।

श्री दौलतराम सारण : पहली बार आपने घोषणा की है कि ड्राइ एरिया से संलग्न है···

श्री मनोहरसिंह मेहता : या तो आप दारू बंद करवायें नहीं तो अकाल निरन्तर पड़ता रहेगा और ये दुकाने चलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय आप इनसे कहिए जहां तीन तीन साल से अकाल है, वहां तत्काल शराब की दुकानें क्यों नहीं बन्द करते ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह संभव है कि जहां तीन तीन साल से अकाल रहा है, दारू की दुकानें बन्द की जायेगी ?

श्री शिवचरण सिंह : सरकार की स्पष्ट नीति है कि जिन इलाकों को १-४-७० से अकाल के कारण या दूसरे कारणों से या बोर्डर एरिया के कारण ड्राइ एरिया घोषित कर रहे हैं, वह की जायं। आपके सुझाव पर १-४-७० से आगे विचार किया जायगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह संभव है कि विधान सभा कैन्टीन में बार खोली जाय ?

Page No 14

श्री अध्यक्ष : दायित्वहीन सम्भव है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको चेम्बर में पियें तो आपको आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : यदि भैरोंसिंह जी आकर आग्रह करें तो।

प्रश्न संख्या ७०१

नन्दलाल बैरवा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ७०२

राम नारायण चौधरी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ७०३

देवीलाल बुरासिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

वृद्धिचन्द जैन

श्री गंगानगर में आबियाने आदि की दरें

७०४ **वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—
जिला श्री, गंगानगर में अबियाने की दर सरचार्ज की दर व खुशहाली कर की दरें क्या हैं ? अलग अलग तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा विधान सभा में दिए हुए वक्तव्य के अनुसार गंगानगर जिले में आबियाना एवं खुशहाली कर की दरें जो निर्धारित की गई हैं उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है, सिंचाई विभाग द्वारा कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह जो तालिका प्रस्तुत की गई है, वह कतई नजर नहीं आती। इसलिए प्रश्न पूछना कठिन हो जाता है। आप, अध्यक्ष महोदय, तालिका देख लें, आपके पास सूची होगी।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है, माइक पर मुंह रखें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तालिका जो दी गई है, वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसलिए प्रश्न पूछना कठिन है।

श्री अध्यक्ष : मैं बार बार इस संबंध में सरकार से निवेदन कर चुका हूँ, आग्रह कर चुका हूँ। यह तालिका मात्र एक सिम्बोलिक है, अक्षर कहे जाते हैं, लेकिन यह अक्षर नहीं हैं। मालूम होता है कि आसन को चिढ़ाने का राज्य सरकार प्रयत्न करती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : गंगानगर में आबियाना की दर कब कब कितनी बढ़ी ? इस बारे में सूचना दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) :

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अविपाना दर गंगानगर जिले में ही नहीं, सारे राजस्थान में १६५८-५६ के अन्दर थी, उसके बाद १६६७ में बदली और उसके बाद में गंगानगर जिले के रेट्स इस साल अभी बदले हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : खुशहाली कर किस आधार पर ली जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए हमारा फारमूला है और ला है और एप्रीसिएशन इन वेल्यू ऑफ दी लैंड इर्रीगेटेड बाई दी कैनाल्स। उस फार्मूले के अनुसार हम आबजेक्शन इन्वाइट करते हैं उसके बाद फाइनल करते हैं, उसके बाद नोटीफाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया

पुस्तकों का समय पर वितरण

७०३. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधायें उपलब्ध है ?

(२) क्या यह सही है कि प्राथमिक शालाओं में बच्चों से जबरदस्ती चंदे के रूप में व अन्य खेल फीस के रूप में पैसा वसूल किया जाता है ?

(३) क्या राज्य सरकार छात्रों को मुफ्त पुस्तक भी वितरण करती है ?

(४) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि प्राथमिक शालाओं में समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं की जाती ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) प्राथमिक शालाओं में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाती है।

(२) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। क्रीड़ा शुल्क अलबत्ता नियमानुसार ही वसूल किया जाता है।

(३) निर्धन छात्रों को।

(४) गत वर्ष में इस प्रकार की शिकायत थी परन्तु सचिव, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर को लिखे जाने पर उन के द्वारा समुचित व्यवस्था कर दी गई थी।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि निर्धन छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें प्राप्त नहीं होती हैं ?

श्री धीरसिंह : शिकायतें आई थी और पाठ्य पुस्तक मंडल को लिख दिया गया था कि समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जायं।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि प्राथमिक शालाओ के बच्चों से तरह-तरह के चन्दे इकट्ठे किये जाते हैं और बार-बार शिकायतें की जाती हैं कि छोटी-छोटी बातों के लिए बच्चों से हर सप्ताह चन्दे के रूप में पैसा लिया जाता है ?

श्री धीरसिंह : शिकायत नहीं आई है। अब आप कह रहे हैं तो जांच करवाई जायगी। केकड़ी के अन्दर अगर इस तरह से पैसे लिए जाते हैं तो रोक दिया जायगा

Page No 16

(श्री धीरसिंह)

वरना नियमानुसार केवल गेम्स फीस के अलावा कुछ वसूल नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

वेतन में अन्तर

७०५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणावत कमीशन की रिपोर्ट में आर० एन० आर० सी० परीक्षा पास नर्स का स्टार्टिंग वेतन क्या रखा गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि आर० एन० आर० सी० पास मेल नर्स की तनख्वाहें कम थी ; यदि हां तो कितनी तथा क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि फिमेल नर्स और मेल नर्स की वेतन श्रृंखलाओं में फर्क रखा गया है ? यदि नहीं रखा गया तो मेल नर्स को ११०) रुपए स्टार्टिंग तथा फिमेल नर्स को १५०) रुपये स्टार्टिंग क्यों दिया जाता है ?

(४) क्या यह सत्य है कि कुछ मेल नसज ने इस बाबत कोई रिप्रेजन्टेशन सरकार के सामने पेश किया था। यदि हां तो कब और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ? यदि कोई निर्णय नहीं लिया तो क्यों ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) (१) स्टाफ नर्स व मेल नर्स श्रेणी को प्रारम्भिक वेतन १३०) रु० प्रस्तावित किया गया था।

(२) जी हां। मेल नर्स श्रेणी तृतीय जो आर. एन. आर. सी. पास है को वेतन श्रृंखला ११०.२०० प्रस्तावित की गई जो स्टाफ नर्स के वेतन से कम है छात्राओं (फीमेल) जनरल कोर्स पास करने के बाद ६ माह का सीनियर मिडवाइफरी कोर्स करने के उपरान्त ही स्टाफ नर्स के पद के योग्य होती है जब कि छात्र (पुरुष को जनरल नर्सिंग कोर्स ३ वर्ष का ही करना पड़ता है इसलिये इनकी वेतन श्रृंखला में अन्तर है)।

(३) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(४) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : कब से विचाराधीन है ? और किन आधारों पर ? क्या वैज्ञानिक आधार हैं ? आदमी ज्यादा काम करता है और पैसा कम देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : छः महीने का ज्यादा कोर्स करना पड़ता है। मिडवाइफरी की अलग ट्रेनिंग होती है, और राणावत वेतन कमीशन के बाद दोनों को एक सा ही वेतन मिलता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्ट।

श्री फूलचन्द बाफना।

जंगल कटने से वर्षा में कमी

७०६. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(१) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने तारीख १३ फरवरी ७० को देसूरी में लोगों के समक्ष यह स्वीकार किया कि जंगल कटने से वर्षा में कमी होती है, अतः जंगल नहीं काटे जाने चाहिये ?

(२) क्या सरकार ने अपनी ओर से जंगल कटवाने की योजना चालू की है ?

(३) पिछले सात वर्षों के आंकडे जिला पाली के ग्राम सादड़ी, देसूरी, सुमेरपुर, बाली, पाली जैतारण, रायपुर एवं मारवाड़ जंक्शन के सदन पटल पर रखे जावें और यदि वर्षा कम हो रही है तो प्रति वर्ष वर्षा कम होने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सरकार जंगल कटवाना बंद करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) (१) वन विभाग को इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है।

(२) जी हां।

(३) इन स्थानों के वर्षा के आंकड़े वन विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(४) ईंधन एवं इमारती लकड़ी की तथा कृषि योग्य लकड़ी की जन साधारण की जरूरत हमेशा पूरी करनी होती है। एतदर्थ जंगल कटाई कन्सेशनिष्ट की छूट के मार्फत अथवा विभागीय प्रणाली के मार्फत कायम की गई है।

श्री फूलचन्द बाफणा : वर्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन वन मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था—बजट की बहस के समय कि वर्षा निरन्तर कम हो रही है। यह आपने बजट की बहस के समय स्वीकार किया है। इसका मतलब यह है कि वर्षा प्रतिवर्ष कम हो रही है। क्या जंगल कटने का मुख्य कारण ही वर्षा न होना है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि वर्षा में कमी हो रही है। केवल जंगल कम होने से ही यह नहीं है। सारे इकोनोमिक कारणों से यह कम हो रही है। सम्भवतः एटोमिक बम के एक्स्प्लोजन के कारण भी यह हो।

श्री अध्यक्ष : यह भी है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या आपने इसकी जांच कराई है कि एटोमिक बम विस्फोट आदि के कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऋतु विपर्यय हो गया है। कमी कहीं और कमी कैसे।

श्री फूलचन्द बाफना : अकाल निरन्तर पड़ेगा ऐसी सरकार की मान्यता है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ज्योतिषी ऐसा कहते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर सरकार चलेगी या सरकार भी कोई परिश्रम करेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हम तो परिश्रम कर ही रहे हैं। जो वस्तु स्थिति है वह बतायी है।

Page No 18

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप ज्योतिषियों पर विश्वास करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७०७

श्री लादूराम सुलानियों ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७०८

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

भिक्षा वृत्ति पर रोक

७०९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? भिक्षा वृत्ति पूरी तरह बन्द करने की क्या योजना है ?

(२) क्या यह सच है कि राज्य के बड़े बड़े शहरों को देखने के स्थानों पर, जहां देशी व विदेशी दर्शक आते हैं, भिखारियों का मेला सा लग जाता है जिससे दर्शक राज्य के प्रति बुरी धारणा लेकर जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक इस ओर क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) राज्य में भिक्षा वृत्ति रोकने के लिये स्वेच्छा के आधार पर एक प्रारम्भिक परियोजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत एक स्वागत आश्रम जयपुर में व एक राजकीय सेवा सदन, जिसमें प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र भी है, अजमेर में चलाये जा रहे है तथा अजमेर व जयपुर में भिक्षावृत्ति का एक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है । भिक्षावृत्ति रोकने के लिये कार्य प्रारम्भ में स्वेच्छा के आधार पर प्रावस्था भाजित कार्यक्रम (फेज्ड प्रोग्राम) के रूप में १।२ जिलों में लिया जा रहा है और प्रगति के आधार पर इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जायगा तथा जयपुर शहर में भूतपूर्व जयपुर राज्य का भिक्षा वृति उन्मूलन अधिनियम लागू किये जाने की योजना है ।

(२) यह कुछ हद तक सही है । स्वेच्छा अथवा समझा बुझाने से आने वाले भिक्षुओं को रोटी रोजी कमाने काबिल बनाने के लिये उन्हें बुनाई, बढ़ईगिरी व कृषि सम्बन्धी कार्य सिखाये जाते हैं तथा कार्य सीखने के उपरान्त कार्य चालू करने हेतु मशीन औजार आदि के लिये आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है । राज्य में बाल अधिनियम को पारित कर लागू किया जायगा और आज ही सदन में आ रहा है । इसके द्वारा भी बाल भिक्षुओं की रोकथाम में काफी सहायता मिलेगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार को जानकारी है कि जो केन्द्र सरकार चला रही है उसमें कब से कितने भिक्षुओं को सम्मिलित किया है ?

Page No 19

श्री बी. एन. जोशी : ऐसा है कि १०. व.१७ तक १०२ को।

श्री जयनारायण सालोदिया : भिक्षुक कितने हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : भाग १ के उत्तर में निवेदन किया कि सर्वेक्षण चालू है।

श्री जयनारायण सालोदिया : संख्या का सर्वेक्षण कर रहे हैं या दूसरा ? किस तरह का सर्वेक्षण कर रहे हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : भिक्षुओं का कर रहे हैं। किस कारण से बाध्य होकर भिक्षा-वृत्ति अपनाते हैं उन सारी बातों की जांच की जा रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितने डिस्ट्रिक्ट में सर्वेक्षण करा लिया ?

श्री बी. एन. जोशी : यह प्रश्न अलग से है। अभी तो मैं नहीं कह सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब से यह चल रहा है और कितने भिक्षुओं का किया है ? सर्वेक्षण क्या कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि कोई काम नहीं करते हैं।

श्री बी. एन. जोशी : सर्वे करते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सर्वे किया। अब तक जो सर्वे किया है उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो रखिये।

श्री बी. एन. जोशी : रिपोर्ट तो सर्वेक्षण पूरा होने पर आवेगी।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : किस एजेन्सी की ओर से यह करा रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कौन सर्वेक्षण कर रहा है ? आदेश कब दिये और सर्वेक्षण के लिये कितना स्टाफ लगाया गया है ?

श्री बी. एन. जोशी : यह अलग से प्रश्न है। उत्तर मांगेंगे तो दिया जा सकेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : सारी स्कीम के अन्दर सर्वेक्षण बताया तो सर्वेक्षण ने क्या काम किया है ?

श्री बी. एन. जोशी : काम हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या हो रहा है ?

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि गांवों में भिक्षावृत्ति करते हैं या घुमक्कड़ भीख मांग कर कमाते खाते हैं उनका सर्वे आरिफ जौन जोपुर द्वारा किया जा रहा है ?

श्री बी. एन. जोशी : उनके द्वारा भी किया जा रहा होगा।

श्री आईदान सिंह : उनको मालूम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, तो जवाब क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है इनको।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): कम से कम सर्वेक्षण किस जगह हुआ, कैसे हुआ, जयपुर शहर में हुआ या कहां हुआ इसका तो जवाब दें।

Page No 20

श्री बी. एन. जोशी : अजमेर, जयपुर में सर्वेक्षण हुआ है यह तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। बाकायदा आप फरमायेंगे तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अजमेर में क्या नतीजा रहा है ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट माननीय प्रश्नकर्ता को दे सकेंगे ?

श्री बी. एन. जोशी : सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अभी पता ही नहीं है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सर्वेक्षण हो रहा है ये दोनों चीजें तो कन्ट्राडिक्टरी हैं।

श्री अध्यक्ष : इन दी प्रोसेस है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा प्रश्न मंत्री महोदय यह है कि सर्वेक्षण किस जगह का किया जा चुका है और यदि किया जा चुका है तो इस पर प्रकाश डालें और रिपोर्ट माननीय प्रश्नकर्ता को दे दें।

श्री अध्यक्ष : क्या संभव होगा ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : किया ही नहीं गया है तो प्रश्न अधूरा ही है।

श्री बी.एन. जोशी : अजमेर का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है उसकी रिपोर्ट चाहेंगे तो दी जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। यह सर्वेक्षण करा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी क्लास को भिक्षु मानेंगे ?

श्री बी. एन. जोशी : जो भिक्षा मांगता है वह भिक्षुक है। बाल हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, और वृद्ध भी हो सकता है।

श्री रामकिशन : धर्म के आधार पर भिक्षा मांगते हैं उनको भी शामिल किया है या नहीं और किया है तो किन किन वर्गं के बारे में अजमेर में नतीजे सामने आये ? जानकारी हो तो दीजिये।

श्री बी. एन. जोशी : सविस्तार जानकारी नोटिस प्राप्त होने पर दी जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल। प्रश्न संख्या ७१०,

रोलर, फ्लोर मिल्स जयपुर

७१०. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मैसर्स जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स, स्टेशन रोड, जयपुर ने वास्तविक उपभोक्ता के नाते दो आयात लाइसेन्सों के अन्तर्गत अपनी मिल के लिए चैकोस्लोवाकिया से एक सौ टन प्रति दिन क्षमता की मशीनें आयात की थीं। यदि हां, तो कृपया आयातित मशीनों की पूरी सूची सदन का मेज पर रखने की कृपा करें ?

Page No 21

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(२) क्या यह सही है कि उक्त मिल ने मशीनें आयात करने के कुछ काल पश्चात् बिना उनको प्रयोग में लाये ही उनमें से कुछ मशीनों को बेचने की राज्य सरकार से स्वीकृति चाही थी। यदि हां, तो मिल के उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उस आवेदन के उत्तर में मिल को इस शर्त पर कुछ मशीनें बेचने की स्वीकृति दी थी कि वे राजस्थान में ही किसी को बेचनी पड़ेगी। यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि इस पर मिल ने केन्द्रीय सरकार से अपनी मशीनों में से तीस टन प्रति दिन क्षमता की मशीने बेचने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये आवेदन किया जिस पर केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि राज्य सरकार को यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो मिल अपनी मशीनों में से ३० टन प्रति दिन क्षमता की मशीनें बेच सकती है, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि इस पर राज्य सरकार ने मिल को तीस टन क्षमता की मशीनें राज्य से बाहर बेचने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यदि हां, तो राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(६) मिल द्वारा उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत राज्य से बाहर बेची गयी मशीनों की पूरी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(७) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति का लाभ उठाकर मिल ने अपनी कुल आयातित मशीनों में से, जो १०० टन क्षमता की थी, अधिकांश राज्य बाहर बेच दीं। यदि हां, तो उक्त मिल के विरुद्ध इस धोखाधड़ी के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(८) क्या यह सही है कि मिल ने उक्त आयातित मशीनों को राजस्थान वित्त निगम के पास रहन रखा हुआ था और उस पर मिल ने ऋण ले रखा था।

(९) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मिल ने वित्त निगम से रहन शुदा आयातित मशीनों में अधिकांश उक्त मशीनों पर लिये गये ऋण की वापस अदायगी करके, रहन से छुड़वाई।

(१०) क्या यह सही है कि रहन रखते समय वित्त निगम द्वारा मिल के साथ किये गये अनुबन्ध में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि रहन रखी गयी मशीनें एवं ईमारतें ऋण की व्याज सहित पूरी राशि के चुकारे के पश्चात् ही छुड़वाई जा सकेगीं और कि मिल किश्तों में कुछ भी नहीं छुड़वा सकती। कृपया मिल के साथ किये गये वित्त निगम से अनुबन्ध की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(११) क्या मशीनों को रहन से छुड़-

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

वाने के समय मिल ने वित्त निगम के साथ स्टाम्प पेपरों पर कागजातों का श्रदान-प्रदान किया था। यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें श्रौर यदि नहीं तो क्या स्टाम्प पेपरों की बिक्री श्रौर उसकी रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त होने वाली राशि की राज्य सरकार को हानि नहीं हुई?

(१२) मिल द्वारा रहन से छुड़वाई गयी मशीनों की पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(१३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मशीनों की बिक्री के सम्बन्ध में ग्रपनी जो स्वीकृति दी थी, उसकी एक प्रति-लिपि राज्य वित्त निगम को भी भेजी गयी थी।

(१४) क्या यह सही है कि रहन से छुड़वायी जाने वाली मशीनों की लम्बी सूची देखकर जो निश्चित रूप से तीस टन क्षमता से कहीं ग्रधिक की बनती थी, वित्त निगम के ग्रधिकारियों को संदेह हो गया था कि मिल तीस टन क्षमता के बदले रहन से छुड़वायी जा रही सारी मशीनें ही कहीं राज्य से बाहर न बेच दें श्रौर इसलिये मिल से यह लिखवा लिया था कि यद्यपि वे इतनी सारी मशीनें रहन से छुड़वा रहे हैं लेकिन बेचेंगे केवल तीस टन क्षमता की ही? यदि हां तो मिल के उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कष्ट करें।

(१५) क्या यह सही है कि उक्त मिल ने ग्रायात लाइसेन्सों के ग्रन्तर्गत दो 'ग्राशर बिजर' नाम की मशीनें भी ग्रायात की थीं, जिनमें एक काफी बड़ी श्रौर दूसरी काफी छोटी थी श्रौर दोनों की कीमतों में भी भारी ग्रन्तर था? यदि हां, तो कृपया दोनों मशीनों की ग्रलग ग्रलग कीमतें बताने कर कष्ट करें।

(१६) क्या यह सही है कि मिल ने रहन से छुड़वाई तो छोटे वाली मशीनों की गिनती बराबर करने के लिये उसके स्थान पर छोटी वाली मशीन बताई जा रही है। यदि हां, तो इस घोखाघड़ी के लिये उक्त मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या करने का इरादा है?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन) :

(१) जी हां। सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(२) जी हां? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। स्वीकृति नहीं दी जाकर नो-ग्रोब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया था जिसकी प्रतिलिपि सदन के मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दे दी थी। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) राज्य के बाहर भेजी गई मशीनों की सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

Page No 23

(श्री भीमसेन)

(७) इस प्रकार की शिकायत भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने पर उनके द्वारा इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी की गई।

(८) जी हाँ।

(९) वित्त निगम द्वारा मशीनों की राशि प्राप्त होने पर ही मशीनें निगम द्वारा छोड़ी गईं।

(१०) जी हां। अनुबन्ध की प्रतिलिपि निगम से प्राप्त कर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(११) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। आगे प्रश्न नहीं उठता।

(१२) सूची प्रश्न सं० ११ में अङ्कित है।

(१३) जी हां।

(१४) यह सही नहीं है कि इस विषय में निगम के अधिकारियों को सन्देह हुआ था परन्तु पार्टी से निगम द्वारा यह आश्वासन लिखित रूप में ले लिया गया था कि वे तीस टन क्षमता की मशीनरी राज्य के बाहर बिक्री करेंगे। इस आशय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(१५) जी हां। छोटी मशीन छुड़वाई गई थी। धोखाधड़ी का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने अपने उत्तर के खण्ड ७ में यह उत्तर दिया है कि भारत सरकार द्वारा इसकी इन्क्वायरी कराई गई थी। तो क्या भारत सरकार से यह इन्क्वायरी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : राज्य सरकार को कोई इन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जब इस प्रकार की शिकायत हो कि ३० टन की क्षमता के लिये स्वीकृति दी गई है, और यह शिकायत होती है कि उसके अगेंस्ट में लगभग ७० टन की क्षमता की मशीन बेची गई तो क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि वह इसकी जांच करावे ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया इन्क्वायरी ऑथॉरिटी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि दो लाइसेन्स प्राप्त किये गये थे, एक ढाई लाख का और दूसरा डेढ़ लाख का ?

श्री हरिदेव जोशी : जो भी प्राप्त किया गया था उसके अगेंस्ट में इम्पोर्ट हो चुका है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसकी मशीनरी क्या-क्या है ? उसके द्वारा, जयपुर रोलर फ्लोर के द्वारा क्या मशीनरी खरीदी गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इनकी डिटेल्स

Page No 24

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं बता सकता आफ हैंड किन्तु जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया जा चुका है, गवर्नमेन्ट ग्राफ इण्डिया के पास में इस प्रकार की शिकायत पहुंची और उन्होंने इसकी इन्क्वायरी की और उस इन्क्वायरी को ५ साल गुजर चुके हैं और उस इन्क्वायरी से यही इन्फरेन्स निकाला जा सकता है कि उस इन्क्वायरी के बाद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये वह शिकायत गवर्नमेन्ट ग्राफ इण्डिया ने सही नहीं पाई होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस मशीनरी का बेचान किया है उसके बारे में शिकायत है कि जितनी की इजाजत दी गई थी उससे अधिक की क्षमता की मशीन बेची गई है।

श्री हरिदेव जोशी : यह मामला हमारे ज्युरिस्डिक्शन के बाहर है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि इसके लाइसेन्स देने और इसको कन्ट्रोल करने की अथोरिटी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया है। इसीलिये जब वहां पर शिकायत हुई तो उन्होंने उसकी जांच की, यह हमें पता है। इसकी रिपोर्ट की जानकारी हमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन के पास वाशर बीजर की मशीनें रेहन थीं और उनमें से एक जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स में मौजूद नहीं है और जो मशीन रहन है उसका उक्त मिल ने बेचान कर दिया है?

श्री हरिदेव जोशी : छोटी को ही छुड़ाया या और छोटी मशीन का ही बेचान किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह गलत है...

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैं भी समझता हूं कि माननीय सदस्य के पास मेरे से अधिक जानकारी है, किन्तु मेरा निवेदन है कि...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जहां तक जानकारी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, जानकारी दोनों को ही है। यह हो सकता है कि आप इसको छिपाना चाहते हों।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी केवल कागजों तक ही है और आपकी दूसरी तरह की हो सकती है। मेरा निवेदन करना यह है कि लाइसेन्स देने की ग्राथोरिटी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया है, उसको बेचने की सैंक्शन देने की ग्राथोरिटी भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया है। राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया की इजाजत के अनुसार मेटेरियल को रिलीज किया है। इसके सिवाय और कोई जानकारी आपको हो तो बताइये?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन के पास इस जयपुर रोलर फ्लोर मिल का बी० ग्रार० ७८ वाशर बीजर रहन था। जो राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन के पास मशीनरी रहन थी उनमें दो मशीनों में से एक को मुक्त कराया है और जो मुक्त करायी है वह तो मौजूद है और जिसको मुक्त नहीं कराया है और आज तक कारपोरेशन के पास रेहन है उसका इस मिल ने बेचान कर दिया है।

Page No 25

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : इन्क्वायरी आथोरिटी को लिखूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितनी क्षमता की जयपुर रोलर फ्लोर मिल है उसके अगेंस्ट में उसको अधिक कोटा दिया जा रहा है और वह माल ब्लेक में बेचा जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जैसा कि निवेदन किया है कि कोटा देने का अधिकार भी गवर्नमेंट आफ इंडियाको है और वह मिल को डाइरेक्टली कोटा देती है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार इशेन्शीयल कमोडीटिज एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है अगर मिल इसका ब्रीच करे। यह अधिकार क्या राज्य सरकार को नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर वह ब्रीच करे इस एक्ट को तो।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस फर्म ने इशेन्शियल कमोडीटिज एक्ट का वायलेशन किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रकार की कोई चीज नहीं है और न मैं इशेन्सियल कमोडीटिज एक्ट को स्टेडी कर के आया हूं इसलिये कैटेगोरिकली इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया लाइसेन्स को कन्ट्रोल करती है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने इसकी इन्क्वायरी की है लेकिन राज्य सरकार इशेन्शियल कमोडीटिज एक्ट के तहत तो एक्शन ले सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसकी स्टडी करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): इसके तहत भी भारत सरकार एक्शन ले सकती है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया ; क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस मिल ने ३० टन के बजाय ७० टन की क्षमता वाली मशीन बेची है और जिसको गोहाटी की फर्म ने खरीदी है और जो मशीन बेची है वह राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन के पास में रहन है। इसलिए क्या राज्य सरकार सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जांच करना उचित नहीं समझती है। अगर जांच कराई जाये तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज होती है तो उसको मैं इन्क्वायरी आथोरिटी को को रेफर कर दूंगा। किन्तु जहां तक इन्फरेन्स से निकाल सकता हूं उसको समझने की कोशिश की है। ३० टन की कैपेसिटी की मशीन को बेचने की इजाजत दी गई है और ३० टन की मशीन ही बेची गई है, यह हमारी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३७८ ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिस प्रकार का उत्तर है जो सूची मांगी गई है, इसके उत्तर में दिया गया है सूची उपलब्ध नहीं है । कौन सी मशीनरी मंगाई गई है, उत्तर दिया गया है सूची उपलब्ध नहीं है । कौनसी मशीनरी बेची गई है, कहा गया है, सूची उपलब्ध नहीं है । तो आपके पास में जानकारी क्या है मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जितनी क्षमता की मशीन की इजाजत दी गई थी उसके अगेंस्ट में ७० टन की मशीन बेची गई है और उसके ऊपर राज्य सरकार यह कह रही है कि ३० टन की क्षमता की मशीन ही बेची गई है राज्य सरकार यह कह कर अपना पिंड छुड़ा रही है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता । मैंने अभी तक इसके अन्दर जवाब ठीक देने की कोशिश की है । यह प्रश्न लम्बा चौड़ा है और इसका रिप्लाई आज रखा गया है जबकि आज मेरा क्वश्चन डे नहीं था । फिर भी मैंने इसका उत्तर देने की कोशिश की है । इस पृष्ठभूमि में गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो उत्तर प्राप्त हो सकता था, राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन से जो जानकारी प्राप्त की जा सकती थी और जो मेरे विभाग के पास में थी वह एकत्रित कर मैंने यह प्रयास उत्तर देने का किया है । जबकि आज मेरा क्वश्चन डे नहीं है । फिर भी गवर्नमेंट आफ इंडिया से, राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन से जो जानकारी मेरा विभाग प्राप्त कर सकता था वह सारी लेकर उनको देने का प्रयत्न मैंने किया है जबकि लाइसेंसिंग की आथोरिटी, परमीटिंग की आथोरिटी, कोटा देने की आथोरिटी गवर्नमेंट आफ इण्डिया है । सारी सूचना वहां से ही प्राप्त की जा सकती है, और जो उत्तर देने का समय मुझे दिया गया है वह काफी कम था । इसलिये इससे अधिक मैं कुछ भी जानकारी देने में समर्थ नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

श्री बालसिंह सोढ़ा ।

स्थगित प्रश्न

(३०-३-७० व ७-४-७०)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फलौदी चाडी सड़क

३७८. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फलौदी-चाडी सड़क का गत कई वर्षों से अकाल सहायता विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है ? अगर हां, तो किस वर्ष में प्रथम निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और किस वर्ष में कितना खर्च इस सड़क पर किया गया है आज तक कुल कितना खर्च हुआ ? वर्षवार खर्चे का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

Page No 27

(श्री बाल सिंह सोढ़ा)

(२) चाडी नागौर सड़क अकाल सहायता विभाग द्वारा प्रथम किस वर्ष में प्रारम्भ की गई और आज तक कितना इस सड़क पर खर्च हुआ ? वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। इस सड़क का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और प्रति मील कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त सड़क पर किस वर्ष में रिलीफ कैम्प्स किस किस जगह रखे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि ग्राम चाडी में हर वर्ष रिलीफ कैम्प चलता रहा हैं। अगर हां तो इसके क्या कारण है ?

उपमन्त्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) जी हां इस सड़क का कार्य सबसे पहले १९६४—६५ में प्रारम्भ किया गया था। वर्षवार खर्चा इस प्रकार हुआ है :—

१९६४—६५	९०,४३५/—
१९६५—६६	९०/—
१९६६—६७	२,७५,०९३/—
१९६७—६८	१,५९८/—
१९६८—६९	४३,१६,३१५/—
१९६९—७०	

(२) चाडी नागौर सड़क अकाल सहायता विभाग द्वारा ६६-६७ में प्रारम्भ की गई थी जिस पर वर्ष वार खर्चा निम्न प्रकार हुआ है :—

१९६६—६७	११,६४,१२८—२९
१९६७—६८	३,५,६६७—२५
१९६८—६९	१,१३,८५५—००
१९६९—७०	६,७०,७१८—२५
	(फ० ७० तक)

आशा की जाती है कि यह कार्य अभाव वर्ष में समाप्त हो जायेगा इस सड़क पर अब तक प्रति मील खर्च ५१,९१२/— रुपया आया है।

(३) फलौदी चाडी सड़क :

१९६४—६५ चोतीना पलीना

१९६६—६७ चोलीना, मोरिया पायलों की ढाणी

१९६८—६९ चाडी, सनकी, पायलों की ढाणी, शैतानसिंह नगर,

खींचन, पलिना, देणक, आहु मोरिया, आमला।

चाडी नागौर सड़क :

१९६६—६७ गुढा भगवानदास, करपू।

१९६७-६८-६८-६९ करपू

१९६९—७० गुढा भगवानदास, कुन्डेल, पांचोली, डेऊ

(४) जी नहीं। वर्ष ६५—६६ व ६७—६८ में चाडी में कोई कैम्प नहीं खोला गया। अन्य वर्षों में स्थानीय

Page No 28

(श्री गंगाराम चौधरी)

लोगों को राहत देने के लिये कैम्प खोला गया ।

टीचिंग स्टाफ के स्वीकृत पद

३९३. **श्री भरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) :

(१) (क) राज्य के विभिन्न मेडीकल कालेजों में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पदों की स्वीकृति का क्या आधार है ? इस आधार पर दिसम्बर १९६९ तक विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(ख) इन स्वीकृत पदों में कितने कितने खाली है और कब से और क्यों ?

(ग) विभिन्न विषयों की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की सख्या क्या है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(२) बीकानेर और उदयपुर में मेडीकल कालेजों में फार्मेकोलोजी विभाग में रीडर के पद कब व किस आधार पर स्वीकृत किये गये ?

राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा):

(१) राज्य के मेडिकल कालेजों में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पद भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं । दिसम्बर, १९६९ तक विभिन्न विषयों में स्वीकृत पदों की सूची (क) पर संलग्न है ।

(ख) रिक्त पदों की सूची (ख) पर संलग्न है ।

(ग) अपेक्षित तालिका (ग) पर संलग्न है ।

(२) बीकानेर मेडीकल कालेज में रीडर फार्मोकोलोजी का पद सन् १९६१ से स्वीकृत है और उदयपुर मेडीकल कालेज में यह पद सन १९६१, ६४ से स्वीकृत है । उक्त पद भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पेटर्न के आधार पर है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह । ६३·

६३. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील बाली, जिला पाली के ग्राम सेणा, जोवदा, दूदणी व धिसलपुर के कितने काश्तकार जवाई बान्ध में अपनी खातेदारी की भूमि डूब जाने के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या गांव सेणा की आबादी, पानी का पिचका एवं गोचर भूमि सब के सब जवाई बान्ध की डूब में आ गये हैं ? यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु उन्हें कहां पर आबादी भूमि आवटित की गई है ? और कहां पर उन्हें गोचर एवं पिचका दिया गया है उनके पुनर्वास एवं मुआवजे में

(श्री पृथ्वीसिंह)

उन्हें खातेदारी की भूमि कहां पर आवंटित की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम सेगा, एवं दूदणी के काश्तकारों की जिनकी भूमि पानी में डूब गई है एवं उन्होंने डूबी हुई भूमि पानी से निकलने पर काश्त किया हैं उन पर धारा ९१ के मुकदमें चलाये जाकर जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री नसराज) : (१) इसका रेकार्ड सिंचाई विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(२) जी हां, ग्राम सेणा की आबादी पिचका और गोचर का कुछ भाग जवाई बांध के जल विस्तार क्षेत्र में आये हुये हैं। आबादी के लिये सीमावर्ती ग्राम माटुन्द की सरहद में आवंटित की गई थी परन्तु पुरानी आबादी जल विस्तृत क्षेत्र के बाहर आबाद है और उसी पीचका का पानी पीती है। भूमि की एवज बहुत से लोगों ने नकद मुआवजा प्राप्त कर लिया है।

(३) जी नहीं, जुर्माना केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया गया जिन्होंने अवाप्त भूमि पर काश्त किया है व जिनके अवाप्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं है या उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा खातेदार ले चुके हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : प्रश्न के भाग २ के उत्तर में आपने बताया है कि आबादी आबाद है। इसके लिये निवेदन करूं आपने यह किस आधार पर सूचना दी है। मैं कहना चाहता हूँ वर्षा ज्यादा होती है बन्धा भर जाता है तब उस गांव के चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जिस लेवल तक यह आबादी है वहां तक कभी बन्धा भरा ही नहीं है। इसलिये अब तक नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आयन्दा जब कभी भरे तो ऐसी स्थिति आ सकती है। उस स्थिति के आने से पूर्व ही उचित व्यवस्था करली जायगी।

श्री पृथ्वीसिंह : संवत २०२४ में गांव के चारों ओर पानी भर गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी जानकारी के अनुसार आबादी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या आप यह कह सकते हैं कि उस गांव के चारों ओर पानी नहीं भरा हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी भरा था या नहीं यह कहना हो कठिन है। लेकिन सचाई यह है कि आबादी को कोई क्षति नहीं पहुंची। साइड से ड्रेनेशन बनाकर पानी को मोड़ दिया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : आज के लेवल के हिसाब से पानी आ जाता तो वस्ती डूबती या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो अवार्ड हुआ वह तो ले नहीं और यह कहें कि हमें तो जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

जमीन हमारे पास है नहीं। इसलिये वे मुग्रावजा लेकर दूसरा जगह जावें।

श्री पृथ्वीसिंह: क्या ग्राप यह ग्राश्वासन दे सकते हैं कि सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन के बाद जो भूमि ग्रवाप्त होगी उस जमीन में इनको ग्रलोट करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाई बाँध में ऐसी जमीन उपलब्ध नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : जवाई कमाण्ड एरिया में सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन के बाद जमीन नही बचेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाई कमाण्ड एरिया के ग्रन्दर ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है इतने ग्रादमियों को दी जा सके। बाकी सब लोगों ने मुग्रावजा ले लिया माफीदार रहे हैं उनको भी कहा गया है कि वे भी मुग्रावजा ले लें। इसका ग्रवार्ड ५७ के ग्रन्दर ही हो चुका है।

श्री पृथ्वीसिंह : किसी ने मुग्रावजे की मांग नहीं की जमीन की मांग की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब ग्रवार्ड हो जाता है कोर्ट उसके लिये लीगल नोटिस देकर के चलता है तो उस वक्त एतराज करते नहीं। ग्रवार्ड जब फाइनल होगया तो उसको मानना चाहिये।

श्री पृथ्वी सिंह : क्या ग्राप उनको राजस्थान कैनाल पर जमीन देने के लिये क्यों राजी नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल पर जमीन उनको देने के लिये नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जब ग्राप दूसरे लोगों को राजस्थान कैनाल पर जमीन दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): गांवो की जो सूची दी गई है उससे यह साफ है कि उनकी जमीन डूब चुकी है वे वहां पर रह नहीं सकते क्या सरकार यह मानती है जमीन डूब गई, बीड़ डूब गये जब पानी बधे में इतना ग्राजाय तो हर हालत में उनको जाना पड़ेगा। उसकी एवज मे जमीन ग्राप दे नहीं सकते। ग्राखिर वे लोग करेंगे क्या यहां नहीं तो गंग नहर के इलाके में राजस्थान नहर के इलाके में ग्राप जमीन दे सकते हैं। यह नहीं कर सकते तो कम से कम जितने कुए, जितने खलिहान उसके साथ साथ मकानात ग्रादि ग्राते हैं उनका भी मुग्रावजा दिया जाय। यह हार्ड केस है ग्राप इसके लिये उदारता के साथ व्यवहार करें इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी भी इसमें कठिनाई है कोर्ट ने मुग्रावजा फिक्स करके ग्रवार्ड दे दिया जो १६५६-५७ मे होगया। उसके बाद ग्राज १३ साल बाद उस ग्रवार्ड को कैंसिल कर दे यह मुश्किल है उनको राजस्थान या गंग कैनालमें जमीन देदे यह कैसे हो सकता है। जब ग्रवार्ड हो गया ग्रापने ग्रपील नहीं की इस तरह से वह ग्रवार्ड फाइनल है।

मकान ग्रौर दूसरी चीज का मुग्रावजा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देने का सवाल है डूब में आने वाले मकान के बारे में मुआवजे का सवाल सिंचाई विभाग के कतई अन्तर्गत नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री मोहनलाल मोदी : (नीम का थाना) मेरा एक ही प्रश्न है इसको ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक अतारांकित प्रश्नों के बारे में जवाब देने का है आज २४ क्वश्चन थे उसमें से आठ क्वश्चन पोस्टपोन किये गये हैं। इनमें से तीन क्वश्चन ऐसे हैं जो दो दो बार पहले स्थगित किए जा चुके हैं। उनमें एक क्वश्चन तो वह है जिसके बारे में अकाल राहत मंत्री जी ने उत्तर देने की सफाई दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे उत्तर को छिपाना नहीं चाहते लेकिन इस तरह से बचत के रास्ते निकल गये उनके प्रश्न का उत्तर भी आज भी नहीं मिला आपको उसके लिये किसी प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब मैं व्यवस्था करवाऊंगा।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब दिला दिया जाय ६९७ एक ही प्रश्न है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर में रोड़वेज का बस स्टेंड

६८६ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अजमेर स्थित रोड़वेज के बस स्टेशन पर दुर्गन्ध और गन्दगी का साम्राज्य छाया हुआ है ?

(२) बस स्टेशन वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कार्यवाही कितने साल से चल रही है ?

(३) अभी तक उपयुक्त स्थान पर बस स्टेण्ड स्थापित क्यों नहीं किया गया ? यह अब कब तक किया जा रहा है ?

(४) क्या जब तक यह बस स्टेण्ड स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है तब तक के लिये सरकार यहां उचित युरिनल्स आदि की व्यवस्था नहीं कर सकता ?

उत्तर

(१) जगह की कमी और पास पास में दो बस स्टेण्ड होने से रोजाना सफाई की व्यवस्था कराने पर भी कुछ गंदगी रहती हैं।

(२) गत कुछ वर्षों से।

(३) अन्य स्थान पर बस स्टेण्ड बनाने का मामला विचाराधीन हैं। जल्दी ही इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले लिया जायेगा।

(४) जी नहीं।

Page No 32

सब-माइनर बनाने की योजना

६८८. **श्री बृजबल्लभ बोहरा**-(दीगोद) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सुल्तानपुर सब-ब्रांच में तोरण के माल में जाने के लिये सब-माइनर बनाने की योजना बनाई है ?

(२) क्या इस सब-माइनर का सर्वे हो चुका है ?

(३) यदि हां, तो इसको बनाने का काम कब शुरू होगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीकानेर के मन्दिरों का जेवर

६९४. **श्री गंगासहाय** (कठूमर)— क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर के मंदिरों का जेवर बीकानेर ट्रेजरी व लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर में डबल लॉक में रखा हुआ है ?

(२) देवस्थान के मंदिरों के जेवर आदि का फिजिकल वेरिफिकेशन कितने दिनों में किया जाता है ?

(३) उक्त मंदिरान के जेवर का फिजिकल वेरिफिकेशन पिछली बार कब हुआ था तथा उसका क्या नतीजा निकला ?

स्थगित किया गया

कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नतियाँ

६९६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में कुछ कनिष्ठ लिपिकों को अप्रेल, ६९ में स्टेनो-टाइपिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था ? अगर हां, तो क्या वे व्यक्ति पद की योग्यता रखते हैं ? क्या सरकार ने इस पद के लिये योग्यता निर्धारित कर रखी है ? रिक्त पद वरिष्ठता के आधार पर भरे गये हैं या परीक्षा आयोजित करके ?

(२) क्या पदोन्नति किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के विरोध पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं ? अगर हां तो विभाग ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या रिक्त पदों को भरने के लिये विभाग ने विभागीय कर्मचारियों से प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये थे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) अप्रेल, १९६९ में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों को क्या एडहोक बेसिस पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

६ माह के लिये पदोन्नत किया गया था ? अगर हां, तो क्या अब उनकी समयावधि बढ़ा दी गई है ? अगर नहीं, तो उन्हें इस पद का वेतन भली-भांति मिल रहा है?

(५) क्या सरकार ने निदेशालय के ड्रग अनुभाग के लिये स्टेनो-टाइपिस्ट का पद स्वीकृत किया है ? अगर हां, तो यह पद कब भरा गया ? क्या वहां पर डिक्टेशन भी दिये जाते हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, अप्रैल, ६९ में कुछ कनिष्ट लिपिकों को एडहोक बेसिस पर वरिष्ठता के आधार पर जिन्होंने अपना प्रार्थना-पत्र पद हेतु निदेशालय में प्रस्तुत कर रखा था, को स्टेनोटाईपिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा स्टेनोटाईपिस्ट पद हेतु योग्यता निर्धारित की हुई है। उक्त पद पूर्णतया अस्थाई रूप से केवल वरिष्ठता के आधार पर भरे गये, तथा कोई परीक्षा नहीं ली गई थी।

(२) पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध विरोध पत्र प्राप्त होने पर उनकी जांच के पश्चात् नियमों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति किये गये कर्मचारियों को निदेशालय आदेश के क्रमांक २४-२-२७ दिनांक २४-३-७० द्वारा पदावन्नत कर दिया गया है।

(३) उस समय कोई प्रार्थना पत्र आमन्त्रित नहीं किये थे बल्कि स्वेच्छा से जिन कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना-पत्र निदेशालय में प्रस्तुत कर रखे थे उन्हीं कर्मचारियों को सीधे ही वरिष्ठता के आधार पर पूर्णतया अस्थाई तौर पर (Adhoc Basis) पदोन्नति दी गई थी।

(४) अप्रैल, ६९ में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों को ६ माह हेतु पदोन्नत किया गया था राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई योग्यताओं के अभाव में सभी कर्मचारियों को दिनांक १-३-७० से पदावन्नत कर दिया गया।

(५) सरकार ने ड्रग अनुभाग हेतु यू० डी० सी० का स्टेनो-टाईपिस्ट का एक पद स्वीकृत किया है। यह पद अप्रैल, ६९ में भरा गया। आवश्यकता पड़ने पर डिक्टेशन भी दिया जा सकता है।

कृषि भूमि में मकान बनाने हेतु पट्टे

६९७. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत कांवट ने काश्तकारों की खातेदारी कृषि भूमि में बिना उनके ज्ञान के रिहायशी मकान बनाने हेतु पट्टा देकर नजराना वसूल कर लिया है ?

(२) जिस खातेदारी कृषि भूमि के सरपंच द्वारा पट्टे जारी किये गये उस खातेदार का नाम, जमीन का खसरा नम्बर पट्टे प्राप्त करने वालों की सूची एवं किस प्रकार कार्यवाही की गई, का पूर्ण विवरण

(श्री मोहनलाल मोदी)

सदन की मेज पर रखें। क्या यह भी सही है कि वे सारे व्यक्ति सरपंच से सम्बन्धित हैं।

(३) क्या इस विषय में राज्य सरकार को कई शिकायत पत्र प्रेषित किये गये और उन पर सरकार की ओर से जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

(४) क्या ग्राम पंचायत की यह कार्यवाही नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वयं अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन्हें रद्द करने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी, हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है और जांच करवाई जा रही है।

(२) सूची सदन की मेज पर रखी गई है। भूमि सम्बन्धित व्यक्तियों के कब्जे को मान कर नजराना लेकर भूमि विक्रय के पट्टे दिये गये हैं। सरपंच से जो व्यक्ति सम्बन्धित हैं उसका विवरण भी सूची में दिया गया है।

(३) जी, हां। जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी, हां। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। खातेदारी कृषि भूमि में रिहायशी मकान बनाने हेतु पट्टे दिये जाने की, नियम विरुद्ध, कार्यवाही के सम्बंध में तहसीलदार भी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

चम्बल बांध की लेफ्ट कैनाल को सवाई माधोपुर तक बढ़ाने की योजना

७०१ श्री नन्द लाल बरवा (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चम्बल बांध की लेफ्ट कैनाल को सवाई माधोपुर तक ले जाने का प्रावधान था या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि इस नहर पर जितने भी पक्के कार्य पुलिया व साइफन इत्यादि बनाये गये हैं वे इसी हिसाब से बड़े बनाये गये हैं कि नहर चौड़ी करके सवाई माधोपुर तक पानी पहुंचाया जा सके ?

(३) क्या यह भी सही है कि बन्धे के भराव का हिसाब रखते हुए नहर को सवाई माधोपुर तक ले जाने में पानी की कमी महसूस नहीं की गई थी ? यदि हां, तो यह नहर आगे सवाई माधोपुर अब तक क्यों नहीं बढाई गयी ?

(४) क्या यह सत्य है कि जो नहर सवाई माधोपुर तक पानी ले जाने के लिये उपयुक्त मानी गई थी वह आधी लम्बाई से

Page No 35

(श्री नन्दलाल)

टेल के एरिया को पूर्णरूप से सिंचित नहीं कर रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) (२) चम्बल परियोजना (प्रथम चरण) के मूल तखमीने में बाई नहर को सवाई माधोपुर तक ले जाने का कोई विशिष्ठ प्रावधान नहीं था। लेकिन भविष्य में इस प्रकार के सम्भावित विस्तार को ध्यान में रखते हुये, इस नहर के सभी पक्के कार्य तद्नुसार बड़े बनाये गये हैं।

(१) जी हां, चम्बल योजना के द्वितीय संशोधित तखमीने की स्वीकृति आने पर व धन उपलब्धी के अनुसार यह कार्य किया जा सकेगा।

(४) नहर की वर्तमान क्षमता उसकी वर्तमान लम्बाई के हिसाब से ही रखी गई है। यह क्षमता नहर आगे बढ़ाये जाने पर रिमोडलिंग करके बढ़ानी होगी। वर्तमान अवस्था में टेल पर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने की कठिनाई का कारण नहर के पथरीले भागों में से अत्याधिक मांजा में सीपेज होना है।

पीने के पानी के कुण्डों का निर्माण

७०२. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले में रेवेन्यू ऐजेन्सी की मारफत बाडेट, ख्याली जवाहरपुरा तथा जाबसर ग्रामों में पीने के पानी के कुण्ड (टांके) बनाये जाने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी ?

(२) यदि हां, तो क्या उपरोक्त टांके बन कर तैयार हो गये हैं ? क्या यह सही है कि चारों कुण्डों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी (रेवेन्यू ऐजेन्सी) आज तक भी नहीं चुकाई गई है ?

(३) इन मजदूरों की जिन्होंने रेवेन्यू एजेन्सी तहत काम किया था उनकी कितनी कितनी मजदूरी प्रत्येक ग्राम के कुण्ड की बकाया है तथा वह कब तक चुकादी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा जो कार्य कराया गया है उसकी प्रत्येक कुण्ड की बकाया इस प्रकार है :—

नाम ग्राम	रकम
१. जाबसर	२४५७-१३
२. ख्याली	१९१०-५०
३. बाडेट	१४५३-००
४. जवाहरपुरा	१३४१-५०
(टमकोर) योग	७१६२-१३

इस बकाया की तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा एतराजों की पूर्ति होते ही भुगतान की व्यवस्था की जायगी।

Page No 36

वर्ष १९६९ में खोले गये स्कूल

७०७. श्री लादूराम सुलानिया(फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में सन् १९६९ में मिडिल स्कूल, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्कूल कहां कहां खोले गये है? इसका क्या आधार है? किन स्कूलों में नये विषय चालू किये गये हैं?

(२) क्या यह सही है कि ये स्कूल खोलने से पहले ही समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि राज्य मंत्री-मण्डल ने इस वर्ष कोई नये स्कूल न खोलने का निश्चय किया है।

(३) क्या वास्तव में सरकार का यही निश्चय है? यदि हां, तो कब से और किन आधारों पर तथा क्यों?

(४) क्या बजट अधिवेशन में भी नये स्कूल न खोलने की घोषणा की गई थी और इसीलिये कोई बजट प्रावधान भी इस कार्य के लिये नहीं रखा गया था?

(५) यदि हां तो फिर नये स्कूल और नये विषय किस कारण खोले गये? खोले गये स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) वर्ष १९६९-७० में निम्न शालायें खोली गई :—

१- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (मिडिल) : ७३ शालाओं को पंचायत समिति के व्यय के आधार पर क्रमोन्नत किया गया।

१- उच्च प्राथमिक से माध्यमिक (सैकेण्ड्री) : ८ इनमें से फरागवार व रोहत को छोड़कर अन्य शालाओं की क्रमोन्नति के बारे में वर्ष १९६७-६८ में ही निश्चय किया जा चुका था।

३- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक : सूची संलग्न है। आधार की प्रति संलग्न है।

निम्न ये विषय प्रारम्भ किये गये :-

नाम विषय	सैकेण्ड्री	हा० सैकेण्ड्री
विज्ञान विषय	३	३
वाणिज्य विषय	१	-
कृषि विषय	२	२
जीव विज्ञान	५५	३८

सूची संलग्न है।

(२) समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की जानकारी विभाग को नहीं है।

(३) वर्ष १९६९-७० में वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए व वर्ष १९६८-६९ में शालाओं की क्रमोन्नति को देखते हुए यह निश्चय किया कि राजकीय व्यय पर नई शालायें क्रमोन्नत न की जावें।

(४) यह सही नहीं है। बजट में ६ उच्च प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं को

(शिक्षा मन्त्री)

क्रमोन्नत करने व निम्न नये विषय खोलने के लिये प्रावधान रखा गया था। (इन शालाओं को खोलने का निश्चय दिसम्बर, ६८ में ही किया जा चुका था परन्तु इन्हें देरी होने के कारण जुलाई ६९ से प्रारम्भ किया गया।

नये विषय	सैकेण्डरी	हायर सैकण्डरी
विज्ञान	२	२
जीव विज्ञान	२	२
कृषि	२	३
वाणिज्य	२	-

(५) नये विषय व शालायें खोलने के निम्न कारण रहे :—

(१) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक राज्य में उच्च प्राथमिक शालाओं की सं० बहुत कम है। पंचायत समितियों ने यह आग्रह किया कि वे स्वयं का खर्चा वहन करने को तैयार हैं। अतः राज्य कोष पर कोई वित्तीय भार न डालते हुए ७३ प्राथमिक शालाओं को पंचायत समिति के व्यय पर क्रमोन्नत के आदेश दिये गये।

(२) **उच्च प्राथमिक से माध्यमिक :—** वर्ष १९६८ में यह निर्णय ले लिया गया था कि उन सब पंचायत समितियों में एक एक सैकेण्डरी शाला खोल दी जावें जहां अभी तक एक भी सैकेण्डरी शाला नहीं है। इसको वर्ष ६८ में तो कार्यान्वित नहीं किया जा सका परन्तु वर्ष १९६९ में ऐसी समस्त ७ पंचायत समितियों में एक एक शाला खोलदी गई।

(३) **माध्यमिक से उच्च माध्यमिक —** सिरोही जिले में भण्डा एवं रोहेडा हायर सेकेण्डरी शालाओं में ११ वीं कक्षा में कोई छात्र संख्या नहीं थी अतः इनको अवंन्नत करने का निश्चय किया गया और इनके स्थान पर आबू रोड़ व खेतड़ी सैकेण्डरी शालाओं को क्रमोन्नत कर दिया गया।

नये विषय :—जीव विज्ञान विषय की मांग को देखते हुए मंत्री मंडल ने बाद में यह निर्णय लिया कि उन समस्त सैकेण्डरी व हायर सैकेण्डरी शालाओं में जहां छात्र संख्या उपयुक्त हो व भवन व्यवस्था उपलब्ध हो वर्ष १९६९—७० में जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ कर दिया जावे। इस निर्णय के अनुसार हीं प्रारम्भ में बजट में केवल ४ शालाओं के प्रावधान के बावजूद जीव विज्ञान विषय ६३ शालाओं में खोला गया। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चरनोट भूमि की वन पैदावार का ठेका

७०८. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** : (अकलेरा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ जिले में अथवा अन्य दो जिलों में भी ग्राम पंचायतें अपनी चरनोट भूमि की वन पैदावार गोंद, पत्ता, तेन्दू आदि के ठेके देती है ? यदि हां, तो झालावाड़ जिले में किस पंचायत ने ऐसे ठेके दिये हैं एवं उनकी क्या आमदनी है ? गत तीन वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री विटठ्ल प्रसाद शर्मा)

(२) क्या यह सत्य है कि पंचायत चारनोट के ठेकेदारों को अपना इकट्ठा माल लाने ले जाने पर वन विभाग रोक लगाता है और उनका माल जब्त कर लेता हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि एक ही स्थान पर एक ही वस्तु के वन विभाग एवं पंचायतों द्वारा ठेके देने से दोनों ठेकेदारों में आपसी झगडे होते रहते है और आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो सका है ?

(४) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि या तो इस प्रकार के ठेके वन विभाग द्वारा ही कराये जायं या पंचायतों द्वारा ही और एक दूसरे को कुछ प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था हो सके ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कठपुतलियों के माध्यम से शिक्षाप्रद मनोरंजन

७२७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कठपुतलियों की मार्फत शिक्षा-प्रद मनोरंजन की व्यवस्था कब से की गई है, और उस पर अब तक कितना खर्चा किया गया है ? अलग २ मद वार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर :—

(१) दिनांक १२-१२-६७ से। भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर को इस सम्बन्ध में निम्न व्यय पर ६० प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा दिया गया :—

	वर्ष ६८-६९	वर्ष ६९-७०
१—अनुदेशक	११३८.०७	११७२.७३
२—अन्य व्यय	१०००.००	१०००,००

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु आने वाले अनुदेशकों पर आवत के सम्भाव्य निधि के लिये २०००) रु० प्रतिवर्ष अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

प्राईमरी एवं हायर एज्यूकेशन पर खर्च

७२८. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान निर्माण के समय प्राईमरी और हायर एज्यूकेशन पर कितना कितना रुपया खर्च हो रहा था और उक्त खर्चा शिक्षा पर हो रहे कुल खर्चे का कितना प्रतिशत था ?

(२) अब प्राईमरी व हायर एज्यूकेशन पर कितना कितना खर्च हो रहा है और वह शिक्षा पर हो रहे कुल खर्चे का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर :—

(१) सन् १९५०-५१ में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा पर ८२.३६ लाख रुपया व उच्च शिक्षा पर २३.२९ लाख रुपया

(शिक्षा मन्त्री)

खर्च हो रहा था जो क्रमशः ४०.८ व ११.५ प्रतिशत व्यय होता था।

(२) सन् १९७०-७१ में प्राथमिक शिक्षा पर १३८०.०६ लाख रुपया व उच्च शिक्षा पर ५२०.३५ रुपया व्यय करने का प्रावधान है जो कि क्रमशः ३५.८ प्रतिशत व १३.५ प्रतिशत व्यय होता है।

व्यायाम शिक्षकों की वेतन श्रृंखला में वृद्धि

७२९. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर ने अपने अधीनस्थ शालाओं के व्यायाम शिक्षकों को जो स्नातक एवं सी० पी० एड० हैं पहले वेतन श्रृंखला १३ (११५-३००) में उन्नति दी तथा बाद में अपने कार्यालय के पत्रांक सं० नि० शि०। जय। संस्था। ६।२०।१९७।६५, दिनांक ६-२-६६ से शालाओं में एक पद वेतन श्रृंखला १३ का कम करके वेतन श्रृंखला १६ में परिवर्तित कर दिये जाकर इन पदों पर व्यायाम शिक्षकों का स्थिरीकरण कर दिये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये? क्या ऐसी कार्यवाही उप निदेशक, (महिला) शिक्षा, जयपुर ने भी की है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां। उपनिदेशक (महिला) शिक्षा विभाग जयपुर ने यह कार्यवाही नहीं की है। उन्हें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिख दिया गया है।

जोधपुर, जिला अकाल सलाहकार समिति

७३०. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर जिला अकाल सलाहकार समिति में पंचायत समितियों के प्रधानों को सदस्य नहीं रखा गया है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अगर नहीं, तो गत वर्ष व इस वर्ष जिला अकाल सहायता सलाहकार समिति की कितनी मीटिंग हुई और उसमें कितने प्रधानों की उपस्थिति थी? मय तारीख, सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले की अकाल सलाहकार समिति में जिला परिषद व पंचायत समितियों की अकाल राहत कार्यों के खोलने की सलाह नहीं मानी जाती है और कार्य राजनैतिक आधार पर खोले जाते हैं? अगर नहीं, तो गत वर्ष और इस वर्ष कुल कितने कार्य किये गये जिसमें कितने समिति की राय से और कितने सीधे राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) जोधपुर जिले में गत वर्ष व इस वर्ष कुल कितने तालाब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खोदे गये और एक-एक तालाब पर कितनी राशि खर्च की गई? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(४) जोधपुर जिले में गत वर्ष व इस वर्ष कितनी सड़कें बनी और इन सड़कों पर ग्रेवल डालने के ठेके किस आधार पर दिये गये और किस सड़क पर किस ठेकेदार का ठेका था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने शर्तों के अनुसार ग्रेवल का कार्य किया ? अगर नहीं, तो किस सड़क पर कितने इन्च ग्रेवल डाली ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(६) जोधपुर जिले में भू-संरक्षण कार्य गत वर्ष कितने गांवों में हुआ और इस वर्ष कितने गांवों में चल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें और आज तक इस कार्य पर इस जिले में कितना खर्च हुआ ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत का प्रशासनिक सम्बन्ध

७३१. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, सांपला पंचायत समिति अराई जिला अजमेर ने दिनांक २४-१-१९७० ई. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर राज्य सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक सम्बन्ध तहसील सरवाड़ व अराई से विच्छेद कर केकड़ी से किया जाये ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(१) जी हां। ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था।

(२) प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधीश, अजमेर को भेजा गया है।

अकाल राहत कार्य व प्लान वर्क की मजदूरी की दरें

७३२. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या अकाल के इन दिनों में राहत कार्य एवं प्लान वर्क के अन्तर्गत दोनों प्रकार के कार्य चालू हैं ? यदि हां, तो अकाल राहत कार्य में क्या मजदूरी दी जाती है और प्लान वर्क में क्या मजदूरी दी जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि साही योजना के अन्तर्गत साही नदी से नाणा स्टेशन तक सड़क बनना चालू है ? यदि हां, तो क्या इसी सड़क कार्य पर पाली जिले में मजदूरी अकाल राहत दर से और उदयपुर जिले में प्लान वर्क की दर से दी जाती है ? यदि मजदूरी दरों में भिन्नता है तो क्यों ?

(३) क्या सरकार प्लान वर्क पर प्लान वर्क की मजदूरी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर :—

(१) जी हां। अकाल राहत कार्यों पर प्रति खोदने वाला रु० १-५० प्रति ढोने

Page No 41

(अकाल राहत मंत्री)

वाला रु० १-२५ तथा प्रति बालक १-०० रु० प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। यह कि योजना कार्यों पर विभागीय बी० एस० आर० के आधार पर मजदूरी दी जाती है।

(२) जी हां। साही नदी के ऊपर निर्माण सड़क विभाग द्वारा योजना गत प्रावधान में से बनाई गई है जिसका कार्य पूर्ण हो गया है यह सही नहीं है कि पाली जिले में इसी कार्य पर अकाल राहत दर से तथा उदयपुर जिले में योजना कार्य की दर से मजदूरी दी जाती है. अतः मजदूरी की दरों में भिन्नता का प्रश्न ही नहीं है। नाणा से ऊपर भीमाणा सड़क का कार्य गत वर्ष सहायता कार्य के रूप में चलाया गया था। अतः सहायता कार्यों पर देय दर से मजदूरी दी गई थी यह कार्य गत वर्ष ही पूर्ण हो गया था।

(३) जी हां। प्लान वर्क पर प्लान वर्क की ही मजदूरी दी जाती है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

जन-गणना कार्य में लगे अध्यापक

७३३. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति के अध्यापकों को जन-गणना कार्य में लगा रखा है और उनका स्थानान्तरण नहीं करने के आदेश सरकार ने दिये थे? यदि, हां तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के जिन अध्यापकों को जन-गणना कार्य में लगाये हुये थे उनके स्थानान्तरण किये गये थे? यदि हां, तो किन किन अध्यापकों का कब कब तथा कितने कितने समय पूर्व स्थान पर रहने के बाद और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त आदेश की अवज्ञा करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(१) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जी हां। चाही गयी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) स्थानान्तरण हेतु तहसीलदार लाडनूं की सहमति ले ली गई थी अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

सूखा एवं अत्यधिक वर्षा से फसलों को नुकसान

७३४. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालरापाटन तहसील में इस वर्ष

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

सूखा पड़ने एवं अत्यन्त वर्षा के कारण कितने ग्रामों की फसल नष्ट हुई या सूख गई ? कृपया सूची देने का कष्ट करें।

(२) इन ग्रामों को अभावग्रस्त अभी तक घोषित क्यों नहीं किया गया जबकि ग्रामवासी कार्य के अभाव में बेकार हैं ?

उत्तर

(१) झालरापाटन तहसील में इस वर्ष सूखा पड़ने एवं अतिवृष्टि के कारण १२७ ग्रामों में फसलें क्षतिग्रस्त होने की जिलाधीश द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) अन्तिम प्रतिवेदन व उसके साथ वांच्छित अन्य सूचनायें देरी से आने के कारण प्रभावित ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इस जिले के बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत का कार्य चल रहा था जिन पर लोग रोजगार पा सकते थे। बेकार बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर की प्राथमिक पाठशालायें

७३५ श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सवाई माधोपुर जिले में ऐसी कौन कौन सी प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनमें तीस विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी हैं ? प्रत्येक प्राइमरी पाठशाला के सम्बन्ध में १९६८-६९, ६९-७० की कम से कम दिसम्बर व जनवरी की संख्या बताई जावे। क्या सरकार ऐसी पाठशालाओं के लिए उचित कार्यवाही करेगी जिससे उन प्राइमरी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सके ?

(स्थगित किया गया)

फ्लड एवं फेमीन पर खर्च

७३६. श्री रिद्धचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फ्लड एवं फेमीन में किस किस जिले पर १९६८-६९ एवं १९६९-७० में कितना कितना रुपया खर्च हुआ ? इस खर्चे में से कितना रुपया एस्टेब्लिशमेन्ट पर और कितना राहत कार्यों पर खर्च हुआ ? इन खर्चों से क्या क्या कार्य हुआ विगतवार व जिलेवार बताया जावे।

उत्तर

फ्लड और फेमिन में वर्ष ६८-६९ एवं ६९-७० में जिलेवार हुए खर्च की सूची क, ख और ग सदन की मेज पर प्रस्तुत है। ऐस्टेब्लिशमेन्ट पर दोनों वर्षों में क्रमशः १७,६८ एवं ७८,१९ लाख रुपया व्यय हुआ है। इन खर्चों से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से सड़क कार्य, सिंचाई विभाग के अभिकरण से तालाबों की मरम्मत व नया तालाब कार्य, भू संरक्षण विभाग के अभिकरण से भू संरक्षण कार्य, वन विभाग के अभिकरण से वन संरक्षण कार्य तथा राजस्व विभाग के

(अकाल राहत मंत्री)

अभिकरण से नोहर खुदाई कार्य एवं कुए गहरे करवाने का कार्य करवाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों के लिये प्राप्त धन

७३७, **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले साल राहत कार्यों के लिये सेंटर, दीगर प्राइवेट संस्थाओं, व्यक्तियों व दीगर तरह से कितना कितना धन प्राप्त हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राजस्थान सरकार ने कितना धन अपने सोरसेज से बचा कर अकाल पर खर्च किया ?

(३) राहत कार्य जो सरकार ने विभिन्न जिलों में खोले उन प्रत्येक जिलों में कितने-कितने रुपये मंजूर हुये व कितने कितने खर्च हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों पर कोई उपयुक्त चैकिंग व्यवस्था न होने की वजह से करोड़ों रुपये लोग झूठे मस्टररोल बनाकर खा गये और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच के लिए एक कमेटी मुकर्रर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६९-७० में राहत कार्यों के लिए केन्द्र से ५३-५० करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। दीगर प्राइवेट संस्थाओं व व्यक्तियों व दीगर तरह से सहायता कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) राजस्थान सरकार ने अकाल सहायता व्यवस्था पर दिया गया सारा खर्च अपने ही वित्तीय प्रावधान में से किया है।

(३) जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) जी नहीं। जहां जहां सहायता कार्यों पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई भी बात सामने आने पर राज्य सरकार द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में जांच के लिए कमेटी मुकर्रर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

खेरवाड़ा तहसील में राहत कार्य

७३८. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) खेरवाड़ा तहसील जिला उदयपुर में १ जनवरी १९६९ से १५ अगस्त १९६९

Page No 44

(श्री विद्यासागर)

तक सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत के अन्तर्गत कौन से तालावों का निर्माण किया ? क्या यह सही है कि इन तालावों के बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ट्रक मैटिरियल (सामान) लाने हेतु लगाये गये थे ?

(२) यदि हां, तो किन-किन तालावों पर कितने-कितने ट्रक लगाये गये, उनके नम्बर क्या थे तथा मालिकों के नाम क्या थे ? क्या यह सही है कि कई लोगों के ट्रक नहीं थे और दूसरे के ट्रक लाकर अपने नाम से बिल बनाकर पैसा लिया हैं ? यदि हां, ऐसे व्यक्ति कितने हैं ? उनका नाम व गांव तथा कितना कितना पैसा उन्हें दिया गया दर्शात हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या यह सही है ट्रकों ने रात्रि में एक्स्ट्रा काम किया तथा रात्रि का अलग से ट्रक मालिकों को पेमेन्ट किया गया है ?

(४) यदि हां, तो ऐसे कितने ट्रक हैं तथा उनके नम्बर तथा मालिकों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितना-कितना पैसा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि फेमिन में बैलगाड़ियों को नहीं लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) खेरवाड़ा तहसील जिला उदयपुर में दिनांक १ जनवरी, १९६९ से १५ अगस्त १९६९ तक निम्न ८ तालावों पर कार्य सिंचाई विभाग के अधिकरण से अकाल सहायता कार्यों के रूप में किया गया :—

(१) गोदावरी का नाका तालाब (२) हाथियों का नाका तालाब (३) लोअर घोड़ी तालाब (४) लोरवा तालाब (५) परेडा तालाब (६) मूदर तालाब (७) सोमपिक अपनियर (८) सोम एनोकट ।

जी हां। इनमें केवल एक कार्य गोदावरी का नाका तालाब पर ट्रक लगाया गया था।

(२) जी हां, केवल एक कार्य गोदावरी का नाका तालाब पर ट्रक नम्बर आर० के० वाई० ११३७ मालिक बाम्बे ट्रांसपोर्ट कम्पनी उदयपुर लगाया गया था। इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लोगों के ट्रक नहीं होने पर भी दूसरों के ट्रक अपने नाम से बता कर पैसे लिये हों। जो व्यक्ति ट्रक लाया उसी के नाम से भुगतान किया गया।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता। बैलगाड़ियां वहां उपलब्ध थीं वहां किसी बैलगाड़ी को मना नहीं किया गया।

काछोला कस्बे का बगीचा

७३९. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ पंचायत समिति में काछोला कस्बे का

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सरकारी बगीचा पंचायत समिति के कब्जे में है ?

(२) यदि हां तो कितनी जमीन कितने वर्षों से पंचायत समिति के कब्जे में है ?

(३) जबसे यह बगीचा पंचायत समिति के कब्जे में आया है उस समय से लेकर आज तक पंचायत समिति ने इस पर कितना खर्च किया और आज तक उससे किस-किस वर्ष में कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

(४) पंचायत समिति का यह कृषि फार्म घाटे में चल रहा है या मुनाफे में ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) १४ बीघा जमीन ९ वर्षों से पंचायत समिति के पास है।

(३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सन् ६७-६८ से मुनाफे में चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

सिनेमा घरों में मनोरंजन कर की बकाया

७४०. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किन-किन सिनेमाओं में सरकारी मनोरंजन कर बकाया है और कितना और कब से ? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ?

(२) जयपुर के रामप्रकाश सिनेमा में सरकार की कितनी बकाया कब से है ? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है?

(स्थगित किया गया)

सेलसटैक्स की वसूली के तरीकों में सरलीकरण

७४१. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार सेल्स टैक्स की वसूली के तरीकों में सरलीकरण करने का विचार रखती है जिससे सरकार को टैक्स भी पूरा मिल जावे व व्यापारियों को परेशानी भी नहीं हो ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सच है कि सरकार को समय-समय पर व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। मई, १९६२ में राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर सरलीकरण समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट ३१-१२-१९६५ को सरकार को पेश की गई और उक्त समित की भी सिफारिशों को लागू किया गया है तथा जिनके अनुसार अब ५०,००० रु० की बिक्री राशि से ऊपर व ५९० रु० प्रति माह कुल बिक्री कर देने वाले व्यापारियों को कर की राशि प्रति माह

(वित्त मंत्री)

और जिन व्यापारियों की कर देय बिक्री राशि उनकी कुल बिक्री राशि के १।१० भाग से कम है, उनको कर निर्धारण पदाधिकारी की सहमति से कर राशि प्रति वर्ष तथा अन्य व्यापारियों को कर की राशि प्रत्येक तिमाही में पेशगी जमा करानी पड़ती है। कर निर्धारण के समय पेशगी जमा कराई गई कर राशि को मराऊ (Adjust) देकर बाकी कर की वसूली कर मांग पत्र जारी करके की जाती है। उक्त कर मांग पत्र में अंकित निर्धारित समय में यदि कर मांग जमा नहीं कराई जाती है, तो नियमानुसार कार्यवाही करके वसूली की जाती है।

जो व्यापारी कर राशि निर्धारित समय में पेशगी जमा करा देता है, उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) राजस्थान सरकार द्वारा गठित बिक्री कर सरलीकरण समिति ने वसूली के तरीकों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थी उनको लागू कर दिया गया है, तथा समय-समय पर व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझाव जो व्यवहारिक होते हैं उन पर यथेष्ट विचार किया जाता रहा है। कुछ ही महीनों पूर्व राज्य सरकार ने बिक्री कर परामर्शदात्री समिति का गठन किया है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न व्यापारिक मण्डलों तथा कर सलाहकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा दिये गये सरलीकरण के प्रस्तावों पर यथेष्ट विचार किया जा रहा है।

जयपुर शहर से सैल्स टैक्स व चुंगी कर से आमदनी

७४२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले तथा जयपुर जिले में हर तहसील तथा जयपुर शहर से हर साल सैल्स टैक्स व चुंगी टैक्स से कितनी आमदनी होती है? गत ५ साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

चैक पोस्टों पर नियुक्ति

७४३. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग राजस्थान के ये आदेश हैं कि चैक पोस्टों के स्टाफ को ६ माह से ज्यादा एक जगह नहीं रखा जावे? यदि हां, तो यह आदेश कब से है?

(२) जिला सीकर व झुंझनू की चैक पोस्टों पर कौन कौन कर्मचारी कितने कितने दिनों से हैं?

(३) क्या यह सही है कि श्री इलाही बक्ष, कनिष्ट लिपिक, सीकर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर जयपुर ने लिखा था कि इसको किसी खास चैक पोस्ट पर नहीं लगाया जावे? यदि हाँ, तो उसके बाद यह कहां कहां और कब कब रहा व क्या इसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है?

(स्थगित किया गया)

खेतों से मिट्टी उठाना

७४४. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले साल की बाढ़ से क्षति-ग्रस्त चम्बल सिंचाई योजना क्षेत्रों में से किन किन स्थानों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और उन पर कितनी कितनी धन राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि चंडाली नाले पर चल रहे मरम्मत कार्य व थौनपुर बांध के पुनः निर्माण हेतु किसानों के खेतों की खड़ी फसलों को उखाड़ कर मिट्टी ले जाई गई है ? यदि हां तो कितने व किन किन काश्तकारों की और कितने कितने रकबे में से ?

(३) क्या यह सही है कि थौनपुर के बन्धे की मरम्मत के लिये किसानों के खेतों के अतिरिक्त सरकारी भूमि से प्रचुर मात्रा में मिट्टी उपलब्ध की जा सकती थी ? यदि हां, तो उस क्षेत्र की मिट्टी काम में नहीं ली जाकर फसली खेतों से मिट्टी उठाने का क्या औचित्य था ?

(४) क्या यह सही है कि बांध से लगते हुए सब कृषकों के खेतों से मिट्टी नहीं उठाई जाकर कुछ लोगों के खेतों से ही मिट्टी उठाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) चम्बल सिंचाई योजना के क्षेत्रों में सन् ६६ की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिये धन राशि का प्रावधान निम्न प्रकार रहा ।

१—बाईं नहर प्रथम बन्ध ४.०० लाख रुपये

२—दाईं नहर द्वितीय बन्ध ५.०० लाख रुपये

३—बाईं नहर बन्ध ३.०० लाख रुपये

४—ड्रेनेज २.०० लाख रुपये

(२) चंडाली नाले पर किये गये मरम्मत कार्य हेतु किसी भी काश्तकार के खेत में से मिट्टी नहीं ली गई है । थौनपुर बांध के पुनः निर्माण हेतु जिन काश्तकारों के खेतों से मिट्टी ली गई है उनमें कुछ खेतों में फसलों की भूमि संलग्न है ।

(३-४) बांध की कुल लम्बाई लगभग एक मील है । जहां सरकारी काश्त भूमि है वहां पर पुराना नाला है तथा आसपास की भूमि जो बाकी है गांव भी क्षतिग्रस्त अधिक मात्रा में उसी स्थान में हुआ है । इस कारण जितनी मिट्टी उस स्थान से ली जा सकती थी ले ली गई । गांव के पुनः निर्माण हेतु बांध के सहारे सहारे के दक्षिण दिशा के खेतों में से आवश्यकतानुसार मिट्टी ली गई । जहां सरकारी काश्त भूमि नजदीक थी वहां पर सरकार भूमि में से मिट्टी ली गई, एवं ली जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

गंगापुर में ट्रक यूनियन

७४५. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) :

(श्री श्रवणलाल)

क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक गंगापुर ट्रक यूनियन के नाम से ट्रकों की संस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि इसका किराया राजस्थान में सबसे अधिक मंहगा है ?

(३) क्या यह सही है कि इस अधिक किराये का किसानों की उपज पर अप्रत्यक्ष तौर से भारी असर पड़ता है ?

(४) क्या यह सच हैं कि यह रजिस्टर्ड संस्था नहीं हैं, भारी आमद का आज तक कोई हिसाब नहीं है तथा बाहर के ट्रक वालों को यह माल भी नहीं ढोने देती है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

(३) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(४) बाहर के ट्रक वालों को माल न ढोने देने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संस्था हिसाब आदि मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत देने के लिये बाध्य नहीं हैं।

बेकारी की समस्या का समाधान

७४६. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में आज दसवी श्रेणी या हायर सेकेन्डरी परिक्षाएं पास किए हुए बहुत बेकार हैं और बेकारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां तो इस बेकरी को मिटाने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ? यदि नहीं सोच रही है, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती है कि जिन बेकारों को नौकरी अथवा रोजगार नहीं दे सके तो उनकी जिन्दगी चलाने के लिए भत्ते की व्यवस्था की जाय ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां।

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा रोजगार साधनों में वृद्धि करने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है।

(२) जी नहीं।

इस प्रकार का भत्ता देना राज्य सरकार की वित्तीय सामर्थ्य के बाहर होगा।

बाबा हरद्वारीनाथ ट्रस्ट

७४७. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में चक नाथा वाले में बाबा हरद्वारी नाथ ट्रस्ट है? यदि हां तो यह ट्रस्ट कब रजिस्टर्ड हुआ और इस ट्रस्ट के नाम बाबा मवासीनाथ ने कितने मुरब्बे दान में दिये थे?

(२) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट द्वारा एक स्कूल व होस्पिटल चलाया जा रहा है?

(३) इस ट्रस्ट का प्रधान कौन है और कुल कितने सदस्य हैं वे कहां के निवासी हैं?

(४) क्या यह सही है कि इस ट्रस्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा काश्तकारों ने करवा रखा है? यदि हां, तो किसने किया है और क्या वे काश्तकार भूमिहीन हैं? यदि हां, तो वे कहां-कहां के निवासी हैं?

(५) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों ने ट्रस्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा किया है, वे ट्रस्ट को ठेका नहीं दे रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? ठेका कब दिया गया और कितने-कितने रुपयों का ठेका दिया गया था?

(६) क्या यह सही है कि ट्रस्ट को ठेका नहीं देने से ट्रस्ट की आर्थिक दशा खराब हो गई है?

(७) क्या यह सही है कि ट्रस्ट की भूमि के ठेके का रुपया स्थानीय राजस्व अधिकारी वसूल करके अपने पास ही रख लेते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(८) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने ट्रस्ट की भूमि को मालगुजारी विस्वेदारी कानून के तहत अधिग्रहण कर ली है? यदि हां, तो क्यों?

(९) क्या यह सही है कि यह ट्रस्ट जनता की भलाई के लिए बनाया गया था? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा ट्रस्ट की भूमि ट्रस्ट के नाम से खारिज क्यों की गई?

उत्तर

जी हां यह सही है कि जिला गंगानगर में बाबा हरिद्वारीनाथ धर्मार्थ पब्लिक ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट दिनांक ४-१-६६को रजिस्टर्ड हुआ है। इसकी स्थापना दि० २१-१-६७ को २,१३४ बीघा भूमि पर हुई अब इस ट्रस्ट के पास १,८६८ बीघा भूमि ही है जो भी रिज्यूम हो चुकी है।

(२) जी, हां स्कूल चलाया जा रहा है। औषधालय धन न होने के कारण सन् १९६२ से बन्द है।

(३) इस न्यास का प्रधान श्री रतीनाथ चेला बाबा मलासीनाथ निवासी २ एम० एल० हैं और अन्य सदस्य ९ हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:—

१. श्री हरिश्चन्द्र निवासी गंगानगर
२. श्री डेडराम ,, ,,
३. श्री केशवानन्द ,, संगरिया

(देवस्थान मंत्री)

४. श्री देवनाथ निवासी २ एम०एल०
५. श्री कमलनाथ ,, ,,
६. श्री फूलनाथ ,, ,,
७. श्री भीमनाथ ,, ,,
८. श्री धर्मनाथ ,, ,,
६. श्री रामचन्द्र ,, हनुमानगढ़

(४) यह सही नहीं कि भूमि पर काश्तकारों ने नाजायज कब्जा किया है। इस ट्रस्ट की भूमि राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वादारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक १५-१-६० को पुनर्ग्रहण हुई है। भूमि जिस काश्तकार के कब्जे में थी उसी के कब्जे में रही और धारा ३० के तहत सीधा रेन्ट सरकार को देनेके काश्तकार अधिकारी हो गये।

(५) भूमि पुनर्ग्रहण हो जाने से दिनांक २५-१-६० से ठेका नहीं दे रहे हैं, ठेका पहले सन् १६५६-६० तक दिया गया। हर एक काश्तकार सालाना २५ बीघा के १०००) रुपया ठेका देता था।

(६) जी हां, यह सही है।

(७) अब कोई ठेका वसूल नहीं किया जाता है केवल राजस्व विभाग द्वारा लगान लिया जाता है।

(८) जी हां, एक भूमि राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वेदारी एबोलिशन एक्ट, १६५६ के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण की गई है।

(६) ट्रस्ट द्वारा रेवेन्यु रेकार्ड में भूमि खुदकाश्त में रखने का इन्द्राज नहीं कराने से वह काश्तकारान के नाम रही। इस प्रकार ट्रस्ट का नाम खारिज हो गया।

स्थगित प्रश्न

(24-3-70) (7-4-70)

अकाल राहत कार्य और राहत समिति की सिफारिशें

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अक्टूबर, १६६८ से अब तक किस किस जिले में किस किस प्रकार कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले गये और इनमें प्रत्येक पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(ख) इस अवधि में किस किस जिले में जिला अकाल राहत समित की कब-कब बैठक हुई ?

(ग) किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनकी जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई ? कृपया ऐसे कार्यों की तहसीलवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(घ) किस किस जिले में किस किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों ?

Page No 51

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(17-3-70) (7-4-70)

यात्री कर से आय

१८५. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बस यात्री कर से राजस्थान सरकार को प्रत्येक जिले में कितनी कितनी आय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्राप्त हुई है ?

(२) प्रत्येक जिले में इस प्रकार बस यात्री कर से प्राप्त होने वाली ऐसी आय किस रूट में कितनी कितनी प्रत्येक मास की १-४-६५ से ३०-९-१९६७ तक प्राप्त हुई हैं? इसके साथ साथ यह भी बताने की कृपा करें कि वह प्रत्येक रूट कितना मील लम्बा है तथा प्रति दिन कितनी बसें उस रूट पर जाती हैं तथा इन बसों में प्रत्येक में कितने कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है ?

(३) प्रत्येक जिले में कितनी बस रूट हैं एवं उन पर कब से प्रति दिन कितनी बसें चल रही हैं ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह सूचना तारीख १-४-१९६५से तारीख३०-९-१९६७ तक के समय तक की दिलवाने का कष्ट करावें ।

(४) किन किन परमिट होल्डरों में वर्ष ३१-३-१९६८ तक का यात्री कर अब तक बकाया पड़ा है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70) (7-4-70)

जिला जल बोर्ड के सचिव

९३. श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली) क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जिला जल बोर्ड कब से शुरू हुआ और इसके सचिव कौन कौन रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) इस सचिव को क्या वेतन व दीगर सुविधायें दी जाती थीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ? सब सचिवों की शिक्षा योग्ता क्या थी ?

(३) क्या जिला जल बोर्डों का आडिट कराया गया ? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या सदन में पेश की गई थी ?

(४) क्या यह सत्य है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी सन् १९५२ के आम चुनावों में हारे उनको यह स्थान दिया गया था ? राजस्थान में जितने बोर्ड के सचिव नियुक्त किये गये उनमें कितने चुनाव में हारे हुये थे और उनके नाम क्या क्या हैं और किस जिले के किस किस क्षेत्र से हारे थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(५) जल बोर्ड बूंदी के कार्य की

(श्री केसरी सिंह हाड़ा)

आडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कहां कहां के और क्यों ?

(६) क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड के नाम पर सचिव और दीगर कर्मचारी कांग्रेस का प्रचार करते थे ?

(७) क्या यह सत्य है कि ग्राम चड़ी, तहसील पाटन जिला बूंदी में एक कुआ बनाया दूसरे ने और जल बोर्ड ने अपना पत्थर लगा दिया और अपने कार्य में दर्ज करके पैसा खा गये ?

(स्थगित किया गया)

(१२ मध्याह्न)

श्री अमरसिंह दूदू भूतपूर्व सदस्य विधान सभा से सम्बन्धित न्यायालय में चल रहे मामले सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्री अमरसिंह दूदू, भूतपूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा, ने उनके वेतन से मकान किराये की काटी गई रकम की अदायगी हेतु न्यायालय मुन्सिफ, जयपुर शहर पूर्वी, जयपुर में रु० ६६८-८६ का दावा दायर किया है और इस दावे में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जिलाधीश, जयपुर, सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) जयपुर एवं सचिव, राजस्थान विधान सभा को पार्टी बनाया गया है। इस दावे के सम्बन्ध में दिनांक १९-२-७० को उपस्थित होने के लिये सचिव, राजस्थान विधान सभा का भी न्यायालय का सम्मन प्राप्त हुआ था। उस समय राजस्थान विधान सभा की बैठकें नहीं हो रही थीं अतः मैंने इस मामले से सम्बन्धित पत्रादि न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य आदि देने की अनुमति प्रदान कर दी थी जिससे कि न्यायालय द्वारा दी जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब न हो। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी आप व्यवस्था करिये, भूतपूर्व सदस्य स्वयं आते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। सचिवालय में कई बार आते हैं और वे कहते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० का क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेकर आयें और वह सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। कई मेम्बर्स जो ५२ से ६२ तक विधायक रहे हैं उनको भुगतान नहीं किया गया है। कई मेम्बर्स की ऐसी शिकायत है। मै चाहूँगा पी० डबल्यू० डी० को, वाटर वर्क्स को, विद्युत विभाग को लिखकर आपकी ओर से कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं कल सम्बन्धित मंत्री महोदय को बुलाकर स्थिति को सुधारने का प्रयास करूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पेन्डिग रखे गये थे वे निम्न प्रकार हैं :—

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का संस्कृत शिक्षा में विलीनीकरण के सम्बन्ध में श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि :राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के निदेशालय का विलीनीकरण संस्कृत शिक्षा विभाग में पूर्वापेक्षा अधिक कार्य करवाने एवं पुनः सृजन व पुन: विश्लेषण एवं गवेषण की शक्ति को जीवित रखने के उद्देश्य से किया गया है। साथ में राजकीय मितव्ययता को भी ध्यान में रखा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने लूणकरणसर में राजस्थान नहर के अधिकारियों द्वारा लोगों को रिहायशी जमीन से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि केवल उन्हीं आसामियों को कब्जे से बेदखल किया गया है जिन्होंने जांच के समय बयानों में बताया कि उनके पास किसी प्रकार का सबूत नहीं है और न वे किसी को किराया अदा करते हैं। जो कब्जे बिल्कुल नाजायज थे उन्हें ही नियमानुसार कार्यवाही करने के बाद हटाया गया है। काजियों के मोहल्ले में किसी आसामी का कब्जा नहीं हटाया गया है। पंचायत द्वारा जिन आसामियों को राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत कोलोनी क्षेत्र घोषित होने के पश्चात जो पट्टे दिये गये हैं उन आसामियों को नोटिस दिये जाकर नियमन कार्यवाही चालू है। किसी भी व्यक्ति का मकान व बाड़ा नहीं हटाया गया है। पंचायत के निर्णय के अनुसार स्टेशन के पास का स्थान सार्वजनिक रहेगा। अत: जो होटलें स्टेशन के पास हैं उनके कब्जे नाजायज हैं। वे किसी को किराया नहीं देते हैं। इनके सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है। अभी इनको हटाया नहीं गया है।

राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में श्री गोकुल प्रसाद, सदस्य विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में अवैध भूमि आवंटन की कई शिकायतें थीं और इसलिए राज्य सरकार ने उपनिवेशन मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी द्वारा प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है जिसके फलस्वरूप कुछ मामलों में भूमि पर फसल कुर्क की गई ताकि अवैध रूप से काश्त करने वाले लोग उसको काट कर न ले जावें। अब तक की गई कार्यवाही नियमानुसार है।

गान्धी जन्म शताब्दी वर्ष में कुछ हरिजन कर्मचारियों की राज्य सेवा से मुक्ति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार द्वारा जो उत्तर भेजा गया है उसमें यह बतलाया गया है कि पूर्व में जारी किये आदेशानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के नियुक्त कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी और वे समावेश के पात्र होंगे। यदि उनकी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिये नहीं की गई है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवी दत्त गाड़िया, श्री बाल सिंह सोढ़ा, श्री केशरी सिंह हाड़ा, श्री विजयसिंह मकराना, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री प्रेम सिंह सिंघवी व श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य विधान ने भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बजट में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि ४०० अमीन, ५५ निरीक्षक सरप्लस घोषित किये गये थे उनमें से १५० अमीनों को नियोजित किया गया है तथा अमीनों एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों के काफी पदों को सृजन जिला अजमेर में भूमि के ट्रेसपास को नियमित करने, कनाड़ा व बजाज सागर की डूब में आने वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किये जाने व भू-अभिलेख को सुधारने के लिये किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जब तक सरप्लस घोषित व्यक्तियों को कहीं नियोजित नहीं किया जायेगा तब तक उन्हें मुख्यालय पर रहने के निदेश दिये गये हैं और उन्हें वेतन यथावत मिलता रहेगा।

उपरोक्त दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित और भी पेन्डिग स्थगन प्रस्ताव है :

श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा ने विजयनगर की राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक के कत्ल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना थी।

श्री देवी दत्त गाड़िया, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री पृथ्वीसिंह व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में ओला-वृष्टि से फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने तहसील रायसिंह नगर में गंग केनाल की शाखा में पानी बन्द हो जाने से ६ गांवों की जनता को पानी न मिलने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अलवर नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने खंडेला के बाजार में बहनेवाली नदी पर निर्माणाधीन बांध के कार्य को रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री रामकिशन व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हनुमानगढ़ डिवीजन के मजदूरों की छंटनी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

ग्राम कोंकाणी, थाना लूणी व जोधपुर

Page No 55

(श्री अध्यक्ष)

के राजपूत होस्टल के कुछ छात्रों द्वारा हरिजनों पर हमला करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी।

श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से बीकानेर नगर परिषद के हरिजन कर्मचारियों द्वारा १५ दिन से हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्तान की सूचना प्राप्त हुई थी।

बीकानेर जिले में अकाल भत्ता दिये जाने में भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य, व श्री मेघराज पंवार, सदस्य 'विधान सभा से प्राप्त हुई' थी।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा कुछ स्थगन प्रस्ताव, और भी प्राप्त हुए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

श्रीमती कान्ता कथूरिया, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर में दिनांक २४ मार्च, १९७० से हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से भी पूर्व में प्राप्त हुई थी और उसे प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

दूसरे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्रीमती कान्ता कथूरिया, सदस्या, विधान सभा से प्राप्त हुई हैं। पहला स्थगन, प्रस्ताव अभावग्रस्त क्षेत्रों के जो लोग राजस्थान नहर क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी स्थिति सुधारने से सम्बन्धित है तथा दूसरे स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध राजस्थान नहर क्षेत्र में ऊंट गाडों को काम न मिलने से उत्पन्न स्थिति से है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें चेयरमैन होलसेल भण्डार, निवासी सुजानगढ़ द्वारा किसी हरिजन के मकान में रात्रि को नाजायज तौर पर प्रवेश करने आदि की शिकायत की गई है।

श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने बीकासर तहसील के दो गांवों के लोगों को अकाल सहायता के रूप में दी जाने वाली १२.५० रुपये प्रति व्यक्ति की राशि प्राप्त न होने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने अजमेर में पेयजल के संकट के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः मैं इन्हें

(श्री अध्यक्ष)
सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

ऊपर बतालए गए स्थगन प्रस्तावों के अलावा दो और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं :—

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना गंगानगर सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के संबंध में श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक १२ अप्रैल १९७० को कस्बा नापासर में गुंडों द्वारा कुछ हरिजनों पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से आज शाम तक जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर ही इन पर निर्णय लिया जाकर समय अवशेष रहने पर ही मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, अभी नापासर में गुण्डागर्दी····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं अभी खड़ा ही हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के माननीय सदस्य श्री जयनारायण व्यासोदिया के द्वारा कोई टोंक उप-चुनाव के सम्बन्ध में स्थान प्रस्ताव की सूचना आपको दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्व का विषय है···

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मुझको ऑफिस न समझा जाये, सचिवालय न समझा जाये—यह मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : न सचिव समझा जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी तक सचिवालय का काम करता रहा पर अब नहीं करूंगा......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परम्परा टूट जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इसको तोड़ देना चाहता हूँ आज से।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सचिवालय में तो आप बड़े दुख पाये। हमें हमदर्दी है।

श्री अध्यक्ष : आखिरी दिन में हमदर्दी हो जाये तो फिर क्या बात है। मैं मौन भी रह सकता हूँ लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में दरयाफत किया है। मुझको एक स्थगन प्रस्ताव मिला है आरम्भ होने से कुछ समय पूर्व ही। उस पर मैं लिख भी नहीं पाया कि जानकारी प्राप्त की जाये लेकिन फिर भी मान लिया जाये कि जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाना सम्भव है।

Page No 57

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था तो नहीं हो चुकी........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं दो शब्द इस संबंध में कहना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आसन की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह लोक महत्व का प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष : वह है। मैं प्रयास करूंगा कि जानकारी प्राप्त हो......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चुनाव किस तरह से होते हैं, उप-चुनाव किस तरह से होते हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय। मैं भी इस सदन का अन्तिम खादिम हूं जो खड़ा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, रहा नहीं जाता। वैसे मैं बहुत ठंडा हूं लेकिन कभी उग्रता उत्पन्न होती है जब घोर अन्याय होता है। ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खादिम कहा या खाविन्द।

श्री अध्यक्ष : खाविन्द आप समझलें तो वह भी अच्छा है मेरे लिये। मेरा स्तर बढ़ जाता है उससे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली और आगरा नेशनल हाइवे को मिलाने वाली जो बाईपास बन रही है और उस पर ८० फुट बाई ५०० फुट पर ईदगाह वालों ने एन्क्रोचमेन्ट किया हुआ है उसके सम्बन्ध में मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने कहा था कि जानकारी प्राप्त की जा रही है। वह जयपुर के अन्दर स्थान है और जयपुर के अन्दर ही चीफ इन्जीनियर हैं......

श्री अध्यक्ष : हां, इस पर भी व्यवस्था दे दूं।

श्री श्रवणलाल : मैंने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी थी वह १०॥ बजे के आस-पास दी थी.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल, आईदानसिंह, पृथ्वीसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया ने दिल्ली, आगरा नेशनल हाइवे बाईपास का कार्य निर्माणाधीन है लक्ष्मण डूंगरी पानी की टंकी के पास सड़क चौड़ी करने हेतु जमीन अवाप्त की गयी थी वहां पर ईदगाह वालों ने ईदगाह की सीमा को बढ़ाकर ८० फुट बाई ५०० फुट की अपने कब्जे में कर ली है इत्यादि इत्यादि। जानकारी मैंने इस संबंध में प्राप्त की है जिससे यह लगता है कि मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है अतः मैं उसे अस्वीकार करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय,

Page No 58

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

यह ठीक है कि आपने इसको अस्वीकार किया है लेकिन जहां तक प्रश्न है नेशनल हाइवे को मिलाने वाली बाईपास रोड के ऊपर भूमि को अवाप्त करके केवल इस दृष्टिकोण से कि सड़क चौड़ी की जाये और मुआवजा दे दिया गया और उस जमीन के ऊपर ८० फुट बाई ५०० फुट जो लगभग ४००० स्क्वायर फुट होती है, उसका कितना मूल्य हो सकता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर है सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर है, चीफ ईदगाह वालों ने कब्जा कर लिया और यहीं इन्जीनियर है। उनको शिकायत की गयी और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। साथ ही सबसे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती कि संबंधित मंत्री महोदय के इशारे के ऊपर ईदगाह का एक्सपान्शन हो रहा है......

श्री अध्यक्ष : मैं इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। चूंकि उस पर विचार नहीं हो सकता लेकिन अपवाद स्वरूप इसको लेता हूं। वैसे मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : टोंक उप-चुनाव के संबंध में भी...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री): मैं पढ़ दूं स्टेटमेन्ट को।

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़ दें। उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जयपुर के मुसलमानों ने श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर को दिनांक २३-१०-६८ को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ईदगाह के लिये जगह कम पड़ती है और ईदगाह पहले ही छोटी है। ईद की नवाजों की सफहें सड़क तक चली जाती हैं और जो कुआ इत्यादि एक्वायर किया है उसको ईदगाह वालों को दिलवाया जावे।

इस पर मैंने अध्यक्ष नगर विकास न्यास, जयपुर और अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड प्रथम, जयपुर के साथ मौके का दिनांक २-११-६८ को निरीक्षण किया और वहां की जनता को यह आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

बाईपास के दोनों ओर १५० फुट भूमि अवाप्ति करनी थी परन्तु ईदगाह होने के कारण इस तरह ११५ फुट जमीन ही दी गई ताकि ईदगाह की जमीन बच सके। इस जमीन के आगे जो जमीन आती थी वह अन्य व्यक्तियों की निजी थी जिसको अवाप्त कर दिया गया और उन्हें मुआवजा भी दे दिया गया। कुआ और हौज जो नवाज पढ़ने वाले अपने काम में लेते हैं उस प्राईवेट जमीन के अन्दर ही आते हैं। जमीन का मुआवजा दे दिया गया था परन्तु कुआं इत्यादि का नहीं दिया गया ताकि वहां के

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

लोग इन्हें काम में लाते रहें। एक नक्शा संलग्न है जिसमें ईदगाह और कुआ इत्यादि और जो जमीन जो ईदगाह ने अपने कब्जे में कर ली है दिखाये गये हैं।

मार्च के पहले हफ्ते में ईदगाह के प्रबंधकों ने सड़क की सेन्टर लाईन से ३५ फुट हटकर दीवार बनाना आरम्भ कर दिया और कुआ इत्यादि को कम्पाउण्ड के अन्दर ले लिया। जिन लोगों की जमीन ईदगाह सड़क के बीच में आती थी उन्होंने मुझे लिखित में दे दिया था कि वह यह जमीन ईदगाह को देने को तैयार हैं और सरकार ने जो मुआवजा उन्हें दिया है वह वापिस लौटाने को तैयार हैं।

इस संदर्भ में यह लेख है जयपुर बाईपास के आगे आमेर बाईपास में सिर्फ २०० फीट जमीन ही अवाप्त की गई है ताकि अवाप्ति का मुआवजा कम रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बाईपासों पर २०० फुट से ३००'फुट जमीन की मांग सीमा (रोड़ बाउन्ड्री) रखने का प्रावधान है। ईदगाह को ८० फीट जमीन देने के बाद भी, जयपुर बाईपास में विभाग के पास २२० फीट जमीन रह जाती है, जो कि न्यूनतम आवश्यक से २० फीट अधिक है।

ईदगाह को देने वाली जमीन का क्षेत्रफल करीब एक बीघा होता है, इसका मुआवजा करीब ३०० रुपये जो कि विभाग द्वारा दिया जा चुका है, वापिस ले लिया जायेगा।

इसमें ऐसी बात है कि हमें लाजमी तौर पर यह ख्याल रखना पड़ता है कि वह मन्दिर हो या मस्जिद हो उसका एक ख्याल ध्यान रखा जाये। २०० से ३०० फुट की जमीन इसके लिए दी जा चुकी है इसी बाईपास के ऊपर यहां पर ३०० फुट चौड़ी जमीन एक्वायर की गयी है तो आगे जाकर २०० फुट जमीन भी की गयी है। इसका मतलब यह है कि इसके अन्दर अड़चन आती इसका फार्मेशन है अपनी जगह पर है और फार्मेशन से १६ फीट परे जाकर ईदगाह की कम्पाउन्ट वाल शुरू होती है इसलिए हमें इस नजरिये से देखना चाहिए कि हमारे फार्मेशन में तो हर्ज नहीं पड़ता है। इसके फार्मेशन में हर्ज नहीं पड़ता है, बल्कि फार्मेशन से चलकर और भी जमीन हमारे पास रहती है। इस चीज को मद्दे नजर रखकर नहीं देखना चाहिए कि कोई ईदगाह आ जाती है या मन्दिर आ जाता है। हमारे लिए मुनासिब चीज हमारी जरूरत थी। इससे अधिक जमीन मौजूद है। तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। आपको, मुझको और सदन के हर शख्स को लिहाज करना चाहिए कि मन्दिर की जमीन आती तो क्या करते, गुरुद्वारे की जमीन आती तो क्या करते। अगर कोई जमीन आजाती है और उसके बगैर काम नहीं चल सकता है तो लेते हैं।

श्री मदनसिंह : ऐसी अड़चन भी आती है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष

Page No 60

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

महोदय, इसमें दो-तीन सवाल होते हैं जानकारी के।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता है कि मैंने इसको अस्वीकार किया है। मैंने केवल स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है अपवाद स्वरूप इसका अर्थ यह नहीं कि जैसे मैंने स्टेटमेंट देने के लिए यदि कह दिया तो उस पर स्पष्टीकरण आप मांगते रहेंगे। यह नहीं हो सकता है। अपवाद स्वरूप स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्थगन-प्रस्ताव की जो मन्शा है वह कुछ रूप से पूरी हो जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रोड़वेज के क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स ने आब्जेक्शन किया है कि जमीन अवाप्त की गई है और अवाप्त करके भी मुआवजा दिया है। ईदगाह की जमीन थी तो निर्माण नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का प्रश्न है। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन क्लेरिफिकेशन का होना चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जायगी। जिस लैण्ड को एक्वायर किया गया है वह ईदगाह की जमीन थी क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ईदगाह की भी थी और दूसरों की भी थी।

श्री भैरोंसिंह : वापस रेस्टोर की वह जमीन ईदगाह की थी और ईदगाह की नहीं थी तो आज तक भी काम चलता था और उन्हें भूमि देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुआवजा दिया गया क्योंकि ईदगाह के नुमायन्दे ज्यादा जमीन बढ़ाने जा रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव ओलावृष्टि के सम्बन्ध में था और आपने आश्वासन दिया था कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में……

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि टोंक के उप-चुनाव में माननीय गृहमंत्री जी जाकर विराजमान हैं और उन्होंने मरे हुए आदमियों का नाम लिखवा कर…

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, यह एक्स-पार्टी स्थगन-प्रस्ताव है। मैंने जैसा कि निवेदन किया, माननीय नेता महोदय, प्रतिपक्ष दल…

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : चुनाव में जीतने की हर कोशिश की जा रही है। मेरे सामने सम्मानीय व्यक्ति बैठे हुए हैं…

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जानकारी प्राप्त करके आज ही पेश कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अगर ये इस तरह नहीं करते तो इनकी संख्या आज ६० ही नहीं होती…व्यवधान…इस तरह से उप-चुनाव होता है। यह उप-चुनाव

Page No 61

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

नहीं है घोर अन्याय है। इसका हम विरोध करेंगे...व्यवधान...

श्री अध्यक्ष : लेकिन माननीय नेता महोदय, आज ही यह मेरे पास स्थगन-प्रस्ताव आया है। मुझको आप समय नहीं दे रहे हैं कि जानकारी प्राप्त करूं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न के ऊपर मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि गत चुनावों में...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है... यह क्लियर कट परम्पराओं को लगातार नेता महोदय (महारावल के लगातार बोलते रहने पर) अपने पैरों तले ही यह हाल है तो अच्छा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: ...महाराजा सवाई मानसिंह जी के लिए कहा गया है कि यह मुसलमानों के शत्रु हैं, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय नेता महोदय,...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो लोग हिन्दू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों अपने दो चश्मों के मुताबिक मानते हैं...

श्री अध्यक्ष : (हताश होकर) क्या किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार से...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, विपक्षी दल में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और आप उससे पहले ही तथ्य रख रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकारी पक्ष से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है (...व्यवधान) आपको चुनाव लड़ना है तो मेरे खयाल में चुनाव की व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया, माननीय नेता महोदय।

मरारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय गृहमंत्री जी ने मरे हुए लोगों का वोट दिलाने का घृणित कार्य किया है वे ही वहां अब अव्यवस्था कर रहे हैं अपने लड़के को चुनाव जिताने के लिए...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(सदन में दोनों पक्ष की ओर से कोलाहल)

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, यह हार की भूमिका बनाई जा रही है अभी से।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डूब मर जाना चाहिए एसी बात पर...

श्री अध्यक्ष : अङ्कित नहीं किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह अधिकृत पार्ट नहीं है इसलिए कोई भी अंकित नहीं होगा।

× × × अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

कई माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : यह मेरे ख्याल की भूमिका है। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

कई सदस्य : (एक साथ) ×××

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आज आपके वाक आउट करने का मौका है।

श्री अध्यक्ष : मैं शायद यह मौका ले लूं। अबकी बार आपकी सम्मति लेकर ही वाक आउट करूंगा। बाकी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह सम्मति बहुमत से होगी।

श्री जगन्नाथ पटेल : (सदन में अत्यन्त कोहराम होने के कारण अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : देअर केन नाट बी एनी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इन अपरोर। (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) गाड़िया जी ! श्री गाड़िया ! अंकित न हो कुछ भी। (श्री जगन्नाथ पटेल के बोलते रहने पर) आपका भी अंकित नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष अपने पैरों पर हो तब कोई खड़ा न हो और न कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर एराइज होता है।

श्री पृथ्वीसिंह : हम चाहते हैं···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अभी मैं स्थान ग्रहण कर लेता हूं फिर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इत्मिनान से आप उठायें।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्य····

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि सदस्य आसन की मदद करें।

अध्यक्ष महोदय हो सकता है कि चुनावों को लेकर···

श्री मूलचन्द डागा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है इसमें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बैठे बैठे बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप एकदम कह दें।

श्री मदनसिंह : पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में जब अध्यक्ष ने आदेश दे दिया है तो उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं होना चाहिए और इस तरह से आप करेंगे, अध्यक्ष महोदय,

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदनसिंह)

तो दूसरे भी सदस्य इस तरह से हो हल्ला करते रहेंगें।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल वाजिब है पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री बालसिंह सोटा (जैसलमेर) : मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार इस सदन में…

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिल्कुल वाजिब है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भोंपू…

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह सदस्यों की मर्जी है….

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को कहने दीजिये, माननीय श्री विजय सिंह जी !

श्री विजयसिंह : हमको भी मौका दिया जाय। यह हमारे आड़े आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : हटाये देता हूं मैं अभी।

श्री मदनसिंह : आज असेम्बली में काफी मौका मिलेगा उस वक्त भाषण कर सकते हैं। यह पहला मौका आया है, मैं समझता हूं जब अध्यक्ष महोदय ने इस सदन के सदस्यों को विनती की है और हाथ जोड़ कर सदन के सदस्यों को सुनने के लिए फर्माया है। आप यह आशा करते हैं कि जो कोई भी बोले तो बोलता ही चला जाय और हल्ला होता रहे, इधर से भी हल्ला होता रहे, मैं समझता हूं, यह सदन की परम्परा के खिलाफ है। विरोधी दल के नेता काफी कह चुके हैं।

श्री विजयसिंह : आपको हक नहीं है समझाने का। आपने कोई समझाने का ठेका नहीं ले रखा है।

श्री मदनसिंह : आपका भी ठेका नहीं है। मेरा ठेका नहीं है तो आपका भी ठेका नहीं है। आपके नेता बोल चुके थे…

श्री विजयसिंह : फिर बोलेंगे। आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री रामकिशन (वर) : आज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग का मामला आज है।

श्री मदनसिंह : हमें मालूम है, आप कितने वफादार हैं, यह मालूम है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप डराओ मत !

श्री मदनसिंह : मैं डराने की चिन्ता नहीं करता हूं। उनको बोलने का हक है….

श्री विजयसिंह : आपको बोलने का हक है तो हमको भी बोलने का हक है।

श्री मदनसिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय के आदेश के बाद….

श्री विजयसिंह : आप यह नहीं कह सकते हैं। हम बोलेंगे।

श्री मदनसिंह : कह सकता हूं, मुझे हक है।

Page No 64

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

श्री मदनसिंह : रूल्स में साफ लिखा है इसलिए मुझे बोलने का हक है। मैं यह कहूंगा कि मुझे हक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विजय सिंह !

श्री विजय सिंह : इससे तो आप धोली टोपी पहन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विजय सिंह।

श्री मदनसिंह : आपको लोग जान चुके हैं, मैं आपको खूब जानता हूँ। आप ही हैं जो स्वतंत्र पार्टी के महाराज कुमार को हरा कर भाग गये वहां से।

श्री विजयसिंह : इतना ही है....

श्री अध्यक्ष : नियंत्रण !

श्री मदनसिंह : आप महाराज कुमार को हरा कर भाग गये। जयपुर के महाराज कुमार को धोखा देकर चले गये।

श्री अध्यक्ष : मै चाहता हूं...

श्री विजय सिंह : यह तो मैं कहना नहीं चाहता, माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं....

श्री मदनसिंह : वह आ जाय, वह तो बहुत....

श्री आईदानसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री विजयसिंह : दामोदरलाल जी की तरफदारी आप कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आर्डर !

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर दूं, आज का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, मुख्यतः सीलिंग का, जिसके लिए सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो और मैंने भी यह संकल्प ले रखा है कि यह विधेयक पारित हो, यदि...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : बीच में ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का पूर्णतः सहयोग, बिना विक्षोभ के प्राप्त होता रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भूमिका इसके लिए बनाई जाय....

श्री भैरोंसिंह : बना रहे हैं आप तो।

श्री अध्यक्ष : यह सीधा सा प्रश्न है, इसको ले लिया जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, परम्परा को नहीं तोड़ना चाहिए। परम्परा के अनुसार आपको जाना है क्योंकि हमेशा से जब से यह विधान सभा का सेशन शुरू हुआ है तब से यह परम्परा रही है....

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपकी परम्परा को, जो बराबर चालू है....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप भागते हुए

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नजर आते हैं और ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से इशारा होता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : आज भी यह मालूम होता है....

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : उसकी यह भूमिका है....

श्री अध्यक्ष : मार्शल ! तैयार हो !

श्री रामचन्द्र आर्य : हम नहीं चाहते हैं कि परम्परा टूटे। परम्परा का महत्व है....

श्री अध्यक्ष : इन तक पहुंचे।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : पूरे सत्र से कम में कम सब बातों पर विचार हो....

श्री अध्यक्ष : फिर मैं आपसे कैसे कहूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्र थोड़े दिन चले और चलना चाहिए। लेकिन आप यह नहीं चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सदन ज्यादा नहीं चलता है यह इसलिए नहीं चलता है क्यों कि सरकार नहीं चाहती है....

श्री अध्यक्ष : अब मैं ऊपर खड़ा हो जाऊं क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए आज कोई न कोई बहाना तलाश कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अब क्या तरीका रहा है?

आर्डर प्लीज ! देखिये ! माननीय श्री आर्य ! मैं सहयोग की इच्छा रखता हुआ माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। आज सीलिंग का प्रश्न है। मेरी परम्परा तो बहुत कम मिलेगी, अधिक नहीं लेकिन आप भी मागते रहे हैं। मैं तो यहां आपका आक्रोश सहता हुआ फिर भी अब तक सदन चलाता रहा हूं लेकिन आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो निर्देशन है, आपका जो व्यवहार है, जितने भी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम हैं उनको न मालूम आपने किस ढंग से नोचा है—यह सदन ही जान सकता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अन्तिम दिन कम से कम....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं तो हमेशा आपके आदेशों का पालन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैंने आपके व्यवहार को अपवाद के रूप में इसलिए रखा कि सदन का कुछ मनोरंजन आपके व्यवहार से होता रहता है। इसलिए आपको अपवाद के रूप में रखा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा यह कहा जाना शासन को शोभा नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : शोभा नहीं देता, लेकिन मेरी परेशानी यह रहती है····

श्री दौलतराम सारण : अगर नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं तो आपको कार्य-वाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही नहीं करना चाहता रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन इस तरह की बात आसन की तरफ से किसी भी माननीय सदस्य के लिए नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जब उन्होंने कहा तब आपने आपत्ति नहीं उठाई कि 'अध्यक्ष महोदय यहां से भागते हुए नजर आते हैं।' यह कहा तब आपने आपत्ति क्यों नहीं उठाई, उस वक्त आपको आक्रोश क्यों नहीं हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : आक्रोश बराबर होता है····

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि मैं कदम उठाऊं, किन्तु मैं नहीं चाहता कि किसी तरह····

श्री दौलतराम सारण : इस तरह की बात आसन की तरफ से नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किसी तरह का कदम उठाऊं। मैं धैर्य से काम करता रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप चाहें जिस एंगल से कहते रहें। मैं माननीय आर्य से निवेदन करूं कि कुछ घण्टों के लिए····

श्री दौलतराम सारण : इसका कोई प्रसंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कुछ घण्टों के लिए व्यव-धान नहीं पहुंचायें ताकि कुछ बिजनेस चले।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नापासर के हरिजनों····

श्री अध्यक्ष : देख लें। कहां तक सहन करेंगे आप ?

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों के ऊपर पुलिस के····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : क्योंकि अध्यक्ष पैरों पर है।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य फिर भी पैरों पर हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : और यह अनधिकृत भाषण है इनका !

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : इनका भाषण अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : यह परिचय है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अब क्या किया जाय। स्थान ग्रहण करे, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो !

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : चलो। आगे चलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तार आया है, इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं, सदन में पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो !

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय ! पढ़ा हुआ भी अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

कुछ माननीय सदस्य : शेम !

श्री अध्यक्ष : शेम कहां है ! अंकित नहीं हो रहा है। शेम कह रहे है आप।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें आप, माननीय सदस्य ! श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : यह विधान सभा का रेकार्ड है।

माननीय श्री आर्य।

विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब (श्री रामचन्द्र आर्य) बैठ जायेंगे। यहां पर आगे आप कोई बिजनैस लें, उससे पहले मैं आपका ध्यान रूल १५७, १५८, १५९, १६० और १६१ की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं रेस्ट ले लेता हूं ?

१५७ से लेकर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल १५७ से लेकर १६१ तक। यह बिजनेस की टॉप

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रायोरिटी का मेटर होता है, उसमें प्रिविलेज मोशन टॉप प्रायोरिटी का मेटर होता है। जो प्रिविलेज मोशन की सूचना मैंने आज से लगभग २५ दिन पूर्व आपको दी थी। उसके सम्बन्ध में मैंने सदन में भी कई बार जानकारी चाही थी तो आपने फरमाया था कि आप उसकी जांच कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि प्रिविलेज के मोशन्स को पेंडिंग रखा जाना उचित नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वह प्रिविलेज मोशन एक तो यातायात मन्त्री अमृतलालजी के विरुद्ध और दूसरा राज्य मन्त्री श्री मनफूल सिंहजी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नियम १५७ से १६१ के तहत आप उन प्रिविलेजेज मोशन्स को रखने की मुझे अनुमति दें और उनको प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर करें।

अमृतलालजी के बारे में आपने कहा था कि मैं रसीद की जानकारी कर रहा हूं। यातायात मंत्री के विरुद्ध यहां सदन में १५,००० की रिश्वत लेने का सवाल उठाया गया था। मुख्य मंत्री ने भी अखबारों में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि यदि इस प्रकार के तथ्य सामने आयेंगे तो जांच की जायगी। मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों में भी इस प्रकार की चर्चा है और जिस रसीद का हवाला दिया गया इस सदन में एवं कांग्रेस पार्टी के जिन सदस्यों का जिक्र किया गया था उस रसीद की जानकारी के बारे में, उस सम्बन्ध में उनसे जानकारी कर ली गई है। मुझे जानकारी मिली है इस सदन के और भी माननीय सदस्यों को, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को जानकारी है, इसकी कांग्रेस के मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने भी इस बात की पुष्टि की है, २० हजार रुपये की रिश्वत लेने का यातायात मंत्री ने ट्रान्सपोर्ट के मामले में ट्रान्जेक्शन किया है, मुझे यह जानकारी भी मिली है कि दूसरे मंत्री ने उन्हें इन्कार किया कि इस मामले में २० हजार की रिश्वत नहीं लेनी चाहिये, लेकिन दूसरी पार्टी इसमें इन्ट्रेस्टेड थी, उसने यातायात मंत्री को १५ हजार की रिश्वत दी.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा कि एक मंत्री ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यातायात मंत्री ने १५ हजार की रिश्वत ली, उस मामले की जानकारी होने के बाद यह मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए। प्राइमाफेसी केस तो बन गया जब श्री मोहन मोदी ने यातायात मंत्री पर यह आरोप लगाया और कहा कि उन्होने स्वयं ने वह रसीद देखी है कि यातायात मंत्री ने १५ हजार की रिश्वत ली, और शीशराम जी पूनियां के पास वह रसीद होनी कही जाती है। तो ईमानदारी से मुख्य मंत्री जी को जानकारी...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तो श्री रामचन्द्र को खड़ा कर दूं, आप हाउस में उन्हीं के वश में आते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमने कानून पास

×अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 69

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया है, लॉ पढ़ा है इसलिये आपके कहने से बैठ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त है, फिर मेरे पास व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपने दूसरा बिजनेस क्यों लिया ?

You have taken another business. You should have taken my motion first.

श्री अध्यक्ष : That is not compulsory for me. That depends upon my discretion. बिजनेस लेना न लेना that depends uponmy discretion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें प्रक्रिया यह है कि क्वेश्चन ग्रावर के बाद प्रिविलेज मोशन हो तो प्रिविलेज मोशन को लिया जाय, उसके बाद में और बिजनेस लिया जाता है।

मैं यहां कोई नियमों को पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ हूँ पर प्रिविलेज मोशन टोप प्रायोरिटी का मैटर है और टोप प्रायोरिटी के मैटर को और बिजनेस से पहले लेना चाहिये। आज हाउस एडजर्न हो रहा, फिर हाउस प्रोरोग हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण कर दूं···

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने आसन की ओर से व्यवस्था दी थी कि किसी के खिलाफ आरोप तभी दे सकते हैं जब कि पहले अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी। वित्त मंत्रीजी के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, आप को लिखकर दिया है, एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी है और श्री मथुरादास जी माथुर ने खुले तौर पर सत्ता का दुरुपयोग किया है, हमने लिख कर दिया है आप आज ही व्यवस्था देवें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप हमारा मुंह बन्द कर देना चाहते हैं···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : सदन में आरोप नहीं लगाने देते और लिख कर देते हैं तो उस पर आप व्यवस्था नहीं देते हैं। आज सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायगी और मथुरादासजी माथुर यहां से बच कर निकलेंगे। उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं। दो दिन और हाउस का समय बढ़ा दिया जाय। आप ईमानदारी से इस प्रश्न पर बैठ कर व्यवस्था देते नहीं तो आपकी मर्जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अभी अमृतलालजी यादव के संबंध में, उस रसीद का कहा गया और यह भी कहा गया कि मैंने इस सम्बन्ध में अखबार में वक्तव्य दिया था, यह सच नहीं है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर पहले व्यवस्था देनी चाहिये। बाद में इसे लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस समय यहां मोहनलालजी मोदी द्वारा सवाल उठाया गया था तो मैंने कहा था कि रसीद हो तो सदन में पेश कर दी जाय, वेग एलीगेशन्स इस प्रकार के नहीं लगाये जाने चाहिये। मैं समझता हूं आप स्वयं....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने दबाया, इस वजह से पेश नहीं की, आपने पार्टी का मामला बना कर दबाया है, इसलिये वह पेश नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं तो कोई कारण नहीं था पेश नहीं करने का क्योंकि उन्होंने हाउस में चैलेंज किया था। पार्टी में बैठ कर एक सदस्य को इस प्रकार दबाया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो, माननीय अध्यक्ष, उसके बाद इस सदन में आज की तारीख तक अब तक वह रसीद पेश नहीं की गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब तक आप रहेंगे यही करते जायेंगे, नंगी तलवार इनकी गर्दन पर लटका रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रसीद के बारे में कहा था कि शीश रामजी के पास है, उनकी जानकारी में वह रसीद है, मैंने शीशरामजी से जानकारी की तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई रसीद जैसी बात नहीं है। मैं समझता हूं जब एक चीज स्पष्ट हो जाती है तो उसके सम्बन्ध में कोई आर्ग्यूमेंट उठ जाय, किसी की तरफ से उठ जाय, आज यह कहकर चला जाय कि उस पर चर्चा नहीं चली, तो रसीद तो इस सदन में आनी चाहिये थी। आखिर कोई एलीगेशन इस तरह दे रहे हैं तो रसीद आनी चाहिये ताकि उस पर कार्यवाही हो जाय। तो यह समझ कर नहीं चलें कि कह दिया और पूछा नहीं, शीशरामजी पूनियां से पूछा है कि रसीद है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं है तो मैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा उन्होंने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक मैं जानना चाहूंगा कि अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मन्त्रिमण्डल में से एक मन्त्री हैं, मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य ने कहा कि इस प्रकार की बात हुई है, हमारी जानकारी में है। मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समझता हूं यह भ्रम जिस प्रकार रसीद की बात कह कर पैदा किया गया, उसी प्रकार यह कह कर और भ्रम पैदा किया जा रहा है। माननीय सदस्य एक काफी जिम्मेदार सदस्य हैं, वे मन्त्री का नाम बता दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि रसीद किसको दिखाई जाय, किसके सामने प्रस्तुत की जाने वाली है। प्रश्न यह है कि हाउस में आरोप लगाया गया अमृतलाल जी ने उसी समय प्रतिरोध किया, पर आरोप लगा था। मुख्य मन्त्रीजी ने प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कही थी। आज उस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इन्होंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी, विशेषाधिकार का प्रश्न है, मुख्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट दे दिया, यह तो कोई बात नहीं। रसीद किसके पास थी, किसने देखी, यह ऐसी समस्या है जिस पर कोई माननीय सदस्य वास्तव में ईमानदारी से कुछ कहेंगे तो विवश होकर कहना पड़ेगा कि रसीद देखी। अब प्रश्न आता है कि विधान सभा में रसीद को किस प्रकार से लाया जाय? इस संबंध में किस प्रकार से एन्क्वायरी हो, यह मामला जब विशेषाधिकार समिति के पास जायगा तो अपने आप वहां लोगों के बयान होंगे कि उन्होंने रसीद देखी थी या नहीं, किसी ने रसीद दिखाई थी, इस रसीद को किस प्रकार से एग्जामिन किया गया था, सब चीजें सामने आयेंगी। सदन के सामने आने का कोई मतलब नहीं है। इसलिये प्रश्न उठाया गया है कि विशेषाधिकार समिति को यह सवाल सुपुर्द किया जाय ताकि दोनों पक्ष सामने आएं। यदि रसीद थी तो अमृतलाल यादव उत्तर देंगे कि नहीं थी तो मोहनलाल जी मोदी उत्तरदायी होंगे। इसलिए प्रश्न डिसाइड करना है विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का। इसलिए इस प्रश्न को डिसाइड करें।

श्री मोहनलाल मोदी : इस रसीद के मामले में जिस समय प्रश्न उठा था, उस समय मैंने कहा था कि थर्ड आदमी के पास है और शीशराम पूनिया ने रसीद दिखाई थी और जब शीशराम पूनिया ने रसीद दिखाई, वह बात मैंने आपके समक्ष आपके चेम्बर में आकर उनसे रूबरू इस बात का इकबाल कराया कि रसीद दिखाई थी। तो अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो मैं साबित कराऊंगा, यह मामला बिल्कुल सही है। वही रसीद बहुत से माननीय सदस्यों ने देखी है, इस समय भी सदन में मौजूद हैं···

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अब स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया, वह उसका सबूत देने को तैयार हैं। जिन पर आरोप लगाया, वह उसको कन्टेस्ट कर रहे हैं और कन्टेस्ट करने का अधिकार है उनको। यदि आरोप गलत है तो भी विशेषाधिकार का प्रश्न है और अगर आरोप सही है तो भी विशेषाधिकार का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो मौजूद हैं, मुख्य मन्त्रीजी जो उनके दल के नेता हैं, उनके इस बात को कन्टेस्ट करने के बावजूद, जो मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी मीटिंग में वह प्रश्न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आया होगा, साधारणतः आना चाहिए था। इसके बावजूद माननीय मोदी ने एसर्ट किया और जो चर्चा आपके कक्ष में पूनियाजी और आपकी हुई, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है, श्री पूनिया ने इस बात को कारोबोरेट किया है, जो स्टेटमेन्ट उन्होंने यहां पर दिया है, तो मैं समझता हूं जिन प्रारम्भिक तथ्यों की आवश्यकता थी, वह तथ्य आपके समक्ष भी आ जायेंगे और इस सदन में आ गये और इसलिए यह प्रश्न बिल्कुल मैच्योर है और इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिये और उसकी जो रिपोर्ट आयगी, उससे वास्तविक स्थिति का पता लग जायगा ताकि यह सदन उस मामले में जो बहुत गम्भीर है, आगे कोई कार्यवाही कर सकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मामला फैक्ट्स पर आधारित है। कौन क्या कहता है, रसीद कोई भी हो, रसीद पेश तो हो, बिना किसी के सामने पेश हुए आपके सामने····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सदन की मेज पर पेश हो जाय।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके दल का मामला है। इस सदन में मामला उठाया गया, क्या आपने इस प्रश्न पर अपने दल के अन्दर विचार किया, उसका अनुसंधान किया ? माननीय सदस्य के खिलाफ आपने डिसीप्लेनरी एक्शन लिया ? अगर गलत बात की तो डिसीप्लेनरी एक्शन लेते, वह नहीं लिया। इससे बात स्पष्ट है कि उसमें तथ्य है उसके पीछे और आप हिचकिचा रहे हैं। उनके खिलाफ डिसीप्लेनरी एक्शन नहीं लिया। यह इस बात को साबित करता है कि माननीय सदस्य के पास कोई ठोस तथ्य है जिसको आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आपनी पार्टी मीटिंग में नहीं लिया है। अब जब सदन ने मामला सीज कर लिया है तो पार्टी का प्रश्न नहीं रहता और यह सदन का प्रश्न है इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करना चाहिए।

श्री विजयसिंह : इस पर मेरा प्रिविलेज मोशन है और मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रिविलेज मोशन को एडमिट किया जाय ताकि यह जो रोज समस्या बनती जा रही है और आज विधान सभा की कायवाही समाप्त हो रही है, मेरा प्रिविलेज मोशन लेप्स हो जायगा। इसलिए उसको एडमिट किया जाय ताकि राजस्थान में इस प्रकार का भ्रम न बना रहे। माननीय मोदी जिनको मुख्य मन्त्रीजी भी मानते हैं कि समझदार आदमी हैं और उनके कहने में वजन है तो उसको विशेषाधिकार समिति के सामने रखा जाय।

श्री मदन सिंह : मेरा सुझाव है। हो सकता कि किसी को बुरा लगे। किन्तु सदन के सामने सच्चाई रखी जाय तो बुरा

(श्री मदनसिंह)

लगे तो लगे। जब आपके पास कोई सदस्य वहां आकर कहता है कि हमारे पास रसीद है तो उसको क्यों नहीं यहां रखवाते ? यहीं रखवाइए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं १० रसीदें बनाकर कहूं कि फलां आदमी खाता हैं, फलां मन्त्री खाता है, रसीदें लाऊं...

श्री विजय सिंह : ८० हजार आदमियों को रिप्रेजन्ट करते हैं, मोदीजी। वह झूठ नहीं बोल सकते।

श्री मूलचन्द डागा : कोई भी सवाल डाक्यूमेंट्स के आधार पर कहा जाता है तो बिना डाक्यूमेंट के पेश हुए केस नहीं बनता...

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : इस सम्बन्ध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। यह प्रश्न चालू हो सकता है लाख में से लाख सही बात हैं। लेकिन जब तक असली चीज नहीं आए तो चान्सेज हैं कि एक आदमी की बदनामी हो सकती है। आज अगर आप विशेषाधिकार समिति को देते हैं तो वातावरण बनता है कि अमुक आदमी रिश्वत खाता है। उस समय रसीद पेश नहीं हुई तो ठीक है किसी ने हल्ला कर दिया, बदनामी हो गई लेकिन चीज रहती है तो किनको पेश की जाय, जो वहां पेश हो सकती है वह यहां भी हो सकती है अन्यथा एक महीने में १० रसीदों का उल्लेख करूं, हर मंत्री और हर सदस्य को मैं पेश कर सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान रूल २३५ की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न यहां पर खड़ा किया है इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी और बाकी कुछ सदस्य भी ऐसा मान कर चलते हैं कि जैसे मानो सारी समस्या का निपटारा सदन में अभी करना है। That is absolutely a misnomur and a misunderstanding.

अध्यक्ष महोदय, नियम २३४ है Constitution of Committee of Privileges — I am not concerned with this at this moment.

नियम २३५ कहता है (1) The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so the nature of the breach, the circumstances leading to it and make such recommendations as it may deem fit.

So 235 says that the Committee shall examine whether a breach is involved or not. It is exclusively within the jurisdiction of the Privilege committee to examine in the light of the facts. Investigation is to be made by the Privilege committee, And it is competent to examine the witnesses and submit a report to the House and House is competent to decide the whole issue.

Page No 74

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नियम १५७ केवल यह कहता है कि क्वेश्चन आफ प्रिविलेजिज स्पीकर की कन्सेंट से से होता है। उसके बाद नियम १५८ नोटिस आफ क्वेश्चन आफ प्रिविलेजिज और नियम १५९ जो कन्डीशन्स आफ एडमिसिबल्टी के बारे में है, आखिर कौनसा प्रिविलेज मोशन एडमिसिबल होगा, वह केवल तीन कन्डीशन्स हैं :—

The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions namely — Not more than one question shall be raised at the same sittings ;

The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence; यहां पर यह हाउस में उठा और मैंने दूसरे दिन प्रिविलेज मोशन रेज कर दिया। ६९ का मामला हो और प्रिविलेज मोशन यहां दिया हो यह बात नहीं है। Third is the matter which repuires the intervention of the House.

तीनों कन्डीशन्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। मोशन में मैंने अध्यक्ष महोदय का उल्लेख किया है। एड्रेस सेक्रेटरी को किया है। जाबते में कोई मिस्टेक नहीं है। एडमिजिबिलिटी की तीनों फार्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी हैं और आपको उसमें कन्सेन्ट देनी है। आपकी कन्सेन्ट मिलने के बाद ही वन टेन्थ ओफ दी मेम्बर्स ओफ दी हाउस का सवाल आता है तब वे खड़े हो जांच कहें कि कन्सेन्ट मिलनी चाहिये। उससे पहले बहुमत तैयार है। मैं यह अपेक्षा करके चलता था और स्वयं माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें उनकी बदनामी होगी। उनकी ज्यादा होगी जो इसको रगड़वाते रहते हैं और नित्य प्रति बदनामी की स्थिति पैदा कर रहे हैं। किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव है तो उनको खुद को खड़े होकर कहना चाहिये कि रेफर इट टु दी प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का हैं। बहुमत उसमें कांग्रेस का है। वहां पर कोई भी माननीय सदस्य पार्टीबाजी के आधार पर विचार नहीं करते हैं और परम्पराओं और मर्यादाओं के अनुसार ही करते हैं और उस कमेटी को रेफर करने के लिये हम कह रहे हैं कि जिसमें बहुमत कांग्रेस का है और चेयरमैन जिसके कांग्रेस के हैं। हाउस में ऐसा गम्भीर प्रश्न आया है। ज्यादा मौका दें आप। रसीद पेश करने की स्थिति यह नहीं है। हाउस इसकी कोग्नीजेन्स ले। बाद में उनको खड़ा करे और उनकी ट्रायल करे और रसीद लें। एडवाइस लेना और रसीद लेना यह प्रिविलेज कमेटी का काम है मैं कहता हूं कि the matter may be referred to the Privileges Committee. The Privileges Committee is competent enough to summon the Chief Minister, if the need be.

जिन्होंने रसीद को देखा होगा। मैं इसके मेरिट पर नहीं जा रहा हूं। इसलिये १५७ और १५८ के अन्तर्गत आप अपनी कन्सेन्ट दें और मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें।

Page No 75

श्री मदन सिंह : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रोफ क्लेरिफिकेशन सर ।

श्री अध्यक्ष : नो पांइन्ट ग्राफ क्लेरफिकेशन ।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापने जो रूल्स पढ़े थे "...... If the question raised based on a document, the notice shall be accompanied by that document.

ग्रगर वह डाक्यूमेंट नहीं है तो स्पीकर महोदय की कन्सेन्ट चाहिये, स्पीकर महोदय ने कन्सेन्ट नहीं दी है। ग्रागे का प्रश्न पैदा नहीं होता है । उन्होंने सोचा कि documentary evidence excludes the oral evidence.

डाक्यूमेंट इन राइटिंग नहीं ग्राता है तो उस मामले में दूसरी एविडेन्स नहीं ली जा सकती है। इसलिये स्पीकर महोदय ने कन्सेन्ट इस ग्राधार पर नहीं दी । माननीय सतीशचन्द्रजी प्रश्न उठा रहे थे। वह बेकार है। प्रिविलेज का मोशन नहीं बनता जब तक डाक्यूमेंट नहीं हो।

श्री मदन सिंह : इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : No member shall speak twice.

श्री मदनसिंह : होम मिनिस्टर पर ग्रारोप लगाये थे उसके सम्बन्ध में तो सारे चुप रह गये। ग्राज उनका प्रश्न ग्रा रहा है तो उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ग्राप बोल चुके हैं । प्रश्न उठाना चाहते तो उस वक्त उठाते ।

श्री मदनसिंह : ग्राप पर कल लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : ग्राज जितना चाहें बोल लीजिये। जो चाहें बोल लीजिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि जो सदस्य एक दफा बोल चुके हैं नियम तो यह है कि दुबारा वे न बोलें।

श्री मदनसिंह : नियम ही लेते तो ग्राप ही बन्द करवा सकते थे। स्पेसिफिक डाक्यूमेन्ट न हो......

श्री अध्यक्ष : मैं सब कुछ कर सकता हूं।

माननीय सदस्य......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : May I say a few words, Mr. Speaker, with your permission. I have no desire to arrogate to my self the rights and functions of the Chair, but I do feel, and feel very strongly, that this is an eminent case which should go to the Privileges Committee.

श्री अध्यक्ष : जो माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने प्रश्न ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज का उठाया......

श्री विजय सिंह (मकराना) : मेरा भी था।

Page No 76

श्री अध्यक्ष : अभी कौमा भी नहीं आया है, वाक्य चल रहा है उसी आशय का यह आ जाता...

...उसी आशय का एक प्रस्ताव माननीय श्री विजयसिंहजी मकराना ने भी माननीय श्री मोदी के विरुद्ध भी उठाया है। दोनों ही प्रस्ताव ब्रीच आॅफ प्रिविलेज के एक ही माननीय सदस्य श्री मोदी के विरुद्ध है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं। श्री विजयसिंहजी का प्रस्ताव श्री मोदी के विरुद्ध था और मेरा विशेषाधिकार प्रश्न ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ था।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह उल्लेख है गम्भीर आरोप कांग्रेसी सदस्य श्री मोदी ने लगाये। श्री यादव ने श्री मोदी पर बदयान्ति से आरोप लगाना जाहिर किया। यह श्री यादव के विरुद्ध है। उन्होंने बद्‌यान्ति का उल्लेख किया है श्री मोदी के सम्बन्ध में। दोनो प्रस्ताव अलग-अलग हैं : एक प्रस्ताव श्री यादव के विरुद्ध माननीय श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने और दूसरा प्रस्ताव एक और माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया। आरोपों का आधार रिश्वत से सम्बन्धित है। माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने १५७, १५८, १५९ आदि आदि हमारे नियमों का उल्लेख किया जो ऐसे प्रस्तावों पर किस प्रकार स्वीकृति दी जाय उसके प्रोसिजर को ले डाउन करते है। दोनों ही प्रस्तावों से सम्बन्धित एक ही आरोप है। १५७, १५८ की प्रक्रिया अलग है जिसमें अध्यक्ष उसके प्राइमाफेसी नेचर को देखते हुए सदन में माननीय सदस्य को कन्सेन्ट और उनको निवेदन करें कि वे इस प्रस्ताव को उठायें। इस प्रस्ताव को लेने के सम्बन्ध दूसरी प्रक्रिया रूल १६२ के अन्तर्गत जिसमें अध्यक्ष स्वयं ही प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर कर सकता है। दोनों ही प्रोसिजर अलग-अलग दिये गये हैं और समय-समय पर अपनाये जाते रहे हैं। एक बात और है। इस सम्बन्ध में माननीय श्री यातायात मन्त्री जी के विरुद्ध एक सबस्टेन्टिव मोशन है वह भी माननीय श्री शतीशचन्द्रजी ने उठाया...

कई माननीय सदस्य : माननीय यातायात मन्त्री नही। पहले वाले यातायात मन्त्री।

श्री अध्यक्ष : तत्कालीन यातायात मंत्री। आई एम वेरी सोरी।

जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तब वह वर्तमान थे। वो मोशन एडमिट हो गया था चूंकि बिजनेस में नहीं लिया जा सका। एडमिड किया गया मोशन है। यह जो प्रस्ताव माननीय सतीशचन्द्रजी ने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया है मेरी मान्यता है कि इस सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्यों से बातचीत की माननीय सदस्यों से मेरी बातचीत भी हुई थी। मैंने यह निवेदन किया था कि उनकी ओर से एक सबसटेन्टिव मोशन है जिस पर स्वीकृत प्रदान कर दी गई है उसमें इस प्रश्न को भी समाहित कर दिया जाये एज वन आफ दी ग्राउन्ड हाऊस में मूव भी हो गया है, यह मैंने निवेदन किया था। मेरी पत्रावलि में भी इसका उल्लेख है। सम्भवतः इस प्रश्न को अभी नहीं रखना चाहता हूं लेकिन यह प्रश्न विशेषाधिकार समित को रेफर करने के पूर्व विचार करना क्योंकि

(श्री अध्यक्ष)

सारे प्रश्न का दारोमदार एक रसीद पर है। रसीद के अतिरिक्त कोई ऐसी शहादत नहीं है। मैं इस शहादत की एडमिसिबिलिटी के प्रश्न को अभी नहीं लेना चाहता। रसीद नहीं है अतः उसके सम्बन्ध में तो ओरल एवीडेंस का वक्त कहां तक है तब रसीद की सबूत में ओरल ऐवीडेंस कहां तक वक्त की होती हैं। अतः मैं इस सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त कर रहा था कि यह प्रश्न प्राइमा फेसी या उसके आस पास के हद तक पहुंच जाये मुझको इस सम्बन्ध में थोड़ा-सा विश्वास हो जाता तो मैं इसकी दो प्रक्रियाएं जो हमारे नियमों में हैं, उनमें से एक के आधार पर इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने उग्रता से कहा है, कि मैं इसको दबाये हुए बैठा हूं। कोई माननीय सदस्य मुझको शिक्षा दें पढ़ा दें या न पढ़ा दें मैं अभी इस प्रश्न में नहीं जाता लेकिन मैं इतना ही सुझाऊंगा कि जितने माननीय सदस्यों को मैं विश्वास में लेना चाहता हूं। चूंकि एक दो जानकारी इस प्रश्न पर लेना अभी अवशेष है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी उग्रता न दिखायें। वह जानकारी मुझको मिल जाये तो मैं स्वय ही इस प्रश्न पर आगे का कदम उठा लूंगा और निवेदन करूंगा। चूंकि यह मेरी जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है इस लिये यह प्रश्न लेप्स नहीं हुआ है ....I am seized of the matter.

मैं इतना ही प्रश्न पर अभी कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल स्पष्टीकरण चाहूंगा। नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि श्री शीशराम जी ने आप के चेम्बर में आकर के इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास रसीद थी। जहां तक यह प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : यह इस तथ्य की जानकारी से संबंधित है। इसलिये इसका उल्लेख यहां पर उपयुक्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस बात को कहा है, यह तो तथ्य है।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी का प्रश्न सन्निहित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यानी आप इसको भूले नहीं है और जानबूझ कर इसको आपने कान्ट्राडिक्ट भी नहीं किया है। इससे हमें इस बात का इनफरेंस मिलता है:...

श्री अध्यक्ष : Inference is always based on ciicumstances.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are not pressing anything at this moment, but we are simply refreshing your memory that statement was given in the presence of Shri Modi that the receipt was with him.

श्री अध्यक्ष : I am already refreshed.

श्री हरजीराम बुरड़क : (लाडनूं) एक

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है उस पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : अभी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह मामला बहुत ही जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत जरूरी है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : राजस्थान सरकार ने इस सदन के अधिकारों का हनन किया है....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव आज आया है और आप इस पर भाषण देने लगे ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है, इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : हो जायगी ।

श्री भैरों सिंह : कई दिनों से सब्स्टेंटिव मोशन चला आ रहा है...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाना चाहिये था ...

श्री भैरोंसिंह : आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को यह सूचना नहीं दी कि मेरे पास में इतने सबसटेन्टिव मोशन विचाराधीन है और इसके लिये कोई समय निर्धारित किया जाना है ।

श्री अध्यक्ष : This being the last, day, let me be declared as a person of faults and errors of commissions and omissions.

माननीय सदस्य आप भी जानते हैं, माननीय सतीशचन्द्रजी भी यह जानते हैं कि यह मोशन हैं ।

श्री भैरोंसिंह: आपने बिजनेस एडवाजरी कमेटी को यह सूचना नहीं दी है कि आपके पास में अमुक अमुक व्यक्तियों के खिलाफ मोशन हैं, जिस पर सदन को विचार करना है और जिसके लिये समय का निर्धारण किया जाना है ।

श्री अध्यक्ष : सूचना का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा था कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस होगी । मैंने आप से आग्रह भी किया था । आपकी कोई लाचारी, मजबूरी थी । मैंने तो इससे इन्कार नहीं किया था ।

श्री अध्यक्ष : यह शिड्यूल कास्टस् की रिपोर्ट नहीं ली जाती तो मैं स्वयं ही रख देता । यह मुझमें भी था । विद्युत मंत्री ।

श्री दौलतराम सारण : ७-४ को मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उद्योग मंत्री के विरुद्ध रखा था ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं जांच कर रहा हूं । विद्युत मंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह : एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैंने मुख्य मंत्री के विरुद्ध रखा था उसमें तो कोई इन्क्वायरी की बात नहीं है ।

Page No 79

श्री अध्यक्ष : इसमें भी जानकारी कर रहा हूं। विद्युत मंत्री।

आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड आबू रोड।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

बरकतुल्लाह खां (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड का २४-वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब १९६८-६९ सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भैरोंसिंह : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : इस बात की जानकारी करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इस प्रकार के वार्षिक बजट राज्य सरकार को मिल जाया करते हैं। या मिल जाने चाहिए और अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसे ही रिपोर्ट मिली है उसकी स्टडी कर के इस सदन के इसी सत्र में अन्दर पेश कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिस्कशन होना चाहिए वह क्यों नहीं हुआ है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने रिपोर्ट पेश कर दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are Minister for Power. It is your duty.

आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर यहां पर डिबेट शुरु करें यह आपका काम है।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर यही सवाल है तो अगले सत्र में इसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं भवानी मण्डी इलेक्ट्रिकट सप्लाई एवं डेवलपमेंट कम्पनी लि० भवानी मण्डी की २२ वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं हिसाब वर्ष १९६८-६९ सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे कई एडजोर्नमेंट मोशन्स थे और आपने इसके लिये गृह मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था। डीडवाना फायरिंग, बेरी कमीशन के सम्बन्ध में आफिसरस् की रिपोर्ट तथा उससे अलाइड मेटर्स रतनगढ़ थाने में एक हरिजन की हत्या आदि कई ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कलेक्टीवली यह निवेदन किया था और यह आदेश दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में जानकारी लेकर गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट के लिये कहूंगा। परन्तु आज गृह मंत्री महोदय इस सदन में उपस्थित नहीं हैं वे इलेक्शन करा रहे हैं। क्या यह ठीक है।

Page No 80

श्री अध्यक्ष : मैं फिर बात चीत करूंगा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री महेन्द्र कुमार.... (अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर) याचिकाएं रखदी जायें उसके बाद ले लूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम वामनवास से गढ़मोरा तक टूटी हुई सड़क की मरम्मत कराने से सम्बंधित ५ याचिका देने वाले व्यक्तियों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवी दत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील बारां के राजूपुरा व खैराली ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कराने से संम्बंधित तीन याचिका देने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिक का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती गौरी पूनियां।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती गौरी पूनिया (सभापति आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री पंचायत मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० का मंत्री महोदय पुरःस्थापन करने वाले हैं। इससे पहले कि वे इस विधेयक को पुरस्थापित करें मैं उनसे एक जानकारी लेना चाहूंगा जब तक हाउस इसको पुरस्थापित करने की इजाजत नहीं देगा जब तक कि वे हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे दें मैं कहना चाहता हूं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने में क्या फायदा है ? आखिर यह बिल सितम्बर अक्टूबर में पास होगा उससे पहले यह हो नहीं सकता पहले जो आपने घोषणा की थी कि पंचायतों के चुनाव मई या जून में कर देगें लेकिन इससे यह पता चलता है कि सितम्बर अक्टूबर तक कराने की स्थिति में नहीं है। आप ईमानदारी के साथ पंचायतों के चुनाव कब तक करा पयेगे या कराने की मंशा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद हम आपको इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की इजाजत देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य एक के बाद दूसरा मतलब निकालते गये। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था कि मई और जून में पंचायतों के चुनाव करा देंगे। उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

जो भी इनफरेन्स ड्रा किया है, वह निराधार है। मैंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने जो कुछ कहा वह म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से संबन्धित था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा था कि चुनाव जल्दी से जल्दी करायेंगे आप आश्वासन देने के बाद भी मुकर जायें तो उसको कौन रोक सकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १६७० को पुरःस्थापित करने के लिए इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों आदि के सम्बन्ध में जानकारी देने एवं हूजा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का आग्रह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडजोर्नमेन्ट मोशन दिये थे जिनके बारे में आपके द्वारा व्यवस्था दे दी गई थी कि इन पर गृहमन्त्री वक्तव्य देंगे उनका क्या हुआ ? पोकरण काण्ड के सम्बन्ध में, रतनगढ़ के हरिजन की हत्या की गई उसके सम्बन्ध में....,

श्री बालसिंह सोढा : पोकरण काण्ड के सम्बन्ध में हूजा रिपोर्ट को सदन में रखने का आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भादरा, चूरू फायरिंग के सम्बन्ध में, होम मिनिस्टर को हाउस में प्रेजेण्ट होकर उस बारे में वक्तव्य देना चाहिये। अनेक इस प्रकार के मामले हैं जो अधूरे पड़े रह गये उनके संबंध में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने भी दो तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये थे उनको भी अभी तक नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी उनको देखा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं स्थगन प्रस्ताव देते हैं और आपके माध्यम से सरकार द्वारा जानकारी करना चाहते हैं, सरकार उनकी जानकारी देती नहीं है। आपत्तिजनक चीज है।

श्री अध्यक्ष : बस हो गया।

श्री विजय सिंह : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री बालसिंह सोढा : हूजा की रिपोर्ट को सदन में रखने का गृह मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था। वे हाउस को इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने लड़के के चुनाव को इससे भी ज्यादा महत्व देते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पोकरण काण्ड जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में गृह मन्त्रीजी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को वह रिपोर्ट रखनी चाहिये और उस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

(राज्यमंत्री, श्री देवपुरा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण कर रहे हैं आप स्थान ग्रहण करें।

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी के स्थान पर मैं उपस्थित हूँ। जब जब भी गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग आयी है समय समय पर उसका जवाब दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पोकरण काण्ड से सम्बन्धित हूजा की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखिये जैसा कि गृह मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था। वह क्या आप रखने के लिए तैयार हैं? इसकी रिपोर्ट आये हुए काफी दिन हो गये आप उसको क्यों छिपा रहे हैं।

श्री बार्लसिंह सोढा : गृह मंत्री महोदय ने तीन बार इस सदन में घोषणा कर दी थी मैं उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखूंगा क्या आप अब रख रहे है।

श्री भैरों सिंह : यह स्पष्ट कर दीजिये कि हूजा कमेटी की रिपोर्ट रखने को तैयार है या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : सदन में रिपोर्ट रखने के बारे में अध्यक्ष महोदय का आदेश है तो उसकी तामील की जायगी।

श्री भैरों सिंह : सरकार ने आश्वाशन दिया था कि उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जायगा क्या अब उसको रखने के लिए तैयार हैं। या इसमें आपको आपत्ति है?

श्री बार्लसिंह सोढा : इसमें आपत्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६ मार्च को एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : गृह मन्त्री महोदय के प्रतिनिधि आप बैठे हैं आप राज्य मन्त्री है आप उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हैं। आप उनकी तरफ से उस रिपोर्ट को रखने के उत्तरदायी जो आश्वासन सरकार ने दिया है उसको आप पूरा करिये।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण के बाद इसको लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने भी कई स्थगन प्रस्ताव दिये थे क्या हमें उनका लिखित में उत्तर मिलेगा। उन स्थगन प्रस्तावों को आपने रिजेक्ट तो किया नहीं है वैसी हालत में उनकी सूचना हमें मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : लिखित में उत्तर देने के सम्बन्ध में सोच लूंगा।

ध्यानआकर्षण प्रस्ताव

(झालावाड़ जिले में गलत ढंग से सड़क बनाने सम्बन्धी)

श्री जुझार सिंह (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, झालरापाटन सुनेल रोड़ के बारे में कई बार मैंने सदन में प्रश्न उठाया था इस बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर भी माननीय मन्त्री जी से मिला हूं मुझे खेद है कि इस प्रश्न पर हर बार इसको टाला जाता रहा है। जब इसका कोई जवाब नहीं दिया मैंने इस प्रश्न के बारे में २५ अगस्त, ६९ को पिटिशन कमेटी के सामने याचिका प्रस्तुत की। विधान सभा की याचिका समिति ने सुनेल सलोतिया रोड़ को जाकर देखा और वहां जांच की। पी० डब्लू० डी० विभाग ने इस रोड़ के लिये मनमाने ढंग से किन्हीं काश्तकारों को राजनैतिक आधार पर जान बूझ कर तंग करने के लिये खास तौर से एक मंत्री विशेष को फायदा देने के लिये सड़क का काम चालू किया और उसमें करीब दो लाख का अपव्यय किया। इसके साथ साथ अकाल राहत कार्यो के अन्दर केवल एक ही जगह एक ही काम खोला जाता है लेकिन यहां पर दो काम खोले गये इसमें अकाल के नियमों की अवहेलना की गई है दो दो काम अनियमित तौर पर करवाये। मैं अन्य बातों का जिक्र न करते हुए मैं खास मुद्दे पर पी० डब्लू० डी० मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिटीशन कमेटी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि जान बूझ कर विभाग ने इन नियमों की अवहेलना की उस तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सुनेल सलोतिया सड़क पर तीन स्थान है एक सुनेल गांव चैनसिंह मण्डलोई सुनेल जो भूतपूर्व चेयरमैन नगर पालिका थे उनके खेत को राजनैतिक आधार पर काटने की गरज से सुनेल सड़क को छोड़ कर इरिगेटेड खेत को काट कर रास्ता निकाला गया। इस बारे में पिटिशन कमेटी ने साफ तौर से ओबजर्वेशन दिये। उन्होने कहा कि पुराने रास्ते से ही सड़क ले जायी जा सकती थी। और उसको पिड़ावा सड़क से मिलाया जा सकता था। लेकिन जान बूझ कर इरिगेटेड एरिया को बिगाड़ कर उसको नुकसान पहुंचाया गया जो उचित नहीं है। अतः इस सड़क को पुराने रास्ते से ले जाया जाना चाहिये। यह ओबजरवेशन है।

इसी तरह से शम्भू सिंह पुत्र बापू सिंह उनके खेत के बराबर से चालू रास्ता निकलता है। मंत्री महोदय उस क्षेत्र में गये हैं। उन्होंने खुद इस रास्ते को देखा है। इस रास्ते से ३० फुट की दूरी पर पीवत क्षेत्र को जान बूझ कर बिगाड़ने की गरज से उस क्षेत्र के जो श्री कन्हैयालाल पटेल हैं उन्होंने उसके दो टुकड़े किये हैं। पिटीशन कमेटी ने मौके पर जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के सदस्य शामिल हैं इसको देखा है और खुद ने अफसोस जाहिर किया है कि पिटिशन कमेटी ने बताया है। चालू रास्ता बिना किसी अड़चन के ले जाया जा सकता था जिसमें राज्य सरकार को मुआवजे की भी बचत थी। पिटीशन कमेटी का हवाला देते हुये मैं उप मंत्री महोदय से स्वयं मिला था और निवेदन किया कि इस तरह के पिटीशन कमेटी के ऑबजरवेशन हैं। आप खुद वहां जा चुके है। मेहरबानी करके इस सड़क का काम रोक दिया जाय। अध्यक्ष महोदय मुझे

(श्री जुझार सिंह)

अफसोस है उनसे निवेदन करने के बाद और उपमंत्री महोदय से निवेदन करने के बाद इस सड़क का काम दो दिन तक बन्द रहा फिर तेजी से उस सड़क का काम शुरू कर दिया। इस तरह पाऊखेड़ी का गंगराम है उसका खेत काटा गया है। इस सड़क के दूसरे मुद्दों को न लेकर खास तौर से उन मुद्दों के बारे में जिसके बारे में पिटीशन कमेटी ने खास तौर से ऑबजरवेशन दिये हुये हैं और मंत्री महोदय ने देखा हुआ है, काश्तकार को बेजा तरीके से नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय का और उप मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं जो ऑबजरवेशन पिटीशन कमेटी ने दिये है उनको आधार मान कर जो खेतों में सड़क निकाली जा रही है उसको बिना कारण नुकसान होने से बचायेंगे और पुरानी सड़क को ही बनाने के आदेश देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय सुमेरपुर के अन्तर्गत जो सड़क बनाई जा रही है उसमें १६६६-७० में एक लाख २० हजार का प्रावधान रखा था। इसका अलाइनमेंट अप्रूण्ड नक्शे के अनुसार रखा गया है। माननीय सदस्य मिले थे और याचिका समिति का हवाला दिया था। हमने रिपोर्ट के लिये मुख्य अभियन्ता (भवन व पथ) को भेजी है, जब तक पूरी जानकारी न हो जाय अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है, मुख्य अभियन्ता भवन एवं पथ को आदेश दे दिये गये हैं कि वे निरीक्षण करके अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। उनकी रिपोर्ट आने पर सदन को अवगत करा दिया जायगा।

श्री जुझार सिंह : मंत्री महोदय ने स्वयं देखा है। याचिका समिति का आबजरवेशन है। फिर मैं नहीं मानता हूँ कि डिले क्यों करते हैं, इसका क्या औचित्य है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने टेक्निकल निरीक्षण नहीं किया है। आपको यकीन दिलाता हूँ जहां तक ऐडजस्टमेंट हो सकेगा उसके अन्दर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आयेगी। उसको पूरे इन्साफ की दृष्टि से देखा जायगा। आपको पूरी तसल्ली नहीं हो तो आप मेरे पास आ जांय, मैं आपको पूरा मामला समझा दूंगा।

गंभीरी नदी के बाढ़ से हुई क्षति सम्बन्धी ध्यानाकर्षण

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय पिछले साल भरतपुर जिले की गंभीरी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण बयाना और रूपवास की तहसील की १० हजार एकड़ जमीन खराब हो गई थी और जितने कुए थे वे भी खराब हो गये थे। राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी उस जिले में पधारे थे और आश्वासन दिया था कि जिनकी जमीन खराब हो गई है उनको राज्य सरकार मुआवजा देगी। यह घोषणा की थी। ५०० एकड़ जमीन जिनकी खराब हुई है उनको

Page No 85

(श्री रामकिशन)

तत्काल मुआवजा दिया जायगा । इसी प्रकार कई काश्तकारों के कुये खराब हो गये हैं, उनमें मिट्टी भर गई है। उनके लिये ऋण या अनुदान देने की घोषणा की थी। वैसे में बाढ़ के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा तो नहीं करूंगा लेकिन मुख्य मंत्री जी ने सारी बातें कहीं है इसलिये में विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी और अकाल सहायता मंत्री जी चाहूंगा कि जिन फसलों पर ७-७ फुट रेत चढ़ गई है। पहली सारी फसल खराब हो गई थी और इस फसल में भी एक दाना पैदा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने घोषणा की है लेकिन न तो अभी तक कुओं के लिये कोई ऋण या अनुदान दिया गया है और न जो खेत रेत में दब गये हैं उनको कोई मुआवजा दिया गया है। राज्य सरकार ने १०० रु० प्रति परिवार के हिसाब से मदद दी है लेकिन वह जमीन की मदद नहीं है इसलिये मैं अकाल सहायता मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वे बोलें तो कम से कम उसके बारे में जिक्र न करें, क्योंकि वह एक अलग मसला है। जमीन के बारे में मुख्य मंत्री जी वायदा करके आये थे इसलिये मैं जानना चाहूंगा क्या राज्य सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है और रखती है तो कब तक मुआवजा दे देंगे ? दूसरा मेरा निवेदन है उस रेतीली जमीन को ठीक करने के बारे में है। क्या कृषि विभाग जिन खेतों में काफी रेत आ गई है उनको हटाना चाहती है या नहीं ? क्योंकि उस जमीन को उपयोग में लाने का प्रश्न है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पंचायत मन्त्री जी और अकाल सहायता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी यह बात सही है कि पिछले साल अति वृष्टि से जो बाढ़ आई और खास तौर से गंभीरी नदी में बाढ़ आई उसमें बयाना और रूपवास तहसीलों की हजारों एकड़ खेतों में रेत की पर्त चली गई है। मुख्य मंत्री जी ने भरतपुर को इस बात का आश्वासन दिया था कि जिस भूमि पर रेत की पर्त चली गई है उसको कृषि योग्य बनाने के लिये राज्य सरकार ऋण की स्वीकृति दी जायगी और मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन की अनुपालना में नवम्बर ६९ में एक लाख रुपये की राशि के कार्य के लिये भरतपुर क्लेक्टर को लिख दिया था और उन्हें इस बात की हिदायत दी है कि जहां पर रेत की पर्त आ गई है उनको हटाने के लिये अभी एक लाख २५ हजार रुपये दिये हैं उनसे काम करें। उसके बाद सेन्ट्रल स्टडी टीम आई और राजस्थान के कई जिलों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का मूल्यांकन किया, उसके बाद में उन्होंने इस मद में से कुओं में से रेत निकाली जाय इसके लिये १० लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया हैं। इस १० लाख रुपये में से भरतपुर जिले को १ लाख २५ हजार रुपया नवम्बर में दिया। जिलाधीश से जानकारी की तो इस बात की इत्तला दी है कि यह ऋण किसानों को दिया जा चुका है। यह ऋण जिनको १० एकड़ से जमीन कम है, उन काश्तकारों को दी जाय ताकि वे अपनी जमीन को कृषि योग्य बना सकें। इस १० लाख की राशि में से हमें बहुत से जिलों को देना है भरतपुर जिले को हमने हमारे हिसाब से ठीक दिया है। दो लाख २५ हजार रुपये भील-

(श्री परसराम मदेरणा)
वाड़ा के काश्तकारों को दिया है। केवल ५० हजार की राशि बड़ी जरूरत मन्द लोगों को दी है इसलिये यह बात सही नहीं है। वह मद अलग था।

श्री रामकिशन : एक जानकारी मैं और जानना चाहता हूं १० एकड़ की सूचना दी है। १० एकड़ के कितने काश्तकार हैं यह मैं जानना चाहूंगा और क्या यह राशि काफी है। मेरा मानना यह भी है कि या राशि आज कल में ही गई है।

श्री परसराम मदेरणा : धनाभाव के कारण हम ज्यादा राशि नहीं दे सकते है। आगे क्या करेंगे। प्रश्न आज का नहीं है। जमीन तो खराब हो गयी और जब तक उसको खेती लायक नहीं बनाते तब तक कुछ नहीं हो सकता जो जमीन खराब हो गयी है, भरतपुर में दूसरी जमीन उपलब्ध नहीं है उसके लिए राज्य सरकार की क्या योजना है?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की पोजीशन परमिट नहीं करती कि हम राशि दे सकें। अब कोई नेचुरल केलेमिटी होती है. बाढ़ आती है, ओलावृष्टि होती हैं या सूखा पड़ता है तो भारत सरकार द्वारा जिस तरह से असिस्टेन्स दी जायेगी उसका क्राईटेरिया निर्धारित किया हुआ है और सेन्ट्रल स्टडी टीम ने इसकी वजह से जो नुकसान हुआ कुल मिलाकर २ करोड़ ६४ लाख २५ हजार रुपया की राशि दी थी। वह अलग अलग हेड्स में उन्होने दी है। री-सिल्टिंग के लिए १० लाख रुपया दिया और इसके अलावा हमारे पास और राशि नहीं है और आगे मदद करने में और खास तौर से उन काश्तकारों की जिनकी जमीन के ऊपर रेत की पड़त आ गयी है, राज्य सरकार विवश है।

श्री राम किशन : इस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार के पास दुबारा रखिये। ५०० रुपये एकड़ के हिसाब से देगें यह तो ५० रुपया एकड़ के हिसाब से भी नहीं दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार की सेन्ट्रल स्टेडी टीम ने १० लाख रुपये की राशि इसके लिए अलाट की थी और अब माननीय सदस्य क्योंकि आग्रह कर रहे हैं स्टेडी टीम अभी महीने भर के अन्दर अन्दर आ रही है और यह हम उनके सामने रखेगें।

उषा कम्पनी द्वारा वितरित कलेंडर सम्बन्धी ध्यानाकर्षण

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव के जरिये आपके माध्यम से गृहमंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। उषा कम्पनी राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में कलेण्डर भेजती है। अब की साल का जो कलेण्डर आया सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उस कलेण्डर के अन्दर भगवान कृष्ण और राधिकाजी और उनकी सखियों के कलेण्डर दिये हैं। यह मैं समझता हूं कि हिन्दू जनता और भारतीय संस्कृति और

(श्री मदनसिंह)

हिन्दू फर्म की आस्था के विपरीत चित्र हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कलेण्डर में दो चार चित्र हैं। वैसे भगवान कृष्ण के चित्र अनेक सखियों के साथ हैं लेकिन राधिका जिसको हम मां भगवति का स्वरूप मानते हैं उनका विराजमान होकर भगवान का साक्षात्कार और उनके जो एक्शन्स हैं मैं समझता हूं कि वह बड़े अभद्र चित्र हैं। मैं समझता हूं कि आज के सिनेमाओं में भी वैसे चित्र नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र और जो गीता के अन्दर उनका चरित्र दिया गया है, मैं समझता हूं कि विश्व के अन्दर जिसका अनुवाद होकर कृष्ण के संबंध में जो संसार भर में लोगों की आस्था है और उनके नाम-मात्र से पाप और पुण्य का निराकरण होता है और भगवान कृष्ण और मां भगवती रूप राधिका के चित्र इस ढंग से दिये जायें जो रात दिन अपने घरों में लटके रहते हैं और हमारे बच्चे हमेशा उनके दर्शन करते हैं ऐसे चित्र वितरित होंगे तो हमारे लिए यह लज्जा की बात है। कृष्ण भगवान का अवतार ऐसा अवतार है कि जिसने सम्पूर्ण जनता को शिक्षा दी है कि किस मार्ग पर चलना है। उस महान शक्तिशाली भगवान कृष्ण के सम्बन्ध में ऐसे चित्र देते हैं, यह हिन्दुस्तान की जनता के धर्म की श्रद्धा के ऊपर कुठाराघात है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी जो इस फर्म का हैड आफिस कलकत्ता में है उनको पत्र लिखें कि ऐसे चित्रों का विवरण न किया जाये। भगवान श्री कृष्ण जिनको प्रत्येक व्यक्ति स्मरण करता है, जो कोने कोने में विराजमान है जिनको देखकर लोगों के पाप मिटते हैं ऐसे भगवान का चित्र इस रूप में देना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई कहेगा कि यह तो आर्ट है तो आर्ट ही दिखाना है तो ईसा है, बुद्ध हैं उनको सामने ला सकते हैं लेकि भगवान कृष्ण के सम्बन्ध में ऐसे चित्र देना मैं समझता हूँ कि बड़ी लज्जा की बात है। मैं राजस्थान के गृह मंत्री जी को कहूँगा कि एक चिट्ठी आपकी तरफ से जानी चाहिए। ऐसे चित्रों का वितरण किया जाये मैं चाहूंगा कि कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि संविधान की धारा १९५ में भी इसको देखा जाये तो ऐसे धर्म पर कोई कुठाराघात करता है तो उसको दण्डित भी किया जाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखें।

श्री रामकिशन : है क्या ? बता दें।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी को वह चित्र बता दिया जाये।

श्री मदनसिंह : राधिका जो बैठी हुई हैं, इधर चार सखियां हैं, एक हाथ गाल के ऊपर है, एक स्तन के ऊपर है...

श्री अध्यक्ष : क्यों विवरण देते हैं...

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने उषा कम्पनी की ओर से कलेण्डर में प्रकाशित चित्रों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया यह बताते हुए कि इन चित्रों में कुछ ऐसे चित्र प्रदर्शित किये गये हैं, जो धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचने वाले हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कलेण्डर में चार चित्र प्रदर्शित किये गये हैं। नम्बर १ और ४ के लिये माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है और नम्बर २ और ३ के लिए आप ने आपत्ति की है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीन मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं वह आपकी अपनी निजी राय है या एक्सपर्ट की ओपीनियन ली है उस पर आधारित है या फिर खोसला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ इसलिए मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहा हूँ। इन चित्रों से धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचता है या नहीं, पहुंच सकता है या नहीं उसके संबंध में निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य को जैसा निवेदन किया नम्बर दो और तीन के ऊपर आपत्ति है। नम्बर २ भगवान कृष्ण को बालक रूप में अपनी माता के सामने बताया गया है। जो भगवान कृष्ण माता से चन्द्रमा लेने का आग्रह करते हैं और माता चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब बताकर उनको सन्तुष्ट करना चाहती है। उस समय बालक कृष्ण को नग्न बताया है तो मैं नहीं समझता कि नग्न बताना कोई धार्मिक भावना को आघात पहुंचाने वाली बात हो। चित्र नम्बर ३ में जरूर कुछ प्रदर्शित किया गया है जहां राधिका को बैठाकर उनके उन्नत उरोजों को बताया गया है। यह कलेण्डर के अन्दर विश्लेषण किया गया है कवि जयदेव ने चांदनी रात के अन्दर आसमानी आकाश के नीचे उद्यान में बैठे हुए भगवान कृष्ण अपनी जीवन संगिनी के लिए क्या कामना करते है और क्या उसके लिए कल्पना करते हैं उसको बताया है...

श्री अध्यक्ष : वह श्लोक क्या है बता दे

श्री हीरालाल देवपुरा : श्लोक मुझे याद नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री मदनसिंह : मेरे पास जनता के जरिये...

श्री अध्यक्ष : अभी आप क्यों स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। फिर पूछ लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जो भावना है और जब हम उनकी चित्रों की तरफ देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अश्लीलता प्रदर्शित की गयी है जिससे हमारे धर्म पर आघात पहुंचे। आज के युग में हो सकता है हम नहीं समझ पाते कि जिस भावना से कवि पहुंचे हैं। इस प्रकार के चित्र सर्व साधारण के लिए या छोटे बालकों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशित नहीं किये जायें और चित्रकला की उच्चकोटि को रखने के लिए विद्वान तक ही प्रदर्शित करते रहें तो वहां तक तो ठीक है लेकिन इसचित्र के बारे में राधिका को बताया गया है मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक करता हूं। उनको इस प्रकार का पत्र लिख दिया जायेगा कि कलेण्डर्स में जो सर्व साधारण के हाथ में जाने वाले कलेण्डर्स हैं उनमें इस प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन नहीं किया जाये।...

Page No 89

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पत्र गंगानगर के हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रिन्सीपल और वहां की जनता का है और उन्हें मैंने पूरा विश्वास दिया है कि इसको सदन की मेज पर रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकिशनजी अपनी सहमति देंगे।

श्री रामकिशन : मैं कहूँगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशनजी कुछ बोल रहे हैं उसके बाद पत्र ले लूंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : लोक माया की बात है।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राधा-कृष्ण के जीवन, दर्शन, इतिहास और उनकी उम्र के प्रति जानकारी हो तो सारा मामला सुलझ सकता है। जैसा कि इतिहास बतलाता है कि राधा की उम्र ज्यादा थी और कृष्ण की उम्र छोटी थी, और राधा विवाहित थी। एक चित्र यह था...

श्री अध्यक्ष : राधा के पति का नाम है?

श्री रामकिशन : हमारे लेखों में है सभी का नाम। यह निश्चित है कि राधा और कृष्ण का सम्बन्ध सखा और सखी के सम्बन्ध थे। पति और पत्नी के सम्बन्ध नहीं थे। द्वारिका में राज्य करने गये थे तो माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वहां पर मन्दिर बने हैं तो सत्यभामा का मंदिर है और दूसरी पत्नियों के मंदिर हैं। पर राधा का मन्दिर नहीं है राधा और कृष्ण का सम्बन्ध पुरुष और स्त्री की बहुत बुरी व्यवस्था का प्रतीक भी माना जा सकता है, यह कह सकते हैं कि कृष्ण उस समय बालक थे और उस समय भी और कम उम्र में भी किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं क्योंकि हमारा समाज उस समय विकसित था...

श्री अध्यक्ष : आप अपनी अनुभूति रख दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप आचार्य हैं सभी विषयों के। आपको सभी जानकारी होगी।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी अनुभूति जो आपके पूर्व की अपने बचपन की रही है तो कह दे मेरी अपनी अनुभूतिका कहां तक संतुलन हो सकता है, देख लूंगा।

श्री रामकिशन : जहां तक धार्मिक भावना का सवाल है वहां तक मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कुछ ऐसा हो सकता है कि राधा-कृष्ण के सम्बन्ध इस प्रकार के न हों। उसके लिए हमें एक एक चीज को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना होगा। कृष्ण के कई पुत्र थे और सभी रानियों के पुत्र थे लेकिन राधा के कोई पुत्र नहीं था यह हमने इतिहास में पढ़ा है उस समय परिवार नियोजन का कार्य क्रमों में नहीं था कि कोई नये तरीके उन्होंने अपनाये हों। दूसरी चीजें भी यह बताती हैं कि राधा-कृष्ण का संबंध सखी-सखा का था जैसा कि आधुनिक समाज में हुआ करता है, और उस समय हिन्दुस्तान विकास की सीमा पर था।

Page No 90

(श्री रामकिशन)

महाभारत के बाद ही हमारा पतन हुआ है। विकसित समाज में जिस प्रकार से एक स्त्री–पुरुष का सम्बन्ध होता है राधा-कृष्ण के सम्बन्ध को भी उसी प्रकार से देखना चाहिए। यह सही बात है कि कृष्ण भगवान नहीं थे जिस प्रकार की आज साधारणतया सोचा जाता है। वे साधारण से महान् बन गये। जिस समय गीता का उपदेश दिया उस समय वे दूसरी स्थिति में मिलते हैं। जिस समय युद्ध हुआ उस समय दूसरी स्थिति में हैं। जिस समय कंस को मारा उस समय दूसरी स्थिति में पाये जाते हैं। क्रमिक विकास इस तरह से इतिहास में बतलाया गया है। इसलिए कृष्ण १६ कलाओं से सम्पूर्ण भगवान के रूप में माने गये हैं। असाधारण से असाधारण कार्य उन्होंने किये हैं।

इस चित्र में जिस स्थिति में राधा-कृष्ण को दिखाया गया है तो वे एकान्त में बैठे हुए हैं। एकान्त में मां के साथ स्थिति अलग है और राधा के साथ एकान्त में ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है क्योंकि उनका सखा-सखी का सम्बन्ध था। मैं समझता हूं कि इस बात पर मैं इस तरह से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : योग-माया का दे देंगे।

श्री रामकिशन : माया वगैरह की बात मैं नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी कहेंगे।

यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दांता साहब इस बात को नहीं भूलेंगे कि हमारा साहित्य पर्यायवाची है ...

श्री अध्यक्ष : मंदिरों में मूर्तियां हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हमारा साहित्य पर्यायवाची है। उस स्टेज में जब महाभारत का युद्ध था तो सैक्स सबलिमेशन का अन्तिम समय भी था। उसको सखी रूप में बताया है पति-पत्नि के रूप में नहीं उस प्रकार का सबलिमेशन आफ सेक्स का रूप उस नग्न रूप में वह परिचय में आता है अतः हम फील करते हैं कि धार्मिक भावना पर चोट पहुँचाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दांता।

श्री मदनसिंह : मेरी यह मान्यता है कि जो जिम्मेवार सरकार किसी भी राष्ट्र अथवा प्रान्त की हो तो वहां के लोगों की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचती है तो उसका निवारण उसको करना चाहिए। सोशियेलिस्ट पार्टी के नेता क्या करेंगे। उसका कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी। हिन्दू धर्म के आधार पर इसको हम मानते हैं कि घर घर में यह बच्चों पर अच्छा प्रभाव डालने वाला नहीं है...

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर के मन्दिरों

(श्री अध्यक्ष)

की स्थापत्य-कला का आपने मुलाहिजा किया।

श्री मदनसिंह : मन्दिरों पर दूसरे हैं। उसका तो विषय दूसरा है। जहां पर कैलेन्डर का विषय आता है, यह कैलेन्डर घर घर में जाता है और बच्चों के हाथों में जाता है। यह कैलेन्डर अमेरिका में जाता है तो कृष्ण भगवान का वे क्या रूप समझेंगे। कृष्ण भगवान की हम रात-दिन पूजा करते हैं उसके लिए वे क्या समझेंगे कि वे स्त्रियों के समक्ष इस तरह का व्यवहार करते हैं। इस चित्र में चित्रकार ने कोई आध्यात्मवाद की बात बताई हो मैं उसको नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि जो महात्मा गांधी ने आज सारी कांग्रेस और सारे भारत की आस्था है तो गांधी जी जैसे लड़कियों के कन्धों पर हाथ रखकर चलते थे तो क्या मतलब था। उनके हाथ बढ़ाकर उनकी छातियों तक रख दिये जायं तो क्या यह माना जाय कि महात्मा गांधी का उनसे बहुत प्रेम है और प्रेम के कारण उनकी छातियों पर हाथ रखा हुआ दिखा दिया जाय इस चीज को मैं नहीं चाहता था कि मैं सदन में कहूं। जैनी महात्मा नग्न रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्त्री के पास नग्न रूप में बैठ कर सारी चीजें की जायं और वह महात्मा गांधी की बताई जायं तो उससे आप तपस्वी माने जाते हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान कृष्ण थे। जिनको किसी पर आसक्ति नहीं थी। युद्ध के टाइम में भी वे विचलित नहीं होते थे उनके अन्दर इस प्रकार की आसक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन उनको इस चित्र में इस तरह से दिखाया है कि एक महा पुरुष को स्त्री के बीच में खड़ा करके एक एक गाल पर हाथ हो और दूसरी छाती के अंग पर इस तरह से हो और छाती खुली हो तो इसको समझने के लिए बहुत वरस चाहिए।

मैं समझता हूं कि कम्पनी को आदेश देना चाहिए कि जिन भावनाओं के साथ यह चिट्ठी आई है उसको मैंने प्रस्तुत कर दिया है। वह मंत्रीजी पढ़ेंगे कि कितने लोगों ने विश्वविद्यालय के प्रिंसीपल और अध्यक्ष हैं उन्होंने चिट्ठी भेजी है और मुझे कहा है कि सदन में कम से कम होम मिनिस्टर से कहना चाहिए कि इस तरह के चित्र बन्द हों। अन्यथा मरजी आप की। भारत आजाद है आगे गांधी के चित्र और पोस्टर शुरू हो जायेंगे। अध्यक्ष जी, आर्गेनाइजर के अन्दर इन्दिराजी के लिए नहीं कहा गया था लेकिन स्त्री-मात्र के साथ आक्षेप कर दिया था तो हल्ला हो गया था तो स्त्री के खुले अंगों पर भगवान कृष्ण का हाथ हो सकता है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास के आधार पर, शास्त्र के आधार पर बता सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण इस तरह से नहीं खेलते थे। केवल एक भाव दिया है जैसे पांग का भाव होता है। सोशियलिस्ट पार्टी के नेता ने कहा है कि कृष्ण भगवान उनकी माताजी के पास जाते हैं बच्चे रूप में और पति के रूप में स्त्री के पास जाते हैं वह दूसरे रूप में जाते हैं मौसी के पास जाते हैं तो दूसरे रूप में जाते हैं...

(१.५५. म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No 92

(श्री मदनसिंह)

जिसको है वही कहता है । महात्मा सब लोग नहीं हैं । भगवान कृष्ण के बारे में बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है अगर इस चित्र को घर में देखें तो राजस्थान सरकार के लिए इससे ज्यादा लज्जा की क्या बात हो सकती है । इस तरह से खुले रूप में कृष्ण का मनमाने ढंग से चित्र का प्रदर्शन करें जो न इतिहास की दृष्टि से ठीक है और न आध्यात्मवाद की दृष्टि से ठीक है । कम्पनी का हैड आफिस कलकत्ता में है तो अमेरिका से लोग आते हैं उनको भी यह चित्र दे सकते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के अन्दर भगवान कृष्ण को बड़े न्यूड सिस्टम में मिला देगें । इस पर काफी चर्चा होनी चाहिए । यही मेरी मान्यता है ।

हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता रहती नहीं है क्योंकि माननीय रामकिशनजी ने और नाहर साहब ने काफी इसका विश्लेषण कर दिया है । जैसा मैंने पूर्वमें निवेदन किया था, चित्र इस प्रकार का नहीं है जिससे कि यह कहा जाय कि इससे धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचेगा । इस कलैण्डर के चित्र नम्बर तीन के तरफ जरा ध्यान आकर्षित किया है कि जिसमें भगवान कृष्ण का हाथ राधा, जो बैठी है, के सीने की तरफ बढ़ा हुआ है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप स्वयं देख रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सीने की ओर बढ़ा हुआ हाथ नहीं बताया है बल्कि तूलिका से भगवान कृष्ण को पेन्ट करते हुए बताया है । मेरा निवेदन यह है...

श्री मदनसिंह : संसार में कोई पेन्ट करता है औरत को । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि यह शर्म की बात है...

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन करता हूं कि इस चित्र में...

श्री मदनसिंह : औरत को कोई इस प्रकार से पेंट करता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कल्पना की बात है । यह कल्पना के बारे में है ।

श्री मदनसिंह : बात करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें भावना का प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि हमें शुद्ध भावना से इसको देखना चाहिए और....

श्री मदनसिंह : मैंने हिन्दू धर्म की भावना को सदन में रखा है....

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें धार्मिक भावना के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचता है ।

श्री मदनसिंह : कैसे नहीं पहुंचता है ? अगर यह ठीक है तो क्या हिन्दू जाति की कोई औरत किसी महात्मा को इस प्रकार हाथ फेरने देगी ? औरत का सीना कोई चित्र बनाने के लिए होता है जो उस पर स्याही की कलम से फेर रहे हैं इस चित्र में हाथ फेर रहे हैं !

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई !

Page No 93

(श्री उपाध्यक्ष)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार !

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक चित्र नहीं बल्कि एक कलेंडण्डर दिया है। एक चित्र में गोपिकाओं के साथ और दिखाया गया है। आर्ट है तो आर्ट की भावना होनी चाहिए। यह आर्ट नहीं है।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन को जो दिनांक २१ जनवरी, १९७० को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाय।

इसके जो फेक्ट्स हैं वह सरक्युलेज हो चुके हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जो राजस्थान एग्रीकल्चर इनडेटेडनेंस एण्ड रिलीफ एक्ट है, उसका ऑरिजिनल मंगवाया गया है, उसके संबंध में है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पारित ! इसी को स्वीकार किया जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय !

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन को जो दिनांक १४ मार्च १९७० को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाय।

इसके सम्बन्ध में मैं कुछ फेक्ट्स निवेदन कर देना चाहता हूं...

श्री भैरोंसिंह : मै थोड़ा निवेदन कर दूं, इस पर आज विचार हो नहीं सकता क्योंकि यह काफी इम्पार्टेन्ट मेटर है, डिसीजन चाहे कोई हो लेकिन इससे सदन में हम परम्परा का निर्माण करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पर सदन की अगली बैठक में विचार किया जाय। यह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से !

श्री यशवन्त सिंह नाहर : ऐसा इसमें क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है...

विधायी-कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ !

श्री विशम्बर नाथ जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाय !

श्री भैरों सिंह : (किशनपोल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, बालक विधेयक किसी प्रौढ़ आदमी द्वारा रखे जाने का अवसर दिया जाय।

श्री रामकिशन (वैर): मेरा प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशन !

श्री राम प्रसाद लडढा (सिंचाई मंत्री) : इसको झटपट कर लें आगे सीलिंग का है।

श्री रामकिशन : ऐसा किया जा सकता सकता है कि पहले सीलिंग वाला ले लिया जाय और बाद में इसको ले लिया जाय।

श्री विशम्बर नाथ जोशी : इट विल बी वायलेशन आफ रूल २२ आफ रूल्स आफ प्रासीजर, सर !

श्री केसरी सिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस आर्डर से सरक्यूलेट हुए हैं उसी तरह लेने चाहिए क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं सीलिंग के प्रश्न पर, हो सकता है वह सदन में उपस्थित नहीं हों उस समय !

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है 'राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय !

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस प्रकार से आया है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक आज नहीं बल्कि आज से बीस साल पहले आ जाना चाहिए था। आज राजस्थान सरकार ने जो विधेयक को पेश करने में देर की है, मैं उससे समझता हूँ कि सरकार की मंशा नहीं है कि इसको पास करे लेकिन केन्द्रीय सरकार का निर्देश है कि राज्यों में इस प्रकार का विधेयक पारित कराया जाय, अन्यथा न राजस्थान सरकार की इसको पारित कराने की इच्छा है और न राजस्थान सरकार में विवेक है - इसी कारण से राजस्थान के अन्दर पिछले बीस वर्ष के अन्दर जो कुछ बाल अपराध हुए हैं, या बच्चे अपराध करते हैं उनको सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की मार्फत राजस्थान में जो छोटे बच्चे चाहे किसी प्रकार की गलत संस्कार की वजह से या गलत समाज के गलत सहयोग की वजह से बाल अपराध में या दूसरे प्रकार के अपराधों में प्रवृत्त हो जाते हैं उनको सुधारने के लिए या छोटे मोटे दण्ड उनको देने के लिए इसमें

(श्री रामकिशन)

व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इस विधेयक की धाराओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है - इस प्रकार की धारायें इसमें है। जहां बालकों के कल्याण के लिए और बालकों सुधारने के लिए हर तरह की कोशिश की जानी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, वहां सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि बालक अपराध करते हैं उसका कारण क्या है ? अगर हम कारणों की तरफ नहीं जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अपराध की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और उनको सुधारने के लिए हमारे छोटे मोटे प्रयत्न किसी प्रकार से कारगर नहीं हो सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय आज सारे देश में और हिन्दुस्तान की समाज में एक नया ढंग का परिवर्तन आ रहा है, वह परिवर्तन आ रहा है और हमारे परिवर्तनों की जो दुनिया है उसमें विश्व से हम अपने को अलग नहीं कर सकते, संसार से अलग नहीं कर सकते हैं। उन परिवर्तनों की धारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहे है, जो नैतिक मान्यताओं में परिवर्तन आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहे हैं—इन सब तरह के परिवर्तनों से हर प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो रही है, आज आर्थिक उन्नति के मामले में, रहन सहन के मामले में समाज में एक वर्ग के लिए सुख सुविधा उपलब्द करके एक अच्छा समाज पैदा करना चाहते हैं और इसमें सफल भी हुआ है नया विज्ञान और टेक्नोलोजी, वहां यही दूसरे वर्ग के करोड़ों परिवारों के दुःख दर्द का कारण बनता जा रहा है, दरिद्रता का कारण बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो बाल अपराध की प्रवृत्ति है उसको समाज के अन्य अंगो से अलग करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि आज जो मौजूदा बाल अपराध है, उनमें बाल-उम्र में बालक छोटे मोटे अपराध करते हैं - उनको सुधारें या उनको दंडित करें या फिर दूसरी प्रकार से शिक्षित करने के लिए जो स्कूलों का प्रावधान किया गया है उसमें शिक्षित करें। लेकिन इस बाल अपराध के असली कारण को देखा नहीं है? आज बाल अपराध बढ़ क्यों रहे है ? इसका कारण क्या है ? इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो मैं यह नहीं कहूंगा कि समाज में भविष्य में बाल अपराध बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन इससे इनकी संख्या कम अवश्य हो सकती है। इसलिए हमें उन कारणों की तलाश करनी चाहिए जिससे समाज में गिरावट आ रही है। आज जो बालकों में जो कई प्रकार के अपराधों को करने की प्रवृत्ति होती है उसके एक नहीं अनेक कारण हैं - जिनकी हमें खोज करनी चाहिए। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा कि आज जितने बाल अपराध हैं उनमें आप एक ऐसा वर्ग पायेंगे जो परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से घर छोड़ कर चला जाता है और घर से चले जाने के बाद में मां-बाप के डर की वजह से, समाज के भय की वजह से वह वापिस घर नहीं आ सकता है। उस वर्ग के पास पैसा भी होना नहीं है इसलिए आम तौर पर वह वर्ग अपराध में लग जाता है। इस तरह का जो वर्ग है, इसके लिए हम सारी व्यवस्था में

Page No 96

(श्री रामकिशन)

थोड़ी परिवर्तन कर बाल अपराधियों को विशेष स्कूल में भेज देंगे या उनको किसी न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा में फेल होने वाले जो बाल अपराधी हैं, जिनमें और अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उनकी संख्या हम ज्ञात करें और उनकी हम जांच पड़ताल कर तो मालूम होगा कि आज अंग्रेजी में हर साल तीन लाख के करीब लड़के फेल हो जाते हैं, और उनमें से कम से कम पांच या दस पर्सेन्ट लड़के घर को छोड़ देते हैं, उसके बाद उनके पास पैसा नही होता है इसलिए वापिस घर आने का कोई कारण नहीं रहता है। इसके साथ ही वह मां बाप से डरते हैं और समाज से भी डरते हैं, इस वजह से और चूंकि उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं होते हैं इसलिए आम तौर पर किसी न किसी प्रकार के अपराध में चाहे जेब काटने का अपराध हो, चाहे भांग, चरस, गांजा आदि का स्मगलिंग करने का अपराध हो—इन अपराधों की ओर प्रवृत्ति हो जाते हैं, या फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं या फिर भीख मांगने का काम या दूसरे काम करने लग जाते हैं। मन्त्री महोदय आज जवाब दे रहे थे तब उन्होने कहा था कि भीख मांगने वालों का सर्वेक्षण करा रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि भीख मांगने वालों की कैटेगरी क्या हैं, किस प्रकार के लोग आम तौर पर भीख मांगते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाल अपराधियों में एक ऐसा वर्ग है जो परीक्षा में फेल हो जाने से घर से चला जाता है और अपराध करने लग जाता है और फेल भी किसमें होता है, कुछ सारे सब्जेक्ट्स में फेल होता है, लेकिन ज्यादातर अंग्रेजी में फेल हो जाता है। इसलिए यदि पढ़ाई-लिखाई और राज्य के काम-काज में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करें तो पांच प्रतिशत, दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत अपराधियों की संख्या कम हो सकती है। आप जानते हैं कि जिनको ऊंची शिक्षा नहीं लेनी है। जिनको विदेशी सेवा में नहीं जाना है, जो साधारण श्रेणी के लोग हैं और जिन्हें इस देश में ही रहना है उनके लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई, रहन-सहन और राज्य का काम लोक भाषा में ही किया जाय। आज पिछले बाइस साल में बाल अपराधियों की संख्या को देखें, उनका अध्ययन करें और बाल अपराध के कारणों का पता लगायें तो आप पायेंगे कि परीक्षा में फेल होने के कारण और विशेष रूप से अंग्रेजी में फेल हो जाने के कारण बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं और उनमें से पांच सात पर्सेन्ट बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्ति हो जाते हैं तो अगर हम बाल अपराधों को कम करना चाहते हैं तो इसके लिये एक शर्त जरूरी है, वह यह है कि अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई को खत्म किया जाय। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हम कोई बड़ी उपलब्धि कर पायेंगे ऐसा नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

दूसरा बड़ा कारण अपराधों का यह है कि आज के हमारे समाज का रहन सहन, पहनावा बड़ा विलक्षण है, इसके कारण

(श्री रामकिशन)

बच्चे किसी न किसी प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम आज किसी भी कालेज या स्कूल में चले जायं, खास तौर से साधारण स्कूलों की बात कहता हूं आज जितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं साधारण स्कूल हैं उनमें चले जायं तो दो तरह के वे बच्चे इन स्कूलों में हमें मिलेंगे। एक तरह के वे बच्चे जो कार में बैठ कर स्कूल आते हैं, अच्छे भड़कीले कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरह के वे गरीब बच्चे हैं जो फटे कपड़े पहनते हैं। इससे बच्चों के मन में ईर्ष्या होना स्वभाविक है। हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे पास भी स्कूल जाने के लिये, कहीं और जगह जाने के लिये साइकिल या मोटर साइकिल हो, मेरे पास भी अच्छे कपड़े पहनने को हों। पर मां बाप की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे उसके लिये ऐसा नहीं कर सकते इसलिये व बच्चे दूसरी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते है और इस तरह से बाल अपराधों की संख्या बढ़ती है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय, आज दो विधेयक हैं, एक तो बालक विधेयक और दूसरा राजस्थान टिनेन्सी सैकिन्ड अमेंडमेंट बिल। बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी में इस दृष्टि कोण से इन दो विधेयकों को रखा गया था कि समय कम लिया जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय निर्धारित कर दिया जाय एक घंटा अधिक से अधिक बालक विधेयक के लिये रख दिया जाय जिससे तीनों वाचन हो सकें और अमेंडमेंट पेश हो जाते हैं तो ठीक है। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से और जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनसे खास तौर से कहूंगा कि सीलिंग कानून बहुत महत्वपूर्ण है, इससे किसी को विरोध नहीं है, गवर्नमेंट जैसा भी यह बिल लाई है, उसको पास कर दें बाद में अमेंडमेंट कर देंगे। यह सीलिंग कानून जिस तरह गवर्नमेंट लाई है, लैंड लोर्ड्स द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है, इसलिये इसे बालक विधेयक पर थोड़ा समय ले कर सीलिंग के बिल को पास कर दिया जाय।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : सभापति महोदय, जो एतराज माननीय रामानन्दजी ने किया है कि समय सीमा बांध दी जाय, मुझे इससे दुख होता है क्योंकि यह बालक विधेयक भी कोई कम महत्व रखने वाला विधेयक नहीं है बालक विधेयक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये। कल आवासन बोर्ड का बिल जल्दी में पास कर दिया, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण बिल था, उसे भी यों ही निकाल दिया। तो सदन को बालक विधेयक पर लाइटली नहीं सोचना चाहिये, नहीं तो बाद में अनेकों अमेंडमेंट लाने की नौबत आयेगी। सरकार तो संविधान में भी परिवर्तन ले आई है, टिनेन्सी एक्ट में अनेकों संशोधन आ चुके हैं, दूसरे अनेकों बिलों पर अनेकों संशोधन आ चुके हैं और आये दिन आते रहते हैं। इसलिये इस बालक विधेयक पर अच्छी तरह से विचार किया

Page No 98

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

जाना चाहिये यों ही पास नहीं कर देना चाहिये। इसके लिये सदन का समय बढ़ाया जाय तो उचित होगा। समय सीमा नहीं बांधी जाय। बहुत से माननीय सदस्यों के कट मोशन्स हैं, उन पर वे बोलना चाहते हैं।

इसलिये मैं आसन से निवेदन करूंगा कि माननीय रामानन्दजी ने जो प्रस्ताव समय की सीमा बांधने का किया है, उसको आप मंजूर नहीं करें।

श्री सभापति : प्रस्ताव को मंजूर करने का प्रश्न नहीं है। मैं डिबेट को देखूंगा, उसके बाद निश्चित करूंगा कि समय सीमा बांधी जाय या नहीं टिनेन्सी का बिल है, वह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, उस पर चर्चा होना आवश्यक है। बालक विधेयक का जहां तक प्रश्न है, यह सेलेक्ट कमेटी को जा चुका है और सेलेक्ट कमेटी में डिस्कशन के बाद सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट के बाद यह हाउस में आया है। इसलिये इस पर जो रीजनेबल बहस होगी, उस पर तो मैं प्रतिबन्ध नहीं लगाऊंगा, पर जब डाइलेक्टरी डिबेट होगी कि इसको पास करने में डिले की जाय तो उस समय मैं सोचूंगा। अभी वह स्थिति नहीं है।

यस, श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन शर्मा (वैर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उन परिस्थितियों को दूर करना चाहिये जिनसे बच्चे दूसरी प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त होते हैं। स्कूलों में जो अलग अलग रहन-सहन और पहनावे का खेल है, उसको दूर करना चाहिये। दुनियां के दूसरे देशों में फौज और स्कूलों के लिये एक तरह ही ड्रेस कर दी है। इसलिये मैं चाहूँगा कि हमारे यहां स्कूलों और कालेजों में सब लड़कों की चाहे वे अमीर हों चाहे गरीब हों, सबकी एक समान ड्रेस कर देनी चाहिये और अमीरों के लड़कों को भड़कीली पौशाक नहीं पहनने दी जाय जिससे कि बच्चों में बाल अपराध करने की प्रवृत्ति ही पैदा नहीं हो। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य शायद इसे समझे नहीं हैं। समाज की व्यवस्था को रहन सहन, पहनावे को बदले और इस प्रकार के अपराधों में कमी नहीं की जा सकती है।

बाल अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस तरह हमें बाल अपराधों में कमी करने के लिये पहनावा, पोशाक के बारे में एक रूपता लाने की कोशिश करनी चाहिये, उसी प्रकार जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाना होगा। हमारा सांस्कृति के लिये पुराने समय में गर्व करते होंगे पर आज हम उस पर गर्व नहीं कर सकते। आज कुछ वर्ग कुछ जातियां हमारे इस देश में ऐसी हैं, जो जन्म से भिक्षा मांगने प्रवृत्ति पैदा करती है चाहे सुरामा के नाम से इस प्रवृत्ति को चलाया गया हो, चाहे और किसी नाम से कि ब्राह्मण का बच्चा भीख मांगे चाहे जनेऊ लेने के समय, जिस समय कि बच्चे की ११ वर्ष की उम्र होती है, उस समय हमारी पुरानी संस्कृति ने बताया है कि ब्राह्मण के बच्चे के द्वारा भीख मांगा जाय, तो उसको हमें मिटाना होगा। हमारी

(श्री रामकिशन)

स्मृतियां हैं, हमारे पुराण हैं, इनमें जो हमारी संस्कृति की विवेचना है, उसको बदल देने के लिये तो मैं नहीं कहता पर उस विवेचन को, उसके इन्टर प्रेटेशन को नये ढंग से समाज के सामने रखना चाहिये। हमारी पाठ्य पुस्तकों में, दूसरी चीजों में उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। अगर यह आज हम कहते है तो अपराधों की संख्या में कमी होगी।

इसके अलावा मै यह कहना चाहूंगा कि आज का जो नया साहित्य है, वह भी अपराधों को बढ़ाने मे एक कारण है। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपका काम केवल इतना ही नहीं है बाल अपराधियों को पकड़ें और उनको सुधार गृहों में भेज दे। आज का नया साहित्य अपराध करने की ओर प्रोत्साहित करता है; इस प्रकार के नये साहित्य को आपको रोकना होगा। आप तो आगरा कालेज में पढ़े हैं। पुराने साहित्य का मैंने जिक्र किया, उसमें ब्राह्मण, द्विज, अद्विज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण अपराध बढ़े हैं; पर नये साहित्य से भी अपराध बढ़ते हैं। अमेरिका के साहित्य से अपराध करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलता है। हमारे यहां विदेशी साहित्य ऐसा आ रहा है बहादुरी के कर्त्तव्य दिखाने का, युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिये नहीं पर प्रेमिका को आकर्षित करने के लिये बहादुरी के कर्त्तव्य दिखाने का साहित्य आ रहा है कि प्रेमिका को आकर्षित करने के लिये कौन सा बहादुरी का कार्य करना चाहिये। ऐसा साहित्य हमारे देश में बंटेगा तो उसका बुरा असर हिन्दुस्तान के बच्चों पर और प्रौढ़ों पर भी अवश्य पड़ेगा। इस प्रकार के साहित्य को रोकने के प्रयत्न नहीं किये गये तो यह अपराधों की समस्या और भी भयंकर रूप धारण करके हमारे सामने आयेगी।

इस सारे बिल को देख लीजिये, इस बिल में कोई योजना नहीं रखी गई है कि किस प्रकार अपराधों को कम किया जायगा, किस प्रकार अपराधियों को कम किया जाय। बाल मनो विज्ञान है, इस सबके अध्ययन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। केवल इसमें बोर्ड के गठन की बात और न्यायालय के गठन की बात कही गई है। सरकार कहती है कि इस बोर्ड में बाल मनो विज्ञान के विशेषज्ञ होंगे, इसमें महिला सदस्य को भी रखा गया है, महिला सदस्य का इसमें रखा जाना आवश्यक है क्योंकि मां का, बहिन का बच्चों से निकट का सम्बन्ध रहता है। माताएं एक वाक्य से बच्चों के जीवन को बदल सकती हैं। पर आपने कहा है कि बोर्ड बनायेंगे, न्यायालय बनायेंगे, उनमें बाल मनो विज्ञान के विशेषज्ञों को रखा जायगा, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किये हुए कितने आदमी हैं। बाल मनो विज्ञान की न कालेजों में पढ़ाई होती है, न यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई होती है। जो पुरानी संस्कृति में सत्य वद आदि के लिये व्यवस्था की गई है, उसको हिन्दुस्तान भूलता जा रहा है, नया ज्ञान आपके पास है नहीं; तो मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड में नियुक्त करने के लिये आपको बाल मनो विज्ञान के विशेषज्ञ मिलेंगे कहां

(श्री रामकिशन)

से । आप यही करेंगे कि जोशीजी का जानकार होगा तो उसको रख लेंगे, दूसरे की जान पहिचान का होगा तो उसको रख लेंगे दूसरे की जान पहिचान का होगा तो उसको रख लेंगे । तो ऐसे कौनसे आदमी हैं, जिनको आप रखेंगे ?

सभापति महोदय, इसमें उम्र के सम्बन्ध में जिक्र किया गया है, यह गलती की है । लड़के के लिये २० साल माना है, लड़की के लिये १८ साल माना है कि इस उम्र में ये प्रौढ़ होते है ।

मैं समझता हूं थोड़ी सी भूल कर रहे हैं ।

श्री विश्म्बरनाथ जोशी : १६ और १८ हैं ।

श्री रामकिशन : दोनों हैं । आप दोनों को पढ़ लें । आपने उल्टा किया है, क्योंकि समाज विज्ञान का प्रश्न है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्त्रियां जवान भी जल्दी होती हैं और बुढ़िया भी जल्दी होती हैं, लड़कियां जल्दी बढ़ती हैं और बुढ़ापा भी स्त्रियों का जल्दी आता है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : स्त्रियों के बारे में आपके विशेष ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं ।

श्री रामकिशन : आपको भी तो ज्ञान है, नहीं तो ११ बच्चों का बाप कैसे बने ?

श्री रामानंद अग्रवाल : इसको एक्सपंज किया जाय, ११ बच्चों वाली बात झूठी है ।

श्री रामकिशन : ८ रख लें ?

श्री सभापति : आप क्यों ईर्ष्या रखते हैं, आपको रोक थोड़े ही है ?

श्री रामकिशन : आपने जो १६ व १८ उम्र रखी है तो लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं इसलिए लड़कों की १८ रखी जाय और लड़कियों की १६ रखी जाय । हमारे समाज शास्त्री मार्क्स विवर दर्शन का सबसे बड़ा समाज शास्त्री रहा है जर्मनी वाला, उसने विश्लेषण किया है मनुष्य के अंगों के विकास का और समाज की विकसित अर्थ व्यवस्था में मनुष्य की प्रवृतियों का अध्याय है । उस पर आप विचार करें और उम्र की दो सीमायें रखें, लड़कियों के लिए कम और लड़कों के लिए ज्यादा रखें । आपने विशेष स्कूल की चर्चा की है, उनको सुधार घरों में रखा जाया और एक आफिसर की नियुक्ति की भी चर्चा की है । लेकिन आपके पास विशेषज्ञ हैं क्या अगर नहीं हैं तो प्रारंभ में किस प्रकार से इस काम को चलायेगें ? मंत्री उत्तर देते समय बतायें कि राजस्थान में इस मामले में कितने विशेषज्ञ हैं तो किस प्रकार से अनुभव है, किताबों के अनुभव वाले नहीं, वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव वाले ? तब तो हम समझेंगे कि बालगृहों के मारफत समाज के उपेक्षित वर्ग को सुधार सकते हैं, अन्यथा नुकसान हो सकता है । एक उम्र होती है जब बच्चा गड़बड़ी करता है, गलती करता है लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे बच्चा सब कुछ समझता है । सुधारने के तरीके होते है ।

(श्री रामकिशन)

ऐसे बच्चों को किसी छोटे मोटे अपराध पर अलग रख देते हैं और बालक अपराधियों के बीच रखते हैं तो उसके जो संस्कार थे, वह संमिश्रण हो जायेंगे। अगर बाई चांस एक खराब काम किया तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और उनके साथ उसमें वैसे ही संस्कार पड़ जायेंगे, उससे नुकसान हो जायगा। आप बालक अपराधियों को लेकर किस प्रकार से क्या प्रकिया अपनायेगें? कानून में व्यवस्था नहीं की गई है। उसको लाने की, स्कूल में भेजने की, सुपुर्द करने की, सारी व्यवस्था की है बाकी उन मुद्दों के बारे में कानून चुप है। ऐसी हालत में अगर बच्चा एक बार अपराध करे दो बार करे तो क्या व्यवस्था करेगें? अगर वह अभ्यास अपराधी है तो उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है।

हम प्रोढ़ लोग विधान सभा के सदस्य हैं। सभी २५ साल से ऊपर हैं। हमें समाज के उत्थान व पतन और राज्य की आर्थिक स्थिति, देश के दूसरे मामलों की जानकारी है, ऐसा मानकर चलते है। इसमें आपने उपेक्षित वालकों की व्यवस्था की लेकिन हमारे समाज में कुछ अवैध संतानें भी होती हैं। वह न हों यह जरूरी है, उससे समाज तरक्की नहीं कर सकता लेकिन वह वास्तविकता है कि मनुष्य जो कि मनुष्य जो कि जन्मा है, तब से किसी न किसी रूप में कभी न कभी अवैध संताने होती रही हैं और जब तक मनुष्य जीता रहेगा तब तक अवैध संतानें होती रहेगें। थोड़ी तादाद में रहनी चाहिए। नकि बढ़नी चाहिए। मैं अवैध संतानों का समर्थन नहीं करता लेकिन जमीन के चांसलर विलेज ब्राड ने अवैध संतानों पर एक किताब लिखी है, कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। तो देश में जल्दी व्यस्था करनी चाहिए कि अवैध संतानो के पालन पोषण का क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए। यूरोप की स्थिति दूसरी है, वहां स्त्री पुरुषों के संबंधों के मामले में दूसरी व्याख्या है। हमारे देश में दूसरे प्रकार के संस्कार है लेकिन यह सत्य है कि अवैध संतानें होती हैं, इसमें सबको शामिल करें, सबके लिए उल्लेख करें, तो उत्तम होगा।

जब चर्चा चल रही है तो मुझे महाभारत का प्रसंग याद आता है। कर्ण, सबसे वड़ा योद्धा, सबसे बड़ा उदार और सबसे बड़ा राजभक्त माना जाता था लेकिन युद्ध के समय उनके प्रतिपक्षी उनके मन के घाव को गहन करने के लिए उन पर ताना कसते थे कि आप बहादुर बनते हो लेकिन आपके बाप का पता नहीं तो कर्ण शांत हो जाता था, सारे हथियार रख देते थे और दुखी हो जाते थे लेकिन जब विजय पराजय में बदलना शुरू होता था कहते थे कि मेरे बाप की जानकारी नहीं है लेकिन जन्म में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा तो मौजूदा कर्मो के अनुसार, मेरे आचरण का अंदाजा लगायें, उससे मुझ में साहस पैदा होता है, उसी समय दूसरे जो मित्र हैं, उनको उत्साहित करते हैं। विधवा या कुंवारी मां के लिए समाज में सम्मानपूर्ण दर्जा देना चाहिए। मैं इस तरह की प्रवृति का हिमायति नहीं हूं लेकिन एतिहासिक तथ्य है, सारी प्रतिक्रियायें होती रहती है। इस संबंध में अलग व्यवस्था नहीं करेंगे तो समाज

(श्री रामकिशन)

का एक बड़ा तबका जिसमें कर्ण विलंग ब्रांड और वेद व्यास जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, जो महापुरुष हो सकते हैं, उनसे हम वंचित रहेंगे। तो आपने जो प्रावधान है, किया है, उनसे मुझे एतराज नहीं।

मैं घर के वातावरण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बच्चों का बिगड़ना घर के वातावरण पर भी निर्भर करता है। मैं नहीं चाहता कि हर घर में समाज कल्याण अधिकारी प्रवेश करे लेकिन हमारा सांस्कृति पुर्नस्थान होना चाहिए, हम सारे जीवन को परिवर्तित करें चाहे चीन जैसी क्रांति हो चाहे हम चीन की निन्दा करते हों। रामानंदजी भी निंदा करते हैं लेकिन मैं उसको एक विशेषता मानता हूं। उस क्रांति में खराबी थी, उसके पीछे हिंसा है और वह एक अधिकार लेना चाहते थे, अपने प्रतिपक्ष से लेना चाहते थे, उसमें यह बुरा अंश है लेकिन भला हिस्सा भी है। चीन में चाहे जनरल को देखें चाहे मंत्री को देख लें, स्कूल मास्टर को देख लें चाहे पटवारी और गिरदावर को देख लें, रेवेन्यू आफिसर को देख ले। केवल एक नीली ड्रेस और एक जूता। स्त्री व पुरुषों के लिए तरह तरह के बनावटी फैशन का युग वहां नहीं है। हमारे देश में भी सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है लेकिन चीन की तरह जनेऊ तोड़ दो चंटी तोड़ दो यह नहीं। लेकिन समय आ गया है आज एक तरफ फटे कपड़ों में बच्चे घूमते हैं और दूसरी तरह डेढ़ डेढ़ दो दो हजार के कपड़े पहनकर कारों में चलते हैं। तो गरीब बच्चों पर प्रतिक्रिया होती है। आप पूजींवाद के ऊपरी प्रतीक हैं उनके लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार प्रयत्न नहीं करेगा तो सारी आपकी प्रतिक्रिया इससे पूरी नहीं हो पाएगी इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करना चाहता हूं कि टेनन्सी बिल जिसमें मेरी भी दिलचस्पी है, बहुत दिनों से एजीटेशन कर रहे हैं, उसको लेना है। एक बात और निवेदन करूं कि इसमें प्रावधान किया गया है कि बालकों का राजनैतिक कामों के लिए उपयोग नहीं किया जायगा, यह सरकार की उल्टी अकल है। इस कारण २० साल से देश में अनुशासन का प्रश्न खड़ा हुआ है। इस सरकार का आजादी के आने के बाद दृष्टिकोण बन गया है कि नौजवानों का राजनीति से सबंध नही है पांच सात साल के बच्चे पर पाबन्दी लगाये। पन्द्रह और सोलह साल के बच्चों को राजनीति से दूर रखेंगे तो विवेकानन्द होस्टल में हुए जैसे काण्ड ही होंगे। उसको आप अधिकार देंगे तो वह बच्चा अपनी समाज में कुछ हैसियत समझेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। सन् १९४७ से पहले विद्यार्थी के रूप में राजनीति में थे आज सर्वोच्च शिखर पर है। हमने बीस वर्ष में बच्चों और जवानों को राजनीति से दूर रखा। कांग्रेस के नेताओं को यह डर रहा है कि जवानों से हमें वोट नहीं मिलते। यदि १८ साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार दे दें तो विधान सभा के मौजूदा सदस्य जीत पायेंगे। राजनैतिक कामों में बच्चों को न जाने दें इसके लिये में यह मानने के लिये तैयार हूं कि दस साल के बारह साल के बच्चे राजनीति में न जाये। १७ साल के बच्चों को राजनीति में नहीं आने देंगे तो यही हालत होंगे जो आज हो रहे हैं। जब बच्चा १८ साल की उम्र का

(श्री रामकिशन)

होता है तो हायर सेकेण्डरी पास कर लेता है, उसका ज्ञान विकसित हो जाता है, वह खेती के बारे में जानता है, वह कारखानों के बारे में जानता है, वह समाजिक व्यवस्था के बारे में जानता है, वह नौकरियों के बारे में जानता है, वह भ्रष्टाचार के बारे में जानता है। उस को राजनीति से अलग करेंगे तो वह अनुशासन में नहीं रह कर अनुशान से बाहर होगा। उसकी शक्ति दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जायेगी और समाज में अव्यवस्था पैदा हो जावेगी। सौलह सत्रह वर्ष के बच्चों को, यदि वे राजनीति मे आना चाहते है तो उनको रोका न जाय। छोटे बच्चों पर रोक लगायी जाय।

भीख मांगना हिन्दुस्तान में दो दृष्टि से हमेशा रहा है। एक तो संस्कारों के कारण और दूसरा गरीबी के कारण। रोजगार कहीं दे पायेंगे तो इसको कैसे रोक पायेंगे। गांवों में पेशेवर लोग हैं जो गाना बजाना करके दूसरी तरह से भीख मांगते हैं। वह भीख एक क्षण में बन्द हो। उनका आत्म सम्मान जगेगा। जब इसको बन्द करते हैं तो उसके लिए रोजगार का पहले प्रावधान करिये। नहीं करेंगे तो यह कानून धरा रह जावेगा। संस्कार वाला मामला है, उसके लिये कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसी जातियां हैं जैसे जशी जो हैं, समाज कल्याण मंत्री, स्वयं जानते है। वे जातियां कहती हैं कि भीख मांगना हमारा अधिकार है। पांच हजार वर्ष से यह चर्चा चलायी जा रही है ब्राह्मण भीख मांगे तो कोई हर्ज नहीं। ऐसी जो पुस्तके हैं उनकी पुनर्चना करनी होगी। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण खेती न करे वरना नरक में चला जावेगा। जब तक इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो कर्मशील बन नहीं सकते। इस विधेयक को प्रवर समिति ने देखा है और विचार किया है लेकिन मनो वैज्ञानिक और सामजिक प्रश्न जो हैं इसलिए जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

आर यू वेरी सीरियस अबाउट इट ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I want to place some facts.

श्री सभापति : Please be very short.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बहुत संक्षेप में। पांच मिनिट से अधिक का समय नहीं लूंगा मेरा प्रस्ताव है कि :— 'प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बालक विधेयक, १६६६ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।'

सभापति महोदय, मैं ऐसा अन्दाज लगाता हूं कि यह बिल केन्द्र से आया है और हमारे योजना में क्या अभाव है,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एक्स्पेन्सेज को मीट भी कर पायेंगे या नहीं उसके संबंध में राजस्थान सरकार के पास न तो कोई डाटा है और न ही मालूम है कि समस्या का स्वरूप क्या होगा। अब तक भारत वर्ष में जितना सर्वे हुआ है उस सेम्पल सर्वे के आधार पर सन् १४ से सन् ६८ तक जेवेनियल ओफेन्डर्स की संख्या है, ८ से १८ वर्ष तक उम्र के बच्चों की गिनती इस समय ४०० टाइम्स तक बढ़ी है। इस सम्बन्ध में सारा इतिहास और लेट्रेचर पढ़ा जाय तो सदन को जानकर यह पीड़ा होगी कि इस समस्या को राजस्थान सरकार निपट कैसे पायेगी, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार के पास उतने साधन हैं कि वह इस समस्या से निपट सके। फाइनेन्शियल प्रोविजन दस लाख रुपये का रखा है। डिलिन्क्वेन्सीज और नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आधा पर जो कुछ नतीजे सामने आये, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन जिसकी डेफिनिशन बालक विधेयक में दी गयी है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन वे हैं जिनके माता पिता केयर नहीं कर सकते हैं और करना नहीं चाहते उनकी इसमें गिनती आ जाती है। जयपुर की बस्ती की बालकों की संख्या कम से कम दो लाख है। राजस्थान की अरबन पापुलेशन में ११ लाख इस उम्र के बच्चों की संख्या है। सेम्पल सर्वे के अनुसार नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन उनको मानते है. मिनरवा सिनेमा के पीछे घरों में चले जाइये कोई घर ऐसा नहीं होगा जहा बच्चे नेग्लेक्टेड न हो। फेमिली प्लानिंग नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी माता पिता कोई भी बच्चे का वजन उठाना नहीं चाहते और न ही उनकी आर्थिक अवस्था है दस लाख का प्रोविजन रख कर तो इसको टालने का प्रयत्न ही करेंगे। लिमिटेड बच्चों के लिये ही कुछ करते हैं तो मैं कुछ नहीं करना चाहता। वरन वरना इतनी बड़ी जाइगेन्टिक प्रोब्लम है उसको मीट करना बड़ा मुश्किल है। यह नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन और डिलिन्क्वेंट चिल्ड्रन के पीछे, राज्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि, मूल कारण हमारे यहां की गरीबी है। यह गांवों की समस्या नहीं शहरों की समस्या है। एक तो गांवों से चलकर शहरों में लोग आते हैं, उनके रहने के लिये स्थान नहीं है तो वह स्ट्रीट पर ही रहते हैं शहर की तरफ वे खिचें स्ट्रीट पर टिके और अपराध करने लगे और नेग्लेक्टेड हो गये। थर्ड वे हैं जो इस शहर के रहने वाले हैं जिनके माता पिता की हालत नहीं है कि वे खाने को दे सकें। सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने मेरे यहां के दो गांवों का सेम्पल सर्वे कराया जिसमें ९८ प्रतिशत ऐसे बच्चे थे जिनको न्यूट्रिशन का अभाव था। आंखों से कीचड़ निकलता है और पेट जिनका बढ़ गया है। इस गरीबी को दूर नहीं कर पायें हैं तो यह समाधान आप कुछ टाउन्स के लिये करने जा रहे हैं। यह एक इतनी बड़ी जइगेन्टिक प्रोब्लेम हो जावेगी कि राजस्थान राज्य के लिये बड़ा मुश्किल हो जावेगा। समाजवाद के नारे के बाद पोलेराइजेशन होना चाहिये था, वेग्रेसी और नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के लिये जो विचार कर रहे हैं, जो भावी पीढ़ी है, उन होनहार के लिये सोचें तो हमारी समस्या केवल मात्र आर्थिक दशा सुधारने की ओर रहनी चाहिये और इस अवस्था में जिस प्रकार की योजनायें बन रही हैं, हम एक हजार वर्ष में भी गरीबी को दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिये धक्का लगा है। समाजवाद

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आये बिना, सामाजिक समृद्धि आये बिना कोई और तरीका नहीं है। अमेरिका ने सौ वर्ष में गरीबी को दूर किया जो हमारे लिये अनहोनी बात है।

आज इतनी गति तेज हो गई है, डाक्टर कोठारी ने एक आर्टिकल में लिखा है, आज आप जो कुछ भी आर्टिकल रिसर्च कर रहे हैं वह एक हफ्ते के बाद में पुराना हो जायेगा। हमारी गति २५ हजार किलोमीटर एक घन्टे के अन्दर हो गई है। आपके बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उनकी समस्याओं का आप निपटारा नहीं करेंगे तो वे उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। समाज की बात आज चली गई है, युवक वर्ग समाप्त हो गया है किन्तु बच्चे इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सारी कठिनाइयों के सम्बन्ध में जितना साइकलोजिकली, सोशियोलोजिकली इसका सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में विस्तार से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है। उसके लिये आपके पास में तैयारी है या नहीं ? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इतनी बड़ी समस्या उलझाकर आप एक नई प्राब्लम को क्रियेट नहीं करें। इसको रिसीव मत करिये। यह आपके पास ही रहे। इसके द्वारा आप कल्याण कर सकें, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर जनमत लिया जाना चाहिये और जनमत के लिये इस बिल को परिचालित किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

संक्षिप्त में कहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, राजस्थान बालक विधेयक, १६६६ के सम्बन्ध में मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि इसको जनमत के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : आपका प्रवर समिति के लिये है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके लिये सभापति महोदय, बोर्ड गठित करने का भी निर्णय लिया गया है और बालकों पर नियंत्रण के लिये विशेष प्रकार की अदालतों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन इस बोर्ड की स्थापना के पहले हमें उन कारणों पर प्रकाश डालना पड़ेगा कि बच्चों का किस तरह से सुधार किया जाये और बच्चों के सुधार के लिये कौनसे कार्य जरुरी हैं। क्योंकि बच्चों के अन्दर भी भेदभाव पैदा होता है वह शुरु से ही, बचपन से ही, भेदभाव से होता है। इस राज्य में ऐसा है, एक पड़ौसी का बच्चा जो बिलकुल गरीब है स्कूल नहीं जाता है, खाने के लिये उसको अच्छा भोजन नहीं मिलता है, पहिनने को पूरा कपड़ा नहीं मिलता है और दूसरी तरफ एक मंत्री का बच्चा सरकारी गाड़ी में स्कूल जाता है और स्कूल का समय खतम होते ही सरकारी गाड़ी उसको लेने के लिये जाती है। इस प्रकार की प्रवृतियों को देख कर बच्चों के दिल में जलन पैदा होती है। इन बातों को बच्चों के माता पिता को देखना चाहिये कि ऐसी गलत परम्परा देश के अन्दर क्यों पैदा हो रही है। इसका आगे चल कर बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। इससे आगे चल

(श्री रामचंद्र आर्य)

कर बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं। उनकी जरुरतें पूरी नही होती हैं। और जरुरतें पूरी नही होने की वजह से वे बिगड़ जाते हैं। और सरकार इस बात को शायद महसूस नहीं करती है। जो बच्चे आवारा है, लावारिस हैं, उनके बारे में यह सरकार इस बिल को पारित करना चाहती है। इस विधेयक को पारित करने के पहले यह सोचना पड़ेगा कि बच्चों के लिये सही मायने में इसका उपयोग भी है। क्योंकि राजस्थान के अन्दर, गांवों के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति है, वहां पर बच्चों के लिये खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है, दूसरी कोई व्यवस्था होना तो दूर रहा, बच्चों को खाने के लिये, पूरा भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिये आप यह कानून पेश करके, इसको पास करके, एक बोर्ड बना सकते हैं। इससे आप कुछ आदमियों को फायदा जरूर दे सकते हैं लेकिन बच्चों के विकास के लिये जो जरुरी है वह आप नहीं कर पायेगें। इसलिये इसको जनता में प्रचार करने के लिये भेजा जाये और जो कमियां है उनको जानने का प्रयत्न किया जाये और उन कमियों को जानने के बाद इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और यह निवेदन करना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी तो, सभापति महोदय, एक-दो मिनिट ही बोला हूं। कम से कम पांच मिनिट तो होने चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो राज करने वाले हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिये। यह जो गलत परम्परा की है देश के अन्दर और जिससे आम गरीब लोगों में जो भेदभाव पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिये सबसे पहले सरकार के जितने सदस्य हैं, वे पहले कदम उठावें और वे अपने बच्चों को जिस तरह से रखते हैं उसी तरह से दूसरों के बच्चों को रखें। जिस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं उसी तरह से गरीब के बच्चों को भी शिक्षा दें। अगर यह नहीं करते हैं तो गांवों में इस प्रकार कानून बना देने से कोई लाभ नही होगा। बच्चों की अमुमन आदत जो बिगड़ती है वह उनकी जरूरत पूरी नहीं होने की वजह से बिगड़ती है और उनकी जरुरत पूरी नहीं की जा सकती है जब तक समाज के अन्दर सभी बराबर न हों। देश के अन्दर समाजवाद न हो। यह सरकार समाजवाद की दुहाई देती है लेकिन कोई भी समाजवाद लाने का कार्य नहीं करती है। इस सरकार का समाजवाद केवल एक नारा है, यह नारा ही दे सकती है, समाजवाद को कायम नहीं कर सकती। समाजवाद को कायम करने के लिये त्याग की भावना बरतनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ सब्जी लेने के लिये गाड़ी दौड़ती है, गाड़ी को आप भेजते हैं। तो यह समाजवाद की बात एक ढोंग है। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रांत है और उसमें बच्चों के सुधार के लिये कुछ करना है और यदि उनका सुधार नहीं किया गया है तो बच्चे आवारा होंगे। इसी तरह से छात्रावासों में झगड़े होते हैं। ये झगड़े करवाये जाते हैं। जात पांत का

(श्री रामचंद्र आर्य)

पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनको भड़काया जाता है। इसी तरह से आप राजपूत और जाट और दूसरी जाति को लड़ा रहे हैं। जानबूझकर यह सरकार स्वयं उनको लड़ा रही है ताकि इस तरह से एकता कायम न रहे। और यह जहर का बीज सरकार बो रही है। बच्चों के अन्दर यह भेदभाव सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून पास करने से ही सरकार क्या सुधार कर सकेगी। यह सरकार का ढोंग मात्र है। इसका केवल प्रचार ही जनता में किया जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रचार के लिये जनता में परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : श्री रामानंद अग्रवाल। प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं तो सीलिंग पर ही बोलूंगा।

श्री सभापति : वेरी गुड। श्री मन्त्री महोदय।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री सभापति : एक सेकेण्ड। मैं देखता हूं।

यस, श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बालक विधेयक, १६६६ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। आज जो विधेयक सदन के सामने है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक दस वर्ष पहले आ जाना चाहिये था। राज्य सरकार या भारत सरकार दोनों ने ही जो निर्णय किया है सत्ता परिवर्तन में....

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, कोरम नहीं है। गणपूरक (गणपूरक घंटी)

केसरीसिंह हाड़ा : इसके अन्दर बच्चों को एक टूल बनाया था। कितने ही आंदोलन करवाये, कितनी ही हड़तालें करवाई और कितनी ही खिलाफत अंग्रेजी राज के खिलाफ इस सरकार ने बच्चों के द्वारा करवाई है।

गणपूरकघंटी

श्री रामकिशन : आपके लोगों की रुचि बालक विधेयक पर ज्यादा नहीं है। आपकी संख्या ज्यादा है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप वोट ले लीजिये, हम जीतेंगे।

गणपूरकघंटी

श्री रामचन्द्र आर्य : ये कुत्ते को हलुआ खिलाते हैं, इसलिये जरूरत नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय. मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो यह शासनारूढ़ सरकार है उसने इन बच्चों

Page No 108

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

को राज्य परिवर्तन के लिये काफी हद तक बनाया था और आज यह सरकार चाहती है कि बच्चों से, बालकों से, कि वे राजनीति में भाग न लें। यह बड़े दुःख की बात है कि अगर बच्चों को राजनीति से परे रखा जायेगा तो आखिर हम लोगों के बाद आयेगा कौन ? इस सदन में कौन आयेगा ? आखिर ये ही बच्चे प्रौढ़ होंगे, युवा होंगे और वे ही इस सदन में आकर इस सरकार का काम करेंगे, लेजिस्लेशन बनायेंगे। इसलिये सरकार की यह जो प्रवृति है कि बालकों को इससे दूर रखा जाये, यह दोषपूर्ण है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जनसंघ में नहीं ले जा सकते।

श्री विश्म्बर नाथ जोशी : सभापति महोदय, सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं, ४४ ए का प्रावधान था राजनैतिक पार्टियां इनका एक्सप्लोइटेशन न कर सकें यह रखा गया था। इसके होने से सम्भवत: इस प्रकार की शिकायत आ सकती थी कि किसी पार्टी के खिलाफ यह लाया जा रहा है। इस बिल को नोन कण्ट्रोवसियल बनाने की दृष्टि से इसको विलोपित कर दिया गया है।

श्री रामकिशन : आपने इसको प्रिण्ट ही इस तरह से करवाया है कि समझ में नहीं आता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, बालकों के स्वभाव के बारे में निवेदन करूं कि वे किस तरह बिगड़ते हैं और कहां बिगड़ते हैं...

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव जनमत जानने हेतु भिजवाने के लिये है, उसी पर बोलिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं यही बता रहा हूं कि जनता का इतना मानस ही नहीं है कि वह इस पर विचार कर सके। इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चे बिगड़ते क्यों है ? मेरा यह आरोप है कि राज्य सरकार जनरली बिगाड़ती है बच्चों को। बच्चे किस तरह से जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले हो जाते हैं, जेब कट किस तरह से होते हैं ? इसलिये विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, हम इस बात को विचार करें कि बच्चे घरों में ज्यादा बिगड़ते हैं या राज्य शालाओं में बिगड़ते हैं या विद्यालयों में बिगड़ते हैं। घर का जैसा वातावरण है उसी का असर बच्चों पर जल्दी पड़ता है। अगर घर में बाप शराब पीने वाला होगा तो बच्चा भी सीखेगा, जुआ खेलने का आदी होगा तो जुआरी होने का अन्देशा है। इसी तरह से जिस वातावरण से बच्चे रहते हैं उसके अनुसार वे अपने आपको जल्दी ढाल लेते है। यदि घर का वातावरण सुधरा हुआ रहेगा तो बच्चा सुधरा हुआ रहेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार का जिस प्रकार का रवैया रहा है, तौर तरीका है वह बालकों का मानस बिगाड़ता है। सरकार कभी क्या कहती है और अपने कहे हुए से उलट जाती है, पलट जाती है, उससे बच्चों का भी मानस उसी तरह से बनता है। सरकार अपने वादों पर, वचनों पर, नहीं

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

रहती, बच्चे भी उसी का अनुकरण करते हैं। सरकार को इस प्रकार के उदाहरण पेश करने चाहिये, जनता के सामने ऐसे उदाहरण हो जिससे बच्चे और दूसरे भी उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मुझे अफसोस है कि वैसा है नहीं।

शिक्षा को ही ले लीजिये। शिक्षा प्रणाली, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दूषित है। आज तो केवल वेषभूषा और किताबों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक छोटे स्कूल में भी बच्चों पर ड्रेस की पाबन्दी लगा दी जाती है, सफेद कमीज होना चाहिये, खाकी नेकर होना चाहिये, फलां रंग का पतलून होना चाहिये। इसी तरह से लड़कियों के लिये भी फलां रंग का फ्राक होना चाहिये, फलां रंग का स्कर्ट होना चाहिये, उसके बिना वे बच्चों को पढ़ने के लिये अलाऊ नहीं करते। आज परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि वे इस तरह का खर्चा बरदाश्त कर सकें। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिये इस पर विचार करे, ऐसी ऐसी पुस्तकों की रचना की जाय जिसमें बच्चों के सुधार में मदद मिले। देश में धर्म निरपेक्षता का हमने नारा दिया है लेकिन जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको हम भुला रहे हैं, हरेक के लिये अलग अलग दायरा निर्धारित किया हुआ था, पति पत्नी, पिता पुत्र, अध्यापक शिष्य इनका किसका क्या दायरा है वे उसी के अनुसार आचरण करते थे। आज वे सब दायरे समाप्त हो गये। पति पत्नी में झगड़ा रहता है, विद्यार्थी अध्यापक में झगड़ा रहता है, आज विद्यार्थी अध्यापकों के खिलाफ नारे बाजी करते हैं। आज यह स्थिति क्यों हो रही है, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर अध्यापक वास्तव में अध्यापक होता है, पितृ तुल्य होता है, ऐसी विशेषता उसमें होनी चाहिये कि शिष्य या पुत्र उसको उसी रूप में मान सके। यह तो मानी हुई बात है कि जिस प्रकार का आचरण अध्यापक करता है, जिस प्रकार का उसका चाल चलन होता है जिस प्रकार का वह आचरण करता है बालक उसी के अनुसार अपने को बनाता है। आज हम देखते क्या हैं कि अध्यापक और अध्यापिकाओं को जो स्कूलों में पार्टी करते हैं उसमें बच्चों को भी शामिल करते हैं उसमें बच्चों को तो मामूली सा खाना देते हैं और बढ़िया खाना मास्टर और अध्यापिकायें खा जाती हैं। आखिर इसका रिफलेक्शन क्या पडता है बच्चों के मानस पर। इसी प्रकार के माता पिता भी होते हैं जो बच्चों के सोजाने के बाद बढ़िया मिठाइयां मंगाकर खाते रहते हैं

एक मा० सदस्य: रामकिशन जी के ८. ९ बच्चे हैं ये क्या करते होंगे?

श्री केसरी सिंह हाडा: बच्चों को भंग पिलाकर सुला देते होंगे।

श्री रामकिशन: तो क्या आप यह चाहते हैं ऐसे माता पिताओं की समाज कल्याण अधिकारी निगरानी रखे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: सभापति महोदय मेरे तो केवल तीन ही बच्चे हैं इसलिये मेरे सामने यह सवाल नहीं कि हम अपने

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

बच्चों के साथ खाने पीने का भेद भाव करें। मेरा निवेदन यही करना है कि जिस प्रकार का वातावरण घर में होता है, स्कूल का होता है, घर के आस पास होता है, उसी का असर बच्चों के मानस पर पड़ता है। उसी के अनुसार वे सुधरते हैं और बिगड़ते है। इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार इस बात पर पूरी तरह से विचार करे और इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित करे, यही मेरा संशोधन है।

श्री **विश्वम्बरनाथ जोशी** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, जो बालक विधेयक आज सदन के सामने आया है वह आज से बीस साल पहले ही आजाना चाहिये था। दूसरा मेरा यह भी निवेदन है कि इसमें जो जो क्लाज़ेज़ हैं, जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें कोई भी विवादग्रस्त बात नहीं है। यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक की आवश्यकता सभी ओर से महसूस की गई हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधेयक आया है उसका उद्देश्य जनहितकारी और समाज सुधारक और भारत की और राजस्थान की नयी पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने का है। इसको माननीय सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से समर्थन मिलना चाहिये और सर्व सम्मति से इसको पास किया जाना चाहिये, भारत के अधिकांश राज्यों में मद्रास, बम्बई, मैसूर, उत्तर प्रदेश केरल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा राज्यों में यह बाल विधेयक कानून बन गया है। इसके अलावा राजस्थान, जम्मुकाश्मीर, नागालेण्ड आदि कुछ छोटे राज्यों में अण्डेमान निकोबार द्विपों में यह विधेयक अभी तक नहीं लागू किया गया है। हर बार जब अखिल भारतीय समाज कल्याण मंत्री सम्मेलन होता है उसमें इस बात की ताकीद होती है कि इस विधेयक को विधान द्वारा शीघ्र पारित करके इसको लागू किया जाय। इसके अलावा प्रधान मंत्री महोदय की ओर से भी यह निर्देश आया है कि इसको प्राथमिकता दी जाय। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, पहले तो यह कानून सारे राज्य में एक साथ लागू करने का था, लेकिन अब हम जल्दबाजी में इसको सारे राज्य में लागू करने का इरादा नहीं रखते। बल्कि पहले इसके पास होने के बाद केवल राज्य के एक-दो जिलों में ही लागू किया जायगा। उसके बाद एक साल के दौरान अनुभव हो जायगा कि किस प्रकार की कठिनाई आती है, किस प्रकार की अड़चने आती हैं उसके बाद शनैः शनैः लागू करने का इरादा रखती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, माननीय नाहर साहब ने कहा, धनराशि नहीं उपलब्ध हो सकेगी, यह बात नहीं है। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में १० लाख का सांकेतिक प्रावधान रखकर चले हैं। आवश्यकता होगी तो बढ़ाया जा सकता है, इसका पूरा इन्तजाम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस वर्तमान वर्ष में एक लाख ८० हजार का प्रावधान रखा है। जहां तक नियमों का सवाल है, इस सदन के द्वारा पारित होने के बाद नियम बनाने में हम समय नहीं लगायेंगे। दूसरे राज्यों से और यूनियन टेरटरीज से भी

(श्री बिशम्भर नाथ जोशी)

हमने इसके नियम मंगवाये हैं। इस पर विचार करके प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये जो नियम आवश्यक हैं उनको हमारे विभाग ने पहले से ही ले रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान के कुछ भागों में इसको बहुत जल्दी लागू किया जायगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आज सभी इस बात को देखते हैं कि किन्ही आर्थिक कारणों से या जिन बालकों के माता पिता नहीं होते हैं, उन पर ठीक प्रकार नियंत्रण रख सकें और उनकी किसी प्रकार क्षति पूर्ति हो सके। यह बात इस विधेयक में लाई गई है। आज हजारों बालक और बालिकाओं को लोग उपेक्षा की भावना से छोड़ देते हैं। ऐसे लाखों की तादाद में बालक हैं और वे बालक दोशों के शिकार हो जाते हैं। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा बच्चों का किडनेप इसीलिये कर लिया करते है कि उनके माध्यम से भीख मंगवाई जाय और मांगने के लिये ही उनकी आखें फोड़ दी जाती हैं, हाथ काट दिये जाते हैं ताकि देखने वाले को तरस आ जाय और एक आना, दो आना, चार आना किसी प्रकार उसको मिल जाय और इस तरह सारे दिन भर में कमाने के बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको लेकर बड़ी मुश्किल से खाने लायक रोटी दे देते हैं। इस प्रकार उनकी कमाई पर वे आश्रित रहते हैं। बच्चों का पूरा शोषण होता है। आज इस प्रकार के उपेक्षित बच्चों के लालन पालन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं समाज के अलावा राज्य की भी इसमें जिम्मेदारी है। इसमें बालकों को कोई दोष नहीं है, दोष है सौबत और संगत का जिससे वे अपराधों में ढ़केल दिये जाते हैं। पहले अपराध में मुल्जिम कहलाने लगते हैं और उसके बाद दुनियां उसको नफरत की नजर से देखने लगती है, उसको चोर, पाखंडी आदि कहा जाने लगता है और इसीलिये उसको स्कूल में दाखिला मिलना मुश्किल हो जाता है। समाज में उस व्यक्ति के लिये नफरत होने से वह एक प्रकार से दूसरे अपराधों के लिये मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति समाज के लिये और भी खतरनाक हो जाती है। अतः उपेक्षित बालकों के लिये ही स्पेशल तौर से यह विधेयक लाया गया है।

श्री सभापति : जो अपने संशोधन वापिस लेना चाहें, ले सकते हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हां, मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री राम किशन।

श्री रामकिशन : कर लें साहब वापिस, आप कहते हैं तो।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

प्रश्न यह है कि श्री यशवन्तसिंह, श्री रामकिशन और श्री रामचन्द्र आर्य को अपने संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

सर्व श्री रामचन्द्र आर्य, श्री यशवन्त-

सिंह नाहर और श्री रामकिशन ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खन्ड २ । श्री केशरी सिंह । कोई मेटेरियल हो तो देख लीजिये ताकि जल्दी समाप्त करें ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : उप खंड (१) के भाग (क) के उप भाग (४) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :-इस उप भाग की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'मन्दिर' के पश्चात् तथा शब्द 'या लोक पूजा" से पूर्व विराम चिन्ह एवं शब्द, 'एतिहासिकस्थान' अन्तर्निविष्ट किये जांय । सभापति महोदय, खण्ड दो में मेरा संशोधन ऐतिहासिक स्थान के लिये रखा गया है । सभापति महोदय, अगर आप कहीं भी किसी ऐतिहासिक स्थान पर जांय, जैसे ताजमहल हुआ, आगरा फोर्ट हुआ...

श्री राम किशन : यह तो मान लें साहब आप एकदम ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : ऐतिहासिक स्थान पर जायं तो यह भिखारी पीछा नहीं छोड़ते है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करू हम लोग जो यहां के रहने वाले है उनको तो बुरा नहीं लगता हैं मगर जो विदेशों से आने वाले हैं, पर्यटक है, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके लिये कोई रुकावट होनी चाहिये ।

श्री सभापति : यह 'ऐतिहासिक स्थान' जोड़ा जाय ? You see to it. There should be no objection.

श्री विश्म्भर नाथ जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा ऐतिहासिक स्थान को जोड़ने की आवश्यकता इसलिये नहीं है they are all public places.

यह (क) के (१) भाग में दी हुई है । दोनों केसेज में कवर्ड है । हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं या पब्लिक प्लेस हैं तो उन दोनों के लिये भाग (१) में आ गया है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय मैं इसलिये प्रेस कर रहा हूं, स्पष्ट हो जाय । ऐतिहासिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, गार्डन हो, लैन हो । मैं प्रेस करता और मेरा मानना है कि चन्द सालों में यह संशोधन अवश्य लायेंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड २ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय केसरीसिंह जी ने रखा है स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : "हां" हुआ है । आप (श्री बी० एन० जोशी) अकेले ही बोले हो ।

श्री सभापति : मैं फिर से रख देता हूं-- प्रश्न यह है कि खण्ड २ में जो संशोधन का

(श्री सभापति)

प्रस्ताव माननीय केशरीसिंह हाड़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड ३ से १८ तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड ३ से लगा कर खण्ड १८ तक पारित किये जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ से लगाकर १८ तक पारित किये गये।

खण्ड १९। में श्री केशरीसिंह हाड़ा। कोई मेटेरियल चीज है क्या?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय जो संशोधन होता है वह सब मेटेरियल होता है। मैं समय की इच्छा से नहीं बोल रहा हूं मेरा संशोधन जो १९ में है वह इस प्रकार है—इसकी तृतीय पंक्ति का शब्द "तुरन्त" शब्द "चौबीस घंटों में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री सभापति : 'तुरन्त' शब्द लिखा है।

केशरीसिंह हाड़ा : उसको स्पेसिफाई कर देना चाहिये मैंने उसको २४ घंटे में किया है। तुरन्त शब्द का अर्थ तो लम्बा चौड़ा हो सकता है। उसको २४ घंटे स्पेसिफाई कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं यह निवेदन करूंगा यह तुरन्त शब्द २४ घंटे से भी ज्यादा स्ट्रांगर है। बालक बालिकाओं को पकड़ने का सवाल नहीं है उसकी इनफोरमेशन दी जाय। अगर २४ घंटे का समय मिला हुआ है तो २५ घंटे नहीं होने चाहियें। अर्जेन्ट और इमीजियेट शब्द से ज्यादा और क्या हो सकता है। यह ज्यादा उपयुक्त है इसलिये आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : तुरन्त में तो जल्दी से जल्दी है। २४ घंटे भी हो गये दो दिन भी हो गये, एक दिन भी हो गया तो फिर क्यों नहीं आप १० घंटे रख देते है?

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : तुरन्त शब्द तो इमीजियेट कार्यवाही का संकेत करता है।

श्री सभापति : The language of this clause 18 is like this. The Hon'ble member would pay some attention to this.

इसमें जो सलेक्ट कमेटी ने संशोधन किया है पहले शब्द थे : Where a child is arrested, the officer in—charge of the police station to which the child is brought shall as soon as may be after the arrest inform the parent or guardian.

उसके स्थान पर किया है :

(श्री सभापति)

the child is brought shall Immedistely after the arrest, inform the parent or guardian of the child, if he can be found......

"दी ग्राफिसर इनचार्ज ग्राफ दी पुलिस स्टेशन" इनफार्म करेगा और ऐसी स्थिति में इमीडियेटली वर्ड में जैसा कि सी, आर० पी० सी० में और दूसरों में प्रावीजन है कि The accused person would be produced before the Magistrate...

वहां भी इमीडियेटली नहीं लिखा है और २४ घन्टे रखा है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर प्रभारी मंत्री जी विचार कर लें। मेक्सीमम पीरियड अगर सदन निर्धारित कर दे should be earlier than 24 hours. Then it becomes mendatory.

इस पर जरा विचार कर लें।

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार इसको किया जा सके कि थोड़ा संशोधन दूसरा लाना पड़ेगा वह यह कि : Immediately and in any case within 24 hours. It will serve the purpose.

श्री सभापति : Immediately and not later than 24 hours.

उसको आप हिन्दी में बना लें और इसको डेफर कर देते हैं।

क्लाज़ १९ का कन्सीड्रेशन डेफर कर दिया जाता है। मूल विधेयक हिन्दी में है इसलिए इस भाषा में आप अपनी तरफ से बना लें।

खण्ड २० और २१

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ २० और २१ पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(क्लाज़ २० और २१ पारित किये गये)

खंड २२

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय मेरा संशोधन इस प्रकार है:---इसकी चतुर्थ पंक्ति के शब्दो "लिये जो" तथा शब्दों "निरुद्ध रखे जाने" के बीच में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वह ठीक समझे" अभिव्यक्ति "आठ दिन से अधिक नहीं होगी" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय। इसमें मेरा संशोधन बहुत ही इन्नोसेन्ट है। ८ दिन से अधिक नहीं होगा। इसमें भी मैंने स्पेसीफाई किया है डेज़ कि ८ दिन से अधिक नहीं होगा। इसलिए इसको भी अगर स्वीकार कर लिया जाये तो अनुचित नहीं होगा।

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : सभापति जी खंड २२ में आपका संशोधन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। असलियत में क्लाज़ २२ में प्रोवीज़ो है उन केसेज़ के लिए है जब कि बालक ने बहुत गम्भीर किस्म का आफेन्स कर दिया हो और उसको इतना खतरनाक माना जाये कि दूसरे बालकों के लिए भी समस्या बन जायेगा तो उसको वहां नहीं रखकर स्टेट गवर्नमेन्ट को पावर्स दी हैं कि इतने पीरि-

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

यड के लिए ऐसी कन्डीशन में उसको अलग रखने का प्रावधान कर सके। यह पावर्स स्टेट गवर्नमेन्ट को दी है। प्रोवाइजो में लिखा है कि अपराध में मिलने वाली सजा से अधिक नहीं होगा समय। मरडर के केस में, डकैती के केस में ८ दिन कैसे होगा। इसलिए यह किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड २२ में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री केशरी सिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड २२ पारित किया गया)

खण्ड २३ से ४० तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड २३ से ४० तक पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(खण्ड २३ से ४० तक पारित किये गये)

खण्ड ४१—श्री केशरीसिंह

श्री केशरीसिंह : सभापति महोदय, खण्ड ४१ के उपखण्ड (१) की तृतीय पंक्ति के शब्दों "सम्भाव्य हो" तथा शब्दों "बालक पर" के बीच में प्रयुक्त शब्द "जानकर उस" विलोपित किये जाकर शब्द "निर्दोष द्वारा प्रति स्थापित किये जांय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो खण्ड ४१ में संशोधन का प्रस्ताव श्री केशरी सिंह हाडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन प्रस्ताव गिर गया)

: प्रश्न यह है कि खण्ड ४१ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ४१ पारित किया गया)

खण्ड ४२ से ४८ तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४२ से ४८ तक पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ४२ से ४८ तक पारित किये गये)

खण्ड ४९ : इस खण्ड की छठी पंक्ति के शब्द "वापस भेज देगा" से पूर्व प्रयुक्त शब्द "तुरन्त" शब्द "चौबीस घण्टों के भीतर" प्रतिस्थापित किये जांय है कि मान-

Page No 116

(श्री सभापति)

नीय मंत्री जी ने देखा भी है या नहीं मेरे संशोधनों को ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : यह भी उसी प्रकार का है ।

श्री सभापति : इस पर भी आप विचार कर लें और इसको भी डेफर कर देते हैं ।

श्री विश्वम्भर जोशी : ऐसा है कि असलियत में एस्केप्ट चिल्ड्रन को पकड़ने के बाद इस विधेयक में प्रावधान है कि उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, थाने में नहीं रखा जा सकता । हो सकता हैं अपराधी बालक हो या बालिका हो तो इसलिए इमीडियेटली भेजना जरूरी है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि २४ घन्टे तक नहीं भेजा तो ?

श्री विश्वम्भर जोशी : इन्सट्रक्शन्स भी होंगे, रूल्स भी होंगे ।

श्री सभापति : ठीक है, पुलिस आफिसर का कस्टडी का सवाल है ।

He will take charge and then he will send him.

इमीडियेटली भेज देंगे ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि इमीडियेटली शब्द फार स्ट्रांगर है ।

श्री सभापति : २४ घन्टे मेन्डेटरी है ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : दूसरा निवेदन करना यह था कि पुलिस आफिसर को इसकी इजाजत नहीं है कि उनको थाने की कस्टडी में रखें या दूसरी जगह रखें इसलिए होम से एस्केप हुआ और उनको इमीडियेटली भेजना जरूरी है । अपने थाने में डिटेन नहीं कर सकता है अण्डर दी प्राविजन्स आफ दी ला इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : इमीडियेटली के साथ में २४ घन्टे लगायेंगे तो पुलिस को और ज्यादती करने के लिये मौका देंगे । इसलिए और स्पष्टीकरण होना चाहिए । अगर आपने २४ घन्टे कर दिया है तो २३ घन्टे रखकर २४ वें घन्टे में पेश कर देंगे । इसलिए ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि वह अपनी कस्टडी में नहीं रख सके और तुरन्त कार्यवाही हो ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ४६ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केशरीसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४६ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ४६ पारित किया गया)

धारा ५० से ६० तक कोई संशोधन नहीं है ।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५० ६० तक पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ५० से ६० तक पारित किये गये)

खण्ड १९

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ की तृतीय पंक्ति के शब्द तुरन्त के बाद व किसी भी स्थिति में २४ घन्टे से अधिक विलम्ब से नहीं शब्द जोड़े जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड १९ में जो संशोधन का प्रस्ताव अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : नो।

श्री सभापति : आप का ही तो रखा है। कुछ आदत पड़ गई है 'हा' या' ना' की संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ को संशोधन रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १९ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना, अधिनियामक सूत्र, नाम आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्तावना, अधिनियामक सूत्र आदि को स्वीकार किया गया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

नाऊ वी टेक अप दी (नेक्स्ट) बिल। राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०। श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन)

विधेयक, १९७०

श्री रामकिशन (बैर) : व्यास जी आपने संशोधन दिये हैं तो क्यों मिट्टी करा रहे है ? सदन का समय खराब कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अच्छा है, आप बिराजे रहें।

श्री रामकिशन : यह पाप आप से करा रहे हैं।

सुखाड़िया जी। आप व्यास हैं, ब्राह्मण है और सच भी बोलते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री शिवनाथ सिंह : (गुढ़ा) : मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को तीन माह के लिये जनमत जानने के हेतु परिचालित किया जाय। मुझे निवेदन करना है कि जो एमेंडमेन्ट्स माननीय राजस्व मंत्री ने पेश किये हैं वह ऐसे एमेंडमेंट्स हैं कि उनसे जो ओरीजिनल बिल था वह बिल्कुल चेन्ज हो गया है। इसलिए हमें एमेंडमेंट पेश करने का समय नहीं मिला है कि लिखकर एमेंडमेंट पेश कर दिये जायं। इसलिए इसके लिए समय की व्यवस्था हो तो ठीक रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने एमेंडमेंट्स रखे उसके अन्दर हमें संशोधन रखने का समय नहीं मिला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं संशोधन रखने के और इसका अध्ययन करने के उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए हमें इस पर संशोधन रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिल है, और इस महत्वपूर्ण बिल में इस प्रकार से जल्दबाजी की तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, हमारे विशेषाधिकार का हनन होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और संशोधन का हमको समय दिया जाय।...

श्री रामकिशन : सभापति महोदय,...

श्री केशरी सिंह हाड़ा : ? सभापति महोदय,...

श्री सभापति : वन एट ए टाइम। यू डिसाइड अमंग योरसेल्फ।

श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, रूल की दफा ९९ के अन्तर्गत निवेदन करता हूं कि कोई विधेयक राज्य सरकार द्वारा पुरः स्थापित किया जाय तो पुरः स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन खण्डों में राज्य सरकार संशोधन ला रही है उसके एक्सट्रेक्ट्स उसके अन्दर होने चाहिए और इनके एक दिन पूर्व सर्क्युलेट किया जाना चाहिए इसलिए मेरा ऐतराज है कि इस बिल को आयन्दा के लिए डेफर कर दिया जाय या सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं, तो यह तो सही बात है कि इस सरकार की मन्शा और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की एक ही

(श्री रामकिशन)

मंशा है, और वे चाहते हैं कि बिल पर विचार न हो और पारित भी न हो। इस लिए जानबूझ कर इस प्रकार के लेकूनाज छोड़ दिये हैं जिसकी वजह से जितने भी हैडस हैं उन सब पर ऐतराज उठा हैं। राज्य सरकार की मंशा इसको पारित कराने की नहीं है पारित कराने के बाद इम्पली मेंट कराने की तो है ही नहीं। जो संशोधित हुए हैं। और जो विचार हुआ है तो राज्य सरकार आज ही इसको पारित करे लेकिन अमल करने वाले नहीं हैं। मैं माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एमेंडमेंट्स क्यों कर रहे हैं। सीलिंग के नाम से एक इंच भी जमीन नहीं है। केवल प्रेसर से इसको नाम के लिए यूज करना चाहते हैं तो सरकार करे, वरना कोई फायदा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, इस प्रकार के सुझाव जो आ रहे हैं इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस वालों को जमीन खरीदनी और बेचनी है इसलिए ये समय बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पिछले लम्बे समय तक इन्होंने राजस्थान में जमीन के बेचने पर पाबन्दी रखी और फायदा उठाया, और इसके पश्चात् इस सत्र में इसको पास कर देना चाहते हैं। इसलिए यह बड़ी बेईमानी की है कि इतने साल तक सीलिंग के कानून को लागू नहीं किया और लोगों को कहते ही रहे कि जमीन कोई भी नहीं बेच सकता है। गरीब कई बेचने वाले थे तो उनकी जमीनें पैसे वालों ने जो कि दूकान करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे, नौकरी करने वाले थे अधिकारी थे जो कि मुफ्त में खरीद कर ले गये, उनकी सारी की सारी मन्जूर की जानी चाहिए, और जिन लोगों के पास में जमीन है या जिनको खरीदनी है, इस लिए ६ महिने का टाइम और बढ़ाने की मांग करना चाहते हैं इसलिए यह बिल्कुल ही निश्चित है कि यह पास होना चाहिए और आज ही की तारीख में होना चाहिए। इसके आगे नहीं जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन चाहता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी की तरफ से जो संसोधन प्रस्तुत किये गये वे कल कर दिये गये थे। कल संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये और कुछ माननीय सदस्यों ने जो उन में संशोधन पेश करना चाहते थे उन्होंने संशोधन पेश भी कर दिये हैं, यद्यपि वे संशोधन कुछ समय पूर्व आने चाहिए थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार के संशोधनों को जो माननीय राजस्व मन्त्रीजी के संशोधन लाने के बाद प्रस्तुत किये गये हैं उनको आप अपनी डिस्क्रीशनरी पावर्स से एडमिट कर लें। वैसे भी जो नियम ७१ है उसमें जो एमेंडमेंट्स देने का एक दिन पहले दिये जाने चाहिए तो उसके अन्दर आप के पूरे पावर्स हैं कि आप उनको दे सकते हैं और अभी तक इस सदन की परम्परा रही है कि इस प्रकार के संशोधन को मूव करके खास तौर से गवर्नमेंट को इन दिनों के अन्तर्गत ज्यादा मौका दिया जाता रहा है, आज ही बालक विधेयक में दिया है और माननीय मन्त्रीजी ने कल भी किये हैं और हमेशा होता रहा है, इस तरह से उनको दिया जाय। सभापति महोदय, केवल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यही आशय नहीं जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ माननीय सदस्य इधर बैठने वाले हैं और जो उधर से कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाय वे दरअसल में इस बिल के प्रिन्सिपल्स के खिलाफ हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम प्रिन्सिपल के खिलाफ नहीं हैं। हम सिलींग चाहते हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो···

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलत चीज है। हम सीलिंग के पक्ष में हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : येनकेनप्रकारेण उसको किसी तरह से टालना चाहते हैं। और, सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि इस कान्सपिरेसी में खुद सरकार शरीक है और उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार अपनी तरफ से इस प्रकार की बात करा रही है। जिस तरह से इस सीलिंग के बिल पर सरकार की तरफ से आग्रह नहीं किया गया, इस टेनेन्सी बिल के अन्दर सदन के माननीय सदस्यों के आग्रह के ऊपर यह रखा गया है वह फेग एण्ड पर रखा गया है। किस तरह से इस हाउस में उत्तेजना पैदा करके हाउस का विसर्जन करवाने की इस प्रकार की कोशिश की गई। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिए बाकायदा एक कान्स्पीरेसी कायम हो रही है। जिस तरह से जो संशोधन राजस्व मंत्री जी ने पेश किये हैं और अगर इसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो इन संशोधनों से ये मिसचीवियस संशोधन हैं, माफ करेंगे मुझे, यह गवर्नमेंट की तरफ से मिसचीवियस संशोधन पेश किये गये हैं, जिसका मतलब यह है कि आपने पिछली बिक्री और आगे १ जून, ७० तक की बिक्री की इजाजत देने का जो सोच रखा है जो चोरी करके उनको बेचते हैं उनको रेग्युलेराइज करेंगे और आगे दो महीनों में और चोरी करने की इनको खुली छूट देकर जोर से कह रहे हैं कि दो महीनों तक कोई काग्नीजेन्स नहीं लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करेंगे···

श्री आईदान सिंह : चोरी करके लाते नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं माननीय सदस्य से नहीं कहा हैं। आपकी और इनकी राशि कैसे मिल गई है....

श्री आईदान सिंह : आपने 'चोर' शब्द कहा है इसलिए मैंने ऐतराज किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको पोस्टपोन कर देंगे तो यह इन्टेन्शन गवर्नमेंट का जाहिर हो गया है। पेंडिंग रहेगा, गवर्नमेंट जून १९७० तक ट्रांसफर्स होंगे उनको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार है। यह बिल पास भी नहीं हुआ, तो लोग समझेंगे कि सितम्बर तक आयेगा बिल तो दो महीने तक की खुली छूट और मिलती है, अक्टूबर, नवम्बर तक खुली सेल होगी, ट्रान्सफर होंगे, उसके बाद जब कानून बनेगा तो लोग कहेंगे कि दो महीने की छूट मिलनी चाहिये। यह मजाक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, खिलवाड़ है किसानों के साथ, भूमिहीन व्यक्तियों के साथ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की डाइलेक्ट्री टेक्टिस से और प्रासीजरल तरीके से इस सब्सटेंटिव मोशन को पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए और इसे आज ही सदन में विचार किया जाकर पास किया जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय दो तीन बातें सदन में सामने आई हैं। एक बात तो जो अमेंडमेंट मैंने पेश किये हैं इनके बारे में आई है। इनके मेरिट के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, जब वक्त आयेगा तब कहूँगा कि क्या बात है, क्या बात है, क्या नहीं है,क्या ईमानदारी है और क्या बेईमानी है। यह भी कहा कि यह अमेंडमेंट मिस्चीविअस हैं, तो यह मिस्चीविअस हैं या बोनाफाइड हैं—यह उसी वक्त मालूम पड़ेगा।

दूसरी बात यह आई कि अमेंडमेंट चूंकि टाइम पर सरक्यूलेट नहीं हुए, माननीय सदस्यों को इसलिए बहुत कम समय मिला और वह इस कारण अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट नहीं दे सके। इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि अमेंडमेंट वक्त पर दिए हैं, रूल्स के माफिक दिये हैं, रूल्स में जैसा प्रेस्क्राइब्ड है उसके माफिक दिये हैं और माननीय सदस्यों को टाइम काफी मिला है। क्योंकि यह कल सरक्यूलेट हो गये थे। जो रूल ७१ है उसमें यह है :

"If notice of an amendment to a clause or Schedule to the Bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object......"

तो वन डे बिफोर दे दिये गये हैं, यह कल सरक्यूलेट हो गये थे और माननीय सदस्यों को मिल गये थे।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, यह आज सुबह सरक्यूलेट हुए हैं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : चौबीस घण्टे पहले मिल जाने चाहिए!

श्री केसरी सिंह हाडा : चौबीस घण्टे पहले मिल जाने चाहिए!

श्री रामकिशोर व्यास : चौबीस घण्टे पहले इस आफिस में आ जाने चाहिए।

श्री पृथ्वीसिंह : सुबह हुए हैं तो जो सशोधन पेश करना चाहते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं वह कैसे कह सकेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लीजिये। बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है।

यह सरक्यूलेट हो गये थे और जिनको अमेंडमेंट भेजने थे....

श्री केसरीसिंह हाडा : सरक्यूलेट कल नहीं हुए हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने अमेंडमेंट

Page No 122

(श्री रामकिशोर व्यास)

दिये हैं। अब भी देना चाहें तो दे दें, मैं सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको इजाजत दे दें–उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। आज अमेंडमेंट देना चाहें, अब भी अमेंडमेंट देना चाहें, अब भी अमेंडमेंट देना चाहें वह ले लिये जायं–उसमें मुझे एतराज नहीं है अमेंटमेंट के लेने के बारे में।

तीसरी बात यह कही गई कि बिल को पास नहीं करना चाहते हैं। और इसके लिए साजिस हो रही है, आपस में साजिस हो रही है। वह साजिश करते रहते हैं, हमारी साजिश करने की आदत नहीं है। यह बहुत साफ मामला है। वह खुद साजिस करते हैं, कभी किसी के साथ मिल कर साजिश करते हैं, कभी किसी के साथ मिल कर साजिश करते हैं। हमारे साथ यह बात नहीं है। हम ईमानदारी से इस बिल को लाये हैं और पास करना चाहते हैं। इसी सेशन में करना चाहते हैं इसलिए ही अमेंडमेंट लाये हैं और इसमें कल और अमेंडमेंट लाये हैं। इसलिए मेरी सभापति महोदय, यह प्रार्थना है कि इसे पास करें।

श्री रामकिशन : इसीलिए यह सत्तरह साल के बाद में आया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्य वचन।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय मैंने संशोधन रखे थे वह इसमें आये नहीं हैं और मुझे पता लगा है कि इस कारण कि लेट दिये थे, वह रिजेक्ट कर दिये गये हैं जबकि कुछ माननीय सदस्यों ने सुबह संशोधन दिये वह संशोधन प्रस्ताव सरक्यूलेट किये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो संशोधन मैंने कल दिये उनको तो नहीं लिया गया लेकिन जो आज सुबह जिन्होंने जल्दी आकर दिये हैं उनको ले लिया है। इस प्रकार से पक्षपात किया जाय और संशोधन देरी से आने का कारण बता कर रिजेक्ट कर दिये जायं–यह उचित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : पास होने दो।

श्री सभापति : राजस्थान टिनेन्सी (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९७०के कन्सीडरेशन और डिस्कशन को पोस्टपोन किया जाय–इस सम्बन्ध की आपत्ति माननीय शिवनाथ सिंह....

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंने भी की है।

श्री सभापति : और केसरी सिंह हाडा ने उठाई है, उसका मुख्य आधार यह है कि संशोधन प्रस्ताव जो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये गये हैं वह नियम ७१ के अनुसार एक दिन पूर्व प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और माननीय सदस्यों को वितरित नहीं किये गये हैं इस सम्बन्ध में जहां तक संशोधन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का प्रश्न है वह नियमानुसार एक दिन पूर्व प्रस्तुत कर दिये गये, जहां तक माननीय सदस्यों को उनको प्रसारित करने का प्रश्न है, और अमेंडमेंट अवेलेबिलिटी का सवाल है, अधिकांश माननीय सदस्यों को कल मिल गये थे, कुछ को हो सकता है, आज सुबह...

श्री केहरीसिंह हाड़ा : अधिकांश को !

श्री सभापति : हो सकता है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज भी मिले हों। इसमें एक बात परेशानी की यह है। नियम ७१ में जो व्यवस्था की गई है वह इस दृष्टि से की गई है ताकि दूसरे माननीय सदस्य उस संशोधन प्रस्ताव पर अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके। चूंकि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करनें का समय नहीं मिला है, चूंकि आज ही जिनको संशोधन मिले हैं उनको संशोधन पर संशोधन प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला और जिनको मिल गये कल उनको समय मिल गया नियमानुसार, इसलिऐ जिनको आज मिले हैं वह भी अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। फिर भी उनकी परेशानी का, उनकी दिक्कत का ध्यान रखा जायगा। इसके सम्बन्ध में इतना हो सकता है कि आसन अपनी साधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए नियमों को रिलेक्स करके जो संशोधन के प्रस्ताव विलम्ब से दिये गये हैं उनको स्वीकार कर ले और जो अब भी देना चाहें उनके लिए आधे घण्टे का समय निर्धारित कर दें। तो जो माननीय सदस्य अभी देना चाहते हैं, वह आधे घन्टे के अन्दर आसन के पास पहुंचा दें, आसन उन संशोधन प्रस्तावों को नियमों को रिलेक्स करके स्वीकार कर लेगा और उन संशोधन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की इजाजत दे देगा। इससे आपकी बात का भी निराकरण हो जायगा और जो इस विधेयक को आज ही लेना चाहते हैं वह भी संतुष्ट हो जायेंगे। मैं यह समझ कर चलता हूं कि इतना पर्याप्त होगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बहुत सुन्दर !

श्री सभापति : चार बजे तक, जिन माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव देने हैं, वह संशोधन प्रस्ताव आसन के पास पहुंचा दें।

श्री पृथ्वीसिंह : जो संशोधन हमने पेश कर दिये हैं उनका क्या होगा ?

श्री सभापति : संशोधन देने के लिए समय बढ़ा रहा हूं तो जो सुबह दिये है उनको स्वीकर कर लूंगा। श्री देवीदत्त जी ने प्रश्न उठाया तो जिन्होंने विलम्ब से संशोधन प्रस्ताव दिये थे वह अध्यक्ष महोदय से मिल लिये और उनको कारण बता दिया, इस कारण उनके संशोधन प्रस्ताव एडमिट होगये, आप नहीं मिले, इस कारण नहीं हो सके। फिर भी सदन की भावनाओं को देखते हुए जो व्यवस्था की है उससे दिक्कत नहीं होगी और आपको भी उससे सुविधा मिल जायगी। तो संशोधन इसमें प्रस्तुत करने का समय चार बजे तक बढ़ाता हूं, चार बजे तक अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं।

श्री देवीदत्त राड़िया : कल जो रिजेक्ट किये गये हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था हैं ?

श्री सभापति : कल रिजेक्ट किये गये उनको ले लेंगे और उनको प्रस्तुत करने की इजाजत दे दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति

(श्री राम किशोर व्यास)

महोदय, रिजेक्ट मेरिट पर हुए होंगे, जो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किये हैं ।

श्री सभापति : उनको मंगा कर देख लूंगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह बियोण्ड द स्कोप आफ बिल होंगे ।

श्री सभापति : बियोण्ड द स्कोप आफ बिल के कारण रिजेक्ट हुए होंगे तो बात दूसरी है । टाइम के कारण हुए हैं तो दे केन बी रीकन्सीडर !

श्रीमदन सिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है सदस्यों से कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय में राय प्रकट की है कि इसे आज न लिया जाय और कुछ इस पक्ष में है कि इसे आज ही पास हो जाना चाहिए । इस कानून के अन्दर है कि १९७० तक बेच सकते हैं, जब कि आज तक जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल है उसके अन्तर्गत १९५७ तक है । १९५७ तक था उसके बाद बेची है वह नहीं होगी तो जो पहले का प्रावधान था वह अच्छा था । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप विचार करें, यदि आज इसे पास करेंगे तो यह ज्यादातर किसानों के लिए घातक होगा । अब १९७० तक कर सकते हैं जब कि पहले १९५७ तक था, वह अच्छा था और उसके अन्तर्गत जो नियम हैं वह अच्छे नियम हैं ।

श्री केसरीसिंह हाडा : सभापति महोदय, मेरा ऐतराज था वह कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम ६६ के अन्तर्गत था....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री केसरीसिंह हाडा : जो पेरेन्ट बिल होता है, उसके जिन क्लाजेज में अमेंडमेंट आता है उसकी प्रति इसमें दी जाती है, वह नहीं दी गई है ।

श्री रामकिशन : यह सही बात है ।

श्री सभापति : इसमें कुल मिलाकर तीन क्लाजेज हैं, तीन क्लाजेज में पहला क्लाज शोर्ट टाइटल का है, दूसरे क्लाज का बड़ा संशोधन है, वह चार पांच लाइन का संशोधन किया गया है, तीसरा वाला बहुत छोटा संशोधन है । इनके जो एक्सट्रेक्ट हैं वह विधेयक में छपने चाहिए, जो नहीं छपे हैं--यह ध्यानाकर्षण किया है । इसको गम्भीरता से देखें ध्यान आकर्षण करने से पहले कि जो एक्सट्रेक्ट देने चाहिये वह मेम्बर्स को सरक्यूलेट कर दिये गये हैं । वह उसमें हैं ।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैं निवेदन कर दूं जो क्लाज तीन है, उसमें जो ३० (जे०) का है उसमें सब क्लाजेज (बी.) (डी.) और (ई) का संशोधन है । इनके अतिरिक्त जो अमेंडमेंट दिया है ३० (डी) का, उसके सम्बन्ध में पेरेन्ट बिल का क्लाज नहीं दिया है । वह देना अनिवार्य है । उसके दिये बिना माननीय सदस्य संशोधन पेश नहीं कर सकते हैं । यह कानून और नियम के विरुद्ध है, यह नहीं होना चाहिए ।

श्री सभापति : विधेयक के साथ एक्सट्रेक्ट दिये जायं तो उचित होता है लेकिन नहीं दिये जायं तो यह मतलब नहीं है कि संशोधन पेश नहीं कर सकते । क्योंकि

(श्री सभापति)

माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि कानून की किताब तो उनके पास होगी। अगर नहीं है तो आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। लाइब्रेरी से लेने में असुविधा हो तो आप मुझे कहें, मैं अवेलेबल कर दूंगा। इसलिए यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है!

श्री केसरीसिंह हाडा : मेरा मतलब यह नहीं है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह परम्परा रही तो यह होना चाहिए। सरकार को मंजूर करनी चाहिए अपनी गलती और आयन्दा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को आसन को बाध्य करना चाहिए!

श्री सभापति : सरकार इस सम्बन्ध में आयन्दा ध्यान रखेगी।

राजस्थान टिनेन्सी (सेकिण्ड अमेंडमेंट) बिल १९७० के सम्बन्ध में जनमत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव दिये है।

श्री केसरीसिंह हाडा : सभापति महोदय, सरकार गलती तो मन्जूर करे।

श्री सभापति : विधेयक के साथ एक्सटेक्ट दिया जाय तो उचित होगा, पर नहीं दिया है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उस पर बहस ही नहीं हो। आखिर कानून की किताबें आपके पास होंगी, नहीं हों तो लायब्रेरी से ले सकते हैं, फिर भी नहीं मिलें तो आप आसन से कह सकते हैं। तो यह ऐसा पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है कि इस पर कन्सिड्रेशन किया जाय।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह परम्परा रही है।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी है।

केसरीसिंह हाडा : सरकार को अपनी गलती तो कबूल करनी चाहिये और आयन्दा ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार की गलती नहीं करे।

श्री सभापति : सरकार इस सम्बन्ध में आगे ध्यान रखेगी।

राजस्थान टिनेन्सी सेकिण्ड अमेंडमेंट बिल, १९७० को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के लिये निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं सुना देना चाहता हूं। कारण यह है कि आप उसी आर्डर में नहीं बोलना चाहें तो अपनी सुविधानुसार बोल सकते हैं इसलिये मैं नाम पढ़ देता हूं जिससे कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री जुझारसिंह, श्री शिवनाथसिंह, श्री रामकिशन, श्री यशवन्त सिंह नाहर और श्री मूलचन्द डटेवा।

प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के

(श्री सभापति)

प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने दी है :

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री पृथ्वीसिंह, श्री ग्राईदानसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, श्री केशरीसिंह हाडा और श्री रावत राम।

इसके अतिरिक्त किसी माननीय सदस्य का जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं है।

राजवी श्री रूपसिंह : मैंने भी दिया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैंने भी दिया है।

श्री सभापति : ये दो नाम भी जोड़ लिये जायं।

ये प्रस्ताव प्रस्तुत किये माने जाते हैं। अब माननीय सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार सबके विचार आ जायं अपनी पार्टी के आधार पर बोल सकते हैं। जिस आर्डर में नाम है उस आर्डर में नहीं बोलना चाहें तो अपनी सुविधानुसार बोल सकते हैं।

श्री केसरीसिंह होडा : जिस आर्डर में दिये हैं, उसी आर्डर में बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये नहीं तो यह होगा कि जो इम्पोर्टेन्ट सदस्य हैं वे ज्यादा बोलेंगे और दूसरों को मौका नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : आपको तो समय मिलेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : जिस आर्डर में है, उसी में बोलने का रखना चाहिये।

श्री सभापति : आपका नाम तो फिर भी नहीं आता, जुझारसिंह जी और रामचंद्र जी बी. के. डी. के ये दो हैं, जो पहले बोलना चाहें बोल सकते हैं....I havo on objection.

श्री मदनसिंह : जो स्वतन्त्र हैं, उनके सम्बन्ध में ?

श्री सभापति : जरूर बोलेंगे।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। एक समस्या सीलिंग के बाबत पिछले आठ दस साल से चली जा रही थी, वह बिल आज हमारे सामने है। इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के सभी किसानों का इससे सम्बन्ध है, भूमिहीन किसान, हरिजन, आदिवासी, और बैकवर्ड तबकों के लोग यह आशा लगाये बैठे हैं कि सीलिंग लागू होगा तो हमें जमीन मिलेगी और जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं, वे समझते हैं कि अगर यह पास हो गया तो हमारे पास जो ज्यादा जमीन है वह चली जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप किनमें हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : मैं चाहता हूं कि

Page No 127

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह बिल लागू हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, माननीय रामानन्द जी ध्यान दें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजने का मेरा एक ही मकसद था कि इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित लोगों की राय हम जान सकें। शुरु में सीलिंग कानून बना था, फिर इस धारा का संशोधन हुआ था, तो उसमें कुछ एग्जेम्प्शन्स रखे थे। अब उन एग्जेम्प्शन को हटाया गया है इस बिल में, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर एक एग्जेम्प्शन जो आवश्यक रुप से हटाया जाना चाहिये था, उसको हटाया नहीं गया है, उसे रखा गया है। इसमें हमने ग्रोव्ज का एग्जेम्प्शन रखा है। जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स थे, जो कानूनी दृष्टि को जानते थे उन्होंने ग्रोव्स लगा लिए और अब ग्रोव्स के नाम पर ज्यादा जमीने रखेंगे। और भी जितने कोआपरेटिव ग्रोव्स वाले हैं वे जमीने रखेंगे। समझ में नहीं आता, इसके पीछे क्या तरीका है, इसको क्यों रखा गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मन्त्रीजी इस ओर ध्यान दें और ग्रोव्स का जो एग्जेम्प्शन रखा है, उसको हटाया जाय। एक बात की ओर मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसकी पुरानी सेक्शन ५ की जगह दूसरा ५ सेक्शन एड किया है, उसमें लैंड लैस का प्रावधान रखा है। टिनेन्सी एक्ट में लैंड लैस की उसी परिभाषा को रखेंगे तो उचित नहीं होगा। लैन्ड लैस के नाम से कितने पैसे वाले लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। जितने लोग नौकरी करते हैं, आई० ए० एस० हैं, आई० पी० एस० हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने कितनों को लैंड लैस के नाम का दुरुपयोग करके जमीनों पर कब्जा किया है। इसमें जो लैंड लैस की परिभाषा रखी है, वह दोषपूर्ण परिभाषा है, इससे बहुत से लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो लैंड लैस की इमेज हमारे सामने है, उसका मिस्यूज है। जिन लोगों का जमीन पर खेती करने का पीढ़ियों से धन्धा है, जो लोग परम्परा से जमीनों से अपना गुजारा करते आ रहे हैं या जो जमीनों पर काम करने वाले मजदूर हैं, उन लोगों को ही लैंड लैस की परिभाषा में रखना चाहिए जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या दूसरा धन्धा करते हैं वे लोग भी इस परिभाषा से लैंड लैस की श्रेणी में आ गए हैं और बड़ी बड़ी जमीनें अलोट करवा ली हैं। मैंने एतराज किया था कि इस बिल को अच्छी तरह से स्टडी किया जाय। हम लोगों को आपने अमेंडमेंट पेश करने का अवसर दिया है, उसके लिए सभापति महोदय हम आपके आभारी हैं। हमारा कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट नहीं है, हम सीलिंग को जल्दी से लागू करवाना चाहते हैं पर जो इसमें लेकुनाज रह गए हैं उनको दूर करना अत्यावश्यक है। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा हालांकि आपके सामने कई दिक्कतें हैं, जबसे टिनेन्सी एक्ट बना है तबसे लैंड लैस की दुविधा हमारे सामने है, उनको आप दूर नहीं कर सके हैं। जितने दूसरे प्रान्तों के टिनेन्सी एक्ट है और उनमें जो परिभाषा लैंड लैस की है वही हमारे यहां राजस्थान में है। हमारा राजस्थान हमेशा सब बातों में आगे रहा है, इसलिए हमारे यहां लैंड लैस की परिभाषा भी बदल

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर इस दिशा में हमें एक प्रगति शील और क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिए और जो लोग परम्परा से जमीनों पर काम करते आये हैं, जिनके पास जमीनों के अलावा और कोई साधन नहीं है, उन लोगों को ही लैंड लैस माना जाय तो सीलिंग से उन लोगों को जमीनें मिल सकेंगी जो कि सही माने में काश्तकार हैं। जो आपने इस संशोधन बिल में अमेंडमेंट्स रखे हैं उनसे जमीनें मिलने की सम्भावना नहीं है, फिर भी इस कानून से जो जमीनें निकलें वे जमीनें उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके पास सिवाय जमीन के और कोई गुजारे का जरिया नहीं है, जो अपने परिश्रम से स्वयं और बीबी बच्चे, खेतों पर काम करते हैं उन लोगों को जमीनें मिल सकें। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं या और दूसरी प्रकार के धन्धे करते उन लोगों को लैंड लैस मान कर जमीनें मत दीजिये।

एक और बात की ओर मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप इस बिल के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि लैंड लैस को जमीन ट्रान्सफर कर दी हैं तो उनको आप रेगुलेराइज कर रहे हैं। आपने सीलिंग की सीमा अलग अलग जिलों में अलग अलग रूप से रखी है, किसी जिले में १५ बीघा को फ्रेगमेंट माना है तो किसी जिले में १० बीघा को फ्रेगमेंट माना है, उसको लैंड लैस मानते हैं जिस जिले में १० बीघा फ्रेगमेंट माना है वहां किसी लैंड लैस ने १५ बीघा ले ली है, उसके लिये तो ठीक होगा पर जिस जिले में १५ बीघा जमीन को फ्रेगमेंट माना है, वहां उसने १६ बीघा ले ली है, उसका क्या होगा। जैसे आज तक सिलिंग कानून का हाई कोर्ट में जा कर भविष्य रहा है, वैसा ही इसका भविष्य हो जायगा। १५ बीघा वाले को एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो १६बीघा वाले ने क्या गलती की है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स की राय लीजिये और समानीकरण कीजिये और लैंड लैस की इस प्रकार की परिभाषा रखिये कि जो सही मानें में खेती का काम करते हैं, उन लोगों को भूमि मिल सके।

दोनों में फर्क आएगा तो डिफरेनसिएशन हो जायगा। मेरी मान्यता है कि यह धारा चैलेंज होगी और टिक नहीं सकेगी। मैं चाहता हूं कि यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं वह अगर चैलेंज हो गया तो और रुक गया तो जैसे पिछले ८ सालों पर सरकार सीलिंग कानून लागू नहीं कर रही है, वह हालत हमारे सामने न आ जाय।

आपने कोआपरेटिव्ज के लिए एग्जेम्शन रखा है। उसमें आपने प्रावधान रखा है। कि एक आदमी जो कोआपरेटिव का मेम्बर है, उसका शेयर सीलिंग सीमा से अधिक न हो। होना यह चाहिए था कि मानलो मैं कोआपरेटिव का मेम्बर हूं। मेरी २५ एकड़ जमीन है। कापरेटिव के मेम्बर के नाते और १५ एकड़ और जमीन है कानून के अनुसार क्योंकि मैं कोआपरेटिव का मेम्बर हूं। मेरा शेयर २५ एकड़ है, वह वैल्ड होगा लेकिन चूंकि मेरे पास १५ एकड़ और है, आपने उसको एग्जेम्ट किया। होना यह चाहिए कि जो कोआपरेटिव

(श्री शिवनाथ सिंह)

का मेम्बर है, उसकी इन्डवीज्यूल कैपसीटी में या कोग्रापरेटिव के मेम्बर के हिसाब से दोनों मिलाकर ३० से अधिक होते हैं तो लेने का प्रवधान रखें। आज जो प्रोवीजन है उसके अनुसार इन्डवीज्यूल कैपसिटी में जो जमीन है उसको आप नहीं ले सकते। इन्हीं शब्दों के साथ, हो सकता है, आप जनमत जानने के लिए प्रसारित न करें लेकिन जिन मुद्दों की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसमें संशोधत लायें, सभापति ने रिलैक्सेशन कर दिया, इस संबंध में जो भी संशोधत लाना चाहें तो लायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि यह सीलिंग कानून, किसान पर आर्थिक प्रहार है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि बड़े फार्म्स, मीडियम श्रेणी के फार्म्स टूट जाने के पश्चात् उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मेरा यह निश्चित अभिमत है कि किसान की खुशहाल की इस कानून के द्वारा इतिश्री हो जायगी अगर दूरदर्शिता से देखा जाय तो मैं समझता हूं कि इस कानून के द्वारा भूमि के टुकड़े होना अनिवार्य है और जब टुकड़े होंगे तो कम्यूनाइजेशन आफ लैंड उसके साथ साथ अनिवार्य हो जायगा। यदि शासनारूढ़ दल की विचारधारा के अनुसार यह भारतवर्ष के लिए हितकर है तो वह अपनी विचारधारा अपने पास रखे और उनको अधिकार है कि अपनी विचारधारा के अनुसार चलें। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि अनादिकाल से किसान जो हमारे देश का एक महान व्यक्ति है, सच्चे रूप से अन्नदाता है, अगर इसकी खुशहाली में फर्क आता है। तो मेरे खयाल से हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़े बिना नहीं रह सकती।

यह सीलिंग का कानून १९५९ के अन्दर बना था और ५-४-५९ को जारी किया गया ११ वर्ष हो गये। अभी तक उसको सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया। अब जो डी० एम० के० ने सीलिंग की सीमा निर्धारित से आधी कर दी और बंबई अधिवेशन के पश्चात् जब केन्द्र की तरफ से आपको तकाजा हुआ तो विधान सभा के सत्र का यह आखिरी दिन है, उस दिन आप जल्दी में इस बिल को पारित करना उचित समझते हैं, जिसका मैं विरोध किए बिना नहीं रह सकता। यह व्यवस्थित ढंग से एक महत्वपूर्ण विधेयक सरकार द्वारा पारित किया जाता है, ऐसा मैं नहीं समझ सकता।

मैं इसके साथ साथ यह भी अनुभव करता हूं कि राजस्थान में सीलिंग कानून का औचित्य बिल्कुल ही नहीं हैं पंजाब और हरियाणा में सीलिंग जो निर्धारित किया गया है, वह राजस्थान से अधिक है। पंजाब और हरियाणा की जमीन उपजाऊ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कम्पेरीजन यदि किया जाय तो उत्तर प्रदेश में भी ३० एकड़ तक सीलिंग है और राजस्थान में भी ३० एकड़ सीलिंग है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, एक लाख वर्ग मील से कुछ कम है राजस्थान का क्षेत्रफल सवा लाख वर्ग मील है, किंतु उत्तर प्रदेश की जन संख्या ८ करोड़ है। राजस्थान की जनसंख्या उसके मुकाबले में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

२ करोड़ है उत्तर प्रदेश में पानी की व्यवस्था बहुत प्रचुर मात्रा में है जबकि राजस्थान सूखा और भूखा प्रदेश है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीलिंग जो ३० एकड़ की कायम की जाय उसके मुकाबले में राजस्थान में जो सीलिंग ३० एकड़ कायम कर रहे हैं, वह सर्वथा अनुचित है। खासतौर से सभापति महोदय जो मालवा और मध्य प्रदेश में सीलिंग ५० एकड़ पर निर्धारित की गई है ऐसी हालत में यदि राजस्थान को भी तथाकथित प्रगतिशील सरकार की श्रेणी में घोषित करने के लिए अपने आपको बताना हो तो राजस्थान में भी ५० एकड़ पर सीलिंग यदि कायम की जाय तो एक हद तक...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : व्यवस्था का प्रश्न है। इस एक्ट के जरिये सीलिंग कितनी होनी चाहिए, यह तय नहीं हो रहा है। सीलिंग ३० एकड़ १९५९ के अन्दर तय हो गया और विधान सभा में पास हो गया इस एक्ट के जरिए जो संशोधन आ रहे हैं, उसके अन्दर क्या करना चाहिए, पहले जो हो चुका है।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री पृथ्वीसिंह : इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : इस समय पाबंदी लगाना उचित नहीं है। कुछ कहेंगे कि ३० एकड़ की सीलिंग को कायम रखा जाय, कुछ कहेंगे कि ३० से कम किया जाय, सरकार इसके अन्दर विचार करेगी।

श्री शंकरलाल : जो अमेंडमेंट्स सामने विचाराधीन हैं, उनके अन्दर नहीं है।

श्री सभापति : यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, कितना सीमित है, सभी माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, इसलिए उसकी स्कोप में बोलेंगे। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके संबंध में बोलना आवश्यक हो तो बोलें समय का ध्यान रखते हुए, तो उसमें पार्टी का दृष्टिकोण सामने आ जाता है, इसलिए आवश्यक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आभारी हू, सभापति महोदय, कि आपने मुझे आज्ञा दी कि मैं सीलिंग की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं। जैसे मैंने निवेदन किया कि ११ वर्ष हो गये आपने कानून बनाया कानून बनाकर क्लोज्ड चैप्टर आपने कायम नहीं किया कि कानून बनाने के पश्चात् एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अगर आपने कानून बनाया और क्रियान्वित नहीं किया तो विरोधी पक्ष का दोष नहीं।

और। मैं समझता हूं यह सम्बन्धित विषय महत्वपूर्ण विषय है किसान की खुशहाली और उत्पादन से सम्बन्धित विषय होने के कारण यदि में संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूं तो अनुचित नहीं होगा।

सभापति महोदय, एक्जेम्पशन्स के सम्बन्ध में केटल, ब्रीडिंग फार्म, डेरी फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म, गन्ने के फार्म, मेकेनाइज्ड फार्म, आदि आदि के सम्बन्ध में जो आपने एक्जम्पशन्स हटाने की व्यवस्था की है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि पहले तो आपने किसानों को आश्वासन दिए

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि हम यह एग्जेम्पशन्स लाकर बड़े फार्म, केटल ब्रीडिंग फार्म आदि की व्यवस्था करने दे रहे हैं, किसानों को उन पर खर्चा करवा

(व्यवधान)

दिया और जिसका उनको रिटर्न भी नहीं हो सका है, अब एक दिन में······

श्री सभापति जी : (सदन में आपसी बातचीत होने पर) ऑर्डर प्लीज । यस ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए) : यह निर्णय लेते है कि उन एग्जेम्पशन्स को हटाया जाय, यदि हटाना है यथाकथित प्रगतिशील सरकार के नाम से तो हटायें लेकिन सरकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए, विश्वासघात और धोखे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सरकार के लिए यह शोभा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि यदि एक्जेम्पशन्श को हटाना ही है तो आपको दो साल का उनको मौका देना चाहिए ताकि जमीन के लिए अपनी व्यवस्था कर लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेच लें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य यहीं विराजमान होकर उनके सलाहकार क्यों नहीं होते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा मालूम होता है कि यह अमेंडमेट आपकी सलाह से आया है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा खयाल है कि ये प्रतिक्रियावादी दसगुना से भी ज्यादा हैं ।

श्री शंकरलाल : इसका माने प्रतिक्रियावादी हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, अगर इस तरह से बात होगी तो मुझे समय अधिक लगेगा ।

दूसरे और ढंग से भी बात नहीं कर सकता लम्बा करके । सभापति महोदय, उनकी बात अब मैं नहीं सुनूंगा ।

तो इन किसानों ने हजारों रुपया खर्च किया । अब आप कहते हैं एक्जेम्पशन हटाये जांय, आप स्वयम् मंत्री महोदय, बुद्धिमान हैं । वे लोग अपनी भेड़ें और उनकी मवेशियों को कहां पर ले जायं ? आप स्वयम् विचार करिये और जो भी व्यवस्था इस सम्बन्ध में करना चाहें आप उदारता पूर्वक व्यवस्था करें और कम्पन्सेशन के लिये तो व्यवस्था दें और उनको न्यायोचित कम्पन्सेशन दें । सरकार आपकी दिवालिया है, पैसा आप के पास नहीं, हर एक के जर जेवर और ज्यादा छीनने में अपना कर्तव्य और सिद्धान्त समझते हैं मैं इसका विरोध किये बगैर नहीं रह सकता । यदि आप ड्रोक्टीन ओफ डोमेन को मानते हैं, मैं इसको मानता हूं, मैं तो वर्तमान विधान में विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलते हुए सरकार से पुर जोर निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को मार्केट वेल्यू के अनुसार कम्पन्सेशन दीजिए और नहीं देते हैं तो एक हद तक मोहलत दीजिए ताकि जमीन बेच

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सके, मवेशी, भेड़ आदि बेच सके और व्यवस्था कर सके। वरना एक्जेम्पशन्स हटाने का प्रावधान ला रहे हैं उसके द्वारा हमारे देश का सम्मानीय काश्तकार विस्थापित होकर शरणार्थी की श्रेणी में पहुँच जावेगा।

सभापति महोदय, फेमली की डेफिनिएशन के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करूंगा आज खास कर सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करने जा रही है परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय आप को। कानून १६५६ में जारी किया था, क्रियान्वित भले ही उनको न दी हो लेकिन जिस तरीके का कानून जारी हुआ। उसके पेशतर जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ हो उसको हम वयस्क मानें और उसको हम वयस्क मानकर और सीलिंग के अन्तर्गत जमीन रखने का अधिकार उतना ही दें जितना कि आप एक वयस्क व्यक्ति को देते हैं। सभापति महोदय, ३० बी (ए) की परिभाषा को इस प्रकार रख दिया जाय :

"Family consists of a husband, wife, their children and grand-children born after 1959 being dependant on them and widowed mother so depend........"

और 'आफ्टर १६५६' के परिभाषा में बढ़ाये जांय तो मेरा मंतव्य, सभापति महोदय, पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ जो स्टेन्डर्ड एकड़ सीमा आपने निर्धारित की उसकी व्यवस्था भी संतोषजनक है। वर्गीकरण गलत आधारों पर है। विशेष सदन का समय न लेते हुए दो तीन उदाहरण सरकार के विचार के लिये निवेदन करूंगा। भीलवाड़ा जिले के अन्दर आसींद तहसील के अन्दर निम्बाहेड़ा मोड़ और करजालिया। निम्बाहेड़ा मोड़ फर्स्ट ग्रुप में है और करजालिया दूसरे ग्रुप में है? । दोनों ही मानसी नदी पर स्थित है दोनों की तक्मीस अलग अलग है। फर्स्ट ग्रुप में कम जमीन की व्यवस्था होगी। यह इक्वीटेबल है? या उचित है या अनुचित? दूसरा उदाहरण भी भीलवाड़ा का है। जगपुरा और सिवाड़ पर विचार करें। फर्स्ट और सेकिन्ड ग्रुप में सीलिंग की व्यवस्था विभिन्न होगी। इससे स्पष्ट होता है कि स्टेन्डर्ड एकड़ की जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है। एक माननीय सदस्य के द्वारा दो दफा प्रश्न लाया गया कि किशनगढ़ और सरवाड़ की जमीन तथा मालपुरा तहसील की जमीन एक समान है। किशनगढ़ और सरकावड़ की जमीन तकसीस ज्यादा है या मालपुरा की ज्यादा है मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि सम्बन्धित राजनैतिक कारण होंगे, यह न भी हो मैं फिर भी यह कहना उचित समझता हूं कि न्यायोचित्त व्यवस्था और यही केवल मात्र दृष्टिकोण अपनाते हुए यह स्टेन्डर्ड एकड़ की व्यवस्था सरकार ने बनायी हैं वह संतोषजनक नहीं है।

इसके साथ साथ सब प्रकार की चाही भूमि और तालाबी भूमि को सीलिंग के लिये एक समान माना है। चाही जमीन में उत्पादन अधिक होता है और तालाबी भूमि में कम। स्टेन्डर्ड एकड़ में तालाबी भूमि की सीमा बढ़ानी चाहिये। कुओं से सिंचित भूमि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और नहरों से सिंचित भूमि के सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। क्योंकि कुए से सिंचित भूमि में खर्चा अधिक होगा और नहरों के सिंचित भूमि में कम। इसलिये स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा आपने बतायी है वह फारमुला ठीक नहीं है, यह न्याय और निष्पक्षता पर आधारित नहीं है।

सभापति महोदय, जबकि भूमि का बेचान ३१-३-६६ तक रेगुलेराइज करने जा रहे हैं और जिन लोगों ने कानून का पालन किया, उनको कोड़ियों में मुआवजा देकर उनकी जमीन आप ले रहे हैं यह सर्वथा अनुचित है, इसका मैं विरोध किये बगैर नहीं रह सकता। यह एक तरफा है, एक तरफा सभापति महोदय। कानून की जो अवहेलना करे उनके लिए तो व्यवस्था रेगुलेराइज करने की सरकार की ओर से जा रही है, और जो कानून के उपर पाबंद है, ला बाइडिंग किसान है उनके लिये आप एक तरफा व्यवस्था करके उनको पीस देना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। जैसा हमने निवेदन किया सभापति महोदय, इन लोगों को भी जिन लोगों ने कानून की अवहेलना नहीं की है, जिन्होंने कानून की पालना की है, कानून के अनुसार चले हैं, उनको मार्केट वेल्यू के ऊपर कम्पेनसेशन नहीं दे सकते हो, मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि आप नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप समय दीजिए ताकि वे अपनी जमीन की फरोख्त कर के, बेच करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ एक स्लेबिलिटी आपके कानून के अन्दर हो। यह होगी तभी किसान स्टेबिल हो सकेगा। वह उस जमीन पर खर्च भी कर चाहता है और उसको डवलप भी कर सकेगा। सभापति महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का कानून में जो सीलिंग है उसको ५० एकड़ तक करने का फैसला सरकार करें। अब आप एक्जेम्प्शन भी समाप्त कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में एक निवेदन है, समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, यह आप स्वयं विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार को यह भी पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से उत्पादन को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है।

सभापति महोदय, इनकम टैक्स का एक्जेम्पशन दिया गया। वह ४००० से ५००० कर दिया गया। सीलिंग आया तो वहां पर यह ३६०० कर दिया गया। यह डिसक्रिमनेटरी है, यह क्या भेदभाव है? यह मेरी समझ में नहीं आता। काश्तकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश्तकार को एक्जेम्पशन अगर ५००० कम से कम दें तो मैं हद तक कह सकता हूं कि यह कोई राहत है वरना काश्तकार के लिये सरकार को चाहिये कि वह ६००० रुपये तक उसको एक्जेम्पशन दे। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दोपहर की धूप में, खेत के अन्दर उसको काम करना पड़ती है। ६-८ घंटे उसको वहां पर काम करना पड़ता है। तब यह डिसक्रिमिनेशन यह भेदभाव क्यों है? इसकी मैं निन्दा किए बिना नहीं रह सकता हूँ।

सभापति महोदय, पड़त भूमि राजस्थान में लाखों एकड़ है। आप अगर भूमिहीनों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को भूमि देना चाहें तो लाखों एकड़ भूमि है। मगर आप भूमिहीनों को १/२/५ बीघा देकर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस भूमिहीन को दो चार महीने या साल भर में मजबूर होकर उस जमीन को बेच देना पड़ता है क्योंकि यह उसके लिए इकोनोमिक होल्डिंग्स नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भूमिहीनों के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें जो कि इकोनोमिक होल्डिंग हो। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन कोई इण्डिया रबर तो है नहीं कि वह खींचने से लम्बी हो जायेगी। जमीन जो है वो है हमारे पास और कहां से लायेंगे। इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें कि हमारे पास कितनी जमीने काबिले काश्त है और कितने भूमिहीनों को देनी है। अर्थात् कितने भूमिहीनों को जमीन देने की स्थिति में सरकार है। साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान कैनाल की भूमि, वह एरिया बिल्कुल गंगानगर वालों के लिए रिजर्व कर दी है, दूसरों के लिये उसका दरवाजा बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया है, आपने उनके एजीटेशन से दबकर, डर कर यह घोषणा कर दी कि गंगानगर की भूमि गंगानगर वालों को ही दी जायेगी। इसका मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता हूं आपकी यह व्यवस्था अनुचित है। यह आपकी सिद्धांतहीनता की पराकाष्टा है और आपकी दब्बु नीति का द्योतक है। राजस्थान के सब लोगों का पैसा इस नहर पर लगा है। इसलिए यदि आप--गंगानगर के लोगों को, वहां के भूमिहीनों को इसमें प्राथमिकता दें तो यह उचित हो सकता है। परन्तु यह कहना कि राजस्थान के किसी व्यक्ति को गंगानगर में नहीं जाने दिया जायेगा। यह उचित नहीं है। यह वैसा ही दृष्टिकोण अपनाने जैसा है जैसा माननीय रामानंदजी ने कहा मेघालय और आसाम में जो छोटे छोटे राज्य बनाये गये हैं। वे देश के अन्दर और छोटे छोटे राज्य बनें इसका स्वागत करते हैं। यह देश के टुकड़े टुकड़े करना है। यह अगर करना है तो आपकी मर्जी। परन्तु यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हर राजस्थानी को अधिकार है गंगानगर में भूमि प्राप्त करने और वहां पर स्थापित होने का। राजस्थान में कोई विस्थापित होते हैं, कडाणा बांध आदि की योजना से उनके लिए भी आप कोई न कोई व्यवस्था वहां पर करते हैं तो मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करूंगा वरना मैं निन्दा किये बिना, विरोध किये बिना नहीं रह सकता हूं। यह सिद्धांत की बात है यह मेरे अकेले की विचारधारा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो जिम्मेदार नागरिक होगा, वह यह कहेगा गैर जिम्मेदारी या अवसरवादिता को अपनाना हो तो आप जानें।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि राजस्थान में कुल कितनी जमीन काबिले काश्त है, काबिले काश्त का रकबा कितना है और राजस्थान में कितनी भूमिहीन लोग हैं, कितने भूमिहीन खेती करना चाहते हैं और कितने भूमिहीन परिवार हैं, यह जानकारी सरकार को प्राप्त कर लेना

Page No 135

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिए इन भूमिहीन परिवारों में खेती पेशा परिवार कितने हैं, यह जानकारी सरकार प्राप्त करें। गैर खेती पेशे में कितने लोग लगे हुए हैं। मंत्री महोदय अगर आपको यह कहा जाये कि आप कपड़ा सीओ, या मुझको कहा जाये कि कपड़ा सीओ तो क्या मैं यह कर सकता हूं? इसलिए थोड़ी बहुत रुचि है उस भूमिहीन परिवार के लिये आप जमीन कि व्यवस्था करें। इसको देख कर आप करेंगे तो देश का हित होगा वरना यह कनफ्युज्ड व्यवस्था हो जायेगी और इस कनफ्युज्ड व्यवस्था से सरकार कर्तव्यच्युत हो जायगी, यह मेरा मत है। कितने भूमिहीन परिवार जो खेती कर सकते हैं, उसका पता कर उनको खेती पर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जो भूमि वितरण की व्यवस्था की जाये, उसको सरकार इकोनोमिक होल्डिंग के रुप में की जाये, इस रुप में आप इसका वितरण करें तो उपयुक्त होगा।

सभापति महोदय, क्या भीलवाड़ा, क्या पाली, बाड़मेर, कोटा आदि जिलों में सिवाय मेरे ख्याल से भरतपुर और डूंगरपुर को छोड़कर जहां पर कि जनसंख्या की बहुतायक है, हजारों बीघा जमीन पड़त पड़ी है। अन्य कई जिलों में भी हजारों एकड़ जमीन पड़त पड़ी हैं। वहां पर आप क्यों जमीन नहीं देते हैं? भूमिहीनों को वहां पर जमीन दें। मैं यह फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो जमीन दे सकते हैं उसको पहले डीटरमाइन कर लें, उसके करेक्ट डेटा ले लें, और जो जमीन भूमिहीनों को दें वह ५० स्टेन्डर्ड एकड़ की व्यवस्था करके उनको दें। इतना मैं निवेदन करता हुआ सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून से किसानों तथा देश को कोई लाभ नहीं है। इससे फ्रेगमेन्टेशन होगा और उत्पादन में कमी होगी। अब केन्द्रीय सरकार भी इस पर पुर्नविचार कर रही है। यह किसानों को कतई बर्बाद कर देगी। सम्पत्ति कर, एग्रीकलचर लेण्ड के उपर कृषि, भूमि के ऊपर लागू करने कि व्यवस्था से किसानों का अहित हीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं मंत्री महोदय आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मालदारों पर कर लगावें किन्तु किसानों के ऊपर इस तरह से कर नहीं लगावें। आप अच्छी चीज जिसे कहते हैं मैं उसको बुरी कहता हूं। फिर यह आपकी मर्जी है। आपकी बात मुझे विशेष नहीं सुननी है (श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री वृद्धिचंद जैन के टोंकने पर) जो कुछ मैंने दो चार शब्द कहे हैं वही निवेदन करता हुआ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों के ऊपर विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री रामकिशन या श्री जुझार सिंह।

श्री रामकिशन : (बैर) सभापति महोदय, सन् ५३ में भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की थी और अब ७० में जाकर याने १७ वर्षो के बाद इस पर विचार करते हैं कि सीलिंग को

Page No 136

(श्री रामकिशन)

लागू किया जाये, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की नीयत राजस्थान सरकार की मंशा को शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों से ही हमको समझ लेनी चाहिए। आखिर में है क्या? यह सब बात? राजस्थान सरकार की जो राजनैतिक पार्टी है, कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी उसकी मंशा जमीन पर सीलिंग लागू करने की नहीं है। और आज जो संशोधन प्रस्ताव पेश हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान की यह सरकार देश में प्रगतिशीलता का नाम लेकर और उसको लाभ उठाने के अलावा उसकी और कोई मंशा इसके पीछे नहीं है। सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब होता है इस बात का कि हम १७ वर्ष से लगातार यह कोशिश करते रहे हैं और कहते रहे कि जमीन का बटवारा करना हमारा काम है मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा जमींदार होगा जिन्होंने इन दिनों ट्रान्सफर नहीं कर लिये होंगे अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के बच्चों के लिए कौन सा जमींदार होगा जिसने इनके नाम जमीन न की होगी। मुझे अफसोस है कि विरोधी दलों की कमजोरी से आज यह सरकार इतने अर्से तक राजगद्दी पर बैठी रही और बीस साल तक भी इस प्रकार के कानून को असली रूप नहीं दिलवा सकी।

मुझे दूसरा ताज्जुब इस बात का है कि सरकार यह विचार बैठी है कि स्वतन्त्र पार्टी और दूसरे दल भी जो इस विचार के हैं जमीन का बटवारा न हो और एक्जेम्पशन्स हैं वे इसी तरह से कायम रहे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अब जमीन को बाटने का सवाल ही नहीं रहेगा भूमिहीनों को देने के लिए आखिर अब जमीन कौनसी शेष रही है? यह तो केवल प्रचार मात्र के लिए यह कानून लायी है वह दूसरों को यह कह सके कि हमारी सरकार प्रगतिशील है। अगर जो संशोधन आये हैं उनको देखा जाय तो प्रगतिशीलता में कोई आस्था नहीं रह जाती है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हालत है उसको देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि आखिर सीलिंग की जरूरत है क्या? स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ वाले अक्सर पूछते है कि क्या सीलिंग की जरूरत है क्या महारावल साहब के कहने के मुताबिक राजस्थान में सीलिंग की जरूरत है नहीं। आज सिद्धान्तों पर बहस का मौका नहीं है। आखिर इसमें क्या प्राप्त करना चाहते हैं योजना, कमीशन और संविधान के अन्दर जो व्यवस्था है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकतम आमदनी पर सीलिंग लगाने की बात आती है तो संविधान की बात कही जाती है आज जमीन पर ८० प्रतिशत लोग आश्रित हैं, ८० प्रतिशत जनता जमीन से अपना भरण पोषण करती है। हम जब जमीन की सीमा बांधने की बात करते हैं उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि शहर में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आमदनी पर भी हमें सीमा बांधनी होगी। आज प्रश्न सभी के सामने यही है कि शहरों में रहने वालों की आमदनी की सीमा क्यों नहीं बांधते। आज जमीन पर जब सीलिंग

(श्री रामकिशन)

की बात आती है तो अक्सर यही दलील आती है कि शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा बांधी जाय अभी समय है जब कि हमें शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा बन्दी के लिए कानून बनना चाहिये अगर अभी नहीं बनता है कि कभी नहीं बना पायेंगे। बम्बई अधिवेशन में शहरी सम्पत्ति के बारे में चर्चा हुई थी मेरी इस संबंध में एक केन्द्रीय मंत्री से अनौपचारिक वार्ता हुई थी उनका कहना था कि हम शहरों में दस लाख से ऊपर की जिनकी सम्पत्ति है अभी हम उस पर सीमा बन्दी करने जा रहे हैं। इससे यह साफ मतलब होता है कि जो पार्टी यह कहती है कि हम समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं गरीबी मिटाने वाले हैं यह केवल उनका धोखा मात्र है। आज जो सरकार चलाने वाले हैं वे लोग यह सोचते हैं आज हम जिनके बल बूते पर टिके हुए हैं उन्हीं का उन पर असर है इसलिए वे इस बारे में क्रान्तिकारी कदम उठा नहीं सकते। आज हम जमीन की ही सीमा क्यों करना चाहते हैं ? आज हमारे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी मशीनों के द्वारा खेती की संभावना नहीं है। हमारे देश में जमीन की कमी है और जन संख्या ज्यादा है। अगर हम मशीनीकरण की तरफ बढ़ गये तो यह होगा कि धीरे धीरे स्वतन्त्र और जनसंघ पार्टी की जो धारणा है उसको बल मिलेगा उनके हिसाब से हमें मशीनीकरण के लिए जमीनों के बड़े बड़े फार्म रखने होंगे यह हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर जमीन पर बहुत अधिक भार है। आज की स्थिति में मशीनीकरण की ओर बढते हैं तो आज पूंजी का जिनके पास केन्द्रीयकरण हो गया है वे लोग बड़े बड़े जमीन के टुकड़े लेकर उसको अपने कब्जे में करेंगे, जिनके पास अधिक सम्पत्ति है उनका सारा धन जमीन की तरफ चला जायगा। स्वतन्त्र पार्टी इस स्थिति के लिए तैयार हो ऐसा नहीं है। अमेरिका का इतिहास देख लीजिए रूस का पूरा इतिहास देख लीजिए कि जमीनों का मशीनीकरण हो जाने से इसका मार्केट किन लोगों के हाथों में पहुंचा दिया गया है।

आज सीलिंग के बारे में जो विचार चल रहा है उसके अनुसार बड़ी मशीनीकरण की ओर हमने इसको धकेल दिया तो इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कम्युनिज्म आयगा। इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनैतिक स्थिति भी केन्द्रीभूत होगी। वैसे स्वतन्त्र पार्टी कम्युनिज्म का विरोध करती है लेकिन जहां मशीनीकरण चाहती है वहां उसको समर्थन देने की बात करती है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आप इस स्थिति के बारे में विचार करें जहां आप सत्ता को विकेन्द्रित करना चाहते हैं वहां आप आर्थिक साधनों को भी विकेन्द्रित करें। महारावल साहब ने कहा कि इससे फ्रागमेन्टेशन बढ़ेगा और पैदावार घटेगी। यह अनुभव गलत है। जापान की मिसाल आपके सामने है वहां प्रति व्यक्ति होल्डिंग क्या है उसको आप यह कहेंगे वह तकनीकी दृष्टि से बहुत एडवान्स कन्ट्री है। उसको जाने दीजिए थाईलेन्ड को ले लीजिए वहां जो चावल की पैदावार होती है वह संसार के अन्य देशों से सबसे अधिक होती है। आज हम यहां पर तीस स्टेंडर्ड एकड़ का प्रावधान रखते हैं मैं कहना चाहता हूं इसमें भी बिना अच्छा

(श्री रामकिशन)

खाद और अच्छा बीज बोये क्या हम इतनी पैदावार ला सकेंगे ? नहीं खाली बन्जड़ भूमि में इतनी पैदावार नहीं ला सकते। आज सीलिंग की जरूरत है राजस्थान सरकार ने इन ११ वर्षों में जो कानून बनाए ६ वर्ष के निरन्तर प्रचार के बाद इस ओर कदम नहीं उठाती है, इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है। केवल बम्बई में जो आपने निर्णय लिए केवल उसी का धर्म निभाना है या केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं या बीस साल की गलतियां सुधारने जा रहे हैं। यह तो आपके एक्जेम्प्शन के वापिस लेने से पता चल गया था। मेकेनाइज्ड फार्मिंग के नाम पर आपने जब सिलिंग की छूट दी थी उस समय हमने उसका विरोध किया था हमने कहा था कि इससे दूसरी स्थितियां पैदा होंगी। उसके बाद घोषणा कर दी गई कि हम एग्जेम्प्शन को वापिस ले रहे हैं। अब हमने इस विधेयक में यह प्रावधान कर दिया है कि जून सन् ७० तक अपने बेटों के लिए जो ट्रांसफर करना चाहते हैं वे ट्रांसफर कर सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस प्रावधान के बाद क्या आपके पास एक इन्च भी भूमि शेष रह पायगी जिसको आप भूमिहीनों में बांट पायेंगे। जो कानून आपने पहले बनाया था उसी समय यह आप लागू कर देते तो आपको अधिक से अधिक भूमि मिल सकती थी। उस समय १ करोड़, ७३ लाख एकड़ पर खेती होती है और ४४ लाख लोग खेती करते थे। उस समय ३०८२४ व्यक्ति थे जिनसे भूमि लेनी थी। इतनी बड़ी संख्या में ३०८२४ पर इसका असर पड़ने वाला था। हमारे पास तमाम रकबा ३ करोड़ ७४ लाख ५ हजार ३०४ बीघा सरप्लस लैन्ड है जो १५ लाख एकड़ के करीब है। जो कानून बना रखा है उसके अन्तर्गत १५ लाख एकड़ जमीन को लेकर बांटने का था बांट सकते थे। राजस्थान सरकार यह बतला सके कि अब राजस्थान में भूमिहीनों की संख्या कितनी है यह बताना मैं समझता हूं सरकार के लिए मुश्किल है।

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, एडवोकेट जनरल के हाउस में ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने पर)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, हाउस में कोई स्ट्रेन्जर मालूम पड़ते हैं?

श्री सभापति : He is Advocate General. He has a right to sit in the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Has he been asked to come ?

श्री सभापति : There is a provision in the Constitution. He can sit in the House

श्री मदनसिंह : Any time ?

श्री सभापति : Yes, any time.

श्री भीखाभाई : Do you want to deny his right under the Constitution.

श्री सभापति : He has come after

(श्री सभापति)

a long time. So he seems to be a stranger.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is first time at least during tne last seven years.

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था आज राजस्व मंत्री यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारे पास कितनी जमीन उपलब्ध है और भूमिहीन काश्तकार कितने हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि उनकी संख्या ८३,१७२ आंकी गई है। मैं कहता हूं यह आंकड़े गलत हैं क्योंकि जो आपने भूमिहीन की परिभाषा दी है उसके अनुसार उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करायें। उस समय राजस्थान सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं थी। अगर राजस्थान सरकार इसे लागू करना चाहती तो कानून के प्रावधान के तहत राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये थी। राज्य में भूमिहीनों की संख्या क्या है और किस प्रकार की जमीन उनको दे सकते हैं, क्या रोजगार उनको दे सकते हैं इस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। राज्य सरकार प्रचार के माध्यम से अपने को प्रगतिशील बनाने में लगी हुई है। इजेम्प्शन के बाद कितनी भूमि है जिनको हम भूमिहीनों में बाट सकेंगे जो खेती करते हैं या खेती पर आश्रित है वे कितने है और भूमि कितनी है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार और ये राजस्व मंत्री जी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बता सके। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार का केवल ढोंग है, सीलिंग कानून को लागू करना नहीं चाहती है। सन् १९६९ तक जो भूमि थी वह सब ट्रान्सफर कर दी है, उसका गलत ढंग से ट्रान्सफर हो गया है। बड़े बड़े लोगों ने जमीन बेच दी है। सभापति महोदय भूमिहीनों को जमीन देने का सवाल नहीं है बल्कि उनको अच्छी जगह जमीन देकर बसाने का भी है। आज राजस्थान में खाली जमीन पड़ी हुई है. बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर में, यह बात सही है वहां जमीन खाली पड़ी है लेकिन पानी का प्रबन्ध नहीं है। आज भरतपुर के काश्तकार को आप यह कह दें तुम्हें फांसी दे दें तो जन संख्या कम हो जायगी और इस समस्या का निवारण भी हो जायगा तो वह भरतपुर का रहने वाला उसे मंजूर करे लेगा लेकिन आप उसे यह कहें कि तुम्हें जमीन जैसलमेर, बाड़मेर में दी जायगी, यह कोई तर्क संगत बात नहीं होगी और उसे वह कभी मंजूर नहीं करेगा। जमीन जो जहां रहता है उसी क्षेत्र में मिलनी चाहिये।

आबादी निरन्तर बढ़ते रहने से सम्भवतः आज से ५० साल बाद लोग बाड़मेर, जैसलमेर चले जाय लेकिन आज की स्थिति में दो बीघा जमीन, चार बीघा जमीन के लिये, पांच बीघा जमीन के लिये आप पूर्वी राजस्थान वाले भूमिहीनों को कहें तो यह उनके साथ मजाक के अलावा और कोई अर्थ नहीं है।

भूमिहीन राजस्थान में कितने है, राजस्थान सरकार को कोई जानकारी नहीं है। भूमिहीन भी आज दो तहत के माने जाते है एक तो वे जिनके पास जमीन अपने

(श्री रामकिशन)

गुजारे लायक है–सीलिंग के भीतर भीतर कह लिजिये या ज्यादा कह लीजिये जो आज राजस्थान के अन्दर २४ लाख६८ हजार १६५ के लगभग है ऐसे लोगहै जो जमीन के मालिक तो है लेकिन वास्तविक रूप में जितनी जमीन उनको चाहिये वह है नहीं। दूसरे वे लोग है जिनके पास खेती करने को जमीन नहीं और जो खेती पर आश्रित रहते हैं। कहने का मतलब जो खेती पर काम करते है। सभापति महोदय मेरा निवेदन है ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास एक बीघा से लेकर १५ बीघा तक जमीन है उनकी संख्या २४ लाख ६८ हजार १६५ है और दूसरे प्रकार के लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है अब हम जमीन बांटना चाहते है तो दो प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिये–पहला दृष्टिकोण तो यह कि जिनके पास अपर्याप्त भूमि है और दूसरे वे लोग जो खेती पर मजदूरी करते हैं तो हमें ऐसे लोगों को प्राथमिकता की दृष्टि से सीलिंग की बची हुई जमीन को देना चाहिये। दूसरे जिनके पास एक—दो बीघा जमीन है, जो केवल जमीन के मालिक कहलाते हैं वे न तो कोई दूसरा धन्धा कर सकते हैं और न उनके पास कोई धन्धा हैं ही तो उनकी पूर्ति के लिये जमीन दी जानी चाहिये। उन सबके लिये राज्य सरकार को सोचना चाहिये मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है। जिनको जमीन की जरूरत नहीं है, उनके लिये ही इस सीलिंग की जरूरत है।

राजस्थान सरकार इस सीलिंग कानून के मारफत जो मजाक करती आ रही है आज वह मजाक और करके किसानों के दिलों में ज्यादा चोट पहुंचाई है, आज एग्जेम्पशन को वापिस ले रहे है, भाइयों के नाम जो ट्रान्सफर किया गया उनको मान लिया दिसम्बर १६६६ तक के लिये मान लिया गया लेकिन इसके अलावा जून ७० तक और रेगूलराइज करेंगे यह एक विडम्बना मात्र है। फिर मैं पूछना चाहता हूं इस कानून को लागू करने की जरूरत क्या है ? कानून पास नहीं करते और एक समय दे देते कि फला तारीख तक जैसे आन्ध्र प्रदेश ने किया है और भी राज्यों ने किया है—सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं रखेंगे तो जो ये संशोधन रखे गये हैं वे सब गैर जरूरी हो जाते है। मैं एक राजस्व मंत्री से जानकारी करना चाहता हूं एग्जेम्पशन जून ७० तक दिया उसमें भाई बेटे का क्या अर्थ है? मामा का लड़का भाई हो सकता है, चाचा का लड़का भाई हो सकता। इसमें तो कई प्रकार के भाई पैदा हो सकते है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रीयल भाई।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सगा भाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'Son' includes stepson or not? And adopted son?

सन्स में अडाप्टेड सन्स भी है या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम): डाटर का जिक्र नहीं किया है।

श्री मदनसिंह : डॉटर का नहीं है, विधवा का नहीं है, दो स्त्रियां जिनके हों उनका जिक्र नहीं है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय जो इस प्रकार जमीन की छूट दी है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपने एक संशोधन किया है जो राजस्थान का बोनाफाईड रेजीडेन्ट है उनको जमीन ट्रान्सफर हुई है तो उसको रेगूलराईज करेंगे।

(४.३७. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मै जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में कोई भी व्यवस्था अपना सकते हैं क्या ! खेती एक व्यवस्था है, मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार जान-बूझकर इसको हाई कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही हैं। केवल नागालेन्ड और कश्मीर में ऐसी व्यवस्था है, दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपने जान-बूझकर स्थिति पैदा की है। सीलिंग कानून को आप पास नहीं करना चाहते, पास करना चाहते हैं तो उसको अमल में नहीं लाना चाहते और अमल में लायेंगे तो उसको किसी प्रकार हाई कोर्ट में अटका देंगे और फिर यह कह देंगे हाई कोर्ट में चला गया है इसलिये अब हम इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। उसके दो साल बाद कहेंगे अब जरूरत नहीं, राजस्थान सरकार कह देगी जो सीलिंग की मंशा थी वह पूरी हो गई। इस प्रकार की राजस्थान सरकार की नीतियां चलती आ रही है। मेरा निवेदन है आपने कभी इस मामले को गंभीरता से लिया नहीं। आपने फिर इसमें समय बढ़ा दिया है पहले दिसम्बर ६६ तक जो गैर कानूनन ट्रान्सफर हुये है उनको असंगत नहीं माना था अब जून ७० तक कानून संगत मान रहे हैं। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ और हमारा सुझाव है जो भूमिहीन है या इस प्रकार के जो धन्धा करने वाले हैं उन्हें जमीन रेगूलराईज कर रहे हैं और आप उन्हें काश्तकार मानते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं यहां कितने मंत्री ऐसे हैं जो काश्तकार है-आप माफ करें मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं कहता हूँ-आप बता दीजिये कौन-कौन काश्तकार है, क्या बिड़लाजी काश्तकार है, क्या सिंघानियाजी काश्तकार है, क्या डालमियांजी काश्तकार है और क्या रामकिशोरजी व्यास और सुखाड़िया साहब काश्तकार है। फिर मुझे बता दीजिये जमीन बचेगी कहां से ? काश्तकार कौन है, काश्तकार वे लोग है जिनका परम्परागत जमीन से सम्बन्ध रहा है, जिनकी आमदनी का जरिया काश्त है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Who are expected to cultivate.

श्री रामकिशन : मैं कहता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो खेती का धन्धा वह अपनाना नहीं चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं इन संशोधनों के पीछे गंभीरता नहीं है, पवित्रता नहीं है और न भूमि हीनों को जमीन देने का कोई

Page No 142

(श्री रामकिशन)

अर्थ है। उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा इस कानून के लिये मैं समझता हूँ एक संशोधन स्वतन्त्र पार्टी की ओर से या बी० के० डी० की ओर से कहीं से आया हो दिसम्बर ६९ के स्थान पर जून ७० तक का समय कर दिया जाय, ऐसा कहा गया है। उनके दल की क्या नीति है, मैं आलोचना नहीं करता हूँ लेकिन हम जिस वजह से सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं इन सारे संशोधनों के मारफत उसको लागू करने का कोई प्रयास नहीं है कोई गंभीरता नहीं है कोई मन नहीं है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोग्रेसिव विचारधारा है।

श्री रामकिशन : आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस का क्या स्वरूप है। मैं नहीं समझता हिन्दुस्तान में स्वतन्त्र और जनसंघ में क्या फरक है लेकिन राजस्थान में ऐसा लगता है एक गिरोह को तीन जगह बांट दिया हो, अलग-अलग कर दिया है लेकिन उनके संस्कार एक हैं, मन एक है, कार्यक्रम एक है अमल में यही करना चाहते हैं इसके अलावा कोई मंशा है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय इसको लागू करने का न तो राजस्थान सरकार का कोई इरादा है····

श्री भीखाभाई : आप समाजवाद की बात करना चाहते हैं या नयें काश्तकारों की बात करना चाहते हैं या दोनों ही करना चाहते हैं। समाजवाद की दृष्टि से आप जो आदिवासी या हरिजन हैं उनके हक में बोल रहे हैं या क्या?

श्री रामकिशन : क्या चीज ?

श्री भीखाभाई : आप समाजवाद की दृष्टि से यह चाहते हैं कि जो आदिवासी या हरिजन या ऐसे ही लोग जो कि भूमिहीन हैं जो कि खेती का तरीका नहीं जानते हैं उनके हक में कह रहे हैं या यह कह रहे हैं कि नये काश्तकार आये हैं जिनका जिक्र आप करते रहे हैं उनके प्राडक्शन की दृष्टि से उनको प्रोत्साहन करने की बात कर रहे हैं?

श्री रामकिशन : आप सुनते नहीं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हो या फिर मुख्यमंत्री जी की खुशामद करते रहते हो। आपने सुना ही नहीं।

श्री भीखाभाई : आपकी भावना से प्रोत्साहित होकर कह रहा हूं कि आप साफ साफ कहें कि यह होना चाहिए।

श्री रामकिशन : मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जिस प्रकार के संशोधन राज्य सरकार ने रखे हैं उससे कहीं भी भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी। हमने इस संबंध में सुझाव दिया कि जिन्होंने जमीन बेच दी उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। मैं पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोला था और मैंने सुझाव दिया था कि हमें रेगुलेराईज करना है तो जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से बेची है और बची हुई जमीन है उसको भूमिहीनों को दिया जाये और यह समझा जाये कि उन्होंने जमीन बेची है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो कम्पन्सेशन का सवाल उठेगा, दूसरे प्रश्न आयेंगे और जो

(श्री रामकिशन)

हमारे राजस्थान की हालत है मैं समझता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कहीं किसी को जमीन नहीं देना चाहते हैं, किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपने जो जमीनें बेची हैं उनमें तीन चार तरह की कैटेगरीज रखी हैं। आदिवासी हैं, हरिजन हैं, विधवा हैं जिनके पास आमदनी के जरिये नहीं हैं, ऐसी औरतें हैं या ऐसी औरतें हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के नाते पत्तियों के ऊपर आश्रित नहीं हैं और जिनके अपने निजी साधन थे ऐसों को जमीन मिली है तब तो मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जमीन को रेगुलेराइज करना चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का रेगुलेराइजेशन करें। इसके अलावा गावों में ऐसे लोग थे जो कि खेती के धंधों पर आश्रित थे जैसे बढ़ई, नाई, तेली और धोबी आदि। ऐसे लोगों ने जमीन खरीदी है या किसी प्रकार से ट्रान्सफर हुई है उनको हम रेगुलेराइज करें और साथ ही साथ पैसे जो कि ज्यादा किसानों से ले लिये गये हैं और ज्यादा दे दिये गये हैं वह राज्य सरकार उनसे वसूली करे जिन्होंने जमीनें बेच दी हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तब तो न्याय संगत हमारे कानून का अर्थ है और अगर ऐसा नहीं करते है तो इस कानून का कोई अर्थ ही नहीं है। सदन का समय खराब करना है और खराब करने के साथ साथ राजस्थान में झूठी भावना पैदा करना है। लोगों में विश्वास था कि आज राज्य सरकार जमीन देने की कोशिश करेगी, हमें जमीन मिलने वाली है इस तरह की झूठी बात आपने पिछले बीस सालों से जगाई और इसके विपरीत अगर हम कह देते कि हम जमीन नहीं देंगे और जिनको आशा हो जायेगी कि जमीन नहीं मिलेगी तो देश में दूसरे धंधे पनप गये होते। लेकिन हर आन्दोलन के जरिये आशा जगाई जाती है कि जमीन मिलेगी और उसका नतीजा यह होता है कि न तो जमीन मिल पाती है और न लोग दूसरे धन्धों में ही जा पाते हैं। हिन्दुस्तान में जो सबसे कम लोग दूसरे धन्धों की तरफ गये हैं उसका कारण राज्य सरकार की जमीन संबंधी नीति है। अगर आप कह देते कि हमारी नीति जमीन देने की नहीं है तो देश के लोग दूसरी तरफ सोचते। तो राज्य सरकार ने जो आज कानून सरकुलेट किया है, जो सरकार संशोधन लाई है और उसके बाद जो संशोधन में संशोधन लाई है उसके बाद तो यही चाहूंगा कि इस पर चर्चा यहीं की यहीं समाप्त कर दी जाय और किसी को जमीन मिलने वाली नहीं है और मैं मांग करता हूँ कि इस अमेंडमेंट को राज्य सरकार वापिस ले और उसके साथ ही साथ मेरा जो सुझाव है उसके अनुसार हमारे अमेंडमेंट्स अलग अलग हैं उनके ऊपर अलग अलग वोट होगा तो हम अपनी राय जाहिर करेंगे। आज केवल सरकार किसानों को धोखा देने के लिए मालदारों की मदद करने के लिए और कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए इस कानून को लाई है। इसके अलावा कोई और मन्शा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (सेकिण्ड अमेन्ड-

Page No 144

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मेन्ट) बिल, १९७० पर मैने भी एक प्रस्ताव दिया है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीलिंग कानून दस वर्ष पहले लागू होना चाहिये था लेकिन राजस्थान सरकार ने जानबूझकर इस प्रकार की ढिलाई की कि जिसकी वजह से ही ज्यादा जमीन वालों ने जमीन का बेचान कर दिया और जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं काफी लोग उनमें ऐसे हैं कि जो खेती करने वाले नहीं हैं।

जो जमीन खरीदने वाले आदमी हैं उनके नाम से जमीन है वह खारिज होनी चाहिए और जिनका पुश्तैनी धंधा खेती का है उन लोगों ने सीलिंग के दायरे में रहकर जमीनें खरीदी हैं उन लोगों को ही सहूलियत देना जायज रहेगा। इसमे यह भी है कि १५ एकड़ से ज्यादा जो जमीन है उसके ऊपर जिसने खरीदी है १६ एकड़ होने से उसको भूमिहीन नहीं माना जायगा। तो मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी भूमिहीन जो सही मानें में भूमिहीन है। वह जमीन नहीं खरीद सकता, उसकी शक्ति नहीं है। कम जमीन वाला जिसने मेहनत की और जमीन खरीदी और जिसके पास में ज्यादा जमीन थी उन्होंने इस गरज से वेची कि सीलिंग लागू होगा। यह तो सरकार का काम था कि इसके ऊपर पाबन्दी लगाती। इस पर राजस्थान सरकार ने जो रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश निकाले इससे काफी लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि गरीबों ने भी जमीनें बेची और खरीदीं और इसमें यह भी अड़चन थी कि जमीन तो खरीदी है लेकिन यह जमीन सरकार मन्जूर नहीं करेगी, इसलिए उसकी कीमत पूरी नहीं मिलेगी जिससे यह नुकसान हुआ और जो लोग जानते थे कि हम राजस्थान में कानून पास करवा लेंगें उन्होंने आधे पैसे में जमीन गरीबों की ले ली जिनका पेशा खेती नहीं है, या कोई सरकारी अधिकारी है, व्यापारी है या ठेकेदार है उन्होंने सस्ते भाव में जमीन खरीदी और यह कहा कि तुम तो जमीन बेच दो मन्जूर हो या नहीं इसको हम देख लेंगे। तो उन लोगों के नाम जो जमीन हैं जो कि सही माने में काश्तकार नहीं हैं वह जमीनें उनके नाम से नहीं रहनी चाहिए। और रद्द होनी चाहिए और जो काश्तकार हैं और जिनके पास सीलिंग सीमा के अन्दर जमीन है उसको मान लेना चाहिये। अन्यथा इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोगों के अन्दर अशांति फैलेगी क्योंकि पैसा मेहनत से कमाकर जिन्होंने जमीन खरीदी और ज्यादा जमीन वालों ने पैसा ले लिया और वह जमीन मन्जूर नहीं होगी तो काश्तकारों के साथ अन्याय होगा। जिन्होंने खेती करने के लिये जमीन खरीदी है उनकी जमीन बदस्तूर रहनी चाहिए और जिन्होंने व्यापार की दृष्टि से खरीदी है उन लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और इसमें संशोधन लाना चाहिए कि उन लोगों के नाम से जमीन रीजनेबल टेनेन्ट से लिखी है। इससे उन लोगों को फायदा पहुंचता है और रीजनेबल कोई भी हो सकता है क्योंकि रीजनेबल टेनेन्ट तो लिखना उनके हाथ की बात है। सही माने में जो पुश्तैनी काश्तकार हैं उन्हीं को काश्तकार माना जाये न कि कोई भी जमीन खरीद ले और दूसरे को ठेके पर देता रहे और लाभ उठाता रहे। आज तक जितने काश्तकार हुए हैं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

५९ के बाद तो बहुत ज्यादा हुए हैं, अकेले गंगानगर जिले में ३५ करोड़ की जमीन बिकी है और उससे सरकार को काफी लाभ हुआ है। यह भी पाबन्दी होनी चाहिए कि किसी को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो सरकार ने फीस लेने के लिये रजिस्ट्रियों के ऊपर पाबन्दी नहीं लगाई और जिनके पास ज्यादा जमीन थी वह बेच गये और रही सही जमीन भी वह बेच रहे है तो बेचने का कोई मैं विरोधी नहीं हूं सरकार सही मायने में ईमानदारी से गरीबों को जमीन दिलाना चाहती है तो आज से १० साल पहले सीलिंग कानून लागू करती और भूमिहीनों का यह जमी बंटवा देती। लेकिन राज्य सरकार की हालत यह है कि आज भी हजारों, लाखों एकड़ जमीन सरकारी पड़ी है और भूमिहीनों को जमीन नहीं देना चाहती। एक कानूनी हव्वा खड़ा किया जा रहा है। उन लोगों ने जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनको बेचने का मौका दिया। सरकार जमीनों को आज तक भूमिहीनों को नहीं बांट सकी है तो क्या उम्मीद करें कि सीलिंग कानून लगाने से उन भूमिहीनों को जमीनें मिलेंगी? सही मायने में जो छोटे काश्तकार हैं उनको नुकसान होगा। जो बड़े काश्तकार हैं वे सीलिंग के कानून से बचकर निकल गये हैं। भूमिहीनों को इससे फायदा नहीं होने वाला है। आपस में लड़ाने के लिये इस प्रकार का संशोधन दिया जाता है। मेरी यह मंशा है कि इस संशोधन के अन्दर सीलिंग सीमा के अन्दर जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उन लोगों की जमीनें बदस्तूर रहना चाहिए और आयन्दा भी इस प्रकार से जमीन बेचते हैं तो उसके लिए कम से कम इजाजत दी जाय, क्योंकि अभी तक सही मायने में सरकार सीलिंग लागू नहीं कर सकी है। सिर्फ बेचान हुए हैं उनको रेग्युलेराइज करने के लिए कानून ला रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि गंगानगर जिले की जो ३३ मांगें हैं उन मांगों में यह जुड़ा हुआ है कि खरीदी हुई जमीनें उसको बदस्तूर माना जाय। तो उन काश्तकारों द्वारा यह जो मांग है वह पूरी होती है। सही मायने में जिस तरह से काश्तकारों की मांगें हैं उसको पूरा करने के लिये सीलिंग सीमा के अन्दर जिसके पास १५-२० बीघा जमीन है या जिसके पास बिल्कुल नहीं है उनकी खरीदी हुई जमीन को मान्यता दी जाय। जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है वह खरीदने के लायक नहीं है। वह व्यापारी या दुकानदार या सरकारी आदमी और जो खेतीहर भूमिहीन हैं उनमें जमीन खरीदने की कोई क्षमता नहीं है।

इस बिल के लिए जो आज पास होने के लिए जा रहा है दोनों तरफ से आवाजें उठी हैं कि पास नहीं होना चाहिए। मै कहता हूं कि बिल को पास कर देना चाहिए। तारीख जो निश्चित की गई है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए ताकि जमीन जिनके पास में है उन लोगों को जमीन मिल सके। मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार इस प्रकार से जमीन ले सकेगी। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है उसमें इस प्रकार से झगड़े खड़े होते हैं कि सीलिंग कानून नहीं हो। वोट की मार जबरदस्त है। इसके कारण से सीलिंग कानून में देरी हुई है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसके साथ-साथ सीलिंग के बारे में जो जमीन की किस्म है उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है। जिस तरह से गंगानगर जिले में यह नाली की जमीन है वह भी २९ एकड़ और जो राजस्थान कैनाल में टीबों की जमीन है उस पर भी २९ एकड़ रखी गयी है। जो नाली की जमीन है उस जमीन की आज ५ हजार रुपये बीघे से कम कीमत नहीं है और ७ हजार बीघे तक बढ़ गई है, और आज राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो जमीन है उसमें जो बढ़िया जमीन है वह एक हजार रुपये बीघे से ज्यादा की नहीं है। इस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से इस जमीन की किस्म का निर्धारण किया गया है। यह राजस्थान भर में होगा ऐसा मैं समझता हूं। गंगानगर में इस प्रकार की गड़बड़ की है तो दूसरे जिलों में भी इस प्रकार की जमीनों की किस्में दर्ज करने में गलतियां की होंगी या जान-बूझ कर ऐसा किया गया होगा। इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। आज इस प्रकार से आंख मींचकर कानून को ताक में रख चुके हैं जो कि इस प्रकार से लागू किये जाते हैं। जिन लोगों के पास में बेईमानी से ज्यादा जमीन थी उनको ज्यादा मिलेगा और जो ईमानदार रहे उनको सीलिंग के अन्दर जितनी उपज हुई है उतनी भी न मिले। सीलिंग का अब कोई मायना नहीं रह गया है। सीलिंग तो सही मायने में हो गया। जमीन फालतू सरकार के पास हैं। किसी और व्यक्ति के पास फालतू जमीन नहीं है एक-दूसरे को बेच दी गई है और आपस में बांट ली गई है और जमीन सीलिंग सीमा से अधिक नहीं छोड़ी है।

दूसरे बागात के बारे में, फार्मस के बारे में इसमें है तो मैं तो यह चाहता हूं कि कोई भी बाग हो या फार्म हो सीलिंग सब पर लागू होना चाहिये। एक आदमी ने २० बीघा में बाग लगा रखा है और एग्रीकलचर फार्म बनाकर ५०० बीघा जमीन रख रखी है तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीलिंग जब लागू किया जाता है तो सबमें बराबर वितरण जमीन का होना चाहिये। एक आदमी को बहुत ज्यादा लाभ मिलता रहे और १०० आदमी भूखों मरते रहें इस प्रकार की व्यवस्था है। समाजवाद इस स्टेट में नहीं आ सकता। राजस्थान सरकार ने जिस वक्त इन्डीकेट-सिन्डीकेट का प्रश्न खड़ा हुआ था तो रातों-रात पलटा खाया और समाजवाद की दुहाई देने लगे। यह सही मायने में सिन्डीकेट सरकार है। वह इसलिये है कि जो मन्त्री महोदय बैठे हैं उनका काश्तकारों से सम्बन्ध नहीं है। एक-दो आदमियों को छोड़ कर सब शहरों से आये हैं जिनका जमीन से कोई मतलब नहीं है और काश्तकार की तकलीफ को नहीं समझते हैं इसलिए ही राजस्थान में चारों तरफ से रिआया की लूट मची हुई है। राजाओं के वक्त में जमीन का लगान जयपुर में चाही जमीन का १५-२० रुपये बीघे तक का था। इन २० सालों के अन्दर इन्होंने जमीन की लगान के बारे में कोई एकीकरण नहीं किया। वे जमीन के बारे में नहीं जानते हैं, काश्तकारों की तकलीफों के बारे में नहीं जानते है। सिर्फ इन्होंने कुर्सियों पर कब्जा कर रखा है और यहां बैठकर हां, ना से कानून पास करते हैं और वही कानून गरीबों पर लागू होता है। सही मायने में उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस

श्री रामचन्द्र आर्य)

प्रकार के कानून पास करके जाते हैं तो गांवों में उनको घुसने नहीं देते हैं। सही मायने में वे लोग यह नहीं समझते हैं कि ये लोग कानून पास करते हैं। वे समझते हैं कि राजस्थान सरकार ने कानून पास कर दिया। उन्हें नहीं मालूम है कि राजस्थान की विधान सभा में बैठ कर हमारे हाथों से कत्ल किये जाते हैं और गरीबों की दुहाई देते हैं। जो लोग किसानों के नाम से वोट लेकर विधान सभा में आये हैं उन लोगों को किसानों के खिलाफ जो भी कानून पास हो उनका विरोध करना चाहिये चाहे वे इधर बैठते हों चाहे उधर बैठते हों। सही मायने में ८५ प्रतिशत काश्तकार गांवों में बसते हैं। उनके खिलाफ कानून बनाये जाय तो उनका विरोध सबको एक होकर करना चाहिए। आज तक शहरों की सम्पत्ति पर कोई भी सीलिंग लागू नहीं किया गया है और यह कहा जाता है कि पहले ही काश्तकारों की जमीन का सीलिंग किया जाय, जरूर किया जाय। मैं इस पक्ष में हूं लेकिन शहरी सम्पत्ति को अलग क्यों छोड़ा जाय? लेकिन जो बोलने वाला तबका नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जिसकी आवाज नहीं है उस पर आप मर्जी आये उस तरह से सीलिंग लगाना चाहते हैं और शहरवालों ने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति दबा रखी और एक-एक आदमी के पास ५००-५०० दुकानें हैं, पक्के मकान बना रखे हैं और हजारों लाखों रुपये महीने की आमदनी लेते हैं उन लोगों पर सीलिंग नहीं लगाते हैं। एक मामूली काश्तकार पर जिसका आजीविका दूसरा और कोई साधन नहीं है वह अपनी ५-७ साल से लेकर ६० साल तक के आदमी श्रम करके पेट भर रहे हैं और कोई साधन नहीं है, वह अच्छी शिक्षा नहीं पा सकता, अच्छी सोसाइटी में जा नहीं सकता....

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय बढ़ाना है। जरा बैठ जाइये।

सदन की अनुमति से बैठक का समय इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सही मायने में यदि सीलिंग को लागू करना है तो पहले शहर वालों को इसके साथ जोड़ा जाय। वैसे जो सीलिंग लागू करने का कानून राज्य सरकार ने बनाया है उसकी अहमियत समाप्त हो चुकी है, इसको लागू करने से या लागू नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए शहर की सम्पत्ति है उस पर भी सीलिंग सीमा मुकर्रर होनी चाहिए ताकि जो गरीब शहर में रहते हैं, जैसा कि शहरों में हम जाते हुए देखते हैं कि उनके पास जमीन नहीं है दुकान के लिए, वह ठेला लेकर खड़े रहते हैं और पुलिस वाले उनको वहां खड़े नहीं रहने देते हैं। तो उनके पास भी जमीन नहीं है और दिन भर में दो रुपये कमाने के लिए चाय की दुकान चलाने के लिए वह ठेला भी नहीं लगा सकते हैं, रोजाना उनको एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ा जाता है, दूसरी ओर शहर में ऐसे आदमी होते हैं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जिनके पास में फालतू मकान और दूकानें पड़ी हैं और हजारों रुपया किराये का मुफ्त में आता है। इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर करने के लिए सीलिंग को शहर में भी लागू करना चाहिए। और शहर और देहातों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज देहात और शहर में फर्क इसलिए नहीं है कि देहात के आदमी समझते नहीं है जब कि शहर मे रहने वाले आदमी होशियार होते हैं अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर देते हैं, उससे सरकार भयभीत हो जाती है और उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाती है, जब कि देहातों के लोगों के खिलाफ कानून बनाती है। गंगानगर के किसानों ने एजीटेशन किया, एजीटेशन कोई भी आदमी मजबूर होकर ही करता है, वह बहुत तंग आने के बाद ही करता हैं। आज किसानों के लिए इतने कानून गलत बना दिये गये हैं कि किसान के लिए जीने को कोई जगह नहीं रहीं है तब जाकर काश्तकार खड़े होकर लड़ाई के लिए मैदान में आये। इसलिए यह सरकार को भेदभाव की नीति नहीं बरतनी चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सीलिंग के कानून के लिए मैं यह नहीं कहता कि यह बेची हुई जमीन को रिवाइज करने के लिए रखा है, मैं तो निवेदन करता हूं कि यह सीलिंग कानून इनसे लागू नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि इसमें भेदभाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिए, नहीं तो काश्तकारों के अन्दर असंतोष बढ़ेगा। इसके द्वारा जिन्होंने जमीन खरीदी है उनसे जमीन वापिस लेने का बात करेंगे, आज गंगानगर में हजारों किसानों पर तावान लगे हुए हैं, आज वहां उन लोगों की रजिस्ट्रीयां कैंसिल कर दीं हैं। इससे किसानों को दर्द हुआ है, और उनकी गाढ़ी कमाई पर सीलिंग सीमा लगाकर जो उन्होंने जमीन खरीदी व कैंसिल कर दी, उस पर तावान कायम कर दिया और बेदखली के नोटिस दे दिये-इससे लोगों में असंतोष बढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सीलिंग लागू करने के साथ को मुद्दे उठाये हैं, इन पर मुद्द उठाये हैं इन पर विचार किया जाय और इसको आज ही पास कर देना चाहिए क्योंकि लम्बा समम लेने से गड़बड़ हो सकती है कि जिन लोगों ने जमीन नहीं बेची है वह फिर बेच देंगे और फिर विधान सभा के सामने यह कहेंगे कि आज की तारीख तक और जोड़ दें। इससे भूमिहीनों को जमीन नहीं दे सकते हैं, न सीलिंग के कानून से लाभ हो सकता है। आप सही मायने में सीलिंग का कानून नहीं लागू करना चाहते हैं। सीलिंग का कानून लागू करने की आप के अन्दर ताकत होनी चाहिए। लेकिन आप का यह तो भानुमति का कुनबा है, आपने खरीद फरोख्त करके कुनबा बनाया है - यह चल नही सकता है। अगर इसमें से दस आदमी भी निकल जाते हैं तो आपकी कुर्सी नीचे से खिसक जाती है। इसलिए आप इस कानून को लागू नहीं कर सकते। जिन लोगों ने जमीन खरीदी है ईमानदारी से उनको रिवाइज कर दें, रेगुलेराज कर दें ताकि यह झगड़ा समाप्त हो जाय, ताकि जो सरकार के अन्दर रहने वाले सदस्य हैं उनको भी लाभ हो और आप लोगों को भी लाभ हो।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

भूमिहिनों को, जो जमीन आपके पास है, वह देनी चाहिए, लेकिन आप भूमिहीन की परिभाषा में तब्दीली नहीं करेंगे तब तक यह जमीन उनको नहीं मिल सकती है। इसलिए भूमिहीनों को जमीन देने के लिए कानून में सही मायने में तब्दीली करनी पड़ेगी, उसको आप करना नहीं चाहते तो आप गरीब को भी लाभ नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास जमीन आने से आपको वोट नहीं मिल सकते हैं। आज जिनके पास जमीन है वह सही मायने में आपको वोट देना नहीं पसन्द करते हैं, इसलिए आप उनको लालच देते रहते हैं कि जमीन रिवाइज कर देंगे, आपको झूठे वायदे १९६७ में किये थे, गंगानगर में वायदे किये थे कि जमीन पर कब्जा रख देंगे, इसी तरह से सूरतगढ़ में सरदारगढ़ गांव के अन्दर हरिजन हैं उनको मनफूलसिंह जी ने कहा था, यह ऐलान किया था कि तुम लाओ दरख्वास्त, मैं मंजूर करता हूं। उनको उन्होंने लिख कर दे दिया कि जमीन एलाट हो गई है। लेकिन वह लोग आज भी मारे मारे फिरते हैं, उनको कोई जमीन एलाट नहीं हुई है। आप उनको धोखा देकर वोट लेने के लिए भ्रम में डाले रखते हैं और उनको जमीन नहीं देना चाहते हैं। ४८ लाख एकड़ जमीन गंगानगर में है उसमें २६ लाख एकड़ काश्त होती है और २२ एकड़ पर काश्त नहीं होती है। इसमें से ज्यादा से ज्यादा पांच छः लाख एकड़ जमीन निकल भी जाये तो पन्द्रह सौलह लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को देने के लिए यही हैं। इसका मतलब यह है कि आप ईमानदारी से जमीन नहीं देना चाहते हैं गंगानगर में किसान आन्दोलन हुआ इसलिए जमीन का बेचान बन्द किया नहीं तो आज तक बेच देते···

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर अभी अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मेरा तो यह सुझाव था, मैंने प्रस्ताव दिया था जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का लेकिन अभी दोनों तरफ से आवाज आई उससे बेईमानी लगती है कि वह पास करवाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को आज ही पास कर देना उचित है ताकि आज तक जमीन जो ट्रान्सफर हुई है वह नक्की हो जाय और जो जमीन बची है वह भूमिहीनों को बांट दी जाय!

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत!

श्री जुझारसिंह : आर्डर में मेरा नम्बर आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आ जायगा, सबका नम्बर!

Page No 150

श्री मदन सिंह : पार्टी के नेता बाद में बोले, पहले इंडिपेंडेंट को मौका मिलना चाहिए ।

श्री जुझारसिंह : यह व्यवस्था फर्मा दें कि किस आर्डर में बोलेंगे ताकि हम लोग इधर उधर घूम सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजे रहें ।

श्री जुझारसिंह : जिस क्रम में नाम छपे हुए हैं उसी हिसाब से बुलाया जाय....

एक माननीय सदस्य : महिला को तो बोलने दें ।

श्री जुझारसिंह : महिला के बोलने से आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से निवेदन कर दिया था कि सबके प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे उसके बाद सुविधापूर्वक नाम पुकारे जायेंगे ।

श्री जुझारसिंह : पार्टी ने जो नाम....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल गये हैं ।

श्री जुझारसिंह : इसमें पार्टी का क्या सवाल है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को भेजने लिए एक प्रकार के संशोधन हैं । और दूसरे संशोधन हैं...

श्री उपाध्यक्ष : दोनों संशोधन एक साथ चल रहे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप पहले जनमत वाले ले लें और बाद में प्रवर समिति वाले तो सहूलियत रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सहूलियत है ।

श्री मदन सिंह : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन....

श्री जुझारसिंह : आगे के लिए व्यवस्था फर्मा दें कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा क्योंकि यहां बैठे हुए हैं बहुत देरी से ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि नेक्स्ट चांस उसको दूंगा जो आई केच करेगा, इसके हिसाब से ही करूंगा ।

श्री मदनसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ लोग चाहते हैं कि जनमत के लिए प्रसारित होना चाहिए, कुछ चाहते हैं कि प्रवर समिति में जाना चाहिए : इस आर्डर में ले लें तो ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पर साथ में भाषण करने में कोई फर्क नहीं आता है, मन की बात दोनों में एक ही कहते हैं।

श्री केसरीसिंह : जो संशोधन दिये जाते हैं...

श्री जुझारसिंह : संशोधन देने का मतलब क्या है, यह समझ में नहीं आया।

श्री केसरीसिंह उसमें पीछे देने वाले आगे आ जायं और आगे वाले पीछे चले जायं तो महत्व क्या रहता है। जिन्होने पहले दिये हैं उनका नम्बर पहले आना चाहिए, अकार्डिंग टू लिस्ट आना चाहिए।

श्री जुझारसिंह : यह आवश्यक है।

श्री माधोसिंह : बोलने दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित सीलिंग का बिल सदन में रखा गया, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है, रखा गया आखिरी दिन जब कि उस पर न खुल कर बहस की जा सकती है और न उस पर ज्यादा वाद-विवाद किया जा सकता है। सीलिंग के लिए जितना कम समय दिया गया है इसकी मैं तारीफ नहीं कर सकती। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मसला है जिस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए ऐसा यह कानून है जिसमें पिछले वर्षों में कई प्रकार की तरमीमें की गई हैं, कई तरह उसको बदला है और यह सीलिंग का कानून है यह है यह एक ऐसा गोरख धन्धा बन चुका है कि जो लोगों की समझ में नहीं आता है, अगर किसी वकील से भी पूछे तो वह भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है क्योंकि इसमें इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज इसे पास कर देते हैं और इस पर वाद विवाद और विचार नहीं किया जाता है तो यह हेरहैजर्ड वे में पास किया जायगा, हालांकि इसमें पहले से ही लूप होल्स रखे गये हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इस समय ढंग से इस पर वाद विवाद किया जाय और तसल्ली के साथ इस पर सोचा जाय।

अब मैं इसके लूप होल्स और लेकूनाज के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस कानून में इतने लूप होल्स और लेकूना रखे गये है कि सारी रामायण पढ़ ली पर कहीं सीता का नाम नहीं, इतने अधिकार दिये गये हैं स्त्री के नाम का कोई अधिकार नहीं, यह सबसे बुरी बात है कि राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने स्त्रियों को बराबर के अधिकार, इक्वल राइट्स दिये हैं। पर इसमें हमारे औरतों के मूल अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया है।...

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक हिन्दू लॉ मौजूद है, तब तक आपके अधिकारों को कोई नहीं रोक सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप मुझे बीच में क्यों टोकते हैं, इस तरह से तो मैं भूल जाऊंगी। इसलिये मैं निवेदन कर दूं कि ५ मिनट में मैं अपनी बात कहूं तब तक माननीय सदस्य बीच में टोकें नहीं।

मैं यह स्वीकार करती हूं कि औरतों

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

को और बहुत से अधिकार दिये हैं, लड़की को पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिया है, इसे मैं स्वीकार करती हूं पत्नी को पति की सम्पत्ति में अधिकार दिया है। यह भी स्वीकार करती हूं कि बहु विवाह बन्द करके औरतों के हक में आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट बनाया तो उसमें भी पत्नियों को बहुत अधिकार दिये, पहले ७ पुश्त दूर का आदमी आकर मालिक बन जाता था, इसके लिये मैं आभार मानती हूं, सरकार को प्रगतिशील मानती हूं। पर यह सीलिंग कानून ऐसा बनाया है जिसने हमारे सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया है।

हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी आबादी किसान है सात सात पुश्त से नहीं कई शताब्दियों से इस जमीन से हम इतने अटेच्ड हैं कि जमीन हमारी मां है, इससे हम घुले मिले हुए हैं, वही हमारी रोजी का आधार है। पर इस सीलिंग के कानून में स्त्री का नाम भुला दिया गया है, स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इससे अब स्त्री को परमुखापेक्षी बनना पड़ेगा। स्त्री को अलग इन्कम टैक्स देना होता है, इसके अलग मकान होते हैं, अलग दुकान होती है पर जिस जमीन में से हम पैदा हुई हैं, उस जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं रखा है। इसमें सबसे ज्यादा खलने वाली यह चीज मुझे लगी। अमेंडमेंट रखा गया, उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा है, भाइयों को जमीन ट्रान्सफर की जायगी, बेटों को जमीन ट्रान्सफर की जायगी वह स्वीकार की जायगी पर बाप की बेटी जमीन नहीं ले सकती, भाई की बहिन जमीन नहीं ले सकती। यह सारा का सारा षड़यन्त्र सा दिखता है। लोग चाहते हैं कि भाइयों को बेटों को जमीन बांट दें ताकि जमीन हमारे कुनबे में तो रहेगी, उस पर हमारा हक रहेगा। अगर भूमि बहिन को या बेटी को दे दी जायगी तो भाई का बाप का उस पर हक नहीं रहेगा, वह जमीन दूसरे घर में चली जायगी। इसलिये जान बूझ कर औरतों का कहीं किसी रूप में नाम तक नहीं रखा गया है। यह सबसे बड़ा लेकुना इसमें है।

मैं यह निवेदन करूंगी कि खुद काश्त जमीन पीढ़ियों से, परम्परा से चली आ रही है, उसमें औरतों को हक बराबर का दिया गया है, चाहे रूलर्स के राज्यों में, चाहे अंग्रेजों की हुकूमत में कहीं देख लें औरतों को उसमें अधिकार दिया गया है, वह स्वीकार किया गया है। जिस दिन जागीरें रिजम्प्शन में ले कर लैंड रिफोर्म्स की बात रखी, उस दिन से अलग जमीनें औरतों को दी जाती थी, अपनी जमीन की वे मालिक होती थीं, उससे जागीरदारों की लड़कियां, राजपूतों की लड़कियां इन्डिपेन्डेन्ट होती थीं पर आप सदियों से चली आ रही उनकी इन्डिपेन्डेन्स को बिलकुल ही खत्म कर रहे हैं, यह उनके साथ अन्याय है। जागीर रिजम्प्शन एक्ट में आपने जागीरें लीं तो औरतों की जागीरदारी को अलग माना, उनको अलग जमीनें अलोट की गई, उनके खातेदारी राइट्स माने गये। अगर औरत को उसी परिवार की मर्यादा में लेते हैं तो उस दशा में उसके पति के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

होगी तो वह औरत से जमीन ले लेएा, किसी को बेच देगा या अपनी औरत की जमीन को सरकार को सौंप देगा और इस तरह से औरत परनुखापेक्षिणी बन जायेगी। इसलिये या तो कानून ऐसा बनाया जाय कि पति पत्नी की जमीन ली जाय तो दोनों की बराबर बराबर ली जाय, या यह कीजिये कि औरत जो अभी तक जमीन की मालिक है, वह जमीन उस ही की रखी जाय। कोई माननीय सदस्य इससे मेरा यह आशय नहीं ले कि लोग औरतों के नाम पर जमीनें कर दें और इस सीलिंग में नहीं आयें, मेरी मंशा यह कतई नहीं है। पर जो जमीन औरत के अधिकार में वर्षों से चली आ रही है, उस जमीन की वह औरत आजीवन मालिक रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया, कानून में खुले रूप में यह नहीं दिखाया गया तो कई तरह की अड़चनें आयेंगी, हजारों मुकदमें चलेंगे, पति कहेगा कि पत्नी की जमीन ले लिया जाय, पत्नी कहेगी कि पती की जमीन का लिया जाय, उस समस्या को आप कैसे सम्हालेंगे? कई जातियों में बहु विवाह की प्रथा है, एक एक पुरुष के तीन तीन, चार पत्नियां हैं, उनमें से कौन सी पत्नी रहेगी और कौनसी नहीं रहेगी। काश्तकारों में, जन जातियों में, राजपूत जाति में और अन्य कई जातियों में, जो जमीन से सम्बन्धित जातियां हैं, उन जातियों में एक एक पुरुष के तीन तीन चार चार पत्नियां हैं, आज यह ज्वलंत समस्या है इसलिये मैं निवेदन करूंगी की इस पर ध्यान से विचार किया जाय। जब से यह सीलिंग का प्रश्न आया है तब से औरतों में बड़ी खलबली मची हुई है। पर औरतों की कौम दबाई हुई कौम है, वह पीढ़ियों से दबाई हुई है। उनमें हिम्मत नहीं कि डेपुटेशन ले कर आयें, क्योंकि वे पीढ़ियों से पर्दे में बन्द रखी गई हैं। इसलिये मैं आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि औरतों के इस अधिकार को सुरक्षित रखा जाय, अगर औरतों की जमीन चली जायगी तो उनकी बड़ी बुरी हालत होगी। जो बूढ़ी औरतें हैं, जिनके कब्जे में आज तक उनकी जमीनें हैं, वे इस तरह के प्रावधान से जमीनें नहीं रख सकेंगी वे पीढ़ियों से पर्दे में बन्द रखी गई हैं, वे प्यासी मरती रहती हैं पर पानी लाकर कोई पिलाता है तभी पीती हैं। अगर इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जिससे कि उनकी जमीनों की वे खुद ही स्वामिनी रहें तो औरतें बेवारिस हो कर घरों में बैठेंगी और उनकी बहुत बुरी हालत हो जायेगी। औरतों की कौम इतनी दलित और दबाई हुई कौम है कि सरकार को उनके साथ इन्साफ करना चाहिये। आज औरतों और आदमियों की समानता की, बराबरी की बात की जाती है लेकिन बराबरी के अधिकार केवल कहने मात्र से नहीं मिल जाते हैं, वह तो कर्म से क्रियान्वित करने से ही मिलते हैं। असली आजादी वही होती है जिसके पास फाइनेन्शियल आजादी है, अगर औरतों के पास फाइनेन्शिइल आजादी नहीं रही तो दूसरी आजादियां किसी काम की नहीं हैं।

अगर हम यूरोप की ओर नजर डालते हैं तो यूरोप में औरतों को समान अधिकार इक्वल राइट्स मिले हुये हैं, पर मैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मानती। मैं केवल साम्यवादी देशों की औरतों के इक्वल राइ-

(श्रमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

ट्रूस मानती हूं, क्योंकि उन मुल्कों में औरतें और आदमी सब कमाते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते (ताकते)। यूरोप में साधारण से साधारण और सम्पन्न से सम्पन्न औरत से पूछ लीजिये वह यही कहेगी, माई फेस इज माई फोर्च्यून। सबसे ज्यादा कमजोरी औरत में आ जाती है जब वह यह कहती है कि माई फेस इज माई फोर्च्यून। लेकिन साम्यवादी देशों में किसी औरत से पूछिये वह यही कहेगी कि माई वर्क एण्ड माई हैंड्स आर माई फोर्च्यून। हमारे यहां पर भी हमारे हाथ और हमारा वर्क हमारा भाग्य है, यह करना चाहिए क्योंकि आजादी कर्म से होती है केवल कहने से नहीं होती। औरतों की जो दुर्दशा की गई है, पीढ़ियों से वे दबाई हुई और दर्द में रखी हुई हैं। इस लिये में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप औरतों के साथ अन्याय नहीं करें और जो जमीनें उनके कब्जे में आज से पहले हैं, उनके बाप की दी हुई, भाई की दी हुई, श्वसुर की दी हुई, विधवाओं के पास उनके पतियों द्वारा दी हुई, जमीनें उनके कब्जे में हैं, उनको नहीं छीनें, उन जमीनों पर उन्हीं का कब्जा रखें।

(विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य बहुत अच्छे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह

श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेन्ट बिल, १९७० को मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया है। मेरा इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव है वह केवल इस वजह से है कि यह कानून कृषकों से सम्बन्धित है और इसके जो रिपर्कुशन्स होने वाले हैं वे किसानों पर ही होने वाले हैं इसलिए अगर इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय तो वे लोग ही इसके सम्बन्ध में बेटर ओपिनियन दे सकते हैं।

अभी बहुत से महानुभावों ने कहा कि बी० के० डी० की तरफ से प्रतिक्रियावादी संशोधन आया है। और उसमें कहा गया है कि जो डेट आफ ट्रांसफर है, उसको एक साथ बढ़ाया जाय, मैंने इस तरह का एक प्रस्ताव इसमें रखा है कि डेट आफ ट्रांसफर है, वहां १९६९ के बजाय १९७० कर दिया जाय। इसके पीछे एक तथ्य है वह यह कि आपने १९५९ में कानून पास किया और उसके बाद से जो भी होने वाले ट्रांसफर्स थे उन पर आपने पाबंदी लगाई और बहुत से काश्तकारों को एग्जेम्पशन्स देकर इस बात के लिए एन्करेज किया कि वह उन एग्जेम्पशन्स के तहत अपनी भूमि को उन्नत करें, सुधार करें और इन्वेस्टमेंट करें और उस तरह से जमीन को रखने के हकदार होंगे। ११ साल बाद में आपने निर्णय लिया है कि जो भी ट्रांसफर्स थे, वह १९५९ से १९६९ तक जो हुए हों, उनको रेग्यूलराइज कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कोटा क्षेत्र में कालोनाइजेशन एक्ट ओपरेटिव है, और उसके तहत कोई ट्रांसफर वहां पर संभव नहीं है। यह जो कानून ट्रांसफर्स का आपने बनाया है, वह राजस्थान के कुछ

(श्री जुझारसिंह)

हिस्सों के लिए आपरेटिव होता है लेकिन ऐसे हिस्सों के लिए जिनमें कालोनाइजेशन एक्ट लागू है, उनमें दो कानूनों के तहत ट्रांसफर्स बंद थे। एक तो सीलिंग कानून जो एबाइडिंग सिटीजन था, ट्रांसफर नहीं कर सकता था और दूसरा कानून जो कालोनाइजेशन का था उसके तहत ट्रांसफर करने में आपत्ति आती थी। अगर किसी ने जमीन बेच दी तो खातेदार के नाम खाता चलता था, लगान उसके नाम आती थी और खरीदने वाले आदमी के लिए रिस्क थी। इस लिए उस क्षेत्र के आदमियों का वह बड़ा एरिया है। चंबल कमांड में कोटा बूंदी और दूसरे क्षेत्र आते हैं। इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान में खास तौर से इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप जो ट्रांसफर्स का मामला है, उसकी तारीख १६६६ के बजाय १६७० करें ताकि उन काश्तकारों को............

श्री रामानंद अग्रवाल : ऐसा संशोधन क्यों नहीं देते कि जब तक जमीनें बिक न जायं तब तक............

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय जी जिस स्त्री के पुत्र ही नहीं हो, उसको क्या मालूम दुख का ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : इनका बस नहीं चलता है।

श्री जुझारसिंह : एक समाजवादी सदस्य ने कहा था कि इस सदन में विभिन्न दलों में इस तरह के आदमी बैठे हैं जो एक तरह से बोली बोलते हैं। स्वाभाविक है कि जिस आदमी का धंधा खेती है और खेती को जो समझता हो, किसी पार्टी में भी बैठता हो, वह व्यवहारिक बात करेगा। आज इस सदन में इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलेंगे, उसमें साफ तौर से आयेगा कि जो खेती करने वाले व्यक्ति हैं उनकी राय एक तरह की होगी और जो आदमी पेट्रोल पम्प और दूसरे तरह की कमाई करते हैं, उनके बोलने का ढ़ंग दूसरी तरह का होगा।

इस विधेयक में एक बात यह भी देखनी होगी कि यह जो प्रापोजीशन करने वाले आदमी हैं, उनकी रोजी रोटी का जरिया क्या है। अगर खेती करने वाले आदमी की जो राय आती है, उस आदमी की राय इस बिल के मामले में ज्यादा वजन रखती है। सीलिंग कानून के बारे में कहा जाता है कि इसका रेग्यूलराइजेशन होने से भूमिहीन आदमियों को भूमि नहीं मिलेगी। मैं इस मामले में कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस समय जो रकबा राजस्थान में काश्त होता है खातेदार टेनन्ट्स के तरह, गैर खातेदार टेनन्ट्स के तहत और दूसरी तरह के काश्तकारों के तहत, उसका टोटल एरिया ५,६७, १७,४२१: ७० एकड़ है। इस छेत्र में से जो एक्चूएली पिछले साल बोया हुआ एरिया था वह ३४६२० और कुछ ऊपर के एकड़ का एरिया था। राजस्थान के तीन चार साल के फिगर्स दिये हुए हैं। १६५१-५२ में टोटल एरिया अन्डर कल्टीवेशन २,४१,१५,००० एकड़ एरिया था। इस तरह से जो आज एरिया है, १६५१ व १६५२ के मुकाबिले में जो आज कल्टीवेटेड एरिया है, वह ३,२६,१२,००० एकड़ ज्यादा है। आज १०० प्रतिशत से ज्यादा एरिया १६५१-५२ के मुकाबले में

(श्री जुझारसिंह)

है जो अन्डर कल्टीवेशन लाया गया है जो सीलिंग कानून पास होने से अगर यही कानून १९५९ के अनुसार ही लागू कर दिया होता तो जो सीलिंग से जमीन आपरेट होने वाली थी, वह केवल ३० लाख एकड़ थी। उसके मुकाबले में राज्य सरकार को नई जमीन ३:२६ करोड़ एक्सट्रा उपलब्ध हुई है पिछले १८ सालों में उसमें से भूमिहीन किसानों को दी गई है केवल ३७ लाख एकड़ आर उसमें से भी जो जमीन अनुसूचित जाती के लोगों को दी गई है वह ६,५६,२२८ एकड़ है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ३,८७,२३१ एकड़। इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्डट्राइब्स के लोगों को जो राज्य सरकार की तरफ से जमीन बांटी गई है वह है १०,४९, ४१७:५८ एकड़ मिली है, बाकी जमीन जो भूमिहीनों को दी गई है वह है २६,४५,६६०: ७५ एकड़ है। इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स को केवल ११ लाख और दूसरे भूमिहीनों को २६ लाख एकड़ जमीन। दोनों मिल कर कुल ३७ लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी गई है और बाकी के करीब २८८:५२ लाख एकड़ जमीन ऐसे आदमियों को वितरित की गई है जिनको इन्होंने भूमिहीनों के डेफनेशन में नहीं लिया है तो मेरा निवेदन यह है कि जो ये ट्रेजरी बेंचिज पर बैठने वाले प्रोग्रेसिव होने की बात करते है कि टिनेन्सी एक्ट में संशोधन लाने की वजह से भूमिहीन आदमियां के लिए भूमि नहीं रहेगी, मैं पूछना चाहूंगा कि जो २८८ लाख एकड़ एक्स्ट्रा जमीन भूमिहीनों को न मिल कर दूसरे आदमियों को मिली है, उन पर क्यों नहीं पाबन्दी लगाई ?

३० लाख एकड़ जो भूमि है उसमें से जो एक्स्ट्रा जमीन उपलब्ध हो सकती थी, वह केवल १५ लाख एकड़ थी उसमें से भी जो १९५९ दिसम्बर तक आपने रेग्यूलराइ-- जेशन कर दिए हैं, उसमें मुश्किल से दो तीन लाख एकड़ जमीन बचेगे, उस पर जो होहल्ला कर रहे हैं, उससे कितने भूमिहीनों को यह जमीन दिलवा सकेंगे ? इनकी उपलब्ध जमीन २५० लाख एकड़ जमीन इन्होंने बांट दी और अब २ लाख एकड़ पर झगड़ा करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता यहां पर झगड़ा करने की बात क्या रह गई है।

मैंने यह भी संशोधन दिया है कि यह जो एग्जेम्पशन्स वापस लिए हैं, आज भावना में आकर कोई आदमी किसी तरह के आरग्यूमेंटस दे सकता है, आज हमारा समाज भावनाओं में बहता जा रहा है। अव्यवहारिक बातें बहुतसी होने लगी हैं। कोई सच्ची बात करता है तो उसे प्रतिक्रिया-वादी कहते हैं। आज अगर कोई आदमी इस तरह के सुझाव देता है जो सीलिंग कानून से एग्जेम्पशन्स दिए हुए थे, व्यवहारिक थे, खेती की उन्नति के लिए आवश्यक थे तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, वह जो एग्जेम्पशन्स है वास्तव में आवश्यक थे। आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसमें जानवरों और कैटिल ब्रीडिंग का महत्व है। कैटिल ब्रीडिंग अपने आप में इस क्षेत्र की इकोनोमी है, उस कैटिल ब्रीडिंग के लिए अगर किसी तरह से राज्य सरकार ने कुछ एग्जेम्शन्स प्रोवाइड किये थे तो कैटिल के सुधार के लिए आवश्यक थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इण्डियन इन्स्टीट्यूट

(श्री जुझारसिंह)

आफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने केटल ब्रीडिंग के मामले में फीगर्स दिये हैं और उन्होंने यह कहा है कि ५८ परसेन्ट आफ दी इन्डियन केटल को पूरी तरह चारा नहीं मिलता है और ८० परसेन्ट कैटल को बांटा नहीं मिल पाता। जब लोग बागों को एक्जेम्पशन मिला हुआ है उनको चारे और दाने की अभी भी इतनी शार्टेज है तो जब एक्जेम्पशन विड्रो कर लेंगे तो उस वक्त में एकोनोमी के राजस्थान से कम्पलीटली खत्म कर देना चाहते हैं। राजस्थान में केटल एकोनोमी का अपने आप में बड़ा महत्व है और डेजर्ट में कहीं ज्यादा है। उसके तहत जमीन नहीं रखना और भावना में आकर यह कह देना कि केटल के लिए जमीन रखना ठीक नहीं है यह आगे के लिए घातक होगा और आज के प्रगतिशील समाजवादी कुछ भी कहें लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है कि केटल ब्रीडिंग को सुचारु रूप से उन्नत करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन देना चाहिये ताकि आदमी अच्छी तरह से नरल को ब्रीड कर सके। उसी इन्डियन इन्स्टीट्युट आफ एग्रीकल्चर एन्ड रिसर्च ने यह भी कहा है कि हमारे यहां दूध की पैदावार १८० लिटर, पर ईयर है और दूसरे जो युरोपियन कन्ट्रीज हैं उनका पर ईयर मिल्क प्रोडक्शन ५००० लिटर्स है। हमारे यहां से २० टाइम्स मिल्का का प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि वहां पर केटल को अच्छी तरह से फीड किया जाता है, उसके लिये जमीन होती है और चारे का प्रबन्ध होता है। आज हमारे यहां का केटल नोमेड्स की तरह है। डेजर्ट एरिया का कैटल राजस्थान के कोने २ में लाखों की तादाद में बेकार पड़ा हुआ है, कैटल ब्रीडिंग नहीं होता है, क्रास ब्रीडिंग होता रहता है। ब्रीड में डिटेरियोरेशन आया है। मैं समझता हूं कि कि इस प्रकार की आवाज को प्रतिक्रियावादी आवाज कह कर आप इसको टाल देंगे। अभी नहीं पांच साल में दस साल में आप अनुभव करने के बाद रियेलाइज करेंगे कि कैटल ब्रीडिंग और इसकी सुचारु रूप से उन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसके लिये रिजर्वेशन किया जाय और आवश्यक जमीन छोड़ी जाय तब ही केटल ब्रीडिंग हो सकेगा। रिजर्वेशन दिया है उसमें भी तथ्य है। वह सोच समझ कर रखा गया था लेकिन हवा का जिस प्रकार का रुख है उसमें कांग्रेस पार्टी बहती जा रही है और जो अव्यावहारिक बातें की जा रही हैं उसको कोई रोक नहीं सकता।

जो साम्यवादी मेम्बर हैं और जिनकी यह नीति है कि जमीन का डिविजन हो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो कम्युनिस्टि कन्ट्रीज हैं उनमें मोड आफ कल्टीवेशन क्या है, वे किस पैमाने पर खेती करते हैं? उनका मोड आफ कल्टीवेशन है वह मशीन पर हो है, बिग फार्म्स है और मास स्केल पर प्रोडक्शन है। छोटे २ फ्रेग्मेन्टेड फार्म्स पर खेती नहीं करते हैं। उसको अव्यवहारिक और अनप्रोडक्टिव मानते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो साइजेबल यूनिट वर प्रोडशन वढ़ाना पड़ेगा, ट्रेक्टर साइज खेती के लिये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे नीचे भी मंजूर करना पड़ेगा, बुलोक केटल साइज ३०,३५ और ४० बीघा की युनिट जिसमे एक फेमली द्वारा पेयर आफ बुलोक का युटिलाइजेशन किया

Page No 158

(श्री जुझारसिंह)

जा सकता है और आज के मशीन के युग में ट्रैक्टर होल्डिंग के बिना इकोनोमिकल और ठीक नहीं हो सकती। ७० / ७५ बीघा पर सीलिंग लगाना चाहते हैं इससे कोई प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बी.के डी. की बात कह रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं। आपकी वकालत पर भी सीलिंग आवेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बी. के डी. और एक होने वाले हैं।

श्री जुझारसिंह : जमीन के बारे में मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि खेती के बारे में जो भी राजस्थान सरकार का डिसिजन हो वह व्यवहारिक होना चाहिये, राजस्थान की परिस्थिति के बैंक ग्राण्ड में होना चाहिए। राजस्थान में भूमि बहुत उपलब्ध है। डेन्सीटी आफ पोपुलेशन राजस्थान की हिन्दुस्तान के और प्रान्तों से कम है। डेजर्ट एरिया कम्पलीटली पड़ा हुआ है और आगे पीछे वहां पर सिचाई होने वाली है। सीलिंग के लिये अनर्थिकिंग और हेपहेजार्ड आइडियोलोजी से काम नहीं चलने वाला है। लोग बाग प्रगतिशीलता को पकड़ कर बैठ जाते हैं बिना इकोनोमिक कन्डीशन्स को देखे। हर प्रान्त की अलग अलग स्थिति है। केरल डेन्सिटी आफ पोपुलेशन ८५०० है जब कि राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होते हुए भी उसकी डेन्सीटी आफ पापुलेशन २०० से कम ही आती है। केरल की परिस्थिति से कम्पेयर नहीं किया जा सकता है। यू.पी. से भी नहीं किया जा सकता। राजस्थान की परिस्थितियों के बैंक ग्राउन्ड में आप को जाना चाहिए और उस स्थिति में सीलिंग पर आपको विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह जनमत जानने के लिये प्रास्ताव था। उपाध्यक्ष महोदय, यह इसी दृष्टि से था कि अब तक कोटा क्षेत्र में कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत कोई ट्रान्सफर नहीं हो पायी और वहां के काश्तकारों पर ३१ दिसम्बर तक की मयाद लागू करना उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार होगा। जहां कोलोनाइजेशन का प्रभाव नहीं होगा वहां तो ट्रान्सफर करने की छूट मिल गयी है। कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत पाबन्दी है। उनको नुकसान उठाना पड़ा है। इस लिए हमारा निवेदन है कि इस डेट को भी बढ़ाया जाय और एक्जेम्प्शन्स दिये हुए हैं वे वाजिब हैं और एक्जेम्प्शन्स केटल ब्रीडिंग के और दूसरे सर्टन डेट तक लागू हैं। कोई भावना में बह कर यह बात करने की नहीं है किन्तु व्यवहारिक होकर इम्पोर्टेन्ट मसलों पर विचार करना है और मेरा यह निवेदन है कि आप व्यवहारिकता के आधार पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी प्राप्त करने के बाद हमने राजाओं का राज्य लिया, जागीरदारी को

Page No 159

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

समाप्त किया और जागीरदारी समाप्ति के बाद भू स्वामियों का आन्दोलन हुआ तो उनका भी मुकाबला किया और उसको भी कमजोर किया। परन्तु उसके बाद में...

श्री उपाध्यक्ष : सीलिंग पर आते ही रुक गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसी पर आ रहा हूं। हमारे कदम प्रगतिशील नहीं हो सके और वह थे सीलिंग के सम्बन्ध में। सन् १९५३ में ही सीलिंग के सम्बन्ध में कमेटी का निर्माण हुआ उसने रिकमन्डेशन्स की और सन् ६० में कानून भी बनाया, नियम भी ६३ में बनाये और सन् ६४ में कानून को लागू किया परन्तु हम आगे बढ़ नहीं सके। १-४-६६ में विज्ञप्ति निकाल कर इम्पलीमेन्टेशन करने की कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हो सके। ७-८-६८ को विज्ञप्ति निकाल कर इम्पलीमेन्टेशन करना चाहा लेकिन सफल नहीं हो सके और अब इम्पलीमेन्टेशन के लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : प्रयास के लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब प्रश्न यह है कि जो अमेण्डमेण्ट रखा गया था उस अमेण्डमेण्ट को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रोग्रेसिव कदम उठाया था। लेकिन जब उस संशोधन का फिर संशोधन किया गया है तो जो कदम प्रोग्रेसिव था वह भी वापस ले लिया गया है। उस अमेण्डमेण्ट में कुछ एग्जेम्प्शन्स थे वे वापिस ले लिये गये। एग्जेम्प्शन वापिस लेने का जो कदम था वह प्रोग्रसिव था। अपनी पोलिसी के अनुरूप था। क्योंकि हमने बम्बई अधिवेशन में जो हमारी समितियां बनी थी। ए० आई० सी ने जो पेनेल आन एग्रीकचलर रिफोर्म्स बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

"All exemptions granted by the various State laws on land ceilings to persons having mechanised farms, better end efficiently managed farms, and sugar mills, other than those run on co-operative Lines, should be abolished forthwith."

इसके अकोर्डेन्स में हमने कदम उठाये थे। पर अब जो अमेण्डमेण्ट आया है कि १ जून १९७० तक छूट दी है कि मेकेनाइज्ड फार्म्स को ट्रान्सफर किया जा सकेगा। अतः इस प्रकार वह भूमि अब भूमिहीनों को बांटने के लिए नहीं मिल सकती। यह हमने जो अमेण्डमेण्ट करके प्रगतिशील कदम उठाया था उससे हम पीछे हटे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह कदम उठाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जब मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में, आप ट्रान्सफर करने के अधिकार दे रहे हैं, यह उचित नहीं है।

एक एग्जेम्प्शन रिलीजियस इन्स्टीटयूशन के लिए था हमने एक्ट १९६७ के अन्दर पास किया था। उसमें रिलीजियस इन्स्टीटयूशन्स को एग्जेम्प्शन थे मैं समझता हूं वह आज के जमाने के अनुकूल नहीं है। रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स के लिए ३० स्टेण्डर्ड एकड़ सफीशियेन्ट है। हम कलटीवेशन में किस प्रकार से प्रोग्रेस करना चाहते हैं?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

साइण्टीफिक प्रगति हम करना चाहते हैं तो वैसी हालत में ३० स्टेण्डर्ड एकड़ एक रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन के लिए काफी होनी चाहिए इससे अधिक जमीन इस युग में इसके लिए रखना प्रगतिशील नहीं समझा जा सकता। यह जो एग्जेम्प्शन का क्लाज है इसको भी हटाना चाहिए। आज के युग के अनुसार रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स के लिए ३० स्टेण्डर्ड एकड़ से आगे की सीमा बढ़ाने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

इसमें लेण्ड लैस टीनेन्ट्स के बारे में विशेष तौर से क्लीअर डेफीनेशन नहीं है। इसका जो डेफीनिशन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में है वह कनफ्यूजन पैदा करती है उसी के कारण यह सब स्थिति पैदा हो रही है इसके भी मंत्री महोदय क्लीअर कर दें। हम इस चीज को भी अमेण्डमेण्ट कर सुधार करें तो यह उचित ही रहेगा।

" Landless person shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate Land personally but who does not hold any Land whether in his own name or in the name of any member of his joint family, or holds a fragment."

अब यह जो "shall mean an agriculturist by profession who cultivates.." उचित है;

परन्तु "or can reasonably be expected to cultivate "यह कनफ्यूजन पैदा करता है।

इसमें सब इन्क्लूड होता है या नहीं। इसको क्लेरिफाइ करना चाहिये हूं क्लटीवेट्स लेण्ड यह तो ठीक है लेकिन or can reasonably be expected to cultivate land. यह डाउट पैदा करता है यह हमारे प्रोग्रसिव कदम में रुकावट डालता है। इस डेफीनेशन को चेन्ज करने की आवश्यकता है। इसको चेन्ज कर दिया जाय तो लाभ हो सकता है।"agriculturist by profession or who cultivates the Land."

"Landless person" की डेफीनेशन होनी चाहिये। यदि ऐसे व्यक्तियों को ५८ से लेकर ७० तक ट्रान्सफर हो गया है और जो लेण्ड लेस है और जो जमीन को खुद कलटीवेट करते हैं इसको कन्सेशन दे तो यह उचित रहेगा। इस डेफीनेशन के लिए who can reasonably be expected to cultivate Land personally."

इसको ओमिट कर दिया जाय तो इसका परपज सर्व हो सकता है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह जो भी एक्ट है इसके लिए मुझे विशेष तौर से कहना है कि इसका इम्पलीमेन्टेशन ७०-७१ में पूरी तरह से कर देना चाहिए। इस बात का पूरी तौर से मंत्री महोदय भी आश्वासन दें।

एक माननीय सदस्य : आश्वासन दे चुके हैं इसी साल में यह लागू हो जायगा।

श्री जगन्नाथ : माननीय उपाध्यक्ष जी आज तो पाली से आने वाले और बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य को बहुत खुशी

(श्री जगन्नाथ)

हो रही है। आपको क्या मालूम है जो खेती करते हैं वे जानते हैं १५ बीघा से क्या होने वाला है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम यह चाहते हैं यह कि सीलिंग इसी साल में लागू हो जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ : आप इस तरह की बात करेंगे तो ७२ में आप यहां आने के लिये मुंह धोना।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सीलिंग को लागू कर देने से सरकार को आखिर कितनी भूमि मिलेगी ?

श्री जगन्नाथ : जब तक शहर की सम्पत्ति का बटवारा नहीं होगा तब तक हम इस सीलिंग को नहीं मानेंगे । उपाध्यक्ष जी हमें भी पूरा मौका देना बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरा मौका दिया जायगा बोलने के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय सदस्य ने जो विचार प्रगट किये मैं उनका यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रगतिशील कदम उठाने पर मैं चुनाव हार जाऊं तो मुझे उसका गम नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ : यदि आपने यह लागू किया तो हम भी हार जायेंगे आप तो वाकालात करके चला लेंगे हम क्या करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं सन् ५२ से चुनाव लड़ता आ रहा हूं उस समय भी हारा ५७ में हारा सन् ६२ के अन्दर हारा और सन् ६७ में जीतकर आया। अगर सिद्धान्त के लिये हारना पड़े तो उसके लिये मैं तैयार हूं। इसी से देश में समाजवाद स्थापित होगा। शहरी सम्पत्ति की सीमा बन्धनी चाहिए जब बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम शहरी सम्पत्ति की सीमा भी बान्धेंगे वैसी हालत में शहरी सीमा का भी निर्धारण करना चाहिए। हमारा इन्दिरा गांधीजी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है वे अवश्य इस ओर शीघ्र ही कदम उठायेंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि लेण्डलेस की डेफीनिशन स्पष्ट होनी चाहिए क्लीअरली यह होना चाहिए।

"agriculturist by profession who personally cultivates" जिन्दगी खेती पर निर्भर हो।

दूसरा मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन के बारे में जो एग्जेम्पशन्स है वे नहीं दिये जाने चाहिए। उनकी जमीनों को गवर्नमेंट के अधिकार में ले लेनी चाहिये। तभी जाकर हमें लेण्डलेस के लिये जमीन प्राप्त होगी। लेकिन जिस तरह का संशोधन लाया गया है उससे हमें जमीन बहुत ही कम मिलेगी और हमारा यह कानून इफेक्टिव नहीं होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (सेकेन्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अमेंडमेंट) बिल, १९७० के सम्बन्ध में मैंने इसके प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। दर असल इस प्रस्ताव को मूल सिद्धांतों पर बोलने की दृष्टि से ही यह प्रस्ताव मैंने रखा है वरना मैं तो यह चाहता हूँ कि आज ही यह पारित किया जाये और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द न किया जाये बशर्ते कि उन सिद्धांतों को जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा और जिनके सम्बन्ध में मैंने संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं, उनको माननीय मंत्री मंजूर करने के लिये तैयार हों।

उपाध्यक्ष जी, जब राजस्थान सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था उसमें इस बात का संकेत किया गया था कि राज्य सरकार ने जो भी एक्जेम्पशन्स धारा ३१ के तहत, टिनेन्सी एक्ट में सीलिंग के सम्बन्ध में है, उनको मुख्य तौर से वापिस लेने का निर्णय किया है तो इस सदन ने बहुत हर्ष ध्वनि से उस घोषणा का स्वागत किया था। उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने जब इस प्रश्न को उठाया था कि इसमें उल्लेख दो-तीन तरह की चीजों का है तो उस समय मुख्य मंत्री ने यह संकेत भी दिया था कि यह सारी लिस्ट एक्जास्टिव नहीं है और यह केवल संकेत मात्र है और उससे ऐसा संकेत मिलता था कि लगभग सारे ही एक्जेम्पशन्स को सरकार वापिस ले ले और इस तरह से भूमि अधिकाधिक जमीन किसानों को बांटने के लिये मिलेगी। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह सेकिन्ड अमेंडमेंट बिल छापा गया है और बांटा गया है, जिस तरह की उसकी स्थिति है, उसके एक हिस्से में जहां तक एक्जेम्पशन्स है वह तो स्वागत योग्य था लेकिन जहां ट्रान्सफर के जो कि पहले गैर कानूनी ट्रान्सफर मौजूदा टिनेन्सी एक्ट के मातहत थे उनको लीगली लाइन करने की बात थी वह पीछे जाने का एक कदम था और आज जो राजस्व मंत्रीजी ने जो नये संशोधन प्रस्तुत किये हैं, एक्जेम्पशन्स के सम्बन्ध में जो कुछ रहा सहा था, इन ट्रान्सफर के बारे में जिस हद तक आप गये थे उनसे कहीं और आगे जाकर इन सारी बातों का कचूमर निकाल दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीलिंग के नाम पर, राजस्थान के भूमिहीन किसानों के साथ एक जबर्दस्त धोखा, भयंकर विश्वाघात राजस्थान की यह सरकार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो घोषणा हुई थी वह सारे देश में आर्थिक नीतियों के ऊपर, विशेष तौर पर कांग्रेस दल में जो पुर्नविचार हुआ और कांग्रेस के अन्दर जो श्री जगजीवनराम के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस है उसने यह, इस बात को कहा कि देश में जो अभी लेन्ड रिफार्म हुए हैं या जो आर्थिक नीतियां हमने चलाई हैं उन नीतियों के नतीजे देश के अन्दर आर्थिक विषमता को बढ़ाने की तरफ गया है और इसको कम नहीं कर पाये हैं। और यह संकल्प आपने दिल्ली की ए.आई. सी. सी. अधिवेशन में, बम्बई के प्लेनीरी सेशन में लिया था और यह घोषणा थी कि कांग्रेस आज उन पुरानी गलतियों को छोड़ कर लेण्ड रिफार्म का जहां तक ताल्लुक है,

Page No 163

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनमें जो लूप होल है उनको दूर करेगी और समूचे लेण्ड रिफार्म को एक वर्ष के अन्दर लागू करेगी। इस पृष्ठभूमि में, बम्बई अधिवेशन की घोषणा की पृष्ठभूमि में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था और उससे यह आशा बंधी थी कि अब कम से कम सरकार सीलिंग को, शीघ्रता से लागू करेगी और सीलिंग कानून के अन्दर जो लूप होल थे उनको प्लग करके जमीन और अधिक मिल सके भूमिहीनों के लिये वह कदम उठायेगी। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कदम राज्य सरकार ने उठाया है, इसमें दो हिस्से हैं इस बिल के एक ट्रान्सफर के बारे में जो पिछला कानून है, जो इन्ट्रोड्यूज हुआ था हाऊस में, उस समय ५८ से लेकर आज तक जितनी जमीन ट्रान्सफर हुई है, वो गैर कानूनी है और अभी तक कानून के मुताबिक जो गैर कानूनी रुप से ट्रान्सफर हुई है, उस समिति क्षेत्र तक वृद्धि करने का आपने इसमें रखा है। दूसरा एक्जेम्पशन्स के बारे में है। इन एक्जेम्पशन्स को उठाकर आपने दूसरे तरीकों से वंध करने का रास्ता निकाल दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इन एक्जेम्पशन्स को इसके अन्दर से करके, इन एक्जेम्पशन्स को हटाकर और एक जून ७० तक लोगों को बिक्री करने का जो इसमें प्रावधान किया गया है, उसका साफ मतलब यह है कि वह जो एक्जेम्पशन्स जिन जिन चीजों के ऊपर था, उसको आप भूमिहीनों को वांटने के लिये, उस जमीन को आप अपने पास में नहीं लेना चाहते हैं। और उन लोगों को, मालिकों को मौका देना चाहते हैं कि वे इस जमीन को बेचें। इस जमीन को बेचने के लिये दो महीने का समय देकर कि वे अपनी जमीनों को बचा लें। मैं नहीं समझता कि जिनका उद्देश्य लैण्ड रिफार्म को सही तरीके से लागू करने का है, जो सीलिंग को इस दृष्टि से लागू करना चाहते हैं कि अधिकाधिक जमीन भूमिहीनों को वितरण करने के लिये मिल सके, यह जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): मै माननीय सदस्य को बीच में डिस्टर्व तो नहीं करना चाहता हूं, किन्तु उनकी जानकारी के लिये यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें बेचने की व्यवस्था नहीं है। जो उनके इस प्रकार के एक्जेम्पटेड फार्म है उसके लिये इन्होंने दो महीने का अवसर दिया है जिसमें केवल यह है कि उस भूमि को वे पुत्र अथवा भाई को ट्रान्सफर कर सके यह इसमें व्यवस्था है। दूसरी नहीं है। बीच में ट्रान्सफर कर दें तो उसको रेगुलेराइज करने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जो एक्जेम्पशन्स विथ्ड्रा करने की बात है उसमें दो महीने का समय दिया गया है और उसमें वह केवल भाई अथवा लड़के को ट्रान्सफर करने के लिये दिया गया है। अच्छा हो कि आप इस पर अपने विचार दें वो नहीं है जो आप कह रहे हैं केवल ट्रान्सफर वाली बात है भाई और लड़के को। यह इसलिये निवेदन किया है ताकि आप स्पष्ट हो जायें।

श्री रामानंद अग्रवाल: यह जो आप कह रहे हैं, सही है। जो ट्रान्सफर है, जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

३१ दिसम्बर, १९६९ तक जो पहले हो चुके हैं वह अलग है। यह लैंडलेस परसन के बीच में न बांट कर भाई और बेटे को चली जाये, इसको आप लीगलाइज करना चाहते हैं। जो एक्जेम्पशन्स को वापिस ले रहे हैं उसमें लड़के और भाई को ट्रान्सफर करने का मौका देना चाहते हैं।

बहरहाल मैं सोचता हूं, दोनों की दिशाएं एक हैं और उसका मकसद भी एक है। जब आप फेमिली की डेफीनेशन की बात कर चुके हैं, बड़ी फेमिली और छोटी फेमिली, जो बड़ी फेमिली है उसमें सीलिंग दुगुने तक हो सकता है, यह इसमें प्रावधान भी किया है, फिर इसके बाद इसको करना तो इसका मकसद यह है कि आप एक मौका और लड़के और भाई को ट्रान्सफर का करने का देते हैं। कानून के मुताबिक उस लड़के की जमीन भी उस फेमिली के अन्दर आयेगी। एक ही मिली है। उसको ट्रान्सफर करने का कोई मकसद नहीं है लेकिन आप उस फेमिली से जो बालिग लड़का है, उसकी अलग फेमिली बनाना चाहते हैं और उसको सीलिंग तक, सीलिंग की जमीन रखने का मौका देना चाहते हैं। तो इसका साफ मतलब है और इस तरह से भाई की अलग फेमिली होती है। इस तरह से उनको भी आप अलग ट्रान्सफर करने का मौका देना चाहते हैं और वह जमीन···

श्री कृष्णकुमार गोयल : टिनेन्सी ऐक्ट में पहले से व्यवस्था है। जो सीलिंग को रोका है, उस सीलिंग के अन्दर बाई वे आफ पार्टीशन को रोक नहीं सकेंगे बंटवारे के माध्यम से कर लेते हैं। कानून के अन्दर इस प्रकार से जो आज बालिक लड़का है उसको जमीन ट्रान्सफर कर सकेंगे। वह आज क्या कल भी था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके आगे जो जमीन पार्टीशन नहीं हुई है या लड़का पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता है यह खास तौर से नये जागीरदारों के लिये है। जिनके सेल्फ के है, एनसिसट्रल नहीं है उनके लड़के पार्टीशन को फोर्स नहीं कर सकते इसलिये पार्टीशन के तहत उनको मौका नहीं मिला। जिन माननीय सदस्यों की सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह एनसिसट्रल जागीरदार नहीं है इसलिये जो प्रावधान है उनके लिये है। सेल्फ अक्वायर प्रापर्टी में और इस बुनियाद में नहीं है। उनको गिफ्ट के रूप में, या ट्रांसफर के रूप में या बेनामे के रूप में किसी भी रूप में ट्रांसफर करके यह जमीन बांट सके इस तरह उपाध्यक्ष महोदय यह सारे का सारा प्रावधान इस बिल के तहत कर रहे है यह सीलिंग को डीफीट करने का प्रावधान है। सीलिंग की बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने जो पालिसी तय की तो सीलिंग को आप स्ट्रिन्जेंट बनकर न रखें। उपाध्यक्ष महोदय अभी भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने रूरल सेक्टर में असन्तोष के कारण, भारी आन्दोलनों के कारण भूमि हीन लोगों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात का उल्लेख है और खास तौर से इन ट्रांसफर्स का उसमें कहा है—

"Transfers of land have tended to defeat the legislation for cellings. Provisions regarding restrictions

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

on transfers have been so loosely worded, as if by design, in almost all the Bills, that they are not likely to be effective at all. The Planning Commision suggested that restrictions should be imposed on all transfers made since 1953 to avoid ceilings, and also that all transfers that have already taken place should be reviewed, but none of the States have felt it necessary to act on these lines. Thus the ceiling law will be nothing but on innocuous piece of legislation to be dangled before the masses."

ट्रांसफर्स इसके अन्दर पेज १ पार्ट ३ में लिखा है-

"As far as one can see, there is little likelihood of surplus land being surrendered, or land being redistributed to the landless and the needy in the near future to any appreciable extent." तो यह थिन्किग भारत सरकार का जिसमें आप कहें नक्सलवादी एक्टीविटि है जिसमें कहें भूमिहीन इक्टठे होकर भूमि पर कब्जा कर रहे है यह एक्टीविटि क्यों होती है उसके लिये होम मिनिस्ट्री ने कहा हैं यह लॉ एन्ड आर्डर की प्रावलम नहीं है, सोसियल प्राब्लम है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खेती करने के लिये जमीन नहीं है इसलिए सजेशन दिया गया था उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा इसी तरह प्लानिंग कमीशन ने जो अपनी चतुर्थ फाईव ईयर प्लान बनाई है, उसमें ट्रांसफर के बारे में जो निर्देश दिये है उसमें पेज १३१ para १२ में किया गया है—

"The programe of ceilings set out in the Plan has been diluted in implementation. There were deficiencies in the law and delays in its enactment and implementation resulting in large-scale evasions. Several States have made provisions for the transfers made after a specified date, but even these provisions proved to be ineffective and no large surplus land has been available for re-distribution. The main object of celling, which is to distribute land to the landless at a reasonable price on planned basis has been largely defeated. In the absence of any reliable data, it would also be difficult to say that as a result of transfers how much land has passed into the hands of agricultural labourers or small farmers." जो लोग यह कहते हैं ट्रांसफर से उन्हीं लोगों में चली गई जिनको आप अलाट करना चाहते है वह भी सीलिंग नहीं है और प्लानिंग कमीशन ने कहा है—

"However, as stated in the Third Plan, once legislation has been enacted, amendments should aim primarily at eliminating deficiencies and facilitating implementation rather then at introducing fundamental charges in. the principles underlying the legislation." तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की आपकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कांग्रेस की इन्डीकेट, मैं समझता हूं आप अपने आपको लायल क्लेम करते है उसकी नीति यह है कि भूमि सुधारों की जो ईमानदारी से घोषणा की है उनको लागू किया जाय।

(७.०७ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

और उसमें यह है कि जिस दिन से सीलिंग लागू करने की इन्टेशन जाहिर की हैं उस वक्त से ट्रांसफर बन्द कर दिया जाय इसलिए सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा गुजरात में १५-१-५६ से जबसे नागपुर रिजोल्यूशन पास हुआ है तब से जो ट्रांसफर हुये हैं उसको इल-लीगल माना है, पंजाब में १५-३-५३ जबसे सीलिंग की शुरू से बात हुई है इल-लीगल माना है। वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, मणीपुर में जब से सीलिंग की बात हुई है बाद के ट्रांसफर को इल-लीगल माना है। इसके अलावा जो आसाम केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इन स्टेट्स में जबसे बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ है उनमें जितने ट्रांसफर्स हुये है उनको इल-लीगल माना है। राजस्थान में आपकी दिशा बिलकुल उल्टी है, उन ट्रांसफर्स को जो पीछे हुये है जो नाजायज करार है उनको भी आप जायज कर रहे है यह तो आपकी खुद की नीति के विरुद्ध जा रहे है सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि यहां कुछ प्रिजम्शन है कि यह सीलिंग कानून आम किसानों को प्रभावित करेगा मैं समझता हूं यह सीलिंग कानून खुद सरकार ने जो आंकड़े दिये है इस सीलिंग कानून के तहत ३० हजार ८२४ परिवार इस सीलिंग से प्रभावित होंगे। ३० हजार ८२४ परिवार को अगर हम ५ आदमियों का एक परिवार मानकर चलें तो करीब डेढ़ लाख आदमी इससे प्रभावित होते है जबकि राजस्थान की रूरल जनसंख्या करीब दो करोड़ या एक करोड़ ८५ लाख के करीब है। इस रूप से मैं समझता हूं इससे आम किसान, इससे मध्यम वर्ग का किसान जो किसानों का बहुत बड़ा बहुमत है उससे इफेक्ट नहीं होता है और माननीय सदस्य जो खेती करने वाले है वह यह देखेंगे इससे केवल इतना पर्सेंट राजस्थान का यानि १ प्रतिशत किसान भी प्रभावित नहीं होता है। एक करोड़ ८० लाख की आबादी में केवल डेढ़ लाख आदमी प्रभावित होते है। आप देख लीजिये यह १ पर्सेंट बनता है। इससे हम यह नहीं समझें कि राजस्थान के आम किसान को लाभ हुआ है वह दुरुस्त नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं चाहे जो भी जमीनें ट्रांसफर हुई है उनको लीगेलाइज करने की बात की जा रही है उसमें भूमिहीनों की बात को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जिनकी जमीनों को लीगेलाईज करने की बात की जा रही हैं क्योंकि इसमें भूमिहीन व्यक्ति की जो परिभाषा है हमारे टिनेन्सी एक्ट में वह यह दी हुई है कि ऐसा व्यक्ति जो खेती करताहै या वाजिबी तरीके से खेती करने की क्षमता रखता है। अब वाजिबी तरीके से खेती करने की क्षमता रखता हो इस परिभाषा में हर एक दुकानदार आयेगा, हर एक आफिसर, कर्मचारी जो खेती का धंधा बिलकुल नहीं करता है उसके लिए भी कहा जा सकता है कि खेती करने की क्षमता रखता है। वह

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहेगा मैं बीज भी ले आऊंगा, हल भी ले आऊंगा। वर्ना जो पैसे वाला है वह तो ट्रैक्टर भी ले आयेगा उसको क्या दिक्कत है। तो इस परिभाषा के बाद आप ख्याल कीजिए कि अगर भूमिहीन अपने हाथ से हल जोतकर जमीन जोतने वाले की आप रक्षा करते हैं तो मैं भी साथ हूं और मैंने अमेन्डमेन्ट भी इस संबंध में रखा है। अब राजस्व मंत्री जी ने जिस तरीके से संशोधन रखा हैं उसमें भूमिहीन जिस दिन जमीन बिके उसको आप कुशल डेट मानते हैं जिस दिन ट्रान्सफर हुआ। मान लीजिए कि राम ने सन् ६० के अन्दर जमीन खरीदी और ६५ में जमीन बेच दी। आज उसका मालिक सेठ सिघानिया है। सन् ६० में राम ने खरीदी थी जो कि एक भूमिहीन है, आपके इस संशोधन के अनुसार वह जमीन का ट्रान्सफर लीगेलाइज हो जायेगा। क्योंकि आप तारीख उसको महत्वपूर्ण मानते हो जिस दिन कि वह खरीदी गयी। आज की तारीख आपके कानून में महत्वपूर्ण नहीं है और आज उस जमीन के ऊपर कौन बैठा हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं कि तमाम माननीय सदस्य जो इसके पक्ष में भी हैं इस बात को तो मानेंगे कि खरीदने वाला आदमी अपने हाथ से काश्त करने वाला है उसकी आप हिफाजत करना चाहते हैं और नम्बर दो आज वह खुद कब्जे में है। सिघानिया के कब्जे में जमीन है उसको तो बेचना नहीं चाहिए। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें कि क्या वह ऐसे लोगों के पास जमीन है उनके ट्रान्सफर्स को भी लीगेलाइज करना चाहते हैं या नहीं? मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह संशोधन है उसमें राम ने जो कि एक भूमिहीन था सन् ६० में खरीदी और चाहे सिघानिया ने खरीदवा ली कि कानून ऐसी गड़बड़ी का है तू खरीद ले और मैं फिर बाद में तुम से खरीद लूंगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए जो ट्रान्सफर दर ट्रान्सफर होगा मैं उनको भी कह रहा हूं। मेरा कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि राम की रक्षा हो। अगर आज भी राम बैठा है, शुरू में अगर सिघानियां ने भी खरीद ली है सन् ६० में लेकिन आज राम जमीन पर बैठा है, भूमिहीन खुद काश्त करता है तो मैं चाहूंगा कि राम को बेदखल नहीं किया जाये। आपके कानून से राम जो खुदकाश्त करने वाला है, आज कब्जे में है, शुरु में नहीं खरीदी थी और आज सिघानिया के कब्जे में है तो लो वह बेदखल हो जायेगा और शुरु में खरीदी थी। सिघानिय बेदखल नहीं होगा। यह आपके संशोधन का आशय है। इसलिए मैंने एक अमेन्डमेन्ट दिया है कि कुशल डेट आज की वेस्टिग की डेट होनी चाहिए। उस दिन कौन बैठा है, वह आदमी कब्जे में होना चाहिए अगर वह भूमिहीन है तो एलाटेबल जितनी जमीन उसको अलाट हो सकती थी, उसकी खरीद को आप अलाटमेन्ट मान लीजिये। मैं एक कदम और आगे जाता हूं। मैं उसकी खरीद की वजह से कब्जे में नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उसके पास जितनी जमीन है वह उसके कब्जे में रखिये और उससे कीमत २५ हजार रुपया मुरब्बा की ली गयी है और आप अलाट करेंगे ५ हजार में तो २० हजार रुपया जो उससे जबरदस्ती ले लिया वह उसको वापिस दीजिए, यह मेरा संशोधन है।

Page No 168

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्योंकि सीलिंग का मतलब भूमिहीनों में जमीन बांटना और वाजिबी कीमत पर बेचना–दोनों ही महत्वपूर्ण बात है। अगर वाजिबी कीमत नहीं ली गयी तो भूमिहीन जमीन रख ही नहीं सकता। इसलिए भूमिहीन की रक्षा करना चाहते हैं तो भूमिहीन की तारीफ को आप चेन्ज कीजिए मैंने एक ही एक्सेप्शन रखा है। मैं चाहता हूं कि जो अपने हाथ से हल जोतता रहता है मजदूरी के नाते या मालिक के नाते उसको भूमिहीन माना जाये। उसमें दो तरह के एक्सेप्शन हैं एक तो हरिजन लोग। मान लें कोई जूते बनाता रहा है पुश्तैनी या सफाई करता रहा है उसको नहीं कह सकते कि खेतीहर है लेकिन हमको उसके लिए एक्सेप्शन करना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जिनका पहले से खेती का धंधा नहीं भी है तो भी उसको भूमिहीन माना जाये।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, क्लाज बाई क्लाज के समय रहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे जो विलेज आर्टीजन्स हैं—कुम्हार, खाती, लुहार आदि उनको आप नहीं कह सकते कि वह खेती करते हैं स्ट्रिक्टली लेकिन उनको भी मौका दिया है। इस तरह से यह दो ही एक्सेप्शन्स हैं।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से एग्जेम्पशन्स के अन्दर आपने ग्रोव्स को अभी तक छोड़ दिया है। बागात को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? आपकी बाम्बे के अन्दर मीटिंग हुई, दिल्ली के अन्दर मीटिंग हुई जो जनरल रिफार्म्स की है उसमें सिवाय को-आपरेटिव फार्म्स के और सब तरीके एग्जेम्पशन्स हैं। आपने रिलीजस इन्सटीट्यूशन्स के नाम से नये एग्जेम्पशन्स खड़े कर दिये जो कि दूसरी जगह नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उनकी आमदनी और दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं लेकिन किसानों की कुर्बानी की बुनियाद पर किसानों का शोषण करके ही हम रिलीजस इन्सटीटयूशन्स चला सकते हैं यह मुनासिब नहीं है। देवस्थान विभाग है और उनकी १० तरीकों से आमदनी कर सकते हैं....

श्री मदनसिंह : उनकी आमदनी नहीं है। लोगों में आजकल श्रद्धा नहीं है। लोग जाते नहीं है। आप जैसे लोग रह गये हैं जो भजन भाव करने नहीं जाते इसलिए यह यह बड़ा अन्याय होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो श्रद्धा रखते हैं वह जरूर कुर्बानी करेंगे मैं यह मानता हूं और जिसकी श्रद्धा नहीं है वह नहीं करेंगे। दूसरे श्रद्धालु श्रद्धा करें सूखी और पैसा नहीं देना चाहें और श्रद्धा और किसानों से हल जुतवायें, आधा बांटा लें यह श्रद्धा नहीं हैं।

श्री मदनसिंह। नहीं वह खेती कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसी तरह से गारडन्स बड़े बड़े लोगों ने बनाये हैं, बड़े बड़े लोगों के बागात हैं। इनको आप एग्जेम्पशन्स में रखना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी जायज नहीं है। इसको हटाया जाना चाहिए।

(श्री रामान्द अग्रवाल)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कोआपरेटिव फार्म्स के बारे में मैं कह देना चाहता हूं। बहुत बोगस को आपरेटिव फार्म्स बने हैं। मुझे ध्यान हैं एक क्वश्चन आया था सदन में कि गंगानगर जिले में एक सरदार जी ने अपने चार-पांच लड़के मेम्बर बनाये अपने साले को, बीवी को और सालियों को करके ११ या १५ मेम्बर बना लिए और सारी जमीन उनको जितने मुरब्बा थी सब रखकर को-आपरेटिव नाम दे दिया।

यह सारी की सारी जमीन उनके पास रह गई और ५०,००० रुपये का कोआपरेटिव मंत्री जी से लोन और ले लिया उस पर प्रोग्रेसिव फार्म के नाम से और कोआपरेटिव फार्म के नाम से। इस तरह के बोगस कोआपरेटिव फार्म हैं उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिये। एक ही फैमिली के मेनली या ओनली जो फार्म्स हैं या बोगस पार्टिशन करके कोआपरेटिव फार्म्स बनाये हैं उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाना चाहिये। एक्जेम्पशन के बारे में मेरा यह कहना है कि इस तरीके से यह सारे का सारा बिल जो आप पेश कर रहे हैं तो इस बिल में जो तमाम सीलिंग की जान है वह आपने निकाल दी है। खतरनाक बात यह लगती है कि जिस तेजी से आप पीछे भाग रहे हैं। लगातार, आपके भागने का पता नहीं है तो हम महसूस करते हैं कि भागत भूत की लंगोटी ही सही। दो महीने के समय में जाने क्या ले आयें तो लट्टी छाछ ही सही। इसलिये जैसे भी हो इसको स्वीकार करें और यह कानून मन्जूर हो जाना चाहिए। आपका इन्टेन्शन साफ हो चुका है। आपने बाना तो इन्डीकेट का ओढ़ा है लेकिन दिल और दिमाग आपके सिन्डीकेट के साथ हैं। आप देंगे धोखा। आज नहीं तो कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे। आप अब एक साथ रह नहीं सकते। एक माननीय सदस्य आवाज लगा रहे थे कि कांग्रेस में रहने के लायक नहीं है तो कुछ लोग निकलेंगे या निकाले जायेंगे। यहां कुछ लोग सिन्डीकेट बनायेंगे। यह स्वरूप आपको रहने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में आज यह बिल पेश किया गया है इस रूप में जो नये संशोधन हैं उनको मन्जूर करके यह स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री मदनसिंह : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में........

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री जुझारसिंह : शहरों के बारे में......

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, एक बात। यहां पर यह आवाज उठाई गई है कि शहरों की प्रापर्टी का भी सीलिंग होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय मैं इस बात से सहमत हूं। हमने इस बात को लगातार रखा है और इस बात के लिये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह साफ कहना चाहता हूं कि शहरों में सीलिंग लगाने की बात को लेकर जमीन पर सीलिंग न रखें इसके लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। इस पर भी सीलिंग लागू हो और उस पर भी सीलिंग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लागू हो, दोनों के लिए संघर्ष करेंगे आप नीचे से नीचे सीलिंग लगाये मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं है।

श्री जुझारसिंह : गांवों में जिस समय २०० रुपये महीने पर सीलिंग लगा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि शहरों पर क्या लिमिट होना चाहिये ?

श्री सभापति : आपस में सवाल जवाब बन्द करें। प्रोफेसर केदार।

श्री मदनसिंह : अलग अलग पार्टी के दो दो, तीन तीन आदमीयों को बोलने की व्यवस्था थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, आपके माध्यम से साम्यवादी सदस्य से जानना चाहता हूं कि उनकी पार्टी राजस्थान के अन्दर सीलिंग की लिमिट क्या मानती है उनके सिद्धान्त के अनुसार ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस समय सीलिंग का लॉ आया था उस समय....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री केदारनाथ : (श्री गंगानगर) : सभापति जी, इस बिल के मारफत राजस्थान की सरकार ने आज तक कितनी जमीन के बारे में सुधार लाई है और उसका असर रूलर लाइफ पर क्या पड़ा ? मैं एक शब्द इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं अगर ओवरआल इम्पेक्ट को देखा जाय तो जिस क्लास को हम समाप्त करना चाहते थे, जमीन के कानूनों सुधारों के मारफत, सीलिंग लॉ लाने के मारफत और जिसके खिलाफ प्रजा परिषद और प्रजा मंडलों ने विद्रोह की भावना पैदा की हुई थी और जो नारा लैण्ड टू दी टिलर के नाम से कांग्रेस ने और कांग्रेस के तहत जितने भी संगठन थे जिन्होंने यह दिया था वह नारा आज समाप्त हो गया। आज वह मिडिल आर्डर ने इन प्रेक्टिस अपने आपकी पोजीशन बहुत मजबूत बना दी है। आज वह समाज पर हावी, एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी और आज इकोनामिक लाइफ पर हावी है। इसलिये मैं यह कहूं कि उसकी पोजीशन को आप कमजोर नहीं कर पाये। उसकी पोजीशन पहले से आज एन्टेन्च्ड है। तो मैं ज्यादा चीज नहीं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा, सभापति जी. इन फेक्ट एक मईक्लास आज रूलर लाइफ में पैदा हो गई है। वह कौन सी क्लास ? जिसकी खेती बाड़ी से कोई वास्ता नहीं रहा, वह कन्टेक्टर्स की क्लास, वह एक्स-सर्विस मैन की क्लास, और वह एक्स-आफिशियल्स की क्लास है। अगर चारों तरफ आप शहरों में देखें,-सभापति जी, तो जमीन किनके पास है, बाग बगीचे किन के पास है, खेती के बड़े बड़े फार्म्स किन के पास हैं, और अच्छे मकानात किनके पास हैं, तो आपको अन्दाजा लगेगा कि रूलर लाइफ में एक नई क्लास पैदा हो गई।

तीसरी चीज जो आपकी मारफत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गहराई से देखें, छोड़ दें आल इण्डिया रिपोर्ट्स को हवाला नहीं देते हुए अगर आप

(श्री केदारनाथ)

देखेंगे कि जो छोटे किसान थे वे आहिस्ता आहिस्ता १०-११ साल में एलिमिनेट हो गये। आर्टिजन्स जो ५-१० बीघा जमीन, दो चार एकड़ जमीन के मालिक था वे शहरों में आ गये और मजदूरी कर रहे हैं। शहरों की वह क्लास जिसका वास्ता कोई खेती बाड़ी से नहीं रहा या नौकर शाही में रहे, या अमीर क्लास में रहे या किसी और तरीके से अपनी आमदनी का जरिया बनाते रहे, वह देहातों में बहुत बड़ी शक्ति के नाम से पोजिशन बनाये हुए बैठे हैं।

आज ट्रान्सफर की बात जहां तक है उस बात को कहता हूं कि सरकार सीलिंग लां में शहरों की बात सोचे नहीं, वहां मैं अपोजिशन पार्टीज से कहना चाहता हूं जिसमें मैं भी शामिल हूं आप शेयर-क्रापर्स के संगठन की बात सोचे नहीं टेनेन्ट्स की बात सोचे नहीं लैण्ड लैस के संगठन की बात नहीं सोचें। इन ११-१२ सालों में कौनसी ऐसी पार्टी है, कौन सा एम० एल० ए० है सिवाय एक-दो के जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र देहातों को बना रखा है, जो लैण्ड लैस का संगठन किये हुए हैं और सीलिंग लां को लागू कराने के लिए जमीन पैदा की हो, अच्छा वातावरण पैदा किया हो। सिवाय एकाध के किसी ने नहीं किया। अपने आपको असेम्बली और पार्लियामेन्ट की डिबेट तक ही सीमित रखा है। इसलिए, सभापति जी, इन इलाकों में अच्छे लांज इम्प्लीमेंट हुए, असेम्बली और पार्लियामेंट के अन्दर वहां के वातावरण से अच्छे प्रोवीजन तो लागू हुए और गलत प्रोवीजन्स को बदला है तो दोनों तरफ से उसका हुआ करता है। असेम्बली और पार्लियामेंट में अच्छे कानून और उसका असली तौर अमल। तो राजस्थान में एक तरीके से प्रजा-परिषद् और प्रजा मण्डल की लड़ाई के बाद उस तक तबके का जिसको भूमिहीन मानते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेयर क्रापर मानते हैं, टेनेन्ट्स मानते हैं, उनका संगठन नहीं कर पाये हैं और न आज तक संगठन उनका है।

इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए जो ट्रांसफर्स चार तरह के हुए हैं एक ट्रान्सफर भूमिहीनों के नाम से, एक ट्रांसफर स्माल फार्मर्स के नाम से, एक ट्रान्सफर माइनर्स के नाम से चार बड़े बड़े लैण्ड लार्ड्स और जागीरदारों ने किये हैं, और एक ट्रान्सफर नान एग्रीकल्चरिस्ट क्लास के नाम से हुए हैं। मैं सोचता हूं कि अगर आप ५९ के पहले जितने भी ट्रांसफर्स किये गये हैं उनको सारे को नल एण्ड वायड कर दें तो जैसा कि एक्जिस्टिंग ला है तो किस पर असर पड़ने वाला है। भूमिहीनों ने जमीनें खरीदी हैं और सारे के सारे आप उसको पेनेलाइज कर दें उसके बजाय आपने जिम्मेवार दृष्टिकोण आपने बनाया है और उन ट्रान्सफर्स को आप वेलिड करना चाहते हैं तो मैं इस बात के लिए आपका स्वागत करता हूं। आप लैन्डलेस के नाम से जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं, बेनाम हुए हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से और जो स्माल फार्मर्स हैं वे १०-१५ एकड़ के नीचे नीचे हैं और अगर अपनी मेहनत से, एफर्ट्स से उसने जमीन खरीदी है उसके ट्रांसफर को आप वेलिड करते हैं, पर एक्जिस्टिंग ला के हिसाब से उसका ट्रान्सफर नल एन्ड वायड करके अगर जमीन छीन लेते हैं और आप उसके

Page No 172

(श्री केदारनाथ)

आप कहते हैं कि एलाटमेंट लेना हो तो फिर से दरख्वास्त दो, तो मैं सोचता हूं कि इन १०-११ सालों में जमीन ने एक बार हाथ नहीं बदला है, लेकिन ५-६ टाइम्स हाथ बदले गए हैं। आप नहीं मालूम कर पायेंगे कि जमीन के असली मालिक कौन थे और आज तक काश्त कौन करता आ रहा है ? १२ साल में मालूम नहीं जमीन में कितने हाथ बदले हैं। ऐसी हालत में यह प्रेक्टिकल व्यू लेना चाहिए। सिद्धान्त की बात नहीं मानता हूं और थ्योरी से दूर से जाता हूं कि १०-११ साल में जितने सारे चेन्जेज आये हों लेकिन आप दोनों क्लास के ट्रान्सफर को भी वेडिल करते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं भूमिहीनों के नाम से, स्माल फार्मस के नाम से, शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम से। मगर जो तबका नॉन एग्रीकल्चरिस्ट काम्यु-निटी का है, अमीर लोग हैं, उन्होंने जितने पर्चेजेज किये हैं उनको तो कम से कम सोचकर चलें कि एक बहुत बड़ा घातक ट्रेन्ड रूलर लाइफ में आप इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा, और जो चेन्जेज लाना चाहते हैं। सोशियल आर्डर के नाम से वह चेंज नहीं ला पायेंगे। इसलिए यह बात कहते हुए कि आपकी लेन्डलेस की परिभाषा में वह नहीं आता है जो स्माल फार्मर्स हैं, जो स्माल प्रोप्राइटर्स हैं। इसलिए आप जिस ट्रान्सफर को वेलिड करने जा रहे हैं वह बहुत बड़ी आपके सामने पैदा होगी।

वही दिक्कत फिर आपके सामने पैदा होगी हमारे इलाके में लैंडलेस ने सिर्फ पांच परसेन्ट जमीन खरीदी होगी जब कि जमीन खरीदने वालों में पैंतीस-चालीस परसेन्ट वह लोग हैं जिनके पास पन्द्रह एकड़, दस एकड़ से नीचे जमीन है। इसलिए आप लैंड लैस की परिभाषा को बदलें उसमें एडजस्ट करें। अगर आप कर नहीं पायेंगे तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो जायगी और झगड़े होंगे। बीस साल हो गये, इसमें ट्रान्सफर हो गये, वह जमीन किस प्रकार से भूमिहीनों को दी जाय, इसके लिए पेनेलाइज करना था, लेकिन वह न करते हुए विचार होता है उस किसान के लिए, जिसने जमीन खरीद ली, किस तरह से डेफीनेशन में परिवर्तन लाया जाय। तो इन सारी चीजों को बदलने के लिए इन फण्डामेंटल बातों को बदलना पड़ेगा। मैं मानता हूं, जैसा रामानन्द जी ने कहा कि जो मकसद था इस लॉ को बनाने का वह डिफीट हो गया है क्योंकि पालिटिकल व्यू लेकर किसी क्लास को बेनिफिट देना चाहते हैं। यह बिल जो लाये हैं और क्लाजेज में जो अमेंडमेंट दिये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फेमिली के किसी बच्चे के नाम पर ट्रान्सफर हो गई और वह एडल्ट हो गया तो उसके बारे में क्या होना चाहिए ?

श्री केदार नाथ : जो भूमिहीन काश्त-कार आज भी खेती-बाड़ी करता है और जिसकी लाइबिलिटी फेमिली हेड पर नहीं है तो मैं जस्टिफाइड मानता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी कल्टीवेटर का लड़का एडल्ट है, आपने माइनर के लिए कहा है कि उसका न करें लेकिन एडल्ट के बारे में क्या करना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : आप बीस साल के बाद में फिर नया प्रश्न पूछेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज का ?

श्री रामकिशन : मैं समझ गया, आप जिस मन्सा से पूछ रहे हैं। गलती की है आपने और हमसे पूछ रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने गलती की है वह सबके सामने है। मैं प्रावधान के लिए पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न है। मनोहरसिंह जी सर्वोदय से सम्बन्ध रखते हैं और यह मेरे पास बैठते हैं, या तो मुझे अलग कर दिया जाय या इन्हें अलग कर दिया जाय क्योंकि इनके पास बैठने से न मेरी किताब रहती है न और और कागज रहते हैं। सब इनके झोले में चले जाते हैं। मैं अन्तिम चेतावनी के रूप में निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो किसी दूसरी सीट पर चले जायं या फिर मैं चला जाऊं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इनको मालूम था कि मैं शिकायत करने वाला हूँ इसलिए इन्होंने यह प्रश्न उठाया। यह धड़ाधड़ बच्चे पैदा किये जा रहे हैं और मेरी सारी चीजें ले जाते हैं। इसलिए शिकायत तो मुझे करनी चाहिए।

श्री मदन सिंह : समाजवाद में विश्वास रखते हैं इसलिए ले जायं तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, समाजवाद के नाम पर आपत्ति नहीं है लेकिन न जाने किस किस का नाम लेकर सिण्डीकेट और इंडिकेट की बात बतलाकर एक बहुत बड़ा विवेचन सीलिंग के लिए जो अमेंडमेंट आया है उस पर किया है। मैं समझता हूं, मैं माफी मांग कर कहूं सदन के माननीय सदस्यों से, जो भाषण दे चुके हैं कि उन्होंने शायद इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए जो अर्थहीन आपत्ति उठाई गई है वह कहीं अनआन्सर्ड न रह जायं इसलिए मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा...

श्री मदन सिंह : समय बढ़ा दिया गया या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बढ़ा दिया है।

श्री मदन सिंह : किसने बढ़ाया था ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बढ़ा दिया गया है जब तक कि यह पास न हो जाय। यह ट्रान्सफर का ३० डी के आधार पर जो नया अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है। उसमें ३१ दिसम्बर, १६६६ तक जो ट्रान्सफर किये गये हैं इन फेवर आफ ए लैंडलेस पर्सन उसको वेलिडेट किया गया है....

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : लैंडलैस को !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह लैंडलैस के लिए है, दूसरा है

"……… who is a bonafide resident of Rajasthan or in favour of nis son or brother intending to take to the profession of agriculture and capable of cultivating land personally."

यह दो शब्द हैं, और नहीं है जैसा हमेशा से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है 'And' को 'Or' करके, जिसके पास ट्रैक्टर है उसको मान लिया जायगा। इसके अलावा लैंड लैस की डेफीनेशन है क्लीअर कट उसमें यह है : who is by profession an agriculturist and then who can do it and who will do it.

यह दो शब्द है। इसलिए मेरा निवेदन है, क्या होगा—यह मैं नहीं निवेदन करना चाहता हूँ। जो ट्रान्सफर्स को वेलिडेट किया गया है वह उसके हित में किया गया है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : "…… intending to take to the profession of agriculture ……"

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह आपका सोचना है। क्या बात है? आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो अधूरा पढ़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'पर्सनल' की डेफिनेशन है वह देखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसी आदमी का लड़का खेत पर लग जाय—उससे यह कहा जाय कि खेत पर नहीं लगे? कैसे? क्या वह काश्तकार का लड़का नहीं है? नया आदमी काश्त कर सकता है? दूसरा प्रश्न मैं निवेदन करता हूँ कि पुराना कानून था उससे एक स्टेप आगे है सिवाय इसके कि वेलीडेशन का जो है उससे कितने और कौन अफेक्ट होते हैं? लैंड कितने हैंड बदलती है, कहां से कहां लैंड चली गई है उसका वापस रिवर्शन करते हैं तो यह बड़ा डिफिकल्ट काम था। अब उन पर आप दोष लगायें जब कि इसका ग्यारह वर्ष तक पालन नहीं हुआ कानून का। तो इस सम्बन्ध में अधिक निवेदन नहीं करना चाहता, जो बीत गया है उसको भूल कर आज भी पालन कराने का सोचें तो बहुत बड़ा कल्याण आप करेंगे पहले वाला जो कानून था उसमें बहुत सारी जमीन, जो मैकेनाइज्ड फार्म की थी, डेग्ररी की थी और उनको एक्जेम्प्ट कर दिया गया था, अब उसको बन्द कर दिया गया है और तीस स्टेन्डर्ड एकड़ ट्रांसफर तक यह सब लैंड जो सन या ब्रदर के नाम ट्रांसफर है उसको वेलीडेट मान जायगा यह पहले वाके से बैटर स्टेप है। इस बैटर स्टेप से किसको लाभ मिला, लाभ मिला उनको जो बड़े आदमी हैं। जो गरीब काश्तकार है, जो खेती नहीं करता है, जो लैंड लैस है, उसका जीवन खेती पर आश्रित है—उसको क्या मिला? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब सदन के विरोधी पक्ष के माननीय नेता

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बोल रहे थे तो कह रहे थे कि जमीन बहुत पड़ी है। तो मेरे पास तो कुछ फीगर्स सरकार के दिये हुए हैं उनके आधार पर आज जमीन निजी जो खेत होते हैं उसके अलावा ९९ लाख ४८ हजार ६८ हेक्टर जमीन है, वह राजस्थान में पड़ी है जो खेती योग्य मानी जाती है। वह खेती योग्य जमीन ऐसी है जिसके ऊपर काश्त या खेती करें। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर में पानी दिया होगा लेकिन जहां ......

श्री रामकिशन : बाड़मेर-जैसलमेर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बाड़मेर जैसलमेर में पानी की सुविधा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि भरतपुर में २७,३५९ हेक्टर जमीन पड़ी है जो काश्तकारों को बांटी...

श्री रामकिशन : नहीं है वहां।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुन लीजिये। मैं यही सुनना चाहता था, मेरे यहां...

श्री मदनसिंह : फारेस्ट की है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : फारेस्ट के अलावा, यह सरकारी आंकड़े हैं जिसके आधार पर कहना चाहता हूं कि ३ लाख ९८ हजार एकड़ मेरे भीलवाड़ा जिले में जमीन पड़ी हुई है। आप भरतपुर के जिला प्रमुख हैं, मैं भी जिला प्रमुख हूं, मैंने जगह जगह खाक छानी है, मुझे लगता है जो जमीन पड़ी है, जिसे सेटलमेंट डिपार्टमेंट खेती योग्य बताता है उसमें सर फोड़ा जाय तो सिर में से खून निकल जायेगा लेकिन उस पर काश्तकार खेती नहीं कर सकता है। तो आंकड़ों के आधार पर जो जमीन बताई जाती है वह वास्तव में जमीन नहीं है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आंकड़े झूठे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नहीं, आंकड़े हैं वह सेटलमेंट के दिये हुए हैं, उनको खेती योग्य लगती है सारी जमीन वह बताई है, जिस पर खेती होती है जिसको डेवलप करायें तो खेती योग्य हो जाय और जहां पत्थर हैं वह भी खेती योग्य बताते हैं। ऐसी जमीन से काश्तकारों को लैंडलेस को लाभ होने वाला नहीं है। लाभ किसको होता है जो जमीन का मालिक है। खेती करने वाला तो लैंडलेस है और जो उसका मालिक है...

श्री मदनसिंह : बड़े लोग जो ट्रैक्टर वगैरह से खेती करते हैं।

श्री यसवन्त सिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जमीन के बटवारे की यह हालत है, २५ एकड़ से ऊपर की जमीन जो है, टोटल जमीन वह ३३ पर्सेन्ट है वह चार परसेंट लोगों के हाथ में है, जो २५ एकड़ से ऊपर काश्त कर रहे हैं, और एक एकड़ से कम जमीन वाले हैं वह हमारे यहां ८० प्रतिशत १ एकड़ से लेकर ५ एकड़ तक जमीन वाले हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं"

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप हिन्दुस्तान के आंकड़े दे रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मै राजस्थान के आंकड़े दे रहा हूं । इन्डिया के आंकड़े यह दिये गये हैं कि ५२-५३ में हमारे यहां ग्रो मोर फूड कम्पेन चला उसमें कुल मिलाकर ६ अरब ५० करोड़ रुपया सारे भारतवर्ष में खर्च हुआ । उसका एनेलिसिस रुलर क्रेडिट सर्वे आफ इन्डिया ने किया है, उस आधार पर ग्रो मोर फूड कम्पेन पर जो ५२-५३ ६ अरब और ५० करोड़ रुपया खर्च किया गया उसमें से ९० परसेंट का लाभ उन काश्तकारों को हुआ है जो मेजर काश्तकार हैं, बाकी १० परसेंट का लाभ १ एकड़ से ५ एकड़ तक जमीन वालों को मिला है । यह रूरल क्रेडिट सर्वे आफ इन्डिया की रिपोर्ट है । फर्टीलाइजर और सीड मिला जिसमें ६ अरब ५० करोड़ रुपया टोटल भारतवर्ष में खर्च किया, उसका ९० प्रतिशत उनको मिला है जो बड़े बड़े काश्तकार हैं । इसलिये मे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आधार पर हमारा जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो among the sons or among the brothers,

चाहे वे हाथ से खेती करते हों, तो हमारे देश की क्या हालत है ? इतने बड़े बड़े लैंड लार्ड्स हैं, कहा जाता है कि खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये बड़े बड़े लैंड लोर्ड्स आवश्यक हैं, हमारे प्लानिंग कमिशन ने भी लिखा है कि खेती की बढ़ोतरी के लिए खेती के प्रोडक्शन को मेन्टेन करने के लिए बड़े लैंड लोर्ड्स हों, मेकेनाइज्ड फार्म्स हों पर जब हमारे राजस्थान की कुल पांपुलेशन में से, टोटल पोपुलेशन में से १ करोड़ ६ लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, ६७ की रिपोर्ट में दिया है, गांवों के बच्चे सब खेती करते हैं, या तो जानवर चराने जाते हैं, या खेती करते हैं, ११ लाख बच्चे शहरों के हैं उनको निकाल दीजिये तो करीब करीब ९० लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास काम बिल्कुल नहीं है, या है तो अधूरा काम है । उनके लिए आपके पास क्या योजना है ? जमीन पर वजन मत बढ़ाइये, जमीन की सीमा कर दीजिये, उनको काम देने के लिए आप और कोई इन्तजाम कीजिये रुलर इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट करने की स्थिति में यदि आप हैं तो उनको आप जमीनें मत दीजिये और कामों में इनको लगाइये पर आपके पास आज क्या काम हैं ? क्या आप आज रूलर इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट करने की स्थिति में हैं । अगर आपके पास इन लोगों को देनेके लिए दूसरे काम नहीं हैं तो जमीन देनी होगी ।

राजस्थान में १८७६ हजार हैक्टर जमीन की पिलाई होती है, इसमें से ज्यादा तर भूमि की पिलाई कुओं से होती है । मै गंगानगर की बात नहीं करता जहां बहुत बड़ी पेरेनियल व्यवस्था है । बाकी सब जगह कुओं से मीडियम टैंक्स से जमीन की पिलाई होती है । जो मीडियम टैंक्स है उन सबका लाभ आज किसको मिलता है । जागीर रिजम्प्शन एक्ट में आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है ९० प्रतिशत तालाब आज जागीरदारों के हैं, मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता पर आज स्थिति यह है कि अस्योर्ड इरिगेशन का ९० प्रतिशत लाभ बड़े बड़े काश्तकारों को मिल रहा है, केवल १० प्रतिशत छोटे काश्तकारों को लाभ मिला है ।

Page No 177

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जयपुर में राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों की बनिस्पत सबसे अधिक कुऐ हैं, जयपुर में १२५ हजार कुए हैं, कुओं के लिहाज से उदयपुर का सेकिण्ड नम्बर आता है और थर्ड नम्बर आता है भीलवाड़ा का तो यह बैंकों से रुपया कर्ज देने की यह नई व्यवस्था कुओं के लिए कर रहे हैं, इससे आप नयी पावर्टी नए कर्जदार आप पैदा कर रहे हैं तो यह जो एश्योर्ड इरिगेशन है, उसको बड़े आदमियों के हाथ में से छीनकर छोटे काश्तकारों को सौंपिए तभी देश का कल्याण होगा नहीं तो गरीब और भी अधिक से अधिक गरीब होता जायगा।

अब मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक हैक्टर के पीछे यानि ढाई एकड़ के पीछे सारी फैमिली की १५०० की आमदनी है। आप अन्दाज लगाइये कि १ एकड़ से ५ एकड़ के बीच के ६० प्रतिशत काश्तकार हैं, आज हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं, इन्डस्ट्रीज हम इनको नहीं दे सकते तो हमारे यहां दूसरा रास्ता केवल खेती का रहता है। अच्छी जमीन आज ६० प्रतिशत आलरेडी उन लोगों के पास है। जो लैंड लोर्ड्स हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं और यह जमीन उन्हीं के पास जायगी, उनके सन्स या ब्रादर्स हैं, उनके पास जायगी, या उनके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले है उनको बेच देंगे तो उनके पास जायेगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिये उनके पास कोई जमीन नहीं रहेगी। तो फिर आप इन लोगों को जमीन कहां से देंगे ?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। देवगढ़ से आने वाली माननीया महिला सदस्य ने एतराज किया था कि सारी रामायण पढ़ ली पर कहीं सीता का नाम नहीं आया, अर्थात् स्त्रियों के नाम के जमीन का कहीं नहीं आया, मैं माननीया सदस्या से निवेदन कर देना चाहता हूं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : सीता का क्या सुर्पणखा का नाम भी नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : एक दो ऐसी महिलाओं के नाम ले लीजिये।

हिन्दू सक्सेशन एक्ट की धारा ४ है, उसके अनुसार लेडीज के भूमि सम्बन्धी अधिकारों से भूमि के फ्रेग्मेन्टेशन का डर था। वे जागीरदार थीं, जागीर की जमीन उनके नाम थी, जागीरें खत्म हुई तो वह जमीन उनके नाम खुद काश्त में रही और उनको उसके खातेदारी राइट्स मिले। लेकिन मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस साल इन्कम टैक्स का नया प्रोवीजन आ रहा है, वह यह है कि पति और पत्नी की शामिल आमदनी मानकर टैक्स लिया जाय, देश में बड़ा तूफान मचा। इंग्लैंड में जब इस प्रकार की योजना आई थी तो डाइवोर्स होने लगे, इस डर से कि अगर दोनों की अलग अलग पांच पांच हजार की आमदनी है तो १० हजार पर टैक्स लग जायगा। तो इस साल जो यह इन्कम टैक्स का नया प्रोवीजन आ रहा है उससे हमारे यहां भी यहीं प्रवृत्ति शुरू हो जायगी। इसलिए मैं माननीया सदस्या से निवेदन करूंगा कि

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अगर पति के साथ वे अपनी प्रोर्टी का आइडेन्टिफिकेशन करें तो ठीक है अगर अलग करना चाहती हैं तो डावोर्स के लिये तैयार हो जायं।

यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदय, आज जब यहां सदन में सीलिंग पर बहस चल रही है तो मुझे हमारे गांवों के मृत्युभोजों की याद आ गई। मृत्युभोज करते हैं तो रात्रि को जब सब लोग जीम कर निवट जाते हैं तो ढोल बजाया जाता है, ढोल से तीन डाके लगते हैं और पूछ लेते हैं कि कोई जीमना बाकी तो नहीं रहा। उसी तरह से २२ सालों में सबको जमीनें मिल गई, भूमिहीन रोते ही रह गये तो अब सीलिंग का डाका (डंका) लगा रहे हैं कि कोई जमीन लेने से बाकी तो नहीं रह गया। जब कि जमीन रही हो नहीं, गरीब को जमीन मिली नहीं है। मैं तो कहता हूं, अब भी समय है, सम्हलो। होना तो यह चाहिए था, आप लोगों ने आजादी के प्राप्त होते ही यह किया होता कि जो खुद हाथ से खेती करता है, जिसके औरत बच्चे खेत में काम करने जाते हैं, उनको जमीन दी होती, भूदान के तौर से जमीन का वितरण किया होता तो आज और हालत ही होती। आज गांवों में गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पटवारी बैठता है और पूछता है कि किन किन को जमीन नहीं मिली और पुरस्कारी किस तरीके से होती है? एक पत्तल में ४ लड्डू हैं, दूसरी पत्तल में दो लड्डू हैं और तीसरी पत्तल में एक भी लड्डू नहीं है। लड्डू उस पतल में पुर से जाते हैं जिस पत्तल में कि पहले से ही लड्डू हैं जब कि होना यह चाहिए कि जिसकी पत्तल में एक भी लड्डू नहीं हैं, उनकी पत्तल में लड्डू परोसना चाहिए। यही हाल आज जमीन देने क हो रहा है। तो आप इस प्रकार की व्यवस्था करिये कि जो स्वयं हाथ से खेती करता है, जिसके बाल बच्चे, औरतें खेती पर जाती हैं, उन्हीं को जमीन दीजिए, अन्य किसी को जमीन मत दीजिए।

आपने इस संशोधन बिल में यह व्यवस्था की है कि बाग बगीचों पर छूट रहेगी, सरकारी फार्मों पर छूट रहेगी, धार्मिक संस्थाओं पर छूट रहेगी। आपने जो बाग बगीचों पर छूट रखी है इसका मतलब यह है वे लोग अंगूर की खेती करेंगे, उससे शराब बनायेंगे और सबको डुबोयेंगे।

मैं तो कहता हूं कि भूमिहीनों पर यदि किसी ने सबसे भीषण प्रहार किया है तो वह सहकारी समितियों वालों ने किया है। १०-५ लोग मिल गये और यह कर दिया कि तेरी सो मेरी, मेरा सो मेरी है ही, और जो राज्य की सो भी मेरी। और इसका नतीजा यह हुआ कि भूमिहीनों के साथ में भयंकर प्रहार हुआ है। इसलिए

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों को और बड़े बड़े लैंड लोर्ड्स हैं, उनको छूट मत दीजिए। सहकारिता अच्छी है पर :

पंचायत सहकारिता, दोनू लक्ष्य महान्
किन्तु चले कूंकर बता,
बिना त्याग बलिदान।।

जब त्याग और बलिदान नहीं है तो सहकारी समितियां कैसे चलेंगी ? इसलिए आप सहकारी समितियों के नाम पर एलाट न करें और जिसको एलाट हो चुकी है, उनसे छीनिए नहीं तो देश की कुसेवा हो रही है, बहुत बार कहा जाता है कि जमीने के छोटे छोटे टुकड़े हो जायेंगे। जापान में इन्टेन्सव कल्टीवेशन करते हैं। जब इन्टेन्सव कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत माल पैदा हो जाता है। हम घर पर जाते हैं तो क्या करते हैं ? लाइट बन्द करते हैं। पंखा बन्द करेंगे क्योंकि इसका पैसा चुकाना पड़ता है लेकिन जब यहां आते हैं, चूंकि पेमेंट नहीं करना पड़ता, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, लाइट जल रही है तो जल रहीं है। यहीं हालत सहकारी संस्थाओं की है। मेहनत क्यों ज्यादा करें ? घर में ४ भाई होते हैं, वह भी पूरा काम नहीं करते, तो सहकारी समितियों के जरिए राष्ट्र की कुसेवा हो रही है, भूमिहीनों की कुसेवा हो रही है। इसलिए तत्काल इसे हटाया जाय।

धार्मिक संस्थाओं को छूट क्यों देते हैं ? सच्चे माइने में धार्मिक तो भूमिहीन हैं उनको जमीन दें। जिनके बच्चे आज भी खेती के लिए तरस्ते हैं, जिनको जमीन नहीं मिलती है तो भगवान सच्चे माइने में चाहता है कि जमीन उसको मिले, इसलिए जमीन सबसे पहले उनको दें जो हाथ से खेती करते हैं लेकिन भूमिहीन हैं। इसलिए कृपा करके आप जल्द से जल्द ? क्योंकि मैंने निवेदन किया कि ढोल का डाका लग चुका है। बचा कुछ नहीं है। अगर लोगों ने अपने नाम से और रिश्तेदारों के नाम से जमीन हथ्याई नहीं होती तो सच्चे माइने में २२ साल पहले गांधी का सपना सच्चा सिद्ध हो जाता लेकिन आज भूमिहीन तरस रहे हैं। जमीन उनके पास है जो हाथ से खेती नहीं करते। अगर आप सम्हलेंगे तो अहिंसक ढंग से यह चीज होगी, नहीं सम्हलेंगे तो हिंसात्मक तरीके से होगा। जमीन किसकी ? जो जोते, मकान किसका जो रहे। शहर में मकान पर मकान बनते जा रहे हैं, सारा पैसा मकानों पर लगा रहे हैं। इसलिए आप सम्हले :

जनता अब न सह सके महंगाई की चोट,
संभलो नीतर हो बसी देश मांह विस्फोट।

श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १९५५...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेसी सदस्यों ने वाकाउट किया है क्या ?

श्री पृथ्वी सिंह : राजस्थान टिनन्सी एक्ट १९५५ के बाद भूमि सुधार लागू करने की प्रवृत्ति देश भर में फैली और उसके बाद में सेक्शन ३ (बी) टिनन्सी एक्ट के अन्दर

(श्री पृथ्वीसिंह)

इन्ट्रोड्यूस करके सीलिंग कानून के जो प्रोवीजन्स लागू किये थे, वह २१-३-७० की गजट के अन्दर सक्यूलेट हुए और सीलिंग कानून बना। यह कानून बनने के बाद में राज्य सरकार ने समय समय पर विज्ञप्तियां जारी करके और अध्यादेश निकाल कर कानून को लागू करने की चेष्टा की। इस कानून के तहत बहुत सी बातें ऐसी थीं जो संवैधानिक नहीं थीं और संविधान के प्रोवीजन्स को डिफीट करने वाली थीं इसलिये जो काश्तकार अफेक्टेड थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग कानून को चैलेंज किया चैप्टर ३ (बी) को और उसके अन्दर जितने डिफेक्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट में बताये।

सुप्रीम कोर्ट में रिट चलती रही और जो जो डिफेक्टि सेक्शन्स थे वहां पर रिट मंजूर होने वाली थी। इतने में क्या हुआ कि संविधान का १७वां संशोधन लाया गया और वह जो चैप्टर ३ (बी) था और राजस्थान के अलावा भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में भूमि सुधारों का कानून लागू किया हुआ था, उसको उस १७वें संशोधन के जरिए संविधान में अंकित कर दिया गया और सारे का सारा कानून भूमि सुधारों का वैल्डेट कया गया। उससे सुप्रीम कोर्ट में जो चलने वाली हमारी रिट पेटीशन थी, वह इन्फक्चूएस हो गई। उसके बाद में राज्य सरकार ने उसके अन्दर कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में एक और अध्यादेश निकाल कर यह व्यवस्था की कि १९ स्टैंडर्ड एकड़ की सीलिंग लागू की जाय और उसके बाद धीरे धीरे ३० स्टैण्डर्ड एकड़ को लागू किया जायगा।

आज हमारे सामने चैप्टर ३० के जो प्रोवीजन्स थे उसके अन्दर यह बिल जो हमारे सामने आया है, उसमें सेक्शन २ अमेंड करने को प्रसारित किया गया और उसके बाद में एक सेक्शन और अमेंड करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और जो उस बिल के अन्दर प्रोवीजन्स दिये हुए थे, उनको फर्दर अमेंड करने के लिए हमारे सामने बिल आया। पहले सेक्शन ३० (बी) को अमेंड करने के लिए बिल लाया गया और उसमें कहा गया कि ३१-१२-६९ तक जो ट्रांसफर्स हैं, उनको वैल्डेट किया जायगा। इसका मतलब १९५९ तक के सेल्स, आपका जो प्रीवियस कानन बना हुआ था, उसके हिसाब से वैल्ड थे और वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्टव से लागू किया गया और आज आप १९६९ तक सेल्स को वैल्डेट कर रहे हैं…

श्री मदनसिंह : कोरम नहीं है। यू कैन काऊंट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस एजर्न कर दें। सरकार नहीं चाहती है कि बिल पास हो जाय।

(कोरम की घन्टी)

श्री पृथ्वी सिंह : सेक्शन ३० डी को अमेंड करके, ३१-१२-६९ तक के सेल्स को वैल्डेट किया। जिन लोगों ने आपके पहिले बनाये हुए कानून को माना है और उन्होंने आपके कानून का पालन करके भूमि का डिस्पोजल नहीं किया, वह डिफीट होते हैं और जिन्होंने कानून को तोड़ कर ३१-१२-६९ तक सेल्स कर दिए, वह वैल्डेड हो गये, तो वह संशोधन भी मैंने दिया है। अगर आप

(श्री पृथ्वीसिंह)

की मन्शा है कि गैरकानूनी तरीके से जो सेल्स किये गये हैं, उनको वेलडेट किया जाय तो आप कानून बना कर ऐसे लोग जिन्होंने आपका कानून माना है, उसको छूट दे ताकि ३१-१२-१६७० तक अपनी एक्सेस भूमि का डिस्पोजल कर दें। उसमें आप चाहें तो पाबन्दी लगाएं कि वह जमीन भूमिहीन काश्तकारों को ही डिस्पोज आफ होनी चाहिए या जो भी आप प्रोवाइड करें, उस हिसाब से होना चाहिए। आज जो फदर्र अमेंडमेंट लाए हैं उसकी मंशा है कि राजस्थान के वाहर वालों को नहीं दी जायगी: इसमें हैं :—

"Notwith standing any thing to the contrary contained in sub-section (1), transfers not exceeding thirty standard acres mede by a person upto the thirty-first day of December, 1969 in favour of a landless person who is a bonafide resident of Rajasthan or in favour of his son or brother intending to take to the profession of agricuiture and capable of cultivating land personally and who had attained majority on or bafore the date as afore said, shall be recognised."

आप राजस्थान के वाहर वालों को, हमारे संविधान में प्रोवाइड किये हुए अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। उसको काश्मीर और नागालैंड की जैसी मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थान में अगर यह व्यवस्था की जाय कि राजस्थान से बाहर वाला यहां आकर प्रापर्टी नहीं बना सकता, प्रोपर्टी सेल नहीं कर सकता और इण्डस्ट्री नहीं लगा सकता। राजस्थान से बाहर के प्रान्तों वाले जो यहां आये हुए हैं उनकी मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं वल्कि उनकी वकालत कर रहा हूं राजस्थानियों ने बाहर प्रान्तों में जाकर मकानात बनाये हैं और सम्पत्ति अर्जित की हुई है, वहां की सरकारों ने भी ऐसा कानून बना कर रोक लगायी कि राजस्थान की राजस्थान के लोग यहां फैक्टरी नहीं खोल सकते, राजस्थान के लोग यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, राजस्थान के लोग यह कारोबार नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से कहूंगा कि राजस्थान के प्रवासी लोग जो भारत के कोने-कोने में फैले हुए हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी ? मैंने यह अमेण्डमेन्ट किया था कि 'राजस्थान की जगह 'इण्डियावाइड' होना चाहिए। भारत के लोग आखिर राजस्थान में आकर जमीन नहीं खरीद सकें जब कि संविधान के अन्तर्गत यह फंडामेन्टल राइट है कि किसी प्रकार की कोई व्यक्ति प्रापर्टी नहीं बनाये। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो यह कानून कन्डम्नेबल होगा। एक सेकिंड भी कोर्ट में टिकने वाला नहीं है।

मैंने धारा ३० (डी) में अमेंडमेंड पेश किया है और ३ विड्रो किया है। क्लाक(डी) और थर्ड प्रोवीज (बी) डिलीटेड, यह बात कही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं सेक्शन ३० (ए) के अन्दर वे प्रोविजन हैं जिनको अगर विड्रो किया जाता है तो यह विड्रो करना अपने आपमें एक असामयिक कदम है और राजस्थान सरकार की गैर जिम्मेदाराना बात है। समाजवादी अपने

(श्री पृथ्वीसिंह)

आपको कहने वाली सरकार स्वयं गैरसमाजवादी कदम उठा रही है और यह कदम एन्टीनेशनल होगा । ३० (जे) में प्रोविजन दिया हुआ है। उसमें यह कहा है कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है :—

"(d) efficinetly managed specialised farms registered In the prescrided manner for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying."

तो, सभापति महोदय, इन फार्मों का आप अगर एक्जेम्पशन विड्रो करते हैं तो उन केटल की और शीप की क्या दुर्दशा होगी। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र इस प्रकार का है कि जहां खेती की गुन्जाइश नहीं है, वर्षा होती नहीं। आठ साल से लगातार फेमीन की स्थिति है। उप मंत्रीजी भी उसी क्षेत्र से आ रहे हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वहां खेती की व्यवस्था नहीं हो सकती। केटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग की ही ऐसी व्यवस्था हो सकती कि जिससे लोग इस धन्धे से जिंदा रह सकते हैं। ऐसे टेकल वगैरा के लिये चरागाह नहीं रख जावेंगे और फार्मिंग नहीं होगा तो पशुधन बर्बाद हो जावेगा और जिस देश में दूध घी की नदियां बहाने का नारा लगाते थे वह आज आपका नारा गलत साबित हुआ है। यह आपका कदम एन्टीनेशनल होगा।

दूसरा यह है : "(e) other efficiently managed farms which consists of compact blocks and whose break-up is likely to lead to a fall in production."

सभापति महोदय, इसकी लेंग्वेज अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें यह कहा गया है कि उन फार्मों को एक्जेम्प्शन दिया जावेगा जिनका ब्रेक अप करने से प्रोडक्शन में गिरावट आवेगी। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया जा रहा है उसमें जो व्यवस्था है कि उन फार्मों का एक्जेम्पशन विड्रो किया जावेगा, उससे हमारे देश में अनाज की पैदावार घटेगी, प्रोडक्शन गिरेगा। हरित क्रान्ति का नारा जो बार बार देने की कोशिश की है वह फेल हो जावेगा और बड़े फार्म टुकड़ों में बंट कर अन इकोनोमिक होल्डिंग के रूप में हमारे सामने आवेंगे। चाहे अमेरिका का पैटर्न लीजिये चाहे समाजवादी कन्ट्रीज का पैटर्न लीजिये। वहां पर भी उन्होंने यह बात मानी है कि बड़े फार्मों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जावेगा तो प्रोडक्शन में गिरावट आवेगी, अनाज की आमद घटेगी।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रपति गिरि साहब का भाषण पढ़ा था। थोड़े दिनों पहले की बात है उन्होंने यह कहा था दिल्ली में कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो बड़े फार्मों को प्रोत्साहन देना होगा, मेकेनाइज्ड फार्म्स को प्रोत्साहन देना होगा। मैंने संशोधन मूव किया है। आप कहेंगे कि विड्रो करें। सेक्शन ३० का कोई भी सब सेक्शन विड्रो न किया जाय और एक्जेम्प्शन बराबर रखे जायं। किसी कारण से समाजवाद के नारे में आकर विड्रो करना चाहते हैं तो जिन लोगों के केटल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग, मेकेनाइज्ड फार्म हैं उन लोगों के

Page No 183

(श्री पृथ्वीसिंह)

पशुधन और केटल सेड्स बने हुए हैं उनके लिये क्या सोचा है ? मशनरी और केटल वगैरा है उसके लिये क्या सोचा है ? क्या सरकार सारे के सारे केटल, सारे के सारे शीप और सारे के सारे मेकेनाइज्ड फार्म्स को पर्चेज करने की क्षमता रखती है ? पर्चेज करने की क्षमता नहीं रखती है उनके लिये भी रास्ता बताना पड़ेगा और मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि जवाब दें तो स्पष्ट रूप से बतायें कि उन मशीनों को किस ढंग से डिस्पोज़ आफ करेंगे और क्या व्यवस्था होगी ? सभापति महोदय, इसमें फरदर अमेण्डमेण्ट लाये हैं उसमें यह बात कही गई है एग्जेम्प्टेड फार्म्स हैं उसमें से जमीन ट्रान्सफर कर सकेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिस ढंग से यह बात कही गई है वह अपने आप में सफीशियेण्ट नहीं है।

"...in favour of his son or brother intending to take to the proffession of agriculture..."

आप इस तरह से इन फार्म्स में से जमीन लड़के के नाम ट्रान्सफर करने की बात तो कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं इनमें आपने प्रिविलेज दिया लड़के को भाई को क्यों न प्रीविलेज दिया जाय। यह हमें जोड़ना होगा।

intending to take th the profession of agriculture

इसके बारे में मैं अलग से अमेण्डमेण्ट मूव करूंगा। इस भूमि के प्रश्न में लड़का और भाई का प्रश्न नहीं होना चाहिये।

अब रहा सवाल सीलिंग एक्ट का। यह जो बना हुआ था उसमें भी डिफेक्ट रह गया, अमेण्डमेण्ड नहीं आये उसमें केवल दो तीन सेक्शन ही एड करके जस्टिफाइ करना चाहते हैं। सेक्शन ३० (बी) जो डेफीनेशन से रिलेटेड है उसमें फेमीली की जो डेफीनिशन दी हुई है वह इस प्रकार है :

"'Family' shall mean a family consisting of husband, wife, their children and grand-children being dependent on them, and the widowed mother of the deceased husband so dependant."

तो सभापति महोदय, फेमीली डेफीनिशन दी हुई है वह अपने आप में सफीशियेण्ट नहीं है यह न मालूम कहां से नकल की गई है न यह कोन्स्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है और न हिन्दु लॉ में प्रोवाइडेड है। भारत में प्रचलित किसी भी कानून के अन्दर यह नहीं है। फेमिली की डेफीनेशन कृत्रिम है इसको नेचुरल बनाई जाय। जिन संशोधनों की आवश्यकता नहीं थी वे तो अमेण्डमेण्ट लाये हैं।

सभापति महोदय, फेमीली का जो डेफीनिशन इन्कम टैक्स एक्ट में है उससे यह प्रोवीजन बिल्कुल भिन्न है इन्कम टैक्स वाले शिड्यूल अलग निकालते हैं। यह आर्टिफिशियल डेफीनेशन है उसको अमेण्डमेण्ट करना आवश्यक है।

३० सी में जिसमें सीलिंग एरिया को एक्सटेण्ड करने के बारे में कहा गया है। पांच आदमियों की फेमिली माना है तीस

(श्री पृथ्वीसिंह)

स्टेण्डर्ड एकड़ पांच आदमियों को मिलनी चाहिये। बढ़ते बढ़ते वह फेमीली दस की हो जाती है तो उसके ६० स्टेंडर्ड एकड़ हो जायेंगे लेकिन दस से ग्यारह होते ही या १२ होते ही उनके लिये क्या प्रोवीजन किया गया है मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में इसको स्पष्ट करेंगे।

सभापति महोदय, आज हमारे इन्कम टैक्स लॉ के अन्तर्गत ३६०० की इन्कम को टैक्स से फ्री रखा है उसको भी बढ़ाकर पांच हजार तक की लिमिट कर दी है। इसका चेपटर थर्ड बी है आज वही इन्कम मानकर चल रहे हैं जब कि भारतवर्ष में दूसरे सोर्सेस के कमाई है वह इन्कम टैक्स फ्री है वह चाहे लाखों रुपया हो या करोड़ों रुपया है। इन्कम टैक्स में भी मिनीमम इन्कम ५ हजार की आंकी गई हैं। सीलिंग प्रोवीजन के हिसाब से हमारी इन्कम ३६०० हो आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर ३० स्टेण्डर्ड एकड़ से बढ़ाकर ६० कर देते हैं तो कोई गैर समाजवादी नहीं हो जायेंगे। आज पचास स्टेंडर्ड एकड़ की बात कहते हैं तो हमें गैर समाजवादी कहा जाता है। जब कि आपका यह कदम खुद में गैर समाजवादी है और एण्टीनेशनल है।

इस कानून का जो ३० उफ है सीलिंग से अधिक जो जमीन होगी वह सरेण्डर होगी। उसके बाद में उस जमीन का अलोटमेण्ट तहसीलदार अपनी मरजी से करेगा। उसकी एवज में कीमत ली जायगी। सभापति महोदय, आवश्ययता तो इस बात की है कि ३० एफ को अमेन्ड करते और सारे प्रोवीजन्स को स्पष्ट करते। किस ढंग से जमीन आयगी और किस किस हिसाब से लेण्डलेस टीनेन्ट्स को दी जायगी यह आपने व्यवस्था की नहीं। तहसीलदार जिसको चाहेगा उसी को जमीन बेचेगा इसलिये जिस चीज की आवश्यकता थी वह नहीं की गई।

इस कानून का सेक्शन ३० जी है इस सेक्शन को भी अमेण्ड करने की आवश्यकता थी। इस प्रोवीजन के अन्तर्गत जो एफीसियेण्टली मैनेज्ड फार्म्स है जिनकी मशीने है केटल ब्रिडिंग शेड्स हैं केटल शिप्स भी सरेण्डर होने वाले है। अगर सरेण्डर नहीं करेगा तो उसके लिये क्या व्यवस्था करेंगे। इस बारे में भी मंत्री महोदय अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट में यह बात चर्चा हुई मुआवजे का जो स्केल फिक्स किया गया है उसके अनुसार २५ एकड़ वाले को तीस गुना मिलेगा दूसरे २५ को २५ गुना उसके बाद वाली जमीन के लिये २० गुना मिलेगा। यह विवेकहीन डिसीजन लिया गया है। इस सेक्शन को विशेष रूप से अमेण्ड करने की आवश्यकता थी। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं थी वह हमारे सामने रख दी गई है।

जो सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में रूल्स बनाये हुए हैं एज ए फेक्ट उसका एक एक फ्रेज डिफेक्ट से भरा हुआ है उसमें जो ग्रेडिंग है वह अत्यन्त डिफेक्टिव है। सर्वेज पहले होती थी अब उस इलाके में दस साल से नहीं हो रही है इसको भी थर्ड ग्रुप में रख दिया है। जहां पर दस साल से बर-

(श्री पृथ्वीसिंह)

सात ही नहीं हुई खेती नहीं हुई उसको ए ग्रुप में लिया है। इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है वह तो किया नहीं है। दो एक अमेण्डमेण्ट लाकर जो डिफेक्टिव है अन कोन्स्टीट्यूशनल है और एण्टी नेशनल है गैर समाजवादी तरीके की बातें है वे करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में ११ वक्ता बोल चुके हैं हरेक ने इसमें डिफेक्ट बताया है। इसमें अन्य सेक्शनन्स में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। जो आपने अमेण्ड-मेण्ट मूव किया है उसमें भी संशोधन की आव-श्यकता है। उन संशोधनों के लिये प्रवर समिति को आप इसे सुपुर्द कर यह मेरा प्रस्ताव है। प्रवर समिति में इसको भेज कर आप इसे अगले सत्र में प्रस्तुत करें आपने जो अमेण्डमेण्ट किये हैं वे बिल्कुल ही बेहूदा हैं।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह

श्री मदन सिंह : (दांता रामगढ़) सभापति महोदय मैं समझता हूं सीलिंग का जो कानून है इसमें जो भूमि के बटवारे का सवाल है वह टेम्परेरी फेज है परमानेन्ट नहीं। अगर सीलिंग लाना था तो आज से दो चार वर्ष पहले जिस वक्त इस चीज की आवश्यकता थी। उस समय, वाकई में ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी। सेटिल जो नहीं हुये थे। जब जो यह ला रहे हैं यह टेम्प्रेरी फेज है। अगर आप इस को परमानेन्ट समझते हैं तो अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो क्या यह हमेशा के लिये कायम रहेगा यह हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, यह जो सीलिंग का कानून लाया गया है इसका जहां तक आर्थिक पहलू है इसका राजनैतिक पहलू ज्यादा है। इसको राजनैतिक आधार पर लाया गया है यह कहना ज्यादा उचित रहेगा। सिलिंग के नाम से राजस्थान के जागीरदारों से आपने जमीन ले ली उसी वक्त आपको चाहिये था कि यह सीलिंग का कानून लाते। उस समय तो कुछ हमारे जागीरदार थे वे कांग्रेसी लोगों के पीछे इधर-उधर मिलते रहे हैं। उनको विश्वास देते रहते हैं देखिये हम सीलिंग में ढिलाई आपके कहने से कर रहे हैं। इसके पीछे एक राजनैतिक भावना है। इस सीलिंग के पीछे यह सरकार एक तांगे की डोर में बंधी हुई है और उनको ये दिखा रहे हैं कि इस सीलिंग में हमने क्या क्या सोचा है। मैं इसको कुछ नहीं समझता हूं। आज जमीन पर ही क्यों सीलिंग हो? सीलिंग ही अगर लाना है और देश की उन्नति करना है....

(७. २० म०प०)

(श्रीमती कांता कथूरिया सभापति, पदासीन)

सभानेत्रीजी, देश की वाकई में उन्नति करना है, इस देश में समाजवाद को लाना है, इकोनोमिक कन्डीशन में जो डिसपैरिटी है, उसमें इक्वीलिटी लाना है तो जमीन पर सीलिंग करने से ही यह नहीं होगा। जमीन के साथ-साथ अन्य चीजों पर भी सीलिंग को लाना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर सब से ज्यादा किसान है और इस किसान को, जैसे मरे हुए जानवर को कौवे नोचते हैं, उसी तरह से ये राजस्थान के विधायक इस किसान को नोचना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है इकोनोमी पर विचार करना है, उसको ठीक

(श्री मदनसिंह)

करना है तो उस पर सम्पूर्ण रूप से विचार करना होगा। शहरों और गांवों में आज कितना भेद है उसको आप मिटावें। कितने लोगों के पास कितनी जमीन है और उससे कितनी इन्कम होती है इसका आपको एक विवरण तैयार करना चाहिये। आज किसी जमींदार के ५०० बीघा जमीन है किन्तु उससे उसको इन्कम कुछ नहीं होती। खाने को फुलका भी नहीं मिलता है। अनेकों तरह के कर्जे उसके ऊपर होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सीलिंग आफ इन्कम होनी चाहिये। एक एक्ट होना चाहिये-सीलिंग आफ इन्कम और उस इन्कम के ऊपर जमीन, मकान और जिनके पास और ज्यादा रकम है, और तरह की इन्कम होती है, उन पर सीलिंग लगना चाहिये। सभानेत्रीजी, यहां तक तो यह सही है और इसी तरह से आप उस इन्कम का बंटवारा कर दीजिये। इसलिये मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था, निवेदन किया था कि अगर राजस्थान की जमीन का बंटवारा करना है तो आपको यह करना पड़ेगा कि कौन कौन कम्युनिटी के पास कितनी कितनी जमीन है? आज अगर एक कम्युनिटी ५ लाख की तादाद में है और उनमें से दो लाख एसे आदमी हैं, जिनके पास जमीन है, एक कम्युनिटी ऐसी है जिसकी संख्या ५ लाख के करीब है और जिसमें से २५ हजार के करीब लोगों के पास जमीन है, और एक दूसरी कम्युनिटी ऐसी है जिसमें कि १० हजार लोगों के पास ही जमीन है, तो इस आधार पर आप सीलिंग को लाते हैं, इस विचार से लाते हैं, इस तरीके से लाते हैं तो यह ठीक है। परन्तु आप राजनैतिक आधार पर सीलिंग का खेल खेल रहे हैं। जैसे राजाओं का प्रिवी-पर्स और सीलिंग यही आपके पास रह गया है। अब आप राजनैतिक किसानों को पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सीलिंग में हमने यह कमी कर दी है। यह सरकार बनी रहेगी तो कम से कम सीलिंग नहीं आयेगा। इसलिये राजनैतिक आधार न लेकर एक एकता का आधार लेकर इस मसले पर आप चलें। इस सम्बन्ध में मैं एक सजेशन देना चाहता हूं और वह यह है कि जो इन्कम टैक्स पे करता है उसको भूमि का ऐलाटमेंट नहीं होना चाहिये, उसको कोई जमीन नहीं मिलना चाहिये। लेकिन कानून की परिभाषा में देखा जाये तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जो इन्कम टैक्स पेयर है उसको भी लेण्डलेस की परिभाषा में लिया गया है। उसके और जरिये हैं, दूसरी तरह से भी इन्कम है, बिजनेस है या दूसरा तरह की सम्पति से इन्कम होती है, तब उस आदमी का लैण्डलेस परपज में नाम नहीं आना चाहिये। इसलिये सीलिंग लाने के पहले यह देखना जरूरी है कि जो इन्कम टैक्स पेयी है उसको जमीन नहीं दी जाये और नहीं है तो उसको जमीन मुहैय्या की जाये-चाहे वह महाजन क्यों न हो, ब्राह्मण क्यों न हो, दूसरी जाति का हो, उसको जमीन दी जानी चाहिये। यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि खातियों को जमीन ऐलाट की जाये, क्योंकि जिस कांस्टीट्यून्सी से वे आये हैं वहाँ पर खातियों की संख्या अधिक है, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हरिजनों को वितरित की जाये, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन हैं। इस

(श्री मदनसिंह)

दृष्टि से न किया जाकर जो वास्तविकता है उसके आधार पर किया जाये, उसकी इन्कम को देखा जाये कि अन्य जरियों से भी उसकी इन्कम कितनी है। राजस्थान में इस दृष्टि से सीलिंग को लागू किया जाता है तो मैं समझता हूं आप किसानों और गांवों का भला करेंगे। एक करोड़पति है, उसके पास और तरीके से पैसा आता है और वह गांव में रहता है, जमीन नहीं है तो वह भी लैण्डलैस की कैटेगरी में आता है। यह गलत है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जाति के आधार पर इसकी परम्परा नहीं डालना चाहिये,....

(७.२५.म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि अमुक अमुक तरह का किसान होना चाहिये, उसकी परिभाषा यहां पर दी है, जैसे वह कोई अवतार हो, जैसे भगवान कृष्ण ने जाति को विनाश से बचाने के लिये इस धरती पर अवतार लिया—वैसे ही राजस्थान की यह विधान सभा किसानों का निर्माण कर रही है। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो जन्मजात किसान हो उसको जमीन मिले, इसका मतलब तो यह हुआ कि दूसरा आदमी तो काश्त करना जानता ही नहीं।. मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या उस किसान पर यह पाबंदी भी रहेगी कि वह जयपुर में आकर दुकान नहीं लगा सकता, मकान नहीं बना सकता। क्या वह किसान जयपुर में आकर सिनेमा हाउस का कान्ट्रैक्ट नहीं ले सकता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर आप इकोनोमिक बेसिस पर चल रहे हैं तो पहले राजस्थान के आम लोगों को इकोनोमिक कण्डीशन को देखिए, किसके पास कितना पैसा है, उसकी क्या हालत है ? उसके आधार पर आप सीलिंग को लागू करिए। सीलिंग कोई परमानेन्ट चीज नहीं है। आज कोई सीलिंग है, कल कोई दूसरा सीलिंग भी हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लैंड सीलिंग का आधार नहीं होना चाहिये, सीलिंग का आधार इन्कम पर होना चाहिए। यह सरकार सोशलिस्ट पेटर्न की सोसाइटी कायम करना चाहती है। तो शहरों की इन्कम पर भी सीलिंग लागू करना चाहिए राजस्थान में एक ही ढंग से इन्कम के आधार पर एक सीलिंग लागू कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह तो केटल ब्रीडिंग पर से एक्जेम्पशन किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज एक आदमी के पास ५० एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, दो लाख की पूंजी है, ५०० गायें हैं, उसको जमीन और चाहिए दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है, जमीन नहीं है, दो गायें उसके पास है, वह कहाँ से ब्रीडिंग के लिए जमीन लायेगा ? इसलिए मेरा एक सुझाव है और वह एक गरीब का सुझाव है। राजस्थान के अन्दर फार्म ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास २५-२५ बीघा जमीन हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन है, उसके

Page No 188

(श्री मदनसिंह)

आप चराई लीजिए, और जिसके पास छोटी जमीनें हैं, कम आमदनी है उसके हिसाब से उनसे आप चराई लीजिए....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री मदन सिंह : इस सदन की सबकी एक राय मालूम होती है और कुछ ऐसा मालूम होता है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जायेगा। तो यह अच्छी बात है। इसलिए मैं अपना भाषण यहां बीच में ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह...

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन : आपने मौका नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर सदन में चर्चा हो रही है और जो विभिन्न विचार इस विधेयक के सम्बन्ध में यहां पर प्रस्तुत हुए हैं, इसके साथ साथ इसमें कई संशोधन भी यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं। सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात भी यहां पर कही गई है। हम यह समझते हैं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये और फर्स्ट वीक के ऐण्ड तक याने मई के फर्स्ट वीक के एंड तक सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे जिससे जल्दी से जल्दी सदन को बुलाकर इसके बारे में विधेयक पारित किया जा सके और आगे की कार्यवाही की जा सके। सिलेक्ट कमेटी के नाम बाद में घोषित कर दें। इसके नाम पेश कर दिये जायेंगे या अध्यक्ष जी इसकी घोषणा कर दें इसके लिए यह सदन अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दे और वे बाद में घोषणा कर दें। मैं समझता हूं कि इस बात के लिए शायद आज वाद विवाद की आवश्यकता न रहे इस दृष्टि से मैंने यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : सदन की···

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था और आपने आश्वासन दिया था···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : नापासर के हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है, उसका स्टेटमेंट दिलाया जाय···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९७० सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया।

Page No 189

(श्री अध्यक्ष)

अब रहा सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स का (विराम) उनके नामों के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। (विराम) अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये····

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब नहीं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय इनको बोलने दिया जाय, ये तो काश्तकार हैं।

श्री रामचन्द आर्य : मुख्यमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाया जाय, उन हरिजनों के लिये। उन हरिजनों को मदद मिलेगी या नहीं, उनके साथ घोर अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ७-३२ म० प० अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न सं. ७०४ की सूची)

Rates per acre per crop in Gang Canal, Bhakra Project, Ghaghar Canal and Rajasthan Canal Areas.

S. No.	Name of crop	Rate per acre
	Kharif Crops	
1.	Sugarcane	22.00
2.	Rice	10.00
3.	Cotton	13.00
4.	Garden	34.00
5.	Maize	7.00
6.	Jawar	4.00
7.	Bajra	7.00
8.	Pulses	12.00
9.	Simmhemp, Grass, Gower & fodder	4.00
10.	Vegetables	14.00
11.	Spices, drugs and all other Kharif crop not otherwise specified	12.00
12.	Oil seeds	12.00
13.	Water nuts	15.00
14.	Indigo and other dyes	12.00
	Rabi Crops	
15.	Tobacco	12.00
16.	Lucern and poppy	15.00
17.	Palewa	4.00
18.	Wheat	8.00

19.	Barlety and Oats	7.00
20.	Fodder	4.00
21.	Bajar and Gochani	8.00
22.	Malons, Mikeres and all other Rabi crops not otherwise specified	12.00
23.	Gram	9.00
24.	Jeera	13.00

Note :— In Rabi crops if only one watering is taken, then only Palewa rate will be charged.

———

सूची 'स'

जिला गंगानगर में भाकड़ा योजना की सुधार कर की दरें

भूमि श्रेणी	एक साथ जमा कराने पर	किश्तों में जमा कराने पर
रोही और बारानी	रु० २०८ प्रति एकड़	रु० २६४ प्रति एकड़
नाली १	रु० १८८ ,, ,,	रु० २२८ ,, ,,
नाली ११	रु० २६६ ,, ,,	रु० ३३६ ,, ,,

राज्य सरकार की दिनांक २५-३-७० की घोषणा के अनुसार भाकड़ा क्षेत्र में खुशहाली कर की वार्षिक वसूली की दरें इस प्रकार होगी :—

(१) खुशहाली कर केवल सिंचित क्षेत्र (मेच्योर्ड ऐरिया) पर ही लागू होगा और सारे कमाण्ड पर नहीं।

(२) ५ एकड़ तक सिंचाई करने वाले काश्तकारों से कोई खुशहाली कर वसूल नहीं किया जायेगा।

(३) खुशहाली कर केवल खातेदारी जमीन पर ही लिया जाता है।

(४) राज्य सरकार द्वारा नीलाम या निर्धारित मूल्य पर बेची हुई या गैर खातेदारी जमीन पर खुशहाली कर नहीं लिया जाता है।

अभी तक किस सिस्टम से कितनी तीव्रता का पानी काश्तकारों को मिलता है, इसका बिना लिहाज किये (मेच्युर्ड ऐरिया) पर खुशहाली कर लगाया जाता है इसमें उन काश्तकारों पर भी खुशहाली कर लग जाता है कि जिनके खेतों को पूरा पानी नहीं मिलता है। अतः खुशहाली कर को सुनीतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से लगाने के लिये खुशहाली कर की राशि भाखरा प्रणाली की प्रत्येक लघु वितरिका (माईनर/डिस्ट्रीब्युटरी) के लिये प्राप्त सिंचाई की वास्तविक तीव्रता (इन्टेनसीटी) पर आधारित होगी और इसकी दर मेच्युर्ड ऐरिया पर ११ रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी।

(५) १—यदि लघु वितरित (माईनर/डिस्ट्रीब्युटरी) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता ५० प्रतिशत से अधिक है तो खुशहाली कर सिंचित क्षेत्र (मेच्योर्ड ऐरिया) के प्रति एकड़ के लिए ११ रुपये प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जायेगा।

२—लघु वितरिका (माईनर/डिस्ट्रीब्युटरी) के लिए प्राप्त सिंचित तीव्रता ४० प्रतिशत से उपर व ५० प्रतिशत तक है तो मेच्युर्ड ऐरिया के प्रति एकड़ पर ६ रुपये प्रति वर्ष की दर से खुसहाली कर वसूल किया जायेगा ।

३—यदि लघु वितरिका (माईनर/डिस्ट्रीब्युटरी) के लिए प्राप्त सिंचित तीव्रता ३० प्रतिशत से ऊपर व ४० प्रतिशत तक है तो मेच्योर्ड ऐरिया के प्रति एकड़ पव ३ रुपये प्रति वर्ष की दर से खुशहाली कप वसूल किया जायेगा ।

४—यदि लघु वितरिका (माईन/डिस्ट्रीब्युटरी) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता ३० प्रतिशत तक है तो कोई खुशहाली कर वसूल नहीं किया जायेगा ।

५—सिंचन तीव्रता के बढ़ने या घटने पर उपरोक्त निर्णया अनुसार खुशहाली कर में बढ़ोतरी या कमी होती रहेगी ।

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

(७-४-७०)

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

५७७. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) (अ) नागौर जिले में मेडता से रेण, रेण से कुचेरा, कुचेरा से मून्डवा व बगड के पास कंकरीट के राहत कार्यों के कैम्प किस किस तारीख से चालू किये गये ?

(ब) उपरोक्त आटों कम्पों के मजदूरों को मजदूरी का चुकारा किस किस पखवाडे का हो चुका है ? एवं किस किस पखवाडे का चुकारा अभी तक नहीं हुआ है ?

(स) उपरोक्त चुकारा किस किस पाखवाड़े का किस किस तारीख को किस किस अधिकारी ने मजदूरों को किया ?

(२) क्या नागौर-मेडता सड़क पर चल रहे राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी में कोई कटौती की गई ? यदि हां, तो किस किस कैम्प पर, कितनी कितनी कटौती की गई ? इस कटौती करने की सूचना मजदूरों को भुगतान के रोज ही दी गई या पहले दी गई ?

(३) नागौर जिले में चल रहे राहत कार्यों में किस किस कैम्प पर किस किस पखवाडे में मजदूरों की मजदूरी कितनी काटी गई ?

(४) नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी.एण्ड आर.) द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों में किस किस कैम्प पर कौन कौन व्यक्ति (मय नाम, वल्दियत, कौमियत व सकूनत के विवरण सहित) मिस्त्री लगे हुए हैं एंव उनकी नियुक्ति के क्या क्या आधार है ?

उत्तर

मेड़ता सिटी बग्गड़ रेन, कुचेरा व मूड़वा के पास कंकरीट के राहत के कैम्प इस प्रकार चालू किये गये थे। कुचेरा सिटी २३-१०-६६, बग्गड़ २७-१०-६६, कुचेरा १-१०-६६, मूडवा २०-१०-६६ और रेण १-३-७०।

उपयोक्त कैम्पों के मजदूरों के मजदूरी का जिस जिस पखवाड़े का जब जब चुकारा चुकारा हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(अकाल राहत मंत्री)

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

जी हां। जिस जिस कैम्प पर जितनी कटोती की गई उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। कटोती की सूचना मजदूरों के काम पर काम करते समय दे दी जाती थी।

उपरोक्त सूचना सूची में उपलब्ध है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्य में कैम्पवार मिस्त्रीयों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पस्तकालय में रखी गई है)

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के भाग (२) में निर्दिष्ट सूची)

मौजूदा सरपंच कांवट द्वारा काश्त की भूमि को बनाने के लिये मजाय पट्टे दिए उनका विवरण

क्रम सं०	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	नाम जिनको पट्टे किये गये है।	क्या यह व्यक्ति सरपंच से संबंधित है।
१.	कांवट	मदनलाल देवीसहाय चांदमल मिखराम ज्वालासहाय बालावक्ष पुत्र दुर्गाबक्ष, जुगलकिशोर पुत्र श्री नारायण, लक्ष्मन पुत्र प्रभुदयाल चिरजीलाल पुत्र मुरलीधर, भंवरलाल पुत्र बसन्तीलाल जाति कायस्थ सा० कांवट	८८२	२।।।)२	१। काना पुत्र नन्दा माली	काना पंचायत का चपरासी है।
					२। धन्ना पुत्र छोटू माली	धन्ना पुत्र छोटू पंच है।
					३। लखा पुत्र मोती माली	
					४। मंगला पुत्र नानगा माली	
					५। रामेश्वर पुत्र धोलू माली गोगा पुत्र तेजा माली	
२.	कांवट	जुमीवदास चेलागलदास स्वामी	१३०६	१।)	रामनिरंजन पुत्र त्यालीराम महाजन सा० कांगट	रिश्ते में भाई।
		उपरोक्त ,,	१३७०	१)१	प्रयागनारायण पुत्र हनुमान प्रसाद महाजन सा० कावंट	पंचायत का पंच है।

३.	कांवट	राजस्थान सरकार मैं०-पु० रास्व	१३७३	१॥)४	चिरंजीलाल पुत्र चांकाल परिवार कांवट	सरपंच का चाचा है।
४.	कांवट	राजस्थान सरकार मैं० पु० रास्व	१३६८	१)२	जगदीश पुत्र हरलाल, मनोहर पुत्र प्रहलाद राम महाजन सा० कावेट	
५.	कांवट	रामेश्वर पुत्र लादूराम जागीड़, कांवट	१३८०	२॥)३	प्रभुदयाल पुत्र रामरिछपाल महाजन, नरेंसिंगा मां० मथुरा प्रसाद पुत्र बदरी महाजन कावंट	
६.	कांवट	फतेहलाल पुत्र देवकीनंदन प्रेमसुख पुत्र स्यानाथ, सुरजमल पुत्र जानकीलाल महाजन	६६३	१।॥)३	लादू पुत्र मंगला माली	
७.	जुगलपुरा	राजस्थान सरकार	१७३९ १३६४	१।॥)१	भागीरथ पुत्र चौथू माली कावंट सुगना पुत्र गणेश दरोगा कावंटा	
८.	जुगलपुरा	मीवादास चेला जुगलदास स्वामी कांवट	१३८६	५॥)४	सूरजमल सोलाटियां कावंट	

नोटः—अभी तक जांच से जो मामले प्रकाश में आये है केवल उसी का विवरण अंकित किया गया है।

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के भाग (१) व (२) में निर्दिष्ट सूची)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन 'क' विभाग

संख्या एफ-२३ (२३) (१) ला । प्र । क । ६९ । जयपुर, दिनांक २९ अगस्त, ६९

परिपत्र

विषय : जनगणना १९७१ ।

जन गणना १९७१ के कार्य में अव्यवस्था एवं रुकावट न आने के कारण राज्य सरकार यह आदेश देती है कि जनगणना के कार्य में कार्य करने वाले कर्मचारी, एवं अधिकारी खास तौर से तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव, अध्यापक तथा आयुक्त नगर पालिका एवं कार्यकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण निम्नलिखित अवधि के लिये नहीं किया जाय ।

१—सितम्बर, १९६९ से मार्च १९७० एवं

२—सितम्बर, १९७० से मार्च, १९७१

आज्ञा से

ह०

(जोरावर सिंह झाला)

मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

पंचायत एवं विकास विभाग

क्रमांक :-एफ-२८ (७) (९४) प्रशा । पंवि । ६९ । ७९५८ जयपुर, दिनांक ६-९-६९

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

१ सचिव, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद, चयन आयोग, जयपुर ।

२-समस्त जिला विकास अधिकारी

३—समस्त उप जिला विकास अधिकारी ।

४—सचिव, जिला कर्मचारी वर्ग समिति

५-—समस्त विकास अधिकारी ।

ह० उप विकास आयुक्त (प्रशा),
राजस्थान, जयपुर ।

चौहान : १३-४ :

पंचायत समिति लाडनूं में जनगणना कार्य में लगे हुए अध्यापकों के स्थानान्तरण की सूची

नाम अध्यापक	स्थानान्तरण कब दिया गया	कितने सलय रखने के बाद	कारण
१. श्री चौथराम	३-१०-६६	२ वर्ष तीन महीना, २७ दिन बाद	गांव वालों की शिकायत पर नजदीक ही निम्बीशाला में जो ३ मील दूर से लगाया गया। ताकि गांव में भी असन्तोष न हो और जनगणना कार्य में भी बाधा न पड़े। यह स्थानान्तरण ५ मील की परिधि में आता है। तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब लाडनूं से सहमति भी प्राप्त कर ली थी।
२. श्री सुरणाराम	२१-१०-६९	१० माह,१० दिन बाद	चोंक बार्कलिना शाला में छात्र संख्या कम हो गई थी। यहां पर दो अध्यापक की जगह एक ही रखना था तथा उनकी जनगणना ड्यूटी शिमला में थी चोथराम को हटाना जरूरी था, अतः इन्हें दण्ड लगाया गया। आर्कलिया से शिमला ४ मील दूर तथा एनू से भी शिमला ४ मील दूर तथा वेड्स भी शिमला ४ मील दूर रहती है इसके लिए श्रीमान तहसीलदार साहब लाडनूं से सहमति प्रदान कर ली थी और जनगणना कार्य में कोई बाधा नहीं रही।
३. श्री रामगोपाल	२४-१-७०	२ साल,७ महीने बाद	शाला में छात्र कम होने की वजह से शाला बन्द कर दी गई थी तथा ४ मील दूर निम्बी शाला में लगाया था। छात्रों की संख्या ठीक कर देने के आश्वासन पर इन्हें वापिस १८-२-७० को मालगांव शाला खोलने का आदेश दे दिया। इनका जनम कार्य मालगांव था, और

Page No 201

			इन्होंने माल गांव में ही कार्य किया। अतः जनगणना कार्य पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। श्री तहसीलदार लाडनूं से इसके लिए सहमति प्रदान कर ली थी।
४. श्री रामधन	२४-१-७०	४ वर्ष, ४ माह बाद	गांव वालों की शिकायत पर हटाया गया लेकिन जनगणना कार्य उसी स्थान पर पूरा किया जहां पहले जनगणना का कार्य करना था। श्रीमान् तहसीलदार साहब लाडनूं से इसकी सहमति प्रदान कर ली थी।
५. श्री बिरधाराम योगी	२४-१-७०	२ वर्ष, ७ माह बाद	रामधन की ट्रांसफर के कारण इस पर असर पड़ा। इन्हें आदेश दिया गया कि ये अपने जनगणना का कार्य जिस गांव में करना है उसी में करे और इन्होंने ऐसा ही किया। इसकी स्वीकृति तहसीलदार लाडनूं से ली।
६. श्री सुरेन्द्र सिंह	१३-२-७०	६ माह बाद	लगार शाला लड़कों की कमी के कारण बन्द थी। गांव वालों के आश्वासन पर एवं जिला परिषद के आदेश के कारण इस शाला को खोलना जरूरी था। अतः श्री सुरेन्द्र सिंह का लगार लगाया गया तथा श्री सुरेन्द्र की जगह अन्य अध्यापक जनगणना कार्य में लगा दिया गया और सुरेन्द्र सिंह को जनगणना कार्य से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री सुरेन्द्रसिंह जनगणना कार्य में नहीं रहा। इसकी सहमति तहसीलदार लाडनूं से प्राप्त कर ली गई।
७. श्री रामकृपाल	३-३-७०	१ वर्ष ४ महीने बाद	रोजा शाला खाली पड़ी थी। अतः वहां अध्यापक लगाना जरूरी थी

श्री रामदयाल ने अपना जनगणना कार्य सिलनवाद में पूरा किया तत्पश्चात रोजा गए । अतः जनगणना कार्य पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आई । रोजा ५ मील की परिधि में है । इसकी स्वीकृति भी तहसीलदार लाडनूं से ली थी ।

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के भाग (३) में निर्दिष्ट सूची)

सूची

माह अप्रैल ६९ से फरवरी ७० तक के व्यय के अन्त: कालीन आई है

क्रम संख्या	नाम जिला	राशि
१.	अजमेर	१५८-७३ (लाख रुपये)
२.	अलवर	४४. ३५
३.	भीलवाड़ा	१८६. ०४
४.	बाड़मेर	८६४.२१
५.	भरतपुर	२१. ४६
६.	भीलवाड़ा	०१८.२७
७.	बीकानेर	४६१ .६७
८.	बूंदी	४७. ६०
९.	चुरू	१५७. ७७
१०.	चितोड़गढ़	४७. ३२
११.	डूगरपुर	१७०. २६
१२.	गंगापुर	५०. ३८
१३.	जयपुर	७७. ५६
१४.	जैसलमेर	३३७. ६७
१५.	जलोर	२५५. १५
१६.	भीलवाड़ा	३७. ०१
१७.	झुन्झुनू	६६. १५
१८.	जोधपुर	७६२. ७१
१९.	कोटा	२८. ४६
२०.	नागौर	२२०.०४
२१.	पाली	२८६. ७६

२२.	सवाईमाधोपुर	५.९७
२३.	सीकर	६२. ८३
२४.	सिरोही	६६. ६३
२५.	टोंक	७१.९६
२६.	उदयपुर	४५४. ७७
२७.	आर० सी०पी०	२३८. ९६
२८.	सी० सी० एफ०	५. ४०
२९.	सी० सी० हैल	४७. ४१
	योग—	५६०७.४३

Page No 205

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के भाग (३) में निर्दिष्ट सूची)

पंचायत समिति मान्डलगढ़ के फार्म से हुई आमदनी व खर्च का विवरण

वर्ष	आमदनी	खर्च	विशेष विवरण
१	२	३	४
६१–६२	६५०. ४५	१६३६. ५०	
६२—६३	३२५. २०.	२१६८..००	
६३—६४	४७०. ६१	१५७६. ७३	
६४—६५	८१८. ४६	५७११. ७३	
६५—६६	८६१..२७	३११४. ४०	
६६—६७	८६८. ६२	१४४५. ६६	
६७—६८	७५७७. १५	५७४५. ६५	
६८—६६	—	—	सूचना उपलब्ध नहीं हुई
६६-७० आजतक	३३१०.१५	३०६२. १४	

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के भाग (२) में निर्दिष्ट सूची)

सूची फसल नुकसान कास्तकार बार जहां से धनपुर वर्ग बंधे के लिये मिट्टी लेते समय फसलों को नुकसान हुआ है।

क्रमांक	नाम तहसील	ग्राम	नाम कृषक	खसरा न०	रकबा		जिन्स	विवरण
					बीघा	बिस्वा		
१)	सांगोध	खोवदा	रघुनाथ पुत्र नन्दा १/४ मोहनलाल नारायण १/४ गेन्दीलाल पुत्र श्री ओंकार १/२ मीना मन्डोता।	६५	४	७	धना	
२)	,,	,,	भैरया ममत्या पुत्र जोड़िया मिना मन्डोता	६४	१	१०	अलसी गेहूं	०-१० १-५०
३-	,,	,,	भूर्या पुत्र सुखार नायक मन्नोता	५८	४	१८	धनिया गेहूं	२-१८ २-०
४-	,,	,,	देवकरण किशन चन्द ब्राह्मण राजगढ़	५५	२	१५	अलसी धना	

५—	,,	,,	,, ,, ,,	५६	२	१	,, ,,
६—	,,	,,	बल्का हीरा पुत्र शंकर कुमान धुनपुर	५४	३	६	चना अलसी
७—	,,	,,	मोती लाल पुत्र मेरु लाल मीना मुन्नोवा	४३	४	७	अलसी
				७	२३	४	

गेहूं	चना	अलसी	अलसी—चना
३	७—३	४—१७	४—१६

अलसी चना	योग
३—६	२३—४

सूची नम्बर काश्तकार दार रकबा बन्ध धनपुर जहां से कि क्षतिग्रस्त के लिये मिट्टी उठाई गई

तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	विवरण
सागोंद	सोवदा	७०	२	१४	
		६७	५	८	
		६५	४	७	
		६४	१	१०	
		५८	४	१८	
		५५	२	१५	
		५६	२	१	
		४४	३	६	
		४३	४	७	
			३१	६	
	राजगढ़	३०६	६	०	
		२६६	१	१०	
			१०	१०	
	धुनपुर	११२	१	०	
		१५८	२	५	
		१५५	१	१०	
		१०८	३	०	
		१०६	१	३	
		१५६	०	१०	
		१५७	०	१०	
			६	१८	

कुल रकबा

		बीघा	बिस्वा
१.	खोवदा	३१	६
२.	राजगढ़	१०	१०
३.	धुनपुर	६	१८
योग		५१	१४

शुद्धि - पत्र

(मंगलवार, दिनांक १४ अप्रैल, १९७०)

स्तम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१		२	३	४
१		८	उद्योग, विभाग	उद्योग-विभाग
२		४	कोड़	करोड़
३		८	अशुपस्थित	अनुपस्थित
४		१२	वापस	वापिस
५	अन्तिम से	२	ग्रोर	ग्रौर
७		१	क्श्चवेन	क्वेश्चन
७		४	बड़त्यास	बड़लयास
		८	वड़त्यास	
		१३	अड़लियास	
७		५	मनेहरसिंह मेहता	मनोहरसिंह मेहता
७	अन्तिम से	२	(विाई	(निवाई)
७	,,	२	मी	मन्त्री
७	,,	१	करेगे	करेंगे
९	,,	७	रामसाद	रामप्रसाद
९	,,	२	नाथूाम	नाथूराम
१०		१	संबद्ध	से संबद्ध
१०		४	में	के
१३		५	सची	सूची
१४		५	सर्व	सर्वे
१४		१६	सर्व	सर्वे
१५	शीर्ष		हरजीराम बुरड़क	श्री हरजीराम बुरड़क
१९		१०	भूमि सम्बन्घ	भूमि के सम्बन्ध
२०		१४	सर्व	सर्वे
२०		१६	ग्रोर	ग्रौर
२०	अन्तिम से	९	इनकी	—
२२		१६	स्वभाविक	स्वाभाविक
२३		१	सूचित	सूची

१	२		३	४
२५		१३	हैं	में
२६		१४	दुकाने	दुकानें
२६		१५	अपा	आप
२६	अन्तिम मे	११	जायेगी	जायेंगी
२६	,,	१०	श्री शिवचरणसिंह :	श्री शिवचरण सिंहः
२७		३	आपको	आपके
२७		८, ११ व १४	—	श्री
२७	अन्तिम से	६	(अनुपस्थित, कृपया आगे, देखिये)	—
२७	,,	६ व ८	वृद्धिचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
२६	शीर्षक		प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
२६		११	कौनालस	कैनाल्स
२६	अन्तिम से	६	है	हैं
२६	,,	८	सहा	सही
३०	,,	१४	थी	थीं
३०	,,	६	शालाओ	शालाओं
३१	,,	६	नसज	नर्सेज
३२	,,	३	११० २००	११०–२००
३२	अन्तिम से	१०	श्रमती	श्रीमती
३४		१०	काणों	कारणों
३५		५	सुलानियों	सुलानियां
३५	अन्तिम से	२	ओर	ओर
३६	,,	१५	समझा	समझाने
३७	,,	६	हे	है
३६		२	ता	तो
३६	अन्तिम से	११	मत्री	मन्त्री
३६	,,	५	नही	नहीं
४२	,,	१	घुड़–	छुड़–
४३		४	रखन	रखने
४४		५	कीमते	कीमतें
४४	अन्तिम से	१३	रस्त्र	रख
४७		५	इन्क्वापरी	इन्क्वायरी
४७		१७	ज्युरिकपडिक्शन	ज्युरिस्डिक्शन

१	२	३	४
४६	२	इन्हवायरी	इन्क्वायरी
५५	४	मरोंसिह	मैरोंसिह
५५	अन्तिम से ५	चित्सिा	चिकित्सा
५६	२	दूसरा	दूसरी
६०	अन्तिम से ८	अवाड	अवार्ड
६१	११	ववश्चन	ववश्चन
६८	६	वरवा	बैरवा
६६	६	वाई	आई
६६	अन्तिम से ८	माजा	मात्रा
७६	शीर्षक	]–नोत्तर	७६]अतारांकित प्रश्नोत्तर
८०	अन्तिम से ७	भिन्ना	भिन्नता
८४	८	रिद्धचन्द	रिद्धीचन्द
६२	अन्तिम से ७	कनिष्ट	कनिष्ठ
६६	६	परिक्षाए	परीक्षाए
६८	१४	धर्माथ	धर्मार्थ
१००	अन्तिम से १३	समित	समिति
१०२	„ १३	योग्ता	योग्यता
१२२	५	ललमणसिह	लक्ष्मणसिह
१२३	अन्तिम से ११	एत	एक
१२४	६	अउयक्ष	अध्यक्ष
१२५	५	सोटा	सोढा
१३७	अन्तिम से ४	एडर्जन	एडजर्न
१३८	५	व्यथस्था	व्यवस्था
१३८	८	खिलाप	खिलाफ
१४२	अन्तिम से १०	तैआर	तैयार
१४७	४	से	—
१५०	११	उक्यू	डाक्यू
१५१	अन्तिम से १	ˇ	दें
१५२	१०	शतीशचन्द्रजी	सतीशचन्द्रजी
१५२	अन्तिम से ८	स्वीकृत	स्वीकृति
१५५	५	हरजाराम	हरजीराम
१५७	६	बरकतुल्लाह खां	श्री बरकतुल्ला खां
१६०	शीर्षक	(मं)	(सं०)

१		२	३	४
१६०	अन्तिम से	११	चूनाव	चुनाव
१६०	,,	१०	पयेंगे	पायेंगे
१६७	अन्तिम से	५	अभिन्ता	अभियन्ता
१६६		१२	का	की
१७४		५	लेकि	लेकिन
१७४		६	चाएि	चाहिए
१८१ से १८४		शीर्षक	विशेषाधिकार–१४ अप्रेल, १६७०-सम्बन्धी प्रश्न	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–१४ अप्रेल, १६७०–ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
१६४		१२	इसे	इस
१६५	अन्तिम से	५	शर्मा	—
१६७		१२	मे	में
२०२		२	जमीन	जर्मनी
२१४		१३	केसरी सिंह	श्री केसरी सिंह
२२२		१७	यशयन्त सिंह	यशवन्तसिंह
२२७		२	immedistely	immediately
२२७		१६	mendatory	mandatory
२३६		११	श्री केशीसिंह हाड़ा :	?श्री केसरीसिंह हाड़ा :
२४१		४	सब्सटट्विव	सब्सटेंटिव
२४१	अन्तिम से	१३	अमेंउमेंट	अमेंडमेंट
२४२		६	हुडा	हाड़ा
२४२	अन्तिम से	६	सशोधन	संशोधन
२४३		७	अमेंटमेंट	अमेंडमेंट
२४४		१०	चंधरी	चौधरी
२४४	अन्तिम से	३	अबेलेबिलेकेटी	अवेलेबिलेटी
२४५	,,	२	में	मैं
२४५	,,	१	हू	हूं
२४६		१०	स्वीकर	स्वीकार
२५३		३	चहूंगा	चाहूंगा
२५३	अन्तिम से	४	होना	होगा
२५५		१८	लंड	लैंड
२५७		१	कंपसीटी	कैपेसिटी
२५७		१० व १२	संशोषत	संशोधन

5

१	२	३	४
२५७	अन्तिम से ५	मारतब्र्ण	भारतवर्ण
२६२	„ १४	पूर्शक	पूर्वक
२६३	१३	क्रियान्वित	क्रियान्विति
२६४	२१	तकसीस	तकसीम
२६५	अन्तिम से १	स्लेब्रि–	स्टेबि–
२६७	अन्तिम से ८	गगानगर	गंगानगर
२६७	„ ३	सम	समी
२६८	१६	कडापा	कडाणा
२६९	११	कनफ्युज्ड	कनफ्यूज्ड
२६९	१२	कनफ्ज्ड	कनफ्यूज्ड
२६९	अन्तिम से १६	ममिहीन	भूमिहीन
२६९	„ १४	होलिडग	होल्डिंग
२६९	„ ७	बहूतायक	बहूतायत
२७१	७	मशा	मंशा
२७१	१४	ताज्जूब	ताज्जुब
२७२	८	सशोघन	संशोधन
२७२	१४ व १६	सीलिन	सीलिंग
२७३	५	बनना	बनाना
२७३	अन्तिम से २	ढते	बढ़ते
२७७	४	tne	the
२८५	१०	पत्तियों	पतियों
२८६	५	घघे	धंधे
२९५	१७ व १८	हीं करता हैं	ही करता है
२९६	११	का	के
२९६	१२	मुद्द	मुद्दे
२९७	अन्तिम से २	यही हैं	यहीं है
३०१	७	यह :	यह
३०१	८	श्री केसरीसिह	श्री केसरीसिंह :
३०१	१२	अकाडिग	अकार्डिंग
३०३	अन्तिम से १६	पुस्त	पुश्त
३०४	„ ४	गई	गईं
३०५	१	लेएा	लेगा
३०५	४	परनुपखापेक्षिणी	परमुखापेक्षिणी

१	२		३	४
३०५		११	ले	लें
३०५		१२	ग्रायें	ग्राये
३०५	ग्रन्तिम से	१६	ग्रायेंयो	ग्रायेंगी
३०५	,,	१५	ममीन	जमीन
३०५	,,	१४	पती	पति
३०६	,,	१३	जातीं	जाती
३०७	,,	१६	हुई	हुईं
३०७	,,	५	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
३०८	,,	१०	होगे	होंगे
३०९	,,	८	उसको	उनको
३१२	,,	९	है	हैं
३१३	,,	७	मिल्का	मिल्क
३१४	,,	१३	कल्टीवेश	कल्टीवेशन
३१४	,,	१०	है	हैं
३१४	,,	२	जिसमे	जिसमें
३१५	,,	१३	ग्राण्ड	ग्राउन्ड
३१८		४	थी	थीं
३१९	ग्रन्तिम से	२ व १९	कनफूजन	कन्फ्युजन
३२०		१	हैं	है
३२०		२ व ३	हूं कलटीवेट्स	हू कलटीवेट्स
३२०		१५	दे	दें
३२१		५	यह	—
३२१	ग्रन्तिम से	१३	मंका	मोका
३२१	,,	३ व ४	वाकालात	वकालत
३२२	,,	१३	है	हैं
३२५	,,	७	ग्रटाकर	हटाकर
३३०		१	किया	दिया
३३०		३	programe	programme
३३१		१२	समापपि	समापति
३३१	ग्रन्तिम से	४, ६ व ७	है	हैं
३३३	,,	१५	तारीख उसको	उस तारीख को
३३३ व ३३५		शीर्ष	(श्री रामनारायण चौधरी)	(श्री रामानन्द ग्रग्रवाल)

१	२		३	४
३३५		४	ता	तो
३३५		५	जगीन	जमीन
३३६		१८	यह	—
३३६	अन्तिम से	१२	करेगे	करेंगे
३३६	,,	८	हैं	है
३४२		१०	ट्रास-	ट्रांस-
३४३		६	प्रोक्टिकल	प्रेक्टीकल
३४३		१४	वेडिल	वेलिड
३४३	अन्तिम से	१३	रूलर	रूरल
३४४	,,	१६	क्योंकी	क्योंकि
३४५		६	मन्सा	मन्शा
३४६		३	यशनन्तसिह	यशवन्तसिह
३४८	अन्तिम से	६	मात्र	माना
३४६	,,	४	हं	हूं
३५०		२	काश्ताकार	काश्तकार
३५०	अन्तिम से	१२	यसवन्तमिह	यशवन्तसिह
३५०	,,	८	परसेंट	पर्सेन्ट
३५१	,,	१६	मे	मैं
३५४		४	सदस्य	सदस्या
३५४	अन्तिम से	१३	राहता	रहता
३५५		१	प्रोर्टी	प्रोपर्टी
३५५		३	डावोर्स	डाइवर्स
३५६		१३	क	का
३५८	अन्तिम से	४	टिनन्सी	टिनेन्सी
३६०		१२	वैलडेट	वैलिडेट
३६०		१५	इफेंक्टव	इफेक्ट
३६१		१०	फर्दर	फर्दर
३६२		१६	यह	यहां
३६४		६	गिरावत	गिरावट
३६४	अन्तिम से	५	प्रार	प्रोर
३६४	,,	४	समा-	समाज-
३६४	,,	१६	समाजवधकिन्ट्रीज	समाजवादी कन्ट्रीज
३६५		२	मशनरी	मशीनरी

१		२	३	४
३७१	अन्तिम से	८	एसे	ऐसे
३७२	,,	९	खतियों	खातियों
३७४		७	को	की
३७५	अन्तिम से	१	फसर्ट	फर्स्ट
३८३	,,	१२	कम्पों	कैम्पों